

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दी पत्रकारिता
विकास और विविध आयाम

हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध आयाम

डॉ० (श्रीमती) सुशीला जोशी



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

प्रथम संस्करण : 1986
द्वितीय संस्करण . 1991

मूल्य : 27 00 रुपये

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, निलक नगर,
जयपुर-302 004

मुद्रक :

टाइम्स प्रिन्टर्स

निलक नगर, जयपुर

फोन : 40358

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत
सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ
निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर द्वारा प्रकाशित ।

प्रकाशकीय भूमिका

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 1990 को 22 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि में विश्व-माहित्य के विभिन्न विषयों के उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर अकादमी ने हिन्दी जगत् के शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है।

अकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हों। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की दौड़ में अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हैं और ऐसे ग्रन्थ भी जो अंग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करती रही है और करेगी जिनको पाकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नहीं, गौरवान्वित भी हो सकें। हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि अकादमी ने 350 से अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया है जिनमें से एकाधिक केन्द्र राज्यों के बोर्डों एवं अन्य सस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किये गये हैं तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसूचित।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके पल्लवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः अकादमी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में दोनों सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

प्रस्तुत पुस्तक 'हिन्दी पत्रकारिता : विकास और विविध आयाम' में हिन्दी पत्रकारिता का विकास तो निरूपित हुआ ही है, साथ ही माय पत्रकारिता विषयक

आचार, नियमन, कानून, पत्र-प्रबन्ध, पत्रकारिता का देश के विकास में योगदान आदि अनेक पक्षों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। पुस्तक पत्रकारिता के डिप्लोमा में अध्ययनरत छात्रों के लिए विशेषतः प्रासंगिक है। वैसे पत्रकारिता से जुड़े प्रत्येक के लिए भी यह रुचिकर हो सकती है।

पुस्तक का सशोधित संस्करण पाठकों के हाथों में देते हुए हमें प्रसन्नता है। लेखिका ने अत्यधिक परिश्रम करके पुस्तक को सशोधित किया है। प्रदत्त सहयोग हेतु हम आभारी हैं।

भैरोसिंह शेखावत

मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

डॉ० वेद प्रकाश

सहायक निदेशक
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

प्राक्कथन

आधुनिक युग पत्र-पत्रिकाओं के मन्दर्भ से निरन्तर प्रगति के सोपानों की ओर बढ़ रहा है। यह अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि प्रत्येक युग का अपना धर्म और कर्म होता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें पत्रकारिता हमें विविध स्थितियों से जोड़ती हुई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों से अवगत कराने का मशक्त माध्यम बन गई है। इसी पत्रकारिता के एक विजिष्ट मन्दर्भ को विविध अध्यायों के माध्यम से प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य रहा है। पत्रकारिता में रुचि और गहरी अन्तर्दृष्टि विकसित हो, यह भावना निरन्तर मन में रही है।

इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के निमित्त हिन्दी पत्रकारिता पर यह पुस्तक लिखी गई है। मेरा प्रयास यह रहा है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और एक निश्चिन पाठ्यक्रम के तहत अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए भी पूर्ण किन्तु सक्षिप्त जानकारी दी जाए। इसके लिए इस कृति में कई अध्याय जोड़ दिए गए हैं। सम्पूर्ण अध्ययन बारह अध्यायों में विभक्त किया गया है तथा इन अध्यायों के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता के कुछ पक्षों को उभारने एवं उजागर करने का प्रयास किया गया है ताकि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के अनुसार यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बन सके। पुस्तक में निहित सामग्री को विवेचनात्मक गवेषणात्मक, प्रामाणिक बनाने के लिए मैंने जिन जाने-माने पत्रकारों, भारत सरकार के प्रकाशनों एवं पुस्तकों से जो सहयोग प्राप्त किया है उनके लिए हृदय से आभारी हूँ।

सर्वप्रथम मेरे परम श्रेय गुरुजी तथा हिन्दी के प्रख्यात महामनीषी डॉ० हरिचरण शर्मा व्याख्याता हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिनके निर्देशन में मैंने 'स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता' विषय लेकर शोध कार्य किया उन्होंने मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा व दिशा-दृष्टि दी। अतः मैं उनके चरण-कमलों में अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करती हूँ।

हिन्दी के जाने-माने पत्रकार डॉ० भैरव सुराणा, राजस्थान सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में भूतपूर्व निदेशक एवं जाने-माने हिन्दी पत्रकारिता के लेखक

डॉ मनोहर प्रभाकर, राजस्थान पत्रिका के सस्थापक एवं प्रधान सम्पादक कपूर्वचन्द्र कुलिश जी, डॉ रमेश जैन, कोटा खुला विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में रीडर व अध्यक्ष पद पर कार्यरत के प्रति भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुझे अपने सुझाव देकर इस पुस्तक को गति प्रदान कर उसे सम्पूर्ण बनाने में सहयोग दिया। यही नहीं, राजस्थान के जाने-माने पत्रकार श्री मुत्तेश जोशी की भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस पुस्तक में कई अध्यायों को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए मुझे नवीनतम समाप्ती उपलब्ध कराकर इस पुस्तक को उपयोगी बनाने में सहयोग प्रदान किया।

अन्त में, मैं अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी व माता जी को श्रद्धा-सुमन अर्पित करती हूँ जिनके मुखर आशीर्वाचन ने मुझे सदैव प्रेरणा व दिशा-दृष्टि दी। मेरे समस्त भाई-बहिन भी बघाई के पान हैं जिनका सहयोग मेरे साथ रहा।

इसी क्रम में मैं राजस्थान हिन्दी-ग्रन्थ अकादमी की भी अत्यन्त आभारी हूँ जिसके सौजन्य से आज इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होकर सामने आया है।

डॉ. सुशीला जोशी

अनुक्रमणिका

1. पत्रकारिता: अर्थ और स्वरूप 1-18
पत्रकारिता का अर्थ, स्वरूप, महत्त्व और उपयोग, पत्रकारिता एक निष्ठापूर्ण कर्म, पत्रकारिता और पत्रकार ।
2. हिन्दी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास 19-42
पूर्वपीठिका, पृष्ठाघार, हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव (1826-1867), हिन्दी पत्रकारिता का विकास (1868-1900), हिन्दी पत्रकारिता का उत्थान (1900-1947) हिन्दी पत्रकारिता का उत्कर्ष (1947 से वर्तमान तक) ।
3. पत्रकारिता आचरण एवं नियमन 43-82
(क) प्रेस कानून, (ख) पत्रकारिता सगठन, (ग) प्रेस परिषद् (घ) एडीटर गिल्ड (ङ) पत्रकार आचार-संहिता ।
4. पत्रकार - पालेकर अवाइंड व बडावत आयोग 83-110
(अ) पालेकर अवाइंड-श्रमजीवी पत्रकारों की निर्धारित वेतनमान तालिका, महँगाई भत्ते की दरें, मकान किराया भत्ते की दरें, रात्रि सेवा काल भत्ता, (ब) पत्रकार: बद्धायत आयोग ।
5. पत्रकारिता के विकास में सरकारी संचार माध्यम 111-115
केन्द्रीय सरकार के प्रचार एवं सूचना माध्यम—पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन प्रचार एवं दृश्य निदेशालय, फिल्म एवं फोटो विभाग, संगीत एवं नाटक निदेशालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन ।
6. समाचार-पत्र प्रबन्ध 116-129
7. समाचार समितियाँ : उद्भव एवं विकास 130-141
भारत में समाचार समितियों का उद्भव, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया, यूनीवार्ता, हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारती, समाचार, भारत में कार्यरत प्रमुख समाचार समितियाँ ।

8. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता: परिचय एवं वर्गीकरण 142-163
 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता का विकास, विषय के आधार पर वर्गीकरण—समाचार एवं सामयिक सन्दर्भ, धर्म एवं दर्शन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, औषधि एवं स्वास्थ्य, विज्ञान, खेल, उद्योग एवं व्यावसायिक, फिल्म, बाल व कृषि पत्रकारिता ।
9. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का योगदान 164-178
 साहित्यिक अभिरुचि का विकास, सांस्कृतिक अभिरुचि का विकास, जनजागृति, नवोन्मेष और सुधार, व्यस्त जीवन में स्वस्थ व्यग्य-विनोद, वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान, शैलीगत विकास ।
10. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ . एक मूल्यांकन 179-226
 दैनिक-पत्र—हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, जागरण पञ्जाब क्वेसरी, सन्मार्ग, विश्वमित्र, नई दुनिया, नवभारत, स्वदेश, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति, जलते दीप, जननायक, वीर अर्जुन, जनयुग, स्वतन्त्र भारत, आज, आर्यावर्त, दैनिक भाष्कर, युगधर्म, नवजीवन प्रदीप, वीर प्रताप, तरुण भारत, देशबन्धु ।
 साप्ताहिक पत्र—धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान दिनमान, रविवार, इतवारी पत्रिका, ब्लिट्ज, दिवाना, तेज साप्ताहिक, लोटपोट, इन्द्रजाल कामिक्स ।
 पाक्षिक पत्र—सारिका, सरिता मुक्ता चम्पक ।
 मासिक पत्रिकाएँ—कल्याण, कादम्बिनी, निहारिका, नवनीत, शिविरा, कुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, मनोहर कहानियाँ, माया, अखण्ड ज्योति, सुषमा, नन्दन, पराग, चन्दामामा, गुड़िया ।
11. प्रेस आयोग 227-240
 (अ) प्रथम प्रेस आयोग
 (ब) द्वितीय प्रेस आयोग
12. वर्तमान के सन्दर्भ में : हिन्दी पत्रकारिता 241-244
 सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 245-247

पत्रकारिता : अर्थ और स्वरूप

पत्रकारिता एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे जीवन की विविधताओं, नित्य नूतनताओं और वैदिक घटनावलियों-प्रमगावलियों को शीघ्र प्रस्तुत करने की अतुल्य क्षमता रखता है। बीसवीं शताब्दी का जीवन जितना घटनाबहुल और वैचित्र्य-विरोधमूलक है, उसे सही रूप में प्रस्तुत, पुनःप्रस्तुत और समासित करने के लिए पत्रकारिता एक अमोघ अस्त्र भी है और जीवन्त माध्यम भी। वस्तुतः यही वह माध्यम है जिसके अन्तर्गत हृद्य विभव-जीवन से सयुक्त होते हैं। आश के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यस्तता प्रधान जीवन में समाचार-पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चला है। जिस तरह शारीरिक भूख शांत करने के लिए भोजन जरूरी है उसी तरह मानसिक तृप्ति के लिए पत्र-पत्रिकाएँ जीवन के लिए अनिवार्य बन चले हैं।

अर्थ

पत्रकारिता आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि है। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ है "पत्रकार का काम या व्यवसाय"¹ दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता स्पष्ट रूप से तीन रूपों में सामने आती है (1) पत्रकार होने की अवस्था या भाव, (2) पत्रकार का काम तथा (3) वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है"² डॉ. वद्रीनाथ कपूर ने वैज्ञानिक परिभाषा कोश में कहा है कि, "पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा सम्पादित करने, प्रकाशन आदेश आदि देने का कार्य है।"³ आक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन है : पत्रकारिता-लेखन और जन-सामान्य की स्थितियों का लेखन और संग्रह व "जनरल्स" की सुरक्षा और संप्रवृत्ति।⁴

1. हिन्दी शब्दसागर : छठा भाग : मूल सं. श्यामसुन्दर दास, पृ. 2798
2. मानक हिन्दी कोश (तीसरा खण्ड) प्रधान स. रामचन्द्र वर्मा, पृ. 380
3. वैज्ञानिक परिभाषा कोष : स. डॉ. वद्रीनाथ कपूर, पृ. 117
4. शोर्टर आक्सफोर्ड डिक्शनरी, पृ. 1069

चेम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार

“आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों का आकर्षक बनाव, जल्दी में जल्दी समाचार देने की होड़, देश-विदेश के प्रमुख उद्योग धन्धों के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुन्दर छपाई और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पत्र पहुँचा देने की त्वरा, ये सब पत्रकार कला के द्यन्तर्गत आ गये हैं।”

“पत्रकारिता वह धर्म है, जिसका सम्बन्ध पत्रकार के उम कर्म से है— “जिससे वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का सबसे अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करें और समस्त जनमत जागृत करने का धर्म करें।”

डॉ० अर्जुन तिवारी का कहना है, “समय और समाज के सन्दर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। गीता में जगह-जगह “शुभ दृष्टि” का प्रयोग है। यह शुभ दृष्टि ही पत्रकारिता है, जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना सम्मिलित है। महात्मा गांधी तो इसमें “समदृष्टि” को महत्त्व देते थे। समाज हित में सम्यक प्रकाशन को पत्रकारिता कहा जा सकता है। अमत्य, अशिव और अमुन्दर पर “सत्य शिवं सुन्दरम्” की शख ध्वनि ही पत्रकारिता है।”

पत्रकारिता एक समसामयिक इतिहास, है, जो शीघ्रतापूर्वक लिखा जाता है। अपने समय का लिखा गया इतिहास ही पत्रकारिता का महत्तम सन्दर्भ है। दैनिक क्रम में घटने वाली घटनाओं को चाहे वह घटना राजनैतिक हो, सांस्कृतिक और चाहे आर्थिक हो, रहस्योद्घाटन ही पत्रकारिता का जीवन है। पत्रकारिता का मूल ध्येय अन्याय का उद्घाटन करना, दोष-परिहार करना, सलाह देना, असहायों की सहायता करना और मित्र-विहीन लोगों को मित्रवत मार्ग दिखाना है।”³ “मॉडर्न जर्नलिज्म” में “कलें. जी. मुगलर ने पत्रकारिता को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित ज्ञान का कार्य है। ऐसा कार्य जिसमें आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करने, उनकी महत्ता के अनुसार ही उसे तैयार करना अर्थात् न्यून स्थितियों के अनुसार तात्कालिक घटनाओं की बुद्धिमता से जनजीवन के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है।”⁴

1. राजस्थान में हिन्दी पत्रकारिता का उद्गम और विकास (शोध प्रबन्ध)—डॉ० भेंवर सुराणा, पृ. 14
2. आधुनिक पत्रकारिता, पृष्ठ 9
3. डेन्जरस स्टेट : विलियम्स : पृ. 7
4. कलें. जी. मुगलर : मॉडर्न जर्नलिज्म : पृ 9

“जर्नलिज्म” फ्रेंच शब्द ‘जर्नी’ से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है एक-एक दिवस का कार्य या उसकी विवरणिका प्रस्तुत करना। पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित पत्रों की सवाहिका होती है। इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापरकता के माथ-साथ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक सन्दर्भों की प्रस्तुति होती है।¹ प्रेमनाथ चतुर्वेदी का भी यही मत है कि “पत्रकारिता विशिष्ट देशका, परिस्थितिगत, तथ्यों का अमूल, परोक्ष मूल्यों के सन्दर्भ और आलोक उपस्थित करती है।”²

पत्रकारिता और साहित्य

प्रत्येक साहित्यकार प्रथमतः पत्रकार ही हुए हैं बाद में उत्कृष्ट साहित्यकार। पत्रकारिता ही इनकी पहली सीढ़ी रही है। साहित्य की जन्मदात्री पत्र-पत्रिकाएँ ही रही हैं। साहित्य की विविध विधाएँ इसी के कारण पल्लवित हुई हैं। प्रसिद्ध साहित्य-सेवी बालकृष्ण राव के शब्दों में—“समसामयिक परिवेश में किसी न किसी रूप में प्रत्येक लेखक प्रेरणा ग्रहण करता है, चाहे वह साहित्यकार हो या पत्रकार। दोनों ही लेखक हैं, दोनों ही सर्जनाकार हैं, दोनों के कार्य किन्हीं ऐसे गुणों की अपेक्षा करते हैं जो दोनों के लिए अरिहाय है—अनावित दृष्टि, चिन्तन, लेखन में प्रेषणीयता की शक्ति। दोनों देश और काल के आयामों पर अपनी-अपनी विशिष्ट परम्पराओं के प्रतिरिक्त उस संश्लिष्ट सांस्कृतिक परम्परा, उस सामाजिक चेतना से सम्बद्ध है जिसमें उन्हें अपनी बात आगे के प्रति निवेदिन करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। प्रत्येक पत्रकार अथवा साहित्यकार भी है, प्रत्येक साहित्यकार अनिवार्यतः पत्रकार भी। 1920 से प्रारम्भ ‘सरस्वती’ में लेकर आज तक अनेक ऐसी साहित्यिक पत्रिकाएँ निकली हैं जिन्होंने हिन्दी को बड़े-बड़े साहित्यकार प्रदान किये हैं जैसे ‘समालोचक’ (1902), ‘भापुरी’ (1923), ‘बाँद’ (1922), ‘मुवा’ (1927), ‘हस’ (1930), ‘कल्याण’ (1926) आदि प्रमुख पत्रिकाओं के विशेषांक आज भी पाठकवर्ग सजोकर रखता है। इन पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रभाद, पन्त, तिराला, महादेवी वर्मा, जेनेन्द्र कुमार, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रभाद द्विवेदी, पाडेय बैयन शर्मा उग्र, अज्ञेय आदि अग्रणी साहित्यकारों को अभिव्यक्ति का अवसर मिला है।

पत्रकारिता और साहित्य में इतना सम्बन्ध होते हुए भी इनमें काफी अन्तर है। इनमें प्रमुख अन्तर है शैली का, क्योंकि पत्रकार समाज शैली का प्रयोग करता है जबकि एक साहित्यकार व्यास शैली व असकृत शैली को अपनाता है। एक पत्रकार

1. अमेरिकन ऐन साइबलोपिडिया
2. समाचार सम्पादन : प्रेमनाथ चतुर्वेदी . पृ. 16

4/हिन्दी पत्रकारिता : विकास और विविध प्रायाम

अलंकृत शैली से काफी दूर रहता है। इसके अतिरिक्त साहित्य में चरमावस्था अन्त में होती है पर पत्रकारिता में प्रारम्भ में ही, क्योंकि आज का मानव इतना व्यस्त है कि उसे पूरी खबर पढ़ने का समय ही नहीं है अतः वह प्रमुख लाइनें पढ़ कर ही सारा सार समझ लेता है।

तत्कालिक यथार्थ ही पत्रकारिता का उपजीव्य होता है जबकि रचनाकार की प्रवृत्ति यथार्थ से सूझता की ओर होती है एक तो समुद्र की लहर की तरह ऊपर-नीचे उठता है तो दूसरा अन्तर तक पंठकर भानम को शान्त और तृप्त करता है। साहित्य में सामान्य तथ्यों को शाश्वत सत्य से जोड़ने का प्रयास होता है जबकि पत्रकारिता में इस प्रकार की कोई भी अनिवार्य शर्त नहीं होती है। यहाँ तात्कालिक प्रभाव ही प्रधान होता है। आस्कर वाइल्ड के शब्दों में—“पत्रकारिता पड़े जाने के काबिल नहीं होती जबकि साहित्य पड़ा नहीं जाता अर्थात् साहित्य पढ़ने की वस्तु नहीं धरन् अनुभव करने वाली व मन में हमेशा के लिए स्थिर रहने वाली चीज है।”

वास्तव में पत्रकारिता, पत्रकार द्वारा चारों कोनों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण) की सूचनाएँ एकत्र करके उन्हें जनता के सामने रखने का माध्यम है, साथ ही जनता के विचारों के अनुसार ही जनभावना को मुखरित करना है। चाहे वह विचार किसी भी प्रकार के विचारों से सम्बन्धित क्यों न हो।

“पत्रकारिता वास्तव में एक चुनौती है जिसके आवश्यक गुण हैं—उत्तरदायित्व, अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखना, सभी दबावों से परे रहना, सत्य प्रकट करना, निष्पक्षता, समान और सम्य व्यवहार।”¹

इस प्रकार पत्रकारिता सामान्य अर्थ में वैश्विक क्षितिज पर घटित होने वाली घटनाओं का तथ्यात्मक, विविधात्मक और यथार्थपरक प्रस्तुतीकरण है। पत्रकारिता व्यक्ति, समाज, सामाजिक सन्दर्भों और बहुविध परिवेश की कहानी है। जिस प्रकार कहानी किसी मानवीय सवेग, किसी क्षण विशेष की पकड़ और घटना-प्रसंगों की कलात्मक-कल्पनाप्रवण प्रस्तुति है, उसी प्रकार पत्रकारिता भी प्रस्तुति तो है परन्तु साहित्य की अपेक्षा कम कलात्मक है। साहित्य में कल्पना प्रमुख है तो पत्रकारिता में यथार्थ की सत्य प्रतिबोधक स्थितियाँ। पत्रकारिता में कल्पना का प्रयोग शैली तक ही सीमित है।

पत्रकारिता का स्वरूप

1. समाज की गतिविधियों का दर्पण

पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का दर्पण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः जिस समाज में मनुष्य रहता है उस समाज के द्वारे में वह अधिक

से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। समाज में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है ? इस सबको जानने का एकमात्र साधन पत्रकारिता है। "पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में उम दुनियाँ के बारे में ममस्त सूचनाएँ संचित करते हैं, जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते।"¹ इस प्रकार जब सामाजिक जीवन प्रगतिशील तत्वों को अपनाता हुआ निर्माण और उत्थान की ओर अग्रसर होता है तब भी जो स्वस्थ जीवन मूल्य सरंचित होने हैं उन्हें भी पत्रकारिता अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार पत्रकारिता सामाजिक जीवन की सद्-असत्, दृश्य-अदृश्य और शुभ-अशुभ दृश्यों का दर्पण है। समाज में फँसी कुसृष्टियों, अन्वविश्वासों, रुद्धियों के प्रति भी पत्रकारिता मर्घ्य छेड़ती हुई समाज से उन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करती है। दूसरे अर्थ में एक सच्चा पत्रकार अन्धराष्ट्रवाद और सकीर्ण देशभक्ति के विरुद्ध आवाज उठाता है। पत्रकारिता समाज में जो कुछ भी अज्झा या बुरा घटित होता है उसका विश्लेषण करती हुई समाज की मस्तिष्कद्रष्टा बन जाती है। मक्षेप में पत्रकारिता समाज की सीमाओं पर पड़ने वाली वह चैतन्य किरण है जो अपने प्रकाश से सामाजिक अस्त-व्यस्तता और विशृंखलता को समाप्त करती हुई प्रकाश विकीर्ण करती है। यही प्रकाश सामाजिक जीवन में प्रवेश करता हुआ उसके अन्तर्ग में छिपे अर्थकार की पर्तों को काट देता है।

2. सूक्ष्म शक्ति

पत्रकारिता वह सूक्ष्म शक्ति है जो परिवेश के शरीर और उसके अन्तःकरण को निरूपित करती है। आज हमारा जीवन पर्याप्त जटिल और सकुल हो गया है। घाए दिन कुछ न कुछ ऐसी कसृणाजनक, भयावह और कषा देने वाली घटनाएँ घटित होती रहती हैं कि मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। मानवीय सम्बन्ध आज जिम रूप में बदल रहे हैं उनका कारण कुछ भी हो किन्तु इतना निश्चित है कि उन सम्बन्धों को सूक्ष्म निरूपण और प्रस्तुतीकरण अनेक बार हमें समाचार-पत्रों में मिलता है। समाज के सजग प्रहरी के रूप में एक पत्रकार समाज में घटित घटनाओं की गहराई में प्रवेश करता है और निरन्तर बदलते हुए परिवेश और मानव सम्बन्धों की जटिलता के कारणों, प्रतिक्रियाओं और परिणामों को विश्लेषित करता है। ऐसा करने से सामाजिकों को समाज में चल रहे घटनाचक्र की जानकारी भी होती है और वह अपने जीवन में सतर्क बने रहने के लिए प्रेरणाप्रद शक्ति भी प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता परिवेश के शरीर अर्थात् स्थूल घटनाचक्र के साथ-साथ उसके मन अर्थात् सूक्ष्म सम्बन्धों तक को उजागर करती है।

3. नीर-क्षीर विवेक

पत्रकारिता पूर्णतः निपेधात्मक माध्यम नहीं है। एक स्वस्थ पत्रकारिता का लक्ष्य नीर-क्षीरवत् विवेचन करना होता है। इतना ही नहीं, विवेचन के साथ-साथ निर्णय का काम भी पत्रकारिता करती है। जो पत्रकारिता गहराई तक अपनी पहुँच रखती है उसे मात्र निपेधात्मक मानना अनौचित्यपूर्ण है क्योंकि एक "पत्रकार भविष्य दृष्टा होता है। वह समस्त राष्ट्र की जनता की चित्तवृत्तियों, अनुभूतियों और आत्मा का साक्षात्कार करता है। पत्रकार किसी को ब्रह्मजानी नहीं बना सकता परन्तु मनुष्य की भाँति जीते रहने की प्रेरणा देता है। अहाँ उसे अन्याय, अज्ञान, उत्पीड़न, प्रवचना, भ्रष्टाचार कदाचार दिखता है, वह उनका ताल ठोककर विरोध करता है और आशानीत आत्मविश्वास एवं दृढ़ता से प्राणी-प्राणी में शान्ति एवं सद्भाव की स्थापना करता है। सच्चा पत्रकार निर्माण क्रान्ति की लपटों से समाज की बुराइयों को भस्म करने का आयोजन करता है। पत्रकार ऐसे समाज का विधिवत् विकास करता है जिससे आत्म-साक्षात्कार के इच्छुक लोगों को अपनी पहचान करने की दृष्टि मिलती है।" अस्तु पत्रकारिता केवल निपेधात्मक ही नहीं होती अपितु वह निर्मात्री भी होती है और समाज रचना के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

4. सामाजिक मूल्यों की नियामिका

पत्रकारिता विद्रोह, आक्रोश और आलोचना के माध्यमों को स्वीकार करती हुई स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की नियामिका है। देश व समाज में व्याप्त असंतोष चाहे वह देश जाति, धर्म किसी भी रूप में क्यों न हो पत्रकारिता उसका सही विश्लेषण कर प्रतिबिम्बित करती है। उदाहरणार्थ आपातकाल के दौरान देश में परिवार नियोजन के प्रति लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और उसकी जो भी प्रतिक्रिया हुई उनका विस्तृत व्यौरा प्रकाशित करके मनुष्य को उसके प्रति अच्छी और बुरी बातें बताकर उसने उसका मार्ग प्रशस्त किया। यह राष्ट्र में घटने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चिंतन की प्रक्रिया को जन्म देकर उसे सही दिशा में अग्रसर होने में सहायता करती है। पत्रकारिता यदि सचमुच पत्रकारिता है तो वह एक मार्ग-दर्शिका, जीवन निर्मात्री और सामाजिक मूल्यों की विधायिका ही हो सकती है, साथ ही सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रतिमानों को स्थापित करती है।

5. परिवेश से साक्षात्कार

पत्रकारिता मनुष्य को उसके परिवेश से जोड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से भी जोड़ देती है। पत्रकारिता मनुष्य को उसके चारों तरफ हो रहे घटनाचक्रों से

परिचित कराती है। विज्ञान को उन्नति के माध्य-साथ मनुष्य ध्यम्नता की ओर अग्रसर होना जा रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आत्म-पडीम के मामले की ही मुय नहीं रख पाता, तब सारे विश्व की तो बान ही बया है परन्तु पत्रकारिता के जरिये न केवल ह्य अपने परिवेश से परिचित होते हैं वरन् दूर-दराज के देशों से भी हमारा साक्षात्कार कुछ ही क्षणों में हो जाता है। यही क्यों? कही कुछ घटित हुआ नहीं कि उसकी खबर हम न केवल पड ही पाते अपितु टेलीविजन जैसे वैज्ञानिक उन्नकरण के द्वारा उत घटना का आँखों देखा चित्र भी देख लेते हैं। जन-सम्पर्क के माध्यम—रेडियो, टेलिविजन, टेलीप्रिन्टर, टेलिक्स, वायरलेस और समाचार-पत्र आज ऐसे माध्यम हैं जो सारे विश्व को एक चक्र में ही बाण देते हैं और मनुष्य की जिज्ञासा को जागृत करते हैं, मनुष्य केवल सामाजिक ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय प्राणी बन जाता है और समूचे विश्वघटनाचक्र में एक इकाई की तरह जुड जाता है जो उसे सकीर्ण दापरे में निकाल कर अतरिक्ष की ऊँचाइयों को छूने में समर्थ बनाती है।

6 विविधात्मक और व्यापक क्षेत्र

पत्रकारिता का क्षेत्र न केवल विविधात्मक है अपितु व्यापक भी है। जीवन का कोई भी विषय, कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो पत्रकारिता से अछूता हो। आज हर विषय से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाएँ आपको भिन जायेंगी। हर समूह के व्यक्ति अपने विषय के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी और ज्ञान के लिए पत्रकारिता को ही माध्यम बनाते हैं। पत्रकारिता अब केवल रोबक समाचारों का नकलन या केवल राजनीति मात्र तक ही सीमित नहीं है वरन् माहिम्न, फिन्म, खेलकूद, वाणिज्य, व्यवसाय, विज्ञान, धर्म, हास्य, व्यंग्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें इसका प्रवेश नहीं हुआ हो।

7 कुशल चिकित्सक

पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक की तरह सामयिक परिस्थितियों और घटनाचक्र की नाडी की जाँच कर उसके स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करती है। पत्रकार के पास एक सीखी व तेज नजर तो होनी ही है अपितु शिव की सी तीमरी आँख भी होनी है यही कारण है कि पत्रकार परिवेश के शरीर में दौडते हुये रक्त की प्रथवा उसके रक्तवाप की परीक्षा करता है, उसकी घडकनों का हिमाव रखता है। जब वह अधिक विकृत होने लगता है तब पत्रकार कुशलनापूर्वक सामाजिक परिवेश की एक्म-रे रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देना है। यह काम वह फोटो-पत्रकारिता के जरिये करता है क्योंकि चित्र-पत्रकारिता घटना की सत्यता को प्रमाणित करने के साथ-साथ एक चश्मदीद गवाह का भी काम करती है। यही नहीं कई बार तो किन विवेक परिस्थितियों के कारण यह घटना घटित हुई यह भी इसके चित्र से भिन जाना है। ऐसा करने से प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्थिति, स्पदन-सम्पन और विदुनियर्ण-सर्णियाँ

सामने आती है। पत्रकार का कार्य किसी भी कुशल चिकित्सक जैसा है। इसके बाद पत्रकारिता के सहारे जो विकृत है उसका सुधार किया जाता है। पत्रकारिता समाज के उतार-चढ़ावों को प्रतिबिम्बित ही नहीं करती, दिशा बोध भी देती है। निष्पक्ष विश्लेषण व निर्भीक आलोचना से समाज में व्याप्त दोषों के निवारण के लिये यह जनमत जागृत करने के साथ-साथ उसका निदान उपचार भी सुझाता है।

8. सम्प्रेषण का माध्यम

पत्रकारिता सम्प्रेषण का सामाजिक माध्यम है। आज का युग विज्ञान का युग है। इस विज्ञान ने हमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचारपत्र ऐसे माध्यम दिये हैं जिनके द्वारा समाज में किसी भी क्षेत्र में घटित घटनाएँ हमें तुरन्त पलक झपकते ही मालूम हो जाती हैं और उस घटना को सुनते ही या देखते ही अगर हमें किसी हानि की सम्भावना नजर आती है तो हम तुरन्त उससे बचने के उपाय कर सकते हैं। पत्रकारिता जनता को सचेत करती ही है, साथ ही उसे शिक्षित करती हुई उसे मुश्किलपूर्ण मनोरंजन भी प्रदान करती है। यही वह साधन है जो हमें विश्व में होने वाले सम्पूर्ण नवीन आविष्कारों, घटनाओं, अनुसंधानों से परिचित कराकर प्रभावित करता है। विश्वपटल पर जो विभिन्न उत्सव आयोजन और घटनाचक्र दौड़ते हैं, उन्हें एक कुशल पत्रकार "फीचर" शैली के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है। घटनाओं के अतिरिक्त पत्रों में फीचर और साक्षात्कार जैसे सम्प्रेषण के माध्यमों द्वारा ज्ञानवर्धन व चिन्तन धारा को प्रभावित करने वाले लेख भी जन-जीवन को आलोकित करते रहते हैं।

9 महान लक्ष्य

पत्रकारिता का लक्ष्य महान् है। वह जन-सामान्य की भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है और मनोरंजन का कार्य भी करती है। समाज का कोई भी पहलू या राष्ट्र की कोई भी चिन्ता पत्रकारिता के माध्यम में ही अभिव्यक्ति पाती है। जैसे जन-सामान्य में फैले हुये छुआछूत, अन्धविश्वास, रुढ़िगत विचार आदि पर समय-समय पर टिप्पणियाँ व लेख विशेष लेख प्रकाशित कर, जनमानस को अपने अनुकूल विचारों में ढाल देती है। यही नहीं जनता के विचारों को सबके सम्मुख रखती है। जिस रोज का जो विषय होता है, उस पर जन सामान्य की क्या प्रतिक्रिया हुई? उसे पत्रकारिता ही व्यक्त करती है।

मनोरंजन मानव जीवन की न केवल बहुत बड़ी आवश्यकता है वरन् अपरिहार्यता भी है। आज जब मनुष्य आकाश को नाथ रहा है, समुद्र के गर्भ में जा रहा है, नक्षत्रों के रहस्य से अवगत होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, धरती और आकाश के मध्य निर्मित वायुमण्डल के हर सास का इतिहास लिख रहा है और मनुष्य की चेतन शक्तियाँ अम-शुद्ध होकर जब सुप्त होने लगती हैं, तब इस समस्त घटना-

चक्र से या इसमें हो रही आपा-धापी में मनुष्य बचने लगता है तो उसे मनोरजन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता ही उसे ऐसे क्षेत्र में ले जाती है जहाँ उसका मस्तिष्क राहत महसूस करता है। उसमें छपने वाली सामग्री इतनी व्यंग्यपूर्ण, उत्तेजक, रोचक और खुशनुमा होनी है कि मनुष्य की जिविल इन्द्रिया और यकित्त मस्तिष्क हल्कापन महसूस करता है। यह अनुभूति व्यक्ति को न केवल राहत पहुँचानी है बल्कि यही वह स्थिति है जो पत्रकारिता में निहित मनोरजन के तथ्य को पूर्ण करनी हुई जन-सामान्य की अभिव्यक्ति का माध्यम भी पत्रकारिता बन जाती है तो मनोरजन का सहज व मूल साधन भी।

10. सन्देश-प्रेषण का सशक्त माध्यम

पत्रकारिता मनुष्य को एक शक्ति तो देती ही है अपितु सन्देश प्रेषण का माध्यम भी बनती है। वह एक ऐसा शक्ति केन्द्र है जो मनुष्य की विखरी हुई शक्तियों को मिलाता है और जन-मानस में जो भाव-विचार और शक्ति-कण बिखरे हुये होते हैं वे सबके सब पत्रकारिता के द्वारा ही संगठित होकर किसी एक बड़ी शक्ति का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसी शक्तिमती पत्रकारिता सन्देश-प्रेषण का भी सशक्त माध्यम है। आये दिन हम देखते हैं कि माँ बाप के ममत्व से बिछुड़े हुये बालको, गुमराह हुए व्यक्तियों और उत्तरदायित्व से भागे हुए इंसानों का नियमित, व्यवस्थित और उपयुक्त सन्देश देने का कार्य भी पत्रकारिता करती है।

11. प्रेरणादायी व जागरूक

पत्रकारिता किसी भी राष्ट्र या देश के निचे प्रेरणादायिनी हो सकती है। पत्रकारिता सामाजिक जागरूकता की जगमगाती किरण है। समाचार-पत्रों में केवल समाचार ही प्रकाशित नहीं होते बल्कि मत व निष्पत्ति भी प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों में संपादकीय टिप्पणियाँ बड़ी महत्त्वपूर्ण होती हैं, जिसमें संपादक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थितियों पर मुक्त मस्तिष्क से अपना विचार व्यक्त कर सकता है। अतः समाचार-पत्र राष्ट्र को प्रेरणा भी देते हैं और उसका दिशा निर्देश भी करते हैं। भारत में 'स्वतन्त्रता आन्दोलन' को पत्रकारिता के द्वारा ही शक्ति मिली। पत्रकारिता ने ही देशवासियों के मुक्त स्वाभिमान को जाग्रत किया तथा उन्हें यह प्रेरणा दी कि स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और एकता जैसे जीवन-मूल्य मनुष्य के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रीय भावना व जनमत को बनाने का महान् कार्य पत्रों द्वारा ही सम्भव हो सका।

12. मानवीय गुणों के विकास में सहायक

पत्रकारिता मानवीय गुणों को विकसित करती हुई उसके अतर्दष्ट पर पड़े आवरण को चीरकर ज्ञानलोक में ले जाती है। एक पत्रकार जो कुछ भी कहता है वह निर्भीक व स्पष्ट कथन होता है। मानव नित्य समाचार पढ़ता है, अपने

सहज स्वभान के कारण ही किसी ग़बर को पढ़कर वह आन्दोलित हो उठता है । जसमें निर्भीकता, साहस के माथ स्वतन्त्र निर्णय की क्षमता का विकास होता है और मनुष्य समाज व देश की स्थिति का अवलोकन करता हुआ अपनी अन्तर्दृष्टि को सही दिशा में ले जा सकता है । परिणामतः वह स्वयं ही अपने लिये उपयुक्त दिशा-पथ चुन सकता है ।

13 सुदृढ़ कड़ी

पत्रकारिता शासन और समाज के बीच सम्बन्धों की एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाती है । जीवन के विविध क्षेत्रों की जानकारी देने वाली पत्रकारिता लोगों को राष्ट्र में और राष्ट्र को लोगों से जोड़ती है । सरकार की मान्यताएँ, नीतियाँ, समय-समय पर की गयी धोपणायें आदि समाचार-पत्र में प्रकाशित होती है । जिसके द्वारा जन-जीवन को यह पता चलता है कि शासनतन्त्र किन नीतियों का अनुसरण कर रहा है । समाचार-पत्र इन नीतियों के प्रति जन-मानस में व्याप्त प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं और यह निर्धारण करने में सहायक होते हैं कि लागू की गई नीतियाँ सही अथवा त्रुटिपूर्ण हैं । पत्रों में प्रकाशित प्रतिक्रिया के आधार पर शासन-तन्त्र नीतियों में संशोधन आदि करता है अथवा प्रबल जनमत स्वयं शासन-तन्त्र में ही आमूल परिवर्तन कर देता है ।

14 जीवन का आवार

पत्रकारिता वर्तमान जीवन का आवार है । सभी वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तित्व निर्माण और मविष्यनिर्माण के रूप में पत्रकारिता का महत्व है । वर्तमान मानव आज अपनी व्यस्तता के कारण चाहता है कि समस्त सभार में घटने वाली घटनाओं का लेखा-जोखा उसे कम से कम समय में मालूम हो जाये । रोजमर्रा जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का लेखा-जोखा तों पत्रों में होता ही है, साथ में ग्राह्य, विज्ञान, खेलकूद, फिल्म आदि से सम्बद्ध पृष्ठ भी इनमें होते हैं । अर्थात् जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समाचार-पत्रों में प्रभावित होता है, क्योंकि समाचार-पत्र में प्रकाशित घटनाएँ, सूचनाएँ हमारे ही आमपाम के जीवन मन्दर्मों से जुड़ी हुई होती हैं जो मानव के वर्तमान जीवन का आधार बनती हैं ।

पत्रकारिता विविधात्मक है । सभी वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इसके सहारे कर लेते हैं । नौकरी पाने के इच्छुक, खेचकूद की चाहत रखने वाले उपभोक्ता व्यापार में सम्बन्धित व्यापारी वर्ग, धर्म-सभा, सत्संग मजन-कीर्तन में रुचि रखने वाले अपनी समस्याओं का समाधान करते ही है । इस तरह समाचार पत्र मनुष्य के विचारों, मूठ्यों और आदर्शों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । समाज का प्रत्येक वर्ग चाहे वह गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या पूँजीपति, किसान हो या जमींदार, छात्र हो या अध्यापक, शासक हो अथवा प्रजा, नेता हो या

अभिनेता, सभी के विचारों, उनकी गतिविधियों को जन सामान्य तक पहुँचाने में समाचारपत्र सहायक होते हैं। समाचारपत्र वर्ग-वैतना का प्रतीक है तो वर्तमान जीवन का अभिन्न अंग। सभी वर्ग के लोग इससे अपने चिन्तन का निर्माण करते हुए, अपनी जिज्ञासा को शान्त करते हुए भविष्य का निर्माण करते हैं। पत्रकारिता के स्वरूप और उनकी अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि वह एक कला है, वैज्ञानिक और कलात्मक बोध को जगाने वाला राशक माध्यम है।

पत्रकारिता का महत्त्व और उपयोग

पौराणिक युग में नारद देव लोक व मृत्यु लोक के बीच सम्प्रेषण के माध्यम थे। समाचारपत्र आज के युग की ऊत्तमापी का धर्माधीटर है तो वातावरण की सघनता विरलता को अंकित करने का वैरोमीटर भी है। समाचारपत्र वर्तमान की सूचना देता हुआ भविष्य की सम्भावना प्रकट करता हुआ 'भौमभ-पक्षी' होता है। आज सामाजिक चेतना-युत मानव समाचारपत्र के थोड़े से विलम्ब पर आने की स्थिति से व्याकुल हो उठता है, क्योंकि 'टी-टबुल' का मुख्य विषय ही समाचार-पत्र है। जन-तान्त्रिक देशों में समाचारपत्रों को "लोकसभा का म्यादी अधिवेशन" कहा गया है।

जैफर्नन ने तो समाचार-पत्र जगन को स्वतन्त्र समाज में यह कहकर सर्वोच्च स्थान दिया है कि, "यदि उनको एक समाचारविहीन शासन व्यवस्था और शासन-विहीन समाचारपत्र वाले समाज में से चुनने का कहा जाए तो वह नि सन्देह समाचार-पत्र वाली व्यवस्था को अग्रणी करेगा।¹ शारीरिक अथवा सामाजिक दण्ड देने की सीधी शक्ति न रखते हुए भी केवल लोकमत के दब पर वर्तमान पत्र इतने मशकत हैं कि उन्हें "फोर्थ एस्टेट" "पावर विहाइण्ड दी थ्रोन" "आल पावर फुल" आदि नामों से पुकारा जाता है। बर्क ने पत्रकारिता को "बौधी सत्ता" कहा है तो आस्कर वाइल्ड कहते हैं कि आज तो प्रेस ही एक मात्र रियासत है।"²

लोकतन्त्र के चार स्तम्भों की अवधारणा करते हुए हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "जनसत्ता" के सम्पादक श्री प्रभात जोशी ने कहा है, "न्यायपालिका, कार्य-पालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं "चौथा स्तम्भ" हूँ तो पत्रकार होने के नाने मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन तीनों स्तम्भों को मैं "जज" कहूँ।"³

1. स्वान अप्रैल, 1966, पृ. 17

2. पत्र और पत्रकार ने. श्री कल्पललि त्रिपाठी, पृ. 13

3. दिनमान 10-16 मार्च 1985

इन्द्रविद्यावाचस्पति ने पत्रकारिता को "वर्तमान युग का सबसे प्रभावशाली आविष्कार" कहा है।¹ श्री विद्यालकार ने इसे आजकल का 'पाँचवा वेद'² बताया है। प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी ने तो यहाँ तक कह डाला कि 'जब तोप मुकादिल हो तो अखबार निकालो।'

समाचार-पत्र समाज के सामने एक समस्या के कई विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इससे समाज को निर्णय करने और अपना रास्ता चुनने में आसानी होती है। इन सब कारणों से ही राजेन्द्र ने समाचारपत्र को "श्री जनसाधारण" की संज्ञा दी है।³ दैनिक समाचारपत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मनुष्य के दर्पण मनुष्य के हाथों में मौजूद होते हैं। सम्प्रेषण के माध्यमों के विश्वास ने पत्रकारिता को इनका व्यापक बना दिया है कि आज हम घटनाओं को घटते हुए देख व सुन सकते हैं। दूर-दर्शन अर्थात् "टेलीविजन" से हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी की चीजों को आमने-सामने देख सकते हैं। इसी के माध्यम में हम बच्चे, युवा, बूढ़े, पढ़े-अनपढ़, सभी को घर बैठे-बैठे ही तरह-तरह की शिक्षाप्रद जानकारी दे सकते हैं।

"ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाज शास्त्र और इतिहास, सभ्य और क्रान्ति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिम्बित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन मफज हो सकता है।"⁴

आज के युग में पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान में समाचारपत्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। समाचारपत्र का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना तथा सामाजिक क्रान्ति की दिशा में चेतना जाग्रत करना है। समाज में व्याप्त अन्धविश्वास के विरुद्ध समाचार-पत्र अपना युद्ध छेड़ सकता है। जाति-पाँति, छुआछूत, बाल-विवाह बमेल विवाह के विरुद्ध व विपत्ता विनाह तथा सामाजिक विकास के पक्ष में समाचारपत्र लेखकों द्वारा जन मानस को जाग्रत कर सकते हैं। लेखनी तत्परता से अधिक शक्तिशाली होती है। एक समाचार जनता में बबडर उत्पन्न कर सकता है तो दूसरी ओर वह समाज में शान्ति कायम रखने में सहायक हो सकता है।

समाचारपत्र सामाजिक अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष छेड़ते हैं क्योंकि समाचार-पत्र ही "विचित्र बातें", "ज्ञान-विज्ञान", "अवलोकन", "विश्वचक्र" आदि प्रमुख अव-

1. पत्रकारिता के अनुभव ले श्री इन्द्रविद्यावाचस्पति, पृ 82

2. समाचार पत्र की मूची : ले. सत्यदेवविद्यालकार, प्रस्तावना, पृ 6

3. संवाद और सवादादाता : राजेन्द्र, पृ 3

4. पत्र और पत्रकार पं कनलापति त्रिपाठी, पृ 6

शाली कालमी के द्वारा जनता में व्याप्त अन्धविश्वास को मिटा सकता है। "पुस्तक स-रीक्षा" देकर लोगों के ज्ञान को विकसित करने के लिए उन्हें नयी से नयी पुस्तक से अवगत और परिचित करा सकता है।

"पत्र और पत्रकार" नामक अपनी पुस्तक में पंडित कमला पति त्रिपाठी ने पत्रकारिता की महत्ता को बताने हुए कहा है कि, जीवन, समाज, संस्कृति और विश्व का उत्कृष्ट दर्पण बनाने में पत्रकार कला के समान आज दूसरा कौन है? अन्याय का प्रतिरोध करने में, नव विचारों और कल्पनाओं का वाहन बनने में, नव रचना के संदेश का अग्रदूत होने में तथा अन्नत जीवन मार्ग में उठने वाली अहरियों, हिंस्रों, तरंगों तथा तूफानों का प्रतिनिधित्व करने में पत्रकार कलाउककी सजीव प्रतिमा के रूप में आधुनिक पत्र अपनी सानी नहीं रखते। यही कारण है कि व्यापक मानव समाज पर उसका अभूतपूर्व प्रभाव है।" कहने का तात्पर्य यह है कि सही प्रथों में समाचारपत्र एक अनिवार्यता है। वह सेवा, सूचना, निर्देशन और सही स्थिति के माध्यम होते हैं। कहा भी गया है कि पत्र की पाँच मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं—सूचना देना, मार्ग-दर्शन, समाचारों का विश्लेषण, मनोरजन तथा जनता की सेवा करना है। प्रसिद्ध पत्रकार पाल बँवरी का यह कथन कि "हर सुबह यदि किसी बड़ी घटना की खबर न मिले तो हमें एक प्रकार की रिक्तता का अनुभव होता है। हम निराश हो जाते हैं आज के समाचारपत्र में हमें कुछ भी रोचक सामग्री नहीं मिली", समाचारों के महत्त्व तथा उनके वाहक समाचारपत्रों की अपरिहार्यता को भलीभाँति प्रकट करता है। स्पष्ट शब्दों में समाचारपत्र ज्ञान के प्रसारक, मनोरजन के दाता, जनशिक्षण के पुरोधा, दैनिक घटनाओं के प्रस्तोता, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के व्याख्याता और व्यापक भूमिका पर व्यक्ति को विश्व-मानस से प्रतिबद्ध करने वाला अनिवार्य साधन है। इसकी यह साधनता-यह माध्यमत्व और इस ज्ञानोन्मोपकारी शक्ति में ही पत्रकारिता का महत्त्व निहित है।

पत्रकारिता एक निष्ठापूर्ण कर्म

पत्रकारिता एक उद्योग से ज्यादा जनसेवा है। इसका परम लक्ष्य खबरों को एकत्रित करना, उन्हें छापना और प्रसारित करना है। यह काम सटीक और जहाँ तक सम्भव हो, नि स्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। अपने काम से ही एक पत्रकार स्वभावतः जनता और राजनीति की दुनिया में रहता है। यह कार्य उसे प्रलोभनों और वाधाओं को दूर ठेलते हुए करना होता है। सच्चे पत्रकार की यही कसौटी है। जेम्स मैकडोनलड के शब्दों में, "पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी कुछ अधिक बड़ी चीज समझता हूँ, यह कोई पेशा नहीं, बल्कि पैसे में कोई ऊँची चीज है। यह एक जीवन है, जिसमें मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।"

वास्तव में पत्रकारिता लोक-शिक्षण और लोक-जागृति का सशक्त साधन है और उसमें आदर्शोन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा सेवा-व्रत है जो नि स्वार्थ और निर्लिप्त भावना से करना पड़ता है तभी यह प्रभावोत्पादक होता है और जनता व शान्त पर अमर पड़ता है। बढती हुई साक्षरता और लोकजागरण के वातावरण में हिन्दी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते कि उसकी सेवा और आदर्शवादिता, निष्ठा और लगन से ही किया जाय।

“लदन टाइम्स” के भूतपूर्व सम्पादक विद्येमस्टीड ने पत्रकारिता को कला, कृति और जनमेवा मानते हुए पत्रकारिता के प्रति निष्ठा व लगन के प्रति कहा है कि, “जब तक कोई यह नहीं समझता है कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्ग-दर्शन करना है तब तक उसे पत्रकारिता का चाहे जिनता भी प्रशिक्षण दिया जाये वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता। सच्चे पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह यह बात भी न भूले कि पत्र की व्यापारिक और व्यावसायिक स्थिति के आचार पर ही उसको अपने कर्तव्य की पूर्ति का वक्त मिल सकता है।

चर्चित ने एक बार कहा था कि प्रेस अर्थात् समाचारपत्र उद्योग एक आजाद नागरिक के उन सभी अधिकारों को सदा जाग्रत रखने वाला प्रहरी होता है, जो उसके लिए अनमोल होता है।” समाचार पत्रों का इस अधिकार के साथ-साथ यह कर्तव्य भी है कि वे गलतियों को प्रकाश में लाए और क्षुद्रता व पाखण्डपूर्ण समाचारों का पर्दापाग करे। हर विचार को दबने देने के बजाए, उसे उभरने देना चाहिए ताकि जनता के सामने सारी स्थिति दर्पण के समान स्पष्ट हो सके। यही नहीं, पत्रकारिता को साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता, कट्टरता व अन्धविश्वास और इन सबके ऊपर हिंसा के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है।

पत्रकारिता एक विशुद्ध सेवाकृति—“मिशन” कार्य है। उसे राष्ट्रीय चरित्र एवं अनुशासन, पारम्परिक सौहार्द्र और देश की भावात्मक एकता को मुदूढ़ एवं परिपुष्ट बनाने के लिए स्वस्थ वातावरण का सृजन करना है। साथ ही समाज में जो अस्मृन्धर है, अशिव है तथा मान्य सत्य का प्रतिरोधी है, उसे अपने स्वस्थ व निर्माणगर्भी आलोचनाओं से निरत्साहित, तेजोहीन तथा निष्प्रिय बनाना है। अर्थात् जो जर्जर है, रुग्ण है, पगु है, जाडिभावुद्ध है, उसका कायाकल्प करने हेतु समुचित सत्य क्रिया करना पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य है।”¹

पत्रकारिता प्रत्यक्षतः जनजीवन से जुडी हुई है। वह एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियों को दूर करके जन-मानस में भगवत्कारी गुणों और निर्माणकारी

सत्त्वों व मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। जे० बी० मेन्नी ने इस विषय में कहा है कि एक सच्चा पत्रकार अपने कर्तव्यों को पूरी तरह अनुभव करता है और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, उसकी सबसे बड़ी धिम्मा यही होती है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित कैसे हो।

पत्रकार का कर्तव्य है जनहित की रक्षा करते हुए उसके जीवन-स्तर को उच्च और सुखद भूमिका प्रदान करना। निरवयव ही यह एक दायित्वपूर्ण कर्म है। इस दायित्वबोध को पूर्ति करते हुए एक पत्रकार में यह निष्ठा होनी चाहिए कि उसे वाल्मीकी, व्यास, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि-मुनियों की परम्परा में, चिन्तन, साधना और तपस्या के बत का निर्वाह कर सामाजिक हित और कल्याण हेतु अपनी भूमिका अदा करनी है। पत्रकारिता के काम में पत्रकार जितनी निष्पक्षता बरनेगा, जितनी दायित्व भावना अपनायेगा, उतना ही वह निष्पक्ष, निर्भीक और समाज का सजग प्रहरी बन सकेगा।

पत्रकारिता और पत्रकार

“समाचारों के लेखन, सङ्कलन, सम्पादन और पत्र पत्रिकाओं की अन्य सामग्रियों को प्रकाशनार्थ तैयार करने वाला ही पत्रकार है।”

—चेम्बर्स डिक्शनरी

टी० एच० एस० स्वाट के अनुसार, “पत्रकार वह व्यक्ति है जो थोड़े-थोड़े समय के अन्तर पर प्रकाशित अपनी रचनाओं से जनमत को निश्चिन् दिशा में प्रवाहित करना चाहता है।”

जनता की जरूरतों, उसकी आशा-आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने का दायित्व पत्रकार पर ही होता है। अतः पत्रकार में निष्ठा कर्तव्यपरायणता, निर्भीकता, जागरूकता और साहस का होना अनिवार्य है अतः वह हम पुनीत और दायित्वपूर्ण कार्य का निर्वाह करने में अक्षम नहीं रहेगा। एक सच्चे पत्रकार का चरित्र कैसा होना चाहिए इसे श्री प्रकाशचन्द्र भुवालपुरी ने विभिन्न उपमाओं से इस प्रकार सुगोपित किया है,—“बहु साहित्यकार की तरह मधुव्रती बनकर जीवन के विषयों पर मत्त का मात्र सचयन नहीं करता, बरन् उसे देवि नारद या भ्रमणशील, मजरा ना हूँ दृष्टि भ्रमण, अर्जुन या लक्ष्मण, एकवचन या अन्वयवाची, अभिमन्यु या निर्भिक, पशुराम या साहसी मुद्गला सा सन्तोषी, दधीचि सा त्रामी, धर्मराज सा सत्यवती नीलम या अहिम, गरुड सा प्रतिभा सम्पन्न, कृष्ण सा जानी एवं कर्मयोगी, राम सा मर्यादावादी, कृष्ण-दूपायन या प्रगतिशील, और भगवान् जिन सा लोक मंगल के लिए विपदाई होना पड़ता है। ये सभी गुण किसी पत्र में सम्बन्ध होकर उसे सम्मानित पत्रकार बनाते हैं और ऐसा पत्रकार ही अपनी पत्रकारिता की,

अपने दायित्वबोध को, सामने से धाकर सामाजिक सम्मान और समादर का सच्चा अधिकारी बनता है।¹

एक पत्रकार को कितना निर्भीक साहसी और कर्तव्य परायण होना चाहिए, इसका एक दृष्टान्त स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के इन वाक्यों में मिलता है कि "आप जो भी लिखें, निर्भीकतापूर्वक लिखें। भीहता एक भयकर अपराध है। यदि आप हिचकिचाएँगे तो दूसरा शरीरणा नहीं बहुत से लुडक जायेंगे।" विष्णुदत्त पत्रकारिता के लिए पत्रकारों का उन्नत चरित्र नितान्त आवश्यक है। हमें अपने पत्रकारों को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि उनका चरित्र अधुष्ण बना रहे। पत्रकार को किसी भी प्रोभन में पडकर सत्य, शिव तथा सुन्दरम् के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री विष्णुदत्त शुक्ल का कहना है, "पत्रकार का काम बड़ा ही टेडा है। इसमें प्रवेश करने से पहले खूब सोच-समझ लेना चाहिए। लार्ड माले ने एक भोज में कहा था कि "मैं किसी नवयुवक को यह सलाह नहीं देता कि वह पत्रकार बने।" मैं लार्ड माले की उस सलाह को दुहराना चाहता हूँ। इस काम में बड़े त्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम और बड़ी जिम्मेदारी की जरूरत है, जो साधारणतया बहुत कम लोगों में पाई जाती है।²

पत्रकारिता कला, वृत्ति और जनसेवा तीनों साथ-साथ है। सच्चा पत्रकार समाज का ज्ञान बढ़ाने, मार्गदर्शन करने और युग की सामयिक समस्याओं को उभारने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा के विचार व्यक्त करने का हागी होता है। पत्रकार किसी पत्र की प्रांत्व, कान और मुख होता है। वह घटनाओं का अवलोकन करके गति-विधियों का "श्रवण" करता है और उसे लेखनी के माध्यम से समाचार का रस प्रदान करता है। पत्रकार की समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। वह अपने विवेक के अनुसार अपने पाठकों को ठीक मार्ग पर ले जाता है, वह जो लिखे, प्रमाण और परिणाम का विचार रखकर लिखे और अपनी गति-मति में सदैव शुद्ध और विवेकशील रहे। पैसा कमाना उनका ध्येय नहीं, लोकसेवा उनका ध्येय है।³

"चुनौती भेलना पत्रकार का आनन्द है। वह किसी दुर्घटना या अपराध या युद्ध के समाचार की तह तक जाना चाहता है। अतः पत्रकार को लेखनी का घनी होने के साथ-साथ सहनशील, धैर्यशील, गोपनीय, परिश्रमी, चतुर, धाकपटु तथा दूरदर्शी आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। पत्रकारिता एक साधना है, इसके लिए एकाग्रता, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम, इमानदारी, त्याग, नियमितता आदि गुणों का होना

1. हिन्दी पत्रकारिता : पृ० 291

2. पत्रकार कला श्री विष्णुदत्त शुक्ल, पृ० 6

3. " " " भूमिका (गणेश शंकर विद्यार्थी का कथन)

आवश्यक है। एक पत्रकार के प्रति डॉ० वेद प्रताप वैदिक की मान्यता है—
“विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भाँति गवर्नरपालिका भी लोकतन्त्र का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। पत्रकार को किसी विशेषाधिकार की आकांक्षा न रखते हुए न्यायाधीश की सी निष्पक्षता और योद्धा की सी निर्भीकता के साथ सच्चाई उजागर करनी चाहिए। वे अपनी स्वयं की आचार संहिता के साथ पत्रकारिता में प्रवेश करें।”

एक पत्रकार के लिए उनकी अन्तरात्मा ही सच्चे अर्थों में उसका पथ-प्रदर्शक होती है। इस धारे में एक बार गाँधीजी ने कहा था कि ‘उन्हे जो भी कहना है खुलजमुखता से कहना चाहिए। यह हमारा अविचार व कर्तव्य है, किन्तु हमें यह नहीं भ्रमना चाहिए कि हमें यह काम शिष्टता व नयम की मर्यादाओं में रह कर करना है।’

प्रसिद्ध पत्रकार एडविन ए लाहये ने एक बार कहा था कि—“मुझे गर्व है कि मैं एक सवाददाता हूँ। मुझे अपने कार्यों में पूरा सन्तोष मिलता है। मैं किसी देश का राष्ट्रपति बनना पसन्द नहीं करूँगा। मैं धन का नहीं, श्रमों का कोष लगाता हूँ।” अतः इस कथन में लाहये की ही नहीं बरन् प्रत्येक पत्रकार की आत्मा का वाच्य है। पत्रकार चाहे किसी डेस्क पर हो या किसी क्षेत्र विशेष में—उसकी अपनी दुनिया है, उसकी लेखनी घटनाओं के मानसरोवर में डुबकी लगानी है। हसे की भाँति मोती चुनती है और समाचारों की मुक्तामाला पाठकों को समर्पित कर देती है।

सुप्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के अनुसार—“पत्रकारिता एक रचनाशील विद्या है। इसके बगैर समाज को बदलना अशक्य है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के पत्रों के छात्रों से इतिहास लिखा जायेगा।” वास्तव में पत्र का तो उद्देश्य ही यह है कि वह जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करें, जनता में वाढ्यनीय विचारों को जागृत करें और जो दोष हो, उनका निर्गन्तव्य से सफाया करे। पाठ्यपथ वेदग शर्मा ‘उग्र’ ने पत्रकार का पेशा ‘व्यापक मार्ग’ माना है जोड़ का नहीं। उनका कहना है कि “पत्रकार धन के पूर्व आदर्शों को समझ लेना चाहिए कि यह मार्ग व्यापक का है जोड़ का नहीं। जिस भाई या बहिन को भोग-विलास की लालसा हो, वह और कोई धन्धा करे, रहस्य करे राम इस रोजगार पर। मेरा आदर्श पत्रकार ईमानदार, पादरी, पीर, परमहंस या नजर आता है। व्यक्तिगत सुख-दुःख के बहुत ऊपर, किसी भी झोड में जिसे आसानी से पहचाना जा सके।”

पत्रकारिता जीवन की विविधतात्मक, तथ्यात्मक और यथार्थपरक स्वतंत्रियों को जनतामान्य तक प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। दर्तमान जीवन में नहीं

18/हिन्दी पत्रकारिता : विकास और विविध अ.याम

एक ओर तो वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से जीवनव्यापी घूरियाँ समाप्त हो रही हैं और मनुष्य राष्ट्रीय स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक की स्थितियों से अवगत होने के लिए जिज्ञासु हो उठा है ऐसी स्थिति में पत्रकारिता अपरिहार्य आवश्यकता हो गयी है। वर्तमान जगत् में जहाँ अनेक साधन उपलब्ध हैं पत्रकारिता का स्वरूप न केवल अखबार तक ही सीमित है अपितु वह जीवन की प्रयोगशाला में घटित स्थितियों का आलेख भी प्रस्तुत करता है।



हिन्दी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास

पूर्वपीठिका

प्रत्येक युग की अपनी सृष्टि और दृष्टि होती है। आज हम जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं, वे कम से कम पत्रकारिता के सन्दर्भ में विशिष्ट और रेखांकित करने योग्य है। आज पत्रकारिता ने जीवन का प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक कोना तक छू लिया है। ऐसी स्थिति में यह जिज्ञासा सहज ही उठती है कि क्या पत्रकारिता आकस्मिक रूप से विकसित हुई है अथवा उसके विकास की कोई क्रमिक श्रृंखला है। मेरी दृष्टि में कोई भी विक्रम आकस्मिक नहीं होता है और उसकी निरन्तरता और विकासशीलता का एक क्रम होता है व एक सन्दर्भ होता है तथा एक इतिहास होता है। हिन्दी पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं है। जहाँ तक भारत में पत्रकारिता के उद्भव का प्रश्न है उनकी नींव अंग्रेजों ने डाली। सम्प्रेषण और प्रचार-प्रसार के माध्यम के रूप में पत्रकारिता को जन्म देने और विकसित करने में अंग्रेजों का सहयोग रहा है। सहयोग से तात्पर्य यह नहीं है कि अंग्रेजों ने पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया वरन् यही है कि उन्होंने पत्रकारिता के विकास को रोकने के लिए जो भी निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाया और जो अस्वभावों के प्रति दमन नीति अपनाई, उससे प्रमुक्त भारतीय मानस में नवचेतना का संचार हुआ। अंग्रेजों के निषेध और दमनकारी कदम जैसे-जैसे बढ़ते गए वैसे-वैसे जागृति और नवचेतना की लहर तीव्रतर होती गई। एक तरह से अंग्रेजों का दमनपूर्ण निषेध पत्रकारिता के जन्म के लिए बरदान सिद्ध हुआ। उनके इस निषेध से प्रेरणा लेकर ही भारत की पत्रकारिता विविध भाषाओं में प्रचलन के मार्ग पर अग्रसर हुई। बंगला, अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं में अनेक पत्रों का प्रकाशन आरम्भ हुआ और वर्तमान हिन्दी पत्रकारिता का एक मुद्द आधार मिला।

पृष्ठाधार

आज हमें जो साफ-सुथरा समाचार-पत्र दिखाई देता है, उसका इतिहास बड़ा ही रोचक है। प्राचीनकाल में समाचारपत्र जैसी कोई चीज नहीं थी। कभी-कभी कुछ ऐसी राजकीय घोषणाएँ होती थी जिन्हें डुगी पीटकर जनता के सामने पहुँचा दिया जाता था। नगर में घूमकर मुनादी करने वाले अर्थात् डोडोगर के

अलावा ऐसी उद्योगणाएँ भी की थी जो प्रायः भावगीतो मे और समाचार पत्रको के रूप मे होती थी। इसके अलावा प्रचारार्थक पत्रक भी तैयार किए जाते थे जिनमे किसी लड़ाई, मकटकालीन स्थिति, चमत्कारपूर्ण घटना अथवा राज्यारोहण समारोह का वर्णन होता था। कई राजकीय घोषणाओं को ज़िलारतण्डो, स्तम्भों तथा मन्दिरों पर उक्तीएँ करवा दिया जाता था।¹ अशोक के शिलालेख इनी कोर्ट की घोषणाएँ हैं। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार इन्ही नेवो और वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा किया था। पुरातन मुद्राएँ भी इस दृष्टि से हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। इन तरह डोडीगर, घण्टे वाले, पत्थरो पर खुदी घोषणाएँ, मत-मतान्तरों के गुटके, अवदान धर्मशाला, मूचना-पत्रक आदि को छपित अखबार के पूर्वज भी कहा जा सकता है।

ई. पू पाचवी शताब्दी मे पहले रोम मे सदाद-लेखक हुआ करते थे जो राजधानी मे दूर-स्थित नागरिकों तक समाचार लिखकर पहुँचाया करते थे। मुद्रण कला का आविष्कार हो जाने के बाद भी व्यापारी वर्ग और राजनीतियों को इस प्रकार लिखे पत्रों द्वारा खबरें दी जाती थीं। ई. पू 60 मे जब जूलियस सीजर ने रोम साम्राज्य की परिपक्व का नेतृत्व सम्भाला तो उमने तुरन्त "एक्ट डायना" नामक दैनिक समाचार बुलेटिन शुरू करवाया परन्तु इसमे मुख्य रूप से सरकारी घोषणाएँ होती थी और इन्हे प्रतिदिन रोम शहर के सांख्यिक स्थलो पर चिपकाया जाता था।

एशिया और अन्य यूरोपीय देशों मे 16वीं शताब्दी मे मेलो मे, दुकारो पर समाचार पत्रियों की वित्ती होती थी। इन पत्रियों पर युद्ध की खबर, दुर्घटनाओं के ब्यारे, चौकाने वाले प्रसंग या राजदरबारों के किस्से प्रकाश मे लाये जाते थे।

भारत मे मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही समाचार सघनों के क्षेत्र मे नये युग का प्रारम्भ हुआ। मुगलों ने संचार सेवाओं के लिए मूनाधिकारियों का देश भर मे गठन किया। राजधानी मे मुख्य कार्यालय से विविध प्रदेशों की सेना के अधिकारियों तक निरन्तर सूचनाएँ भेजी जाती थी। इन्होंने सदाद लेखकों की नियुक्ति भी की। उन्हे 'वाक्यानवीस' कहा जाता था। ये वाक्यानवीस विशेष घटनाओं के समाचार सग्रहित कर हस्तलिखित पत्र निकातने वालों के पास भेजते थे। धावकों, कारवाओं और हरकारों द्वारा समाचार भेजे जाते थे। इन समाचारों मे राजदरबारों राजदरबारियों तथा उन्ही से सम्बन्धित घटनाओं का संग्रह रहा करता था। इन समाचारों से दरबारों व दरबारियों की गतिविधियों का पता तो लगता ही था साथ ही कमी-कमी तो इन हस्तलिखित समाचारों के आधार पर ही राजकीय निर्णय होते थे। वाक्यानवीस के भेजे गए खतों के सारास दिल्ली के बादशाह को पढ़कर सुनाये जाते थे।

1. डॉ. लक्ष्मीनारायण मुद्याशु : हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास, त्रयोदश भाग।

वेनिस निवासी निकोला मन्नूकी नामक एक इतालवी यात्री ने जो श्रीरंगजेव के दरवार में कुछ समय रहा था, लिखता है कि 'मुगलों का यह अदालत नियम था कि यावयानपीन और कंकियत नवीस अर्थात् साम्राज्य सम्बन्धी सार्वजनिक और गुप्त समाचारों का लेखक सप्ताह में एक बार अपनी पुस्तक में यह जरूर दर्ज करता था कि क्या वाक्या गुजरा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक तरह का गजट अथवा सारांश तैयार करता था जिसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख होता था। इन समाचार वाले पत्रों को बादशाह के सामने रात्रि को नौ बजे हरम की वेगमे पढ़नी थी जिसमें बादशाह को यह पता रहता था कि उसके राज्य में क्या-क्या हो रहा है? इसके अतिरिक्त गुप्तचर भी तैनात रहते थे जो महत्वपूर्ण विषयों पर साप्ताहिक ब्योरा भेजा करते थे। उनके ब्योरों का मुख्य विषय यह होता था कि शाहशाहे क्या कर रहे हैं? अपना यह कर्तव्य वह लिखित ब्योरा भेजकर पूरा करते थे। बादशाह आधी रात तक जागकर तन्मयता से उपर्युक्त बातों में व्यस्त रहता है।'

बहादुरशाह के काल में हस्तलिखित "सिराज उल अखबार" प्रसिद्ध था। दरबारों के अमीर उमरा भी हस्तलिखित अखबार निकालते थे। इनको "अखबार-नवीस" कहते थे। कहा जाता है कि अवध के मुल्तान ने 660 "अखबारनवीस" नियुक्त कर रखे थे और प्रत्येक को चार या पाँच रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। किन्तु न तो यह छपते थे न इनका प्रकाशन नियमित था और जो चाहे इन्हें खरीद भी नहीं सकता था। इसलिए सही अर्थों में इन्हें समाचारपत्र नहीं कहा जा सकता।

- अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में पहला द्वापाखाना गोआ में सन् 1557 में स्थापित हुआ था जिसमें मलयालम भाषा में पहली ईसाई धर्म की पुस्तकें छपीं।
- दूसरा प्रेस सन् 1578 में तमिलनाडु के त्रिनेवली जिले के पीरीकील नामक स्थान पर लगा।
- तीसरी प्रेस सन् 1602 में मालाबार के विपिकोटा में पादरियों ने स्थापित की।
- स० 1616 में बम्बई में पुर्तगालियों ने जब अंग्रेज भारत आए एक प्रेस की स्थापना की।
- सन् 1679 में विचुर के दक्षिण में अम्बलकाड़ में प्रेस लगा जिसमें "कोचीनतमिल शब्दकोष" द्वापा गया।
- सन् 1662 में काठियावाड़ के भीमभी पारख ने बम्बई में द्वापाखाना स्थापित किया।

—इसके विपरीत सन् 1674 में बम्बई में पहला अंग्रेजी छापाखाना स्थापित हुआ। इसके लगभग 100 वर्षों बाद।

—1772 में मद्रास में दूसरा छापाखाना।

—1779 में कलकत्ते में सरकारी छापाखाने की स्थापना हुई।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी समाचारपत्रों के प्रति बहुत ही शंकाित थे, वे किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते थे। मुताफाखोरी, पक्षपात और माल हथियाने के वातावरण में विचार प्रकट करने की आजादी तो दूर की बात, समाचार भेजने तक की स्वतन्त्रता नहीं थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा उन्हीं के हितों की रक्षा करने वाले पत्रों के प्रति भी उन्हें भय बना रहता था। यद्यपि कम्पनी ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में छापाखाने लगवा रखे थे और उनके लिए टाइप व कागज की भी व्यवस्था कर रखी थी, परन्तु उन दिनों अंग्रेजी भाषा का कोई भी समाचारपत्र नहीं छपा था। फिर भी इंग्लैण्ड की प्रेम से प्रेरणा लेकर भारत में पत्रकारिता का सिलसिला आरम्भ हुआ। भारत में सबसे पहले समाचार-पत्र उन लोगो ने शुरू किए जिन्हे कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें थीं। उन्होंने अपनी शिकायतों को प्रकट करके कम्पनी की नौकरी छोड़ कर समाचारपत्र निकालना शुरू किया।

समाचार पत्र निकालने का पहला प्रयास 1768 में

सितम्बर, 1778 में कनकत्ता के कौंसिलहाल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एक नोटिंग लगा हुआ पाया गया जो इस प्रकार था—

“जन-साधारण से”

श्री बोल्टाज जनता को सूचना प्रदान करने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। इस नगर में छापाखाना न होने से व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान रहता है और समाज को वे समाचार दिया जाना अत्यन्त कठिन है, जिनमें हर ब्रिटिश प्रजा की दिलचस्पी है। इसलिए श्री बोल्टाज उस या उन व्यक्तियों को सर्वाधिक प्रोत्साहन प्रदान करने को नैयार है, जो मुद्रण का काम जानते हैं, प्रेम टाइपों तथा अन्य का प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही वह जनता को सूचित करना चाहते हैं कि उनके पाम लिखित रूप में ऐसी जानकारी है, जिसमें हर व्यक्ति की गहरी दिलचस्पी होगी। जो जिज्ञानु व्यक्ति चाहे, उन्हें श्री बोल्टाज के घर में वह सामग्री पढ़ने एवं नकल करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति प्रात. दस से बारह बजे तक इच्छुक व्यक्तियों को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए रहेगा।

यह पत्रकारिता की शुरुआत थी।

इस नोटिस से दफ्तरी हलकों में मय और अमन्तोष फैल गया तथा अंग्रेज

अधिकारियों में खलबली मच गई। गुप्तचरो को इसमें भारी खतरे की सम्भावनाएँ नजर आयी। इसी कारण वोल्ट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टरो ने कम्पनी के नाम से अपना व्यापार करने का दोषी ठहराया जिसके कारण उसे कम्पनी की नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। अंग्रेज सौदागरो द्वारा नियन्त्रित बंगाल सरकार ने मिस्टर वोल्ट को बंगाल छोड़कर यूरोप लौट जाने को कह दिया। नही जाने पर वोल्टाज को जबरदस्ती एक जहाज में डालकर भारत से बाहर ले जाया गया। जहाँ उसने "कमीडरेसन ऑन इण्डिया ऐफेयर्स" नामक पुस्तक लिखकर भारत में स्थापित कम्पनी प्रशासन का मण्डाफोड़ किया।

वोल्ट के पश्चात् इस काम को आगे बढ़ाने का 12 वर्षों तक किसी ने भी प्रयाग नहीं किया। भारत में रहने वाले यूरोपीय समाज को समाचारपत्रों के लिए पूरी तरह इन्तरेस्ट पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि वहाँ पत्र प्रकाशित होने के लगभग नौ महीनों या एक वर्ष बाद भारत में मिलते थे।

भारत में समाचारपत्र

देज में मद्रमे पहला समाचारपत्र अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी भाषा में और उनकी अपनी आर्थिक प्रतिद्वन्द्वता के कारण निकला। इस सम्बन्ध में सम्पादकाचार्य प अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि उस समय कम्पनी के मित्रा भारत के व्यापार में मालामाल होने के लिए बहुत से अंग्रेज स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने बंगाल में आए थे। इन्होंने देखा कि कम्पनी के कर्मचारी अपना स्वतन्त्र व्यापार चलाते हैं और अन्य लोगों के व्यापार में बाधा डालते हैं। इन बाधा के निवारण करने के दो उपाय थे। एक तो इस देश में शिक्षा का प्रसार करके लोकमत को जाग्रत करना और दूसरा सब स्वतन्त्र अंग्रेज व्यापारियों का ऐसा संगठन बनाना, जिससे अन्याय यदि पूर्ण रूप से बन्द न हो जाए तो कम तो अवश्य ही हो जाए। पहला उपाय समय ब श्रम साध्य था, इसलिए दूसरे उपाय की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया।¹

पहला समाचारपत्र—“बंगाल गेजेट ऑफ कैलकटा जरनल एडवाइजर”

वोल्ट के 'नोटिस' के 12 वर्ष पश्चात् 29 जनवरी 1780 में आगस्टम हिवी ने इस कैलकटा जरनल एडवाइजर नामक पत्र की शुद्धान्त कर भारतीय पत्रकारिता की ऐतिहासिक नींव रखी। हिवी ने निर्भयतापूर्वक अपने पत्र में कम्पनी के प्रशासन और भारत में बसे तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों के झूठाधार का पर्दाफाश किया। विभिन्न आरोप लगाने के कारण हिवी पर सक्तों का पह्राव टूट पड़ा। उसके

1. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : समाचार-पत्रों का इतिहास, पृष्ठ 28.

प्रापतिजनक और दिल्ली उड़ाने वाले लेखों का परिणाम हुआ कि सरकार ने सबसे पहले पोस्ट आफिस में 'बंगाल गजट' को रोक लिया। अपमानित करने के उद्देश्य से प्रापतिजनक लेख लिखने के कारण कीरनैडर ने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे चार महीने की जेल व 5000 रु जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन हिन्दी इससे नहीं घबराया उसने गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश सर एनिजा डे के विरुद्ध कड़े शब्दों और गाली-गलोच वाली भर्ती भाषा में निम्नलिखित प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप मुख्य न्यायाधीश ने उस पर जुर्माना कर दिया। जमानत नहीं देने पर उसे फौरन नजरबन्द कर दिया गया। हिन्दी ने जेल में ही अपने गजट का सम्पादन किया, पर अपने रबंघे में कोई परिवर्तन नहीं किया फलस्वरूप उसे एक साल की कैद व 200 रु जुर्माना किया गया और उसका पत्र बन्द कर दिया गया। हिन्दी का यह वक्तव्य "अपने मन और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए अपने शरीर को बन्धन में डालने में मुझे आनन्द आता" पत्रकारों के लिए आज भी प्रेरणाप्रद है। अनेक कमियो और अतिरेक गये लेखन के बाद भी यह मानना होगा कि भारत में स्वतन्त्र प्रेम को जन्म देने का श्रेय हिन्दी को ही है।

इस पत्र के बाद कलकत्ता से 17 नवम्बर, 1780 में पीटररीड, फरवरी 1784 में कैलकटा गजट, फरवरी 1785 में बंगाल जनरल निकला। 'बंगाल जनरल' के सम्पादक विलियम हुएन ने हिन्दी के बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अभियान आरम्भ किया। परिणामस्वरूप उसे भी अपनी सम्पत्ति छोड़कर भारत से जाना पड़ा। उसी दिनों मद्रास में "मद्रास कोरियर" 1785, इण्डियन हेराल्ड, बम्बई से बाम्बे हेराल्ड, (1789), बाम्बे गजट आदि अनेक पत्र-प्रकाशित हुए पर अब तक जितने भी पत्र भारत में निकले वे सब अंग्रेजी में ही थे। भारतीय भाषाओं में सबसे पहला नियतकालिक पत्र 1818 में बंगला में छपा जिसका नाम "दिग्दर्शन" था। इसकी स्थापना जे. सी. मार्शमैन नाम के एक ईसाई पादरी ने की। बाद में "दिग्दर्शन" साप्ताहिक रूप में "समाचार दर्पण" के नाम से प्रकाशित होने लगा। 1829 में यह पत्र सप्ताह में दो बार छपने लगा। इसमें स्थानीय और विदेशी दोनों तरह की खबरें बंगला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती थी। इस समय राजा राममोहनराय शिक्षित, उदार, सुधारक विचारों के नेता थे। वे अंग्रेजी, फारसी, बंगला और संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे। ईसाई धर्म के आक्रमण का उन्होंने विरोध किया। सही अर्थों में देशी पत्रकारिता के जन्म का श्रेय राजा राममोहनराय को ही है। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के क्षेत्र में राममोहनराय ही भोर के तारे की भाँति वैदीप्यमान थे। ईसाइयों के धर्म के प्रचार के कारण राजा राममोहनराय को यह चिन्ता हुई कि एक विजातीय धर्म भारतीय वैशिष्ट्य को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। इसी संघर्ष के प्रभाव में उन्होंने बंगला में "सवाद कौमुदी" (1820), बगदूत (1820), (बंगला, फारसी, हिन्दी

व अंग्रेजी) तथा बाह्य निकल मैगजीन (अंग्रेजी व बंगला) निकाली। राममोहन राय इसमें शिवप्रसाद शर्मा के छद्म नाम से लिखते थे। आगे चलकर अपने विचारों के प्रचार के लिए राममोहन राय ने 1821 में फारसी में "मीरात उल अखबार" निवाला। इसे अपनी तेजस्विता और रूपाति के कारण ब्रिटिश सरकार को दमन नीति का शिकार होना पड़ा। अपने सम्पादकीय दायित्व की पूर्णा करते हुए राजा राममोहन राय ने अपने अखबार में लिखा—मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं जनता के सामने ऐसे वौद्धिक निबन्ध पेश करूँ जो उनके अनुभवों को बढ़ाएँ और सामाजिक प्रगति में सहायक हों। मैं अपनी शक्तिमय शासकों को उनकी प्रजा की परिस्थितियों का सही परिचय देना चाहता हूँ और प्रजा को उनके शासनको द्वारा स्थापित कानून और तोर-तरीकों से परिचित कराना चाहता हूँ ताकि शासन जनता को अधिक नै अधिक सुविधा देने का अवसर पा सके और जनता उन उपायों से परिचित हो सके जिनके द्वारा शासनको से सुरक्षा पाई जा सके और उचित मंगे पूरी करायी जा सकें।

विचारों के तीव्र संघर्ष के कारण कलकत्ता में दो दल हो गए। एक उदार प्रगतिशील सुधारकों का दल था, जो मराज और ब्रिटिश शासन दोनों में सुधार चाहता था। इस दल के नेता राजा राममोहनराय थे। इस दल के विचारों का प्रचार "सवाद कौमुदी", कलकटा जर्नल और "मीरात उल अखबार" द्वारा होता था।

दूसरा दल कट्टर, रुढ़िवादी, सुधार-विरोधी और सरकारी रीति-नीति के समर्थकों का था। धीरे-धीरे उदार नीति वाले समाचारपत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। इससे भारत में बम्पनी सरकार और इंग्लैण्ड में कम्पनी के टाईरन्टों में घबराहट पैदा हो चली और समाचारपत्रों के नियन्त्रण का उपाय सोचा जाने लगा।

सरकारी दमन नीति

भारतीय पत्रकारिता के विकास के साथ ही ब्रिटिश सरकार की दमन नीति उग्र होती गई। लार्ड वेलेजली के समय में भारतीय पत्रों को कुण्ठित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला प्रेस कानून 13 मई 1799 में बनाया। इस कानून के पीछे ब्रिटिश सरकार की एक ही मशा थी कि भारत के तांगों को जहाँ तक हो सके बर्बरता और अन्धकार में रखा जाए। ये नियम इस प्रकार थे—

1. प्रत्येक समाचार-पत्र को सम्पादक एवं संचालक के नाम सरकार को लिखित रूप में देने होंगे।
2. प्रत्येक समाचार-पत्र के अंक पर मुद्रक एवं सम्पादक के नाम अंकित करने होंगे।

3. समाचार-पत्र की सामग्री का सर्वेक्षण किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. खिदार को समाचार-पत्र का प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर देश से निष्कासित किया जा सकता है साथ ही जहाजों, सेना, युद्ध सामग्री, कम्पनी के देशी राज्यों के प्रति सम्बन्ध, सरकारी श्राय, सरकारी अधिकारों के कार्यों आदि विषयों व घटनाओं से सम्बन्धित समाचार नहीं छापे जा सकने हैं। लार्ड हैस्टिंग्स (1813) ने संसद के नियमों की कुछ शिथिल किया और प्रेम सम्बन्धी कुछ स्पष्ट निर्देश जारी किए—

1. किसी प्रकार की ऐसी खबर प्रकाशित नहीं की जाए जो कोर्ट के जजरेक्टरों, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों, कौंसिल के सदस्यों, सुप्रीम कोर्ट के जजों तथा कलकत्ता के बड़े पादरी के सार्वजनिक कार्य अथवा प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो।
2. किसी के धार्मिक विश्वासों और भावनाओं पर चोट करने वाली तथा भारतीय प्रजा में भातक पैदा करने वाली बातों का प्रकाशन न किया जाए।
3. किसी के व्यक्तिगत आचरण पर आघात करने वाली खबरें न छपीं जाएं।
4. किसी विदेशी पत्रिका से ऐसी बातों को उद्धृत कर पुनः न प्रकाशित किया जाए जो अन्ततोप की भृष्टि का कारण बनें।¹

इस प्रकार हैस्टिंग्स के कार्यकाल में भारतीय पत्रों ने थोड़ी स्वतन्त्रता की सांस ली ही थी कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में ऐडम का भारत में पदार्पण हुआ। वह पत्रों की स्वतन्त्रता का पूर्णतः विरोधी था। 4 अप्रैल, 1823 ई को ऐडम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने समाचार-पत्रों के नियन्त्रण के प्रस्ताव रखे। उन सब पर विचार होने के बाद गवर्नर जनरल ने रेग्यूलेशन जारी किया। इसके अनुसार सरकारी अनुमति के बिना पुस्तकों, पत्रों का छापना और प्रेस का उपयोग करना निषिद्ध ठहराया गया। बिना लाइसेन्स के चलने वाले प्रेसों को ज़ब्त कर लेने और उन्हें सरकार की मर्जी के मुताबिक वेब देने का नियम बनाया। लाइसेन्स के लिए सरकार के पास दरख्तास्त देने और उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय सरकार पर छोड़ा गया। यह एक ऐसा काल था कि राज राममोहन राय जैसे सम्बुलित विचारों के व्यक्ति ने भी इसके प्रतिवाद का नेतृत्व किया। उन्होंने 500 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवाद भेजा। प्रेस नियन्त्रण

1. डॉ. कृष्णविहारी मिश्र हिन्दी पत्रकारिता पृ 23.

के विरुद्ध राजा राममोहनराय की याचिका को कुमारी मोफिया कालेट ने इसे भारतीय पत्रकारिता की "एंगोपैनीटिका" कहा है। परन्तु इसका परिणाम कुछ नहीं निकला और 4 अप्रैल, 1823 को समाचारपत्र तथा प्रेस सम्बन्धी जो कानून जारी हुआ, उसका सबसे पहला बार राजा साहब के "मीरात उल अखबार" पर ही हुआ।

'मीरात उल अखबार' को बन्द करने हुए राजा राममोहन राय ने लिखा— "जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसमें पत्र का प्रकाशन रोक देना ही एक मार्ग रह गया है। जो नियम बने हैं उनके अनुसार किसी यूरोपीयन सज्जन के लिये जिनकी पहुँच सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक सरलता से हो जाती है, सरकार ने लाईसेंस लेकर पत्र निकाल देना आसान है पर, भारत के किसी निवासी के लिये जो सरकारी भवन की देहरी लाघने में भी ममर्थ नहीं हो पाता, पत्र प्रकाशन के लिये सरकारी आज्ञा प्राप्त करना दुष्कर कार्य हो गया है। फिर खुर्ची अदालत में हलफनामा दाखिल करना भी बम अपमानजनक नहीं है। लाईसेंस के लिए जाने का खतरा भी मदा मिर पर झूला करता है। ऐसी दशा में पत्र का प्रकाशन रोक देना ही उचित है।"¹

दूसरी बार में उनके समकालीन जेम्स विल्किंसन के पत्र "कैलकटा जर्नल" (9 अक्टूबर, 1818) का मण्डाफोर्ड पत्रकारिता के लिये शमकी का कोपनाजन बनना पडा। उनके सह-सम्पादक सेडर्स आरनाट निर्वासित कर दिये गये। ए. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने इस पत्र के बारे में लिखा है— "इनकी सी स्वतन्त्रता व उदारता पहले किसी पत्र में नहीं देखी गई"² "कैलकरा जनरल" ने समाचार पत्रों का स्वरूप कैसा होना चाहिए यह स्पष्ट किया। जेम्स विल्किंसन हमेशा भारतीय समस्याओं और कम्पनी के हाथों में भारत का शासन बनाए रखने के विरुद्ध लगातार अभियान चलाता रहा यही कारण है कि जेम्स विल्किंसन का नाम भारत में प्रेम की स्वतन्त्रता के लिए किए जाने वाले मधुपों में सर्वोच्च स्थान रखता है।

लार्ड हैस्टिंग्स के भारत से जाने के बाद जान एडम कार्यवाहक गवर्नर बने। वे प्रेस की स्वतन्त्रता के कट्टर विरोधी थे और जेम्स को वह प्रेम स्वतन्त्रता का प्रतीक मानते थे। अतः उन्होंने 1823 में जेम्स विल्किंसन को देश निकाला दे दिया और इस प्रकार भारतीय पत्रकारिता का एक मसीहा समाप्त हो गया।

जान एडम के बाद थमहस्टेड गवर्नर जनरल बने जिनके नामकाल में प्रेम पर लगाए गए प्रतिबंध ज्यों के त्यों रहे।

1. कमलापति त्रिपाठी पत्र और पत्रकार पृ. 92
2. समाचारपत्रों का इतिहास, पृ. 38

दिनम्बर, 1825 में प्रमहस्ट के समय में प्रेस सम्बन्धी एक नया कानून बना जिसके अनुसार किमी पत्र से भी कम्पनी के किसी भी कर्मचारी का किसी प्रकार का सम्बन्ध निषिद्ध कर दिया गया।

सन् 1828 में लार्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल होकर आए। शुरू में इन्होंने पत्रों के प्रति उदारता दिखाई परन्तु पत्रों को स्वतन्त्र टिप्पणी के रूबे को देखते हुये इन्होंने भी पत्रों की स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करने में ऐडम के पय का ही अनुसरण किया। इसके बाद आए मेटकाफ, इन्होंने भारतीय पत्रों के प्रति काफी रुचि दिखाई। 15 सितम्बर 1835 को उसने समाचार पत्र की लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके समस्त समाचार पत्रों के स्वतन्त्र विकास एवं प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। मेटकाफ ने नये कानूनों के अन्तर्गत राजद्रोही, आपत्ति जनक तथा उकसाने एवं नडकाने वाले लेख व उसके लेखक को प्रतिबन्धित किया— डॉ रामरत्न मटनागर ने लिखा है कि "भारतीय पत्रकारिता के पुरे इतिहास में पत्रों की स्वतन्त्रता के लिये अग्रिम परिश्रम करने वाला मेटकाफ के समान ईमानदार दूसरा कोई अग्रज नहीं मिलेगा। इन्होंने बेंटिक के विरुद्ध मत प्रकट किया और पत्रों सम्बन्धी उसकी नीति का बड़े ही जोश से विरोध किया।¹ सर चार्ल्स मेटकाफ ने अखबारों पर से पाबन्दियाँ उठा लीं। फिर लार्ड लिटन के वाइसराय होने तक अखबार ऐसी ही आजादी में रहे—सिर्फ 1857 के गदर जमाने को छोड़कर।² मेटकाफ के बाद जून 1857 में लार्ड कनिंग का प्रेम एक्ट (जो कि गलाघोट प्रेस एक्ट 1857 के नाम से प्रसिद्ध है), 1 मार्च, 1878 को वर्नाकूलर एक्ट (इसे लार्ड रिपन द्वारा 7 दिसम्बर, 1881 को खत्म कर दिया गया) बना। इस प्रकार कानूनों के बनने व खत्म होने के बीच राजा राममोहनराय ने जिस सुधारवादी आन्दोलन का सूत्रपात किया था, वह नये-नये सुधारों और विचारों का बौद्धिक अवलम्ब पाकर निरन्तर विकसमान होता गया। वर्तमान सरकार की अत्यधिक अनुदारता के व्यवहार ने भारतीय मानस को इतना पीड़ित कर दिया कि उसकी पहरी प्रतिक्रिया ही स्वाभाविक थी। राजा साहब व मैकाले के प्रयत्नों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। उसका पहला स्वस्थ परिणाम यह हुआ कि आधुनिक जगत् की आधुनातन राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को एक हद तक हम समझने लगे और पराधीनता से आण पाने की आतुरता हममें बटने लगी।

1. रामरत्न मटनागर : दि राइज एण्ड ग्रोथ ऑफ हिन्दी जर्नालिज्म

2। डॉ पट्टाभि सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास, भाग-9, प्रथम सम्स्करण

हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव (1826-1867)

उदन्त मार्तण्ड

हिन्दी के प्रथम समाचारपत्र होने का गौरव व हिन्दी पत्रकारिता के प्रारम्भ का श्रेय उदन्त मार्तण्ड को प्राप्त है। यह साप्ताहिक पत्र 30 मई, 1826 को युगलकिशोर शुक्ल ने कलकत्ता के कोलू टोला मोहल्ले में निकाला था। उदन्त मार्तण्ड के अंकों में इसका परिचय छपा मिलता है। वह दुर्भाग्य ही था कि हिन्दी पत्रकारिता के उदय के साथ ही आर्थिक अभावों का ग्रहण भी शुरू हो गया। यह पत्र सरकारी सहयोग के अभाव व ग्राहकों की कमी के कारण कम्पनी सरकार के प्रतिवन्दों से अधिक नहीं लड़ पाया और 4 दिसम्बर, 1827 को सदा के लिये अस्त हो गया। इसके अन्तिम अंक में सम्पादक प युगलकिशोर शुक्ल ने लिखा—

“आज दिवस लो उग चुक्यो, मार्तण्ड उदन्त।

अस्ताचल को जात है, दिवकर दिन अब अन्त ॥”

उदन्त मार्तण्ड से पूर्व कोई भी हिन्दी समाचारपत्र नहीं निकला था। इसकी पुष्टि उसी पत्र में प्रकाशित टिप्पणी में होती है, “यह उदन्त मार्तण्ड अब पहले पहल हिन्दु-स्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी और फारसी बंगले में जो समाचार का कामन छपता है उसका सुख, उन बोलियों के जानने को, पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लेंय ओ पराई अपेक्षा न करें ओ अपने भाषा की उपज न छोड़ें।” यद्यपि उदन्त मार्तण्ड डेढ़ वर्ष ही चला, फिर भी यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि यह पत्र हिन्दी का पहला समाचारपत्र होने पर भी भाषा और विचारों की दृष्टि से सुसम्पादित पत्र था।

बंगदूत

उदन्त मार्तण्ड के बाद कलकत्ता से ही द्वितीय उल्लेखनीय पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा सम्पादित हिन्दू हेराल्ड था जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी व हिन्दी में निकला और जो बंगदूत नाम से जाना जाता है। यह पत्र 10 मई, 1829 को प्रकाशित हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था। इसके सम्पादक नीलरतन हालदार थे। बंगदूत की उम्र थोड़ी थी पर उदन्त मार्तण्ड से अधिक थी।

बनारस अखबार

उत्तर प्रदेश से श्री गोविन्द नारायण यत्ते के सम्पादन में जनवरी, 1845 में ‘बनारस अखबार’ निकला। इसके संचालक मनोपी राजा शिवप्रसाद मिश्रा हैं हिन्दू थे। बहुत से लोग इसे ही हिन्दी का प्रथम अखबार मानते हैं। परन्तु यह हिन्दी-

30/हिन्दी पत्रकारिता विकास और विविध धायाम

भाषी प्रदेश का प्रथम समाचारपत्र अवश्य था न कि हिन्दी का पहला अखबार । इसमें देवनागरी लिपी का प्रयोग होता था ।

इसमें अरबी व फारसी शब्दों की भरमार थी जिसको समझना साधारण जनता के लिये कठिन था । इस पत्र में संस्कृत की पुस्तकों के कुछ अनुवाद, स्थानीय समाचार तथा कुछ अन्य पत्रों में प्रकाशित सामग्री के उद्धरण रहते थे । इसमें हिन्द की अपेक्षा उर्दू अधिक होती थी ।

बनारस अखबार के बाद कलकत्ते से 11 जून, 1846 को 'इण्डियन सन्' (मार्तण्ड), इन्दौर से 6 मार्च, 1848 को मालवा अखबार प्रकाशित हुआ । यह पत्र मध्य भारत ही नहीं बरन् वर्तमान मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम पत्र था ।

मुघाकर

1850 में श्री तारामोहन मैत्रय नामक बंगाली ने बनारस में "मुघाकर" पत्र निकाला । यह पत्र साप्ताहिक था तथा बंगला व हिन्दी दोनों में प्रकाशित होता था । भाषा की दृष्टि से "मुघाकर" को ही हिन्दी प्रदेश का पहला पत्र कहना चाहिये । 1853 में यह पत्र केवल हिन्दी में ही प्रकाशित होने लगा । यह नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में प्रकाशित होता था और सीधे पर मुघाकर प्रेस से छपता था । इसके मुद्रक पण्डित रत्नेश्वर तिवारी थे । इस पत्र में ज्ञान तथा मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री होती थी ।

बुद्धि प्रकाश

मुन्शी सदासुखलाल के सम्पादन में 1852 में आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' निकला । यह पत्र गुल्ल बसर प्रेस से प्रकाशित होता था । यह पत्र पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं बरन् भाषा एवं शैली के विकास के विचार से विशेष महत्त्व रखता है । इसमें विविध विषयों तथा "इतिहास, भूगोल, शिक्षा, गणित" आदि पर मुन्दर लेख प्रकाशित होते थे । इसकी भाषा की प्रशंसा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने की है ।

मजहूरल सहर

भरतपुर के राजा ने शासन की ओर में 1852 में एक मासिक पत्र निकाला । यह पत्र उर्दू व हिन्दी का था अर्थात् यह द्विभाषी पत्र था । इसकी जयान उर्दू थी तो लिपि देव नागरी थी । यह दो कालम का पत्र था तथा दोनों ही भाषाएँ एक-एक कालम में होती थी । इसे राइस्थान का प्रथम पत्र होने का गौरव प्राप्त है । इसी के दौरान ग्वालियर में 'ग्वालियर गजट', आगरा में 'प्रजाहितेयी' आदि पत्र प्रकाशित हुए ।

समाचार सुधावर्षण

‘उदन्त मार्तण्ड’ हिन्दी का पहला माप्ताहिक पत्र था। इसके विपरीत समाचार ‘सुधा वर्षण’ हिन्दी का प्रथम दैनिक पत्र था। जून 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित इस पत्र का सम्पादन श्यामसुन्दर मेन करते थे जो बंगाली थे। इनमें सम्पादकीय टिप्पणियाँ, लेख और महत्वपूर्ण समाचार हिन्दी में लिखे जाते थे तथा पहले रखे जाते थे। बाद में बंगला भाषा में व्यापार समाचार, विज्ञापन, दर आदि प्रकाशित किये जाते थे। अपनी निर्माकता तथा प्रगतिशीलता के कारण उसे ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन होना पड़ा।

पयामे आजादी

अब तक 1857 का समय नजदीक आ गया था। आन्दोलन के कारण अखबारों की शैली में पर्याप्त अन्तर आ गया था। यही कारण था कि भारतीय अखबार सरकार के विरुद्ध बोलने लगे थे। सक्रान्ति की चुनौती ने भारतीय पत्रकारों के मानस को भूकम्भोर कर रख दिया। परिस्थामत्वरूप भारतीय पत्रकारिता ने जातीय मानस में नये आलोक की रचना की।

तत्कालीन स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमिद्ध नेता अर्जामुल्लाखा ने 8 फरवरी, 1857 में दिल्ली में ‘पयामे आजादी’ नामक एक राष्ट्रीय अखबार निकाला। अर्जामुल्लाखा नाना साहब पेशवा के परामर्शदाताओं में से थे। यह पत्र पहले उन्हें निकाला था पर कुछ समय बाद हिन्दी में निकलने लगा। इस पत्र में सरकार विरोधी सामग्री होती थी। इस पत्र ने दिल्ली की जनता में स्वतन्त्रता प्रेम की आग फूँक दी थी। यह पत्र विदेशी शासन का कोपभाजन होकर शीघ्र ही बन्द हो गया। इसी पत्र में भारत का तत्कालीन राष्ट्रीय गीत छपा था जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

“हम हैं इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा ।
पाक वतन है कीम का, जन्म से भी प्यारा ।
आज शहीदों ने तुम्हको, अहले वतन ललकारा ।
तोड़ो गुलामी की जंजीरों, बरसाओ अगारा ॥”

पयामे आजादी के पश्चात् घममे प्रकाश, सूरज प्रकाश, सर्वोत्कारक, जगलान चिन्तक, प्रजाहित, ज्ञान प्रकाश, ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका, वृत्तान्त विलास, रत्नप्रकाश आदि पत्र निकले।

हिन्दी पत्रकारिता का विकास (1868-1900)

1867 तक विदेशी शिक्षा के कारण परम्परावादी विचारधारा का लोप हो रहा था। अतः अनेक समाज सुधारकों ने अपनी मंथनाएँ कायम की और इसी

शिक्षित वर्ग ने पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की। हिन्दी पत्रकारिता का यह युग हिन्दी गद्य-निर्माण का युग माना जाता है। इस युग के पत्रों में राजनीति, साहित्य, प्रहनन, व्यंग्य तथा ललित निबन्धों की स्रष्टा अधिक रहती थी। इन पत्रों का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक क्लृप्त प्रक्षालन और जातीय उन्नयन था। इस युग का नेतृत्व बाबू हरिश्चन्द्र कर रहे थे। यह समय अंग्रेज अधिकारियों की गुलामी का था परन्तु मार्ग-दुर्गा निडर भाव से राजनीतिक लेख लिखकर जनता-जनार्दन को भ्रमभोर रहे थे, यही कारण है कि यह युग भारतेन्दु-युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस युग में अनेक महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ।

कवि वचनमुद्रा—15 अगस्त, 1867 में काशी के बाबू हरिश्चन्द्र ने “कवि वचनमुद्रा” नामक मासिक पत्र निकाला पर शीघ्र ही यह मासिक ही गया तथा 1874 तक साप्ताहिक हो गया। प्रारम्भ में यह पत्रिका प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन करती थी। इसी पत्रिका में देव का “अष्टाशतक”, दीनदयाल गिरी का ‘अनुराग वाग’, चन्द का ‘रागों’, जायसी का पदमावत’, कबीर की ‘साखी’, गिणधर दाम का ‘नहुष’ नाटक आदि का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रकाशित राजनीतिक तथा सामाजिक लेखों ने एक विशिष्ट व व्यापक पाठक वर्ग तैयार किया। इस पत्र का मिद्धान्त वाक्य था—“स्वत्व निज भारत महे”। हरिश्चन्द्र के ललित लेखों ने लोगों के दिम में ऐसी जगह करनी कि “कवि वचन मुद्रा” के हर अंक के लिए लोगों की टकटकी लगाए रहना पड़ता था। हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का आरम्भ ही ‘कवि वचन मुद्रा’ में माना जाता है।

हरिश्चन्द्र मैगजीन—15 अक्टूबर, 1873 को काशी से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ही ‘हरिश्चन्द्र मैगजीन’ को जन्म दिया। यह पत्रिका मासिक थी। इसमें पुरातत्व, उन्नयन, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख पढ़ानियाँ एवं व्यंग्य आदि प्रकाशित होने थे। लेकिन जब इसमें वेगमक्ति पूर्ण लेख निकलने लगे तो इसे बन्द कर दिया गया।

बाल बोधिनी पत्रिका—9 जनवरी, 1874 को भारतेन्दु ने “बालबोधिनी पत्रिका” निकाली। यह पत्रिका महिलाओं को भासिक पत्रिका थी। इसके प्रथम अंक में प्रथम पृष्ठ पर जो निवेदन प्रकाशित हुआ था वह वारी जागरण की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण है ही, साथ ही नापा-गैलों और अविभक्ति की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है।

“मेरी प्यारी बहिनो! मैं एक तुम्हारी नयी बहिन ‘बालबोधिनी’ आज तुमसे मिलने आयी हूँ और मेरी यही इच्छा है कि तुम लोगों से, सब बहिनो से, सब महिनो से एक बार मिलूँ, मैं तुम लोगों से अबस्था में कितनी

छोटी हूँ क्योंकि तुम सब बड़ी हो चुकी हो और मैं अभी जन्मी हूँ और इस नाते से तुम सबकी छोटी बहिन हूँ पर मैं तुम लोगों में हिलमिल कर सहेलियो—मगिनी की मांति रहना चाहती हूँ, इससे मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर और आंचल खोलकर यही मांगती हूँ कि मैं जो कभी कोई भली-चुरी, कडी-जग्म, कहनी-धनकहनी, कहूँ उसे मुझे अपनी समझकर क्षमा करना क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगी सो तुम्हारे हित की कहूँगी..... ।

हिन्दी प्रदीप—1 मितम्बर, 1877 को प्रयाग में बालकृष्ण मट्ट ने 'हिन्दी प्रदीप' नाम का मासिक पत्र निकाला। यह पत्र घोर मकूट के बाबजूद भी 35 वर्षों तक निकला। भारतेन्दु जी ने इस पत्र का उद्घाटन किया। पत्रकारिता की दृष्टि में हिन्दी प्रदीप का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रान्तिकारी घटना है। इसने हिन्दी पत्रकारिता को एक नयी दिशा प्रदान की। इसका स्वर राष्ट्रीय, निर्भीकता तथा तेजस्विता का था। अतः सरकार इस पर कड़ी नजर रखती थी। इसमें हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता की प्रभूत सामग्री रहती थी। इस मासिक पत्रिका में विविध विषयों से सम्बन्धित सामग्री विद्या, नाटक, समाचारवली इतिहास, परिहास, साहित्य, दर्शन, राज सम्बन्धी इत्यादि भरी रहती थी। मट्ट जी हिन्दी प्रदीप के लिए रचनाएँ मगाने के लिए गद्य ही नहीं, पद्य का भी प्रयोग करते थे। "जरा सोचो तो योग बम क्या है" पं० माधव शुक्ल की इस कविता के प्रकाशन पर पत्र का अवसान हो गया।

भारत मित्र—17 मई 1878 को कलकत्ता से यह पत्र प्रकाशित हुआ। जिस समय यह पत्र प्रकाशित हुआ। उस समय वहाँ से हिन्दी का कोई भी पत्र नहीं निकलता था। यह बड़ा प्रतिष्ठित व कर्मशील पत्र था। 'भारत मित्र' के कुशल सम्पादन के कारण इसकी गणना अच्छे पत्रों में होने लगी थी। भारत मित्र के सबसे पहले वैतनिक सम्पादक पण्डित हरमुकुन्द शास्त्री लाहौर में बुलाए गए थे। इस पत्र की प्रायु फापी बड़ी थी। यह पत्र 57 वर्षों तक चला। यह पत्र पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र, पं० हरमुकुन्द शास्त्री, पं० हृदयदत्त शर्मा, पं० अमृतकान्त चक्रवर्ती, बाबू बालमुकुन्द गुप्त, पं० बाबूराव विष्णु पराडकर, पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी एवं पं० लक्ष्मणनारायण गर्दों जैसे शीर्षस्थ मनीषी पत्रकारों द्वारा सम्पादित होता रहा। यह पत्र राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक व सामाजिक आन्दोलनों का खुला व्यापार छापता था। हिन्दी का यह पहला पत्र था जो हजारों की संख्या में छपता था। 1935 में यह बन्द हो गया।

सार सुधानिधि—13 अगस्त, 1879 को प्रकाशित 'सार सुधानिधि' पं० मदानन्दजी के सम्पादन में निकला। इसके सन्तुक्त सम्पादक पं० दुर्गाप्रसाद, सहायक सम्पादक गोविन्द नारायण और व्यवस्थापक पं० शम्भुनाथ थे। इसकी मापा संस्कृत

मिश्रन हिन्दी थी, अतः कुछ कठिन होनी थी पर साफ थी। तेज़ अच्छे व गम्भीर होने थे। यह पत्र राजनीति ही नहीं, अन्य विषयों का भी आलोचक था। यह उस समय का बड़ा ही तेज़स्वी पत्र था जो अपनी उग्र बाणी के कारण सरकार की कोप-दृष्टि का शिकार हुआ। पत्र को ग्राहकों का भी अभाव रहा। फलतः 1890 में यह बन्द हो गया।

सज्जन कीर्ति सुधाकर—यह पत्र देशी राज्यों से निकलने वाला पहला “हिन्दी पत्र” था क्योंकि राज्यों के सभी पत्र उर्दू व हिन्दी में निकलते थे जिनमें उर्दू का ही प्रथम स्थान होता था। मेवाड़ के महाराणा सज्जनसिंह के नाम पर यह पत्र निकला था। यह पत्र 1879 में आगरा के पं. बशीर वाजपेयी के सम्पादन में प्रकाशित हुआ।

उचित वक्ता—पं. दुर्गाप्रसाद मिश्र ने 7 अगस्त, 1880 को “उचित वक्ता” को जन्म दिया। मोठी मोठी कटारों मारने, व्यंग्य, मुँह चिढ़ाने में उचित वक्ता पत्र का काम करता था। यह पत्र 15 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। इसने इलस्ट्रेटेड बिल, प्रेस कानून, बर्नार्डुलर एक्ट का बड़ी निर्भीकता से विरोध किया। उचित वक्ता व भारत जीवन के बीच जुनाई, 1881 में मिरजापुर से ‘आनन्द फादरिन्गी’ निकली और इसके बाद 1883 में प्रतापनारायण मिश्र ने कानपुर से ‘ब्राह्मण’ पत्र निकाला जो उस समय का सबसे तेज़स्वी पत्र था। 1883 में ही अम्बिकादत्त व्यास ने ‘विद्रुप प्रवाह’ नामक पत्रिका को जन्म दिया।

भारत जीवन—बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 3 मार्च, 1884 को “भारत जीवन” प्रकाशित किया। यह पहले 4 पृष्ठ का था बाद में 8 पृष्ठों का हो गया, फिर 6 पृष्ठों में छपने लगा। इनका वार्षिक मूल्य डेढ़ रुपया था। यह पत्र 30 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। ‘भारतीय जीवन’ मदा एक दब्बू अखबार रहा। स्वाधीनता-पूर्व साहस से इनने कभी भी नहीं लिखा।

हिन्दोस्थान—1885 में राजा रामपालसिंह लखनऊ से इसे कालाकांकर ले आए और यहाँ इसके हिन्दी व अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित होने लगे। यह उत्तर प्रदेश से महामना पं. मदनमोहन मालवीय के सम्पादन में निकला। ये हिन्दी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम सम्पूर्ण हिन्दी दैनिक पत्र था। इसके सहयोगी नवरत्न प्रसिद्ध थे। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबसे समर्थन दान पत्र द्वारा निरन्तर होता रहा। इसमें सरकारी अफसरों की कटु आलोचना होती थी। राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार-प्रसार तथा मुधार का प्रयास इस पत्र की नीति का आधार था।

शुभचिन्तक—1887 में जबलपुर से पं. रामगुलाम अदस्वी के सम्पादन में

“सरस्वती का उद्देश्य हिन्दी भाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण करना था, राष्ट्रीय जागरण तो उसका अंग था ।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव व विकास बड़ी ही विपन्न परिस्थिति में हुआ । इस समय जो भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती उनके नामाने अनेक बाधाएँ आ जाती लेकिन इन बाधाओं से टक्कर लेती हुई हिन्दी पत्रकारिता शन-शन गति पाती गई ।

हिन्दी पत्रकारिता का उत्थान (1900-1947)

सरस्वती के प्रकाशन के बाद सन् 1900 से लेकर 1947 तक अर्थात् आजादी से पूर्व तक हिन्दी का समाचार जगत् विविध पत्र-पत्रिकाओं से भर गया । फला व शिल्प की दृष्टि से यह युग उत्प्रेक्षनीय है । सन् 1920-1930 का समय पुराने सस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन सस्कारों के बीजारोपण का समय है । 1925 के बाद हिन्दी पत्रकारिता में काफी प्रगति हुई । यह युग गाँधी का युग था । यह वह समय था जब समूचे देश में राष्ट्रीय जागरण की लहर फैली हुई थी, स्वतन्त्रता की झूटपटाहुट मंत्र में थी । इस समय समाचार-पत्रों ने स्वतन्त्रता के यज्ञ में आवश्यकता से अधिक आहुतियाँ दी । इस चरण में प्रकाशित पत्रों की भवसे बड़ी विशेषता यह रही है कि साहित्यिक व राजनैतिक पत्रकारिता अलग-अलग हो गयी । जो पत्रकारिता अब तक संयुक्त रूप से विविध जीवन आयामों की प्रकाशिका थी, पही अब परिवर्तित परिस्थितियों में अपना स्वतन्त्र उद्घोष कर बैठी । फलतः राष्ट्रीय हिनैपिणी पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में उसके दो भाग हो गये । केवल यही नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाया और नवीन चेतना का स्वर मुखरित किया । इस समय देश में ‘करो या मरो’ का समय था । अतः इस काल में देश भर में मर मिटने वाले समाचार-पत्रों का जन्म हुआ । इन पत्रों ने न केवल राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व ही किया, वरन् अपने आपको इन आन्दोलन में भोक कर पत्रकारिता के विकास को तेज गति प्रदान की । इस युग के पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि “इस काल में हिन्दी में कुछ इतने महत्त्वपूर्ण पत्रकार पैदा हुए जो दीर्घकाल तक स्मरण किये जायेंगे । बौद्धिक प्रौढ़ता के साथ-साथ चरित्रगत दृढ़ता ने इन पत्रकारों को बड़ी-सफलता दी । गणेश शंकर विद्यार्थी, पराडकरजौ, अम्बिवाप्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मीनारायण गर्द और बनारसी दास चतुर्वेदी ऐसे ही पत्रकार हुए ।

इस काल के प्रमुख पत्र निम्नांकित हैं—

अभ्युदय—1907 का वर्ष हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । उत्तरप्रदेश की राजनीति में जन-जागृति को जगाने वाले साप्ताहिक पत्र

“धन्युदय” को महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय ने जन्म दिया। निर्भीकता, राष्ट्रप्रेम तथा समाज सुधार में अग्रणी यह पत्र 1918 ई० में दैनिक भी हुआ। सरदार भगतसिंह की फाँसी के बाद पत्र ने ‘फाँसी ब्रक’ निकाल कर कानून मचा दी। कालाकाकर से ‘हिन्दोस्थान’ छोड़ने के बाद हिन्दी पत्र “धन्युदय” में मदन-मोहन मालवीय ने पहले पहल लिखा था। मालवीय जी मोमय विचारों के समर्थक थे। जित्ते उन दिनों “माडरेट” की सलाह दी गई थी।

हिन्दू कैसरी—प्रसिद्ध नेता डॉ बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने 13 अप्रैल, 1907 में इसे नागपुर में निकाला था। इसमें लोकमान्य तिलक के प्रसिद्ध पत्र कैसरी के लेखों का अनुवाद होता था। इसके सम्पादक प माधवराव सप्रे थे तथा सहायता के लिए प जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल और प लक्ष्मी बाजपेयी थे। यद्यपि हमके लेख कम में कम एक मप्ताह पुराने होते थे, फिर भी हिन्दी प्रेमी इसे बड़े ही चाव से पढ़ते थे। यहीं नहीं, यह हिन्दी प्रान्तों में राजनीति की गीता के समान उत्कृष्टता तथा आदर में पढ़ा जाता था। इस पत्र ने विशेषतः उत्तर भारत के नवयुवकों में प्रौढस्वी देशभक्ति को जाग्रत करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। कुछ दिनों में यह कई हजारों की मन्था में प्रकाशित होने लगा। उस समय गरम दल का यही प्रामाणिक पत्र था। परन्तु यह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका क्योंकि ‘सरकार की दमन नीति और भारतमाता’ और ‘कालागानी’ इन दो सम्पादकीय टिप्पणियों के प्रकाशित होते ही 23 अगस्त, 1908 में इसके सम्पादक सप्रे को राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया। फलतः 1909 में यह बन्द हो गया।

स्वराज्य—इलाहाबाद में 1907 में सम्पादक शान्ति नारायण भटनागर के सम्पादन में “स्वराज्य” माप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। आपत्ति जनक मामलों के प्रकाशन के अपराध में इसके सम्पादक, सहायक सभी को न्यायालयों द्वारा दण्डित किया गया। यह पत्र उग्र राष्ट्रीय विचार धारा का किनारा बड़ा पोषक था यह हममें पता चलता है कि रॉलेट कमीशन के सर रॉलेट, सर बामिल स्कॉट, सी०वी० कुमार स्वामी, डॉ लॉरेट तथा पी०सी० मिस्टर ने इस पत्र का उल्लेख कमीशन की रिपोर्ट में किया। इस पत्र का मुँह तभी बन्द हुआ, जब 1910 में भारतीय प्रेम अधिनियम लागू हुआ। इस पत्र में प्रकाशित सम्पादक के विज्ञापन की पत्रिका आज तक अविस्मरणीय है—

“चाहिए “स्वराज्य” के लिए एक सम्पादक।

वेतन—दो सूखी रोटियाँ, एक गिलास ठण्डा पानी और हर सम्पादकीय के लिए दस माल जेल।”

नृसिंह—नवम्बर, 1907 में कलकत्ता में प० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी के

सम्पादक में निकला पत्र 'नृसिंह' न्याय और औचित्य का रक्षक था। कंगिस के गरम दल को 'नृसिंह' राष्ट्रीय और तरम दल को "धृतराष्ट्रीय" कहता था। इसके सम्पादक बाजपेयी ने स्पष्ट लिखा— "जिस देश में सिखने और बोलने की स्वतन्त्रता नहीं है, जहाँ देशभक्त राजद्रोही समझे जाते हैं और बिना अपराध ही निर्वासित कर दिये जाते हैं, जहाँ विपारक शामक बन बैठते हैं, जहाँ भलेमानस देशनायक चौर डाकूप्रो से भी गधे बीने समझे जाते हैं, वहाँ जो न हो वही आश्चर्य है।" और इस प्रकार सिहनाद करना हुआ अल्पजीवी पत्र "नृसिंह" क्षण प्रज्वलित श्रेय न च घूमाचित चिरम" के आदर्श का परिपालन करता हुआ अस्त हो गया।

प्रताप—प्रताप उत्तरप्रदेश कानपुर से प्रकाशित एक तेजस्वी साप्ताहिक था। सन् 1910 में बाबू गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपने कुछ सहयोगियों की सहायता से कानपुर से प्रताप प्रकाशित किया। कुछ दिनों में ही इसमें जपेक्षित लोगों की कष्टकथा भी छपने लगी और यह एक लोकप्रिय पत्र हो गया। प्रताप को विद्यार्थीजी राणा प्रताप का प्रतीक मानते थे। हिन्दी पत्रकारिता में इस पत्र का प्रकाशन युगागतकारी कदम था इसने ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया कि जनता को भी बोलने व कहने का अधिकार है। अतः जन आन्दोलन और प्रताप पर्याय बन गए। प्रताप ने ही सर्वप्रथम चिट्ठियों के माध्यम से समाचार और शिकायत छापने का श्रीगणेश किया। निष्पक्ष समाचारों व टिप्पणियों के कारण इसको मुकदमों की धमकी भी दी गई पर 'प्रताप' ने कभी भी समर्पण, निराशा, धिघियाना, झुकना, रकना व बिकना तो सीखा ही नहीं था। यही कारण था कि सरकार का विरोध करने पर इस पर मुकदमा चलाया गया पर विद्यार्थीजी ने अपने सत्तादवाताओं के नाम बताने से इन्कार कर दिया और सहर्ष सजा पाकर पत्रकार परम्परा की नींव डाली। प्रताप का कार्यालय कानिकारियों का अड्डा था साथ ही किसानों, दलितों और बेसहारों को सम्बल देने वाला 'प्रताप' शासकों का सरदर्द था। कानपुर में समाचार पत्रों की नींव का पत्थर प्रताप को कहे तो अत्युक्ति न होगी।

विश्व मित्र—कलकत्ता में बाबू मूलचन्द्र अग्रवाल ने इसे सन् 1917 में प्रकाशित किया। इन पत्र ने नवीनता और मौलिकता मरी वार्षिज्य तथा सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों पर स्वतन्त्र रूप से लेखादि प्रकाशित करना आरम्भ किया। ये पत्र नये पत्रकारों के लिए 'पत्रकार कला' का प्रवेश द्वार बना। विश्व मित्र हिन्दी का पहला दैनिक पत्र था जो एक साथ पाँच महानगरों से प्रकाशित होता था।

स्वदेश—"स्वदेश" का प्रकाशन गोरखपुर से 1919 में प० दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने किया जो कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षित थे। इस पत्र का मूल सिद्धान्त था—

"जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं।

वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।"

सम्पादक द्विवेदी जी के जाने के बाद इस पत्र का सम्पादन पाण्डेय बेचन शर्मा "उग्र" ने किया। "भावी भ्रान्ति" विजय और विप्लव रान और माँ जैसे आलेखों के कारण स्वदेश स्वतन्त्रता आन्दोलन की ज्वाला लोगों में घटकाता था।

कर्मवीर—जदलपुर से 1919 में विद्यार्थी जी के अन्य सहयोगी माखनलाल चतुर्वेदी ने "कर्मवीर" निकाला। ये पत्र त्याग, तप, आहुति और क्रान्ति का उद्घोषक था। स्वतन्त्रता सपना में 12 बार जेल यात्रा और 63 बार तलाशियों के कारण चतुर्वेदी का ध्यात्कव्य जुझारू बन गया था। उनके द्वारा लिखी पत्रियाँ आज तक अनुगु जित हैं—

"मुझे तोड़ लेना बनमाती, उस पथ पर तुम देना फेंक।

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएँ वीर अनेक।"

स्वतन्त्र—"स्वतन्त्र" गाँधी युग का एक नेजस्वी पत्र था जिसे कवकता से जन्माष्टमी को 4 अगस्त, 1920 को प अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने प्रकाशित किया था। गाँधीजी को सभाएँ और व्याख्यान "स्वतन्त्र" में विशेष रूप में प्रकाशित होते थे। यही नहीं, इसमें राजनीति, व्यापारिक भ्रमाचार और सामयिक टिप्पणियाँ भी प्रकाशित होती थी। इसके कारण यह व्यापारियों में बहुत लोकप्रिय हो गया। इन विशेषताओं के साथ-साथ यह साहित्यिक गतिविधियों और सापा-विषयक प्रश्नों के प्रति भी काफी सचेत था। इसी पत्र में सेनगुप्त का भाषण, डॉ मुनीनि कुमार चट्टोपाध्याय का ऐतिहासिक भाषण, शहीद भगतसिंह आदि की फाँसी पर लटकाए जाने की खबरें छपी थी। गाँधीजी के नमक सत्याग्रह आन्दोलन के समर्थन के कारण "स्वतन्त्र" पर सखट आ गया था। सरकार ने इस पर 5000 रु का जुर्माना किया परन्तु जुर्माना न देने पर यह बन्द हो गया।

आज—5 सितम्बर, 1920 को निवप्रसाद गुप्ता ने वनारस से दैनिक "आज" का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र राष्ट्रीय चेतना का पर्याय था। गुप्ताजी का उद्देश्य इन पत्रों को लन्दन के "टाइम्स" जैसा प्रभावशाली बनाना था। निवप्रसाद गुप्ता हिंदी प्रेमी थे। "आज" के प्रथम सम्पादक दाबू थी प्रकाश थे तथा उनके साथ प बाबूराव विष्णु पराडकर भी थे। कुछ दिनों बाद थी प्रकाश जी हट गए और इनके सम्पादक पराडकर जी हो गए। 'आज' जब से निकला है तब से यह हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ पत्रों में गिना जाता है।

'भापुरी' जैसी साहित्यिक पत्रिका के बाद नवम्बर, 1922 में सामाजिक सुधारों में शीतप्रोन पत्रिका "बाँद" मासिक निकली। कुछ दिनों के बाद इनमें राजनैतिक मामलों भी प्रकाशित होने लगे और अपनी विशिष्ट धार के कारण इसके मारवाडी व फाँसी अंक जन्म कर लिए गए।

मतवाला—इतने संघर्ष के बाद 13 अगस्त, 1923 को कलकत्ता से साप्ताहिक-पत्र मतवाला का प्रकाशन हुआ। ये पत्र मुन्शी नवजादिकलाल, प सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, दाबू शिवपूजन सहाय और महादेवप्रसाद सेठ के प्रयत्नों से निकला। मतवाला हिन्दी का हारय-व्यंग्य विनोद-प्रधान प्रथम साप्ताहिक-पत्र था। ह्याम्य-विनोद का पत्र होने के कारण इसको सबसे बड़ी सुविधा यह थी कि यह कड़ी कड़ी बात को विनोद की शैली में बहकर कह जाता था। इसकी टिप्पणियाँ हास्य के आवरण में अनौचित्य पर कड़ी चोट करती थी। इस पत्र की प्रकृति पूर्ण स्वच्छन्द और स्वतन्त्र थी। यह पत्र यथार्थ जीवन का आग्रही था और उस गोरखधन्धे का खुल्लम-खुल्ला विरोध करता था जो देश में व्याधि के रूप में व्याप्त था। युग चेतना के प्रति वह सदैव सचेत रहता था। मतवाला की साहित्यिक दृष्टि प्रगतिशील थी। कुसस्कार, हृदयो और अन्धविश्वासों पर बड़ा ही तेज व्यंग्य करता था। हिन्दुत्व का हिमायती होने हुए भी उसकी नीति साम्प्रदायिक नहीं थी। इस प्रकार “मतवाला” के प्रकाशन के साथ हिन्दी-पत्रकारिता में एक नया प्रयोग हुआ। एक बड़े प्रभाव की पूर्ति हुई और एक साहित्यिक शान्ति का आविर्भाव हुआ।

हिन्दू-पंच—1926 में हिन्दू-पंच नामक पत्र बाबू रामलाल वर्मा के संचालन में पाँच उद्देश्यों को लेकर सामने आया—(1) हिन्दू सगठन, (2) शुद्ध सरकार, (3) अछूतोद्धार, (4) समाज सुधार, (5) हिन्दी प्रचार। यह अपने युग का अत्यन्त लेखनी पत्र था जो निडरतापूर्वक स्वतन्त्रता के लिए लोगों को उकसाया करता था। जब इसके सम्पादक मुन्शी नवजादिकलाल हुए तो उन्होंने इस पत्र को नया जीवन दिया। हिन्दू-पंच सचित्र साप्ताहिक था जिसका लक्ष्य था—

“लज्जा रखने को हिन्दू की, हिन्दू नाम बचाने को।

आया ‘हिन्दू-पंच’ हिन्दू में हिन्दू जाति जगाने को।”

सेनापति—5 नवम्बर, 1920 को प. रामगोविन्द त्रिवेदी के सम्पादन में ‘सेनापति’ निकला। इस पत्र में हिन्दू आदर्श, राजनीति, समाज, साहित्य, विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन, इतिहास, आदर्शचरित्र, व्यापार, संगीत, मनोरंजन, स्त्री-साहित्य, कृषिविज्ञान आदि से संबंधित लेख रहते थे। इसमें प्रकाशित साहित्य का मूल स्वर और भाव था। इसके सम्पादकीय बड़े जोशीले होते थे जैसे—भुट्टी भर जीव हमारी नेकन पकड़कर नचा रहे हैं और विश्वविकम्पी परशुराम और श्री राम की मतान बदलों की तरह नाच रही है। सेनापति अपने युग का अप्रतिम हिन्दी पत्र था।

हिन्दी जनता तक शुद्ध सात्त्विक व मानसिक भोजन पहुँचे इस उद्देश्य ने 1928 में रामानन्द चट्टोपाध्याय ने ‘विशाल भारत’ को जन्म दिया। लगभग इसी समय जेल से निकलकर सुप्रसिद्ध दानिकारी यशपाल ने “विप्लव” नामक साहित्यिक

पत्रिका का धीरे-धीरे किया। इसी युग में 1930 के लगभग उपन्यास मन्नाड् मुजी प्रेमचन्द ने काशी से 'हंस' नामक एक आतिकारी पत्र का प्रकाशन किया। इस पत्र ने साहित्यिक क्षेत्र में एक नई दिशा दी। इस प्रकार इस युग में नववीडिक-वर्ग ने स्वतंत्रता प्राप्ति और समाज सुधार हेतु पत्रकारिता का आशय लिया और अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कर देश को एक नई दिशा प्रदान की और समस्त भारत में राष्ट्रीय, अग्रविश्वास और बलिदान का अलख जग गया।

हिन्दी पत्रकारिता का उत्कर्ष

अपने क्रमिक विकास में हिन्दी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नवीन स्फूर्ति आई और उनका मन-मस्तिष्क विकसित हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण-कला भी विकसित हुई जिससे पत्रों का सगठन पक्ष सुदृढ हुआ और रूप विन्यास में सुर्चि दिखाई पड़ने लगी। हिन्दी पत्रकारिता के उत्कर्ष के मूल में निम्न प्रमुख कारक रहे हैं—

1. स्वतंत्रता को प्राप्त करके परतन्त्रता से अस्त-जन्मानम निश्चित हुआ और स्वतन्त्र-चेता देशवासियों के रूप में नवजीवन व नई चेतना का संचार हुआ।
2. नवीन चेतना से मानस में जागृति, स्वातन्त्र्यबोध, जीवनदायी मृत्यु और आदर्श विकसित हुए।
3. भारतीय मानस में प्रज्ञा के नवीन रूप विकसित हुए और स्फूर्ति का संचार हुआ। फलतः भारतीय मानस को नई शक्ति और तरजन्य जीवित-चेतना प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रकारिता के मार्ग में जो रुकावटें व बाधाएँ पड़ी थीं, वे समाप्त हुई और पत्रकारिता का निर्वाह मार्ग प्रशस्त हुआ।
4. औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण-कला का भी विकास हुआ। इसने प्रेम और प्रकाशन की सुविधाएँ बढ़ीं। फलतः पत्रकारिता को अपना पय निर्दिष्ट करने में आसानी हुई।
5. विविध क्षेत्रीय विकास के कारण पत्रों की साज-सज्जा भी आकर्षक होती गई तथा उनमें सुर्चिपूर्ण सामग्री का स्थान मिलने लगा।
6. पत्रकारिता जीवन के बृहत्तर मूल्यों के विकास, प्रसार और स्थापन हेतु बनी। वह सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जगत् की प्रतिध्वनि बनकर सामने आई। पत्रों के माध्यम से अपने परिवेश, समस्याएँ और अर्थ-मानस को जाने लगे।

7. स्वतन्त्रता के बाद पत्र प्रकाशन एक उद्योग बन गया। पत्रकारिता अब 'मिशन' नहीं रही बल्कि व्यवसाय बन गई।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व उन्नति होने पर भी यह दुःख का विषय है कि आज हिन्दी पत्रकारिता विकृतियों में घिरकर स्वार्थमिद्धि और प्रचार का माध्यम बनती जा रही है परन्तु फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस की प्रगति ही स्वतन्त्रता के बाद हुई क्योंकि सन् 1956 में हिन्दी पत्रों की संख्या 1000 थी जबकि 1982-83 में यह संख्या पाँच गुनी हो गई। सन् 1983 की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी दैनिकों की संख्या 5936 थी। उसकी प्रसार संख्या लगभग 3,664,000 है जबकि अंग्रेजी समाचारपत्रों की प्रसार संख्या 3 089 000 है। दैनिक हिन्दी-पत्र ही नहीं बरन् हिन्दी पत्रिकाएँ भी प्रसार की दृष्टि से सर्वोच्च हैं। द्वितीय स्तर पर तमिल साप्ताहिक पत्रिकाओं की है तब कहीं तीसरे नम्बर पर अंग्रेजी की पत्रिकाएँ हैं।

इस प्रकार स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने पर्याप्त प्रगति करली है किन्तु उसके उत्कर्षकारी विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएँ भी कम नहीं हैं। हाँ, ये बाधाएँ ऐसी नहीं जिन्हें हटाया न जा सके। पत्रकारिता एक निष्ठापूर्ण कर्म है और पत्रकार एक दायित्वशील व्यक्ति होता है। अतः यदि हमें स्वच्छ पत्रकारिता को विकसित करना है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हुई अनाधिकृत घुसपैठ को समाप्त करना होगा, जमे जीवन-मूल्यों से जोड़ना होगा उसे आचरणिक कर्मों का प्रतीक बनाना होगा और प्रचारवादी मूल्यों को पीछे धकेल कर पत्रकारिता को जीवन, समाज, सस्कृति और कला का स्वच्छ दर्पण बनाना होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अतीत से शिक्षा लेकर वर्तमान को समेटते हुए भविष्य का दिशा निर्देश भी संकेतित करना चाहिए।

समग्र विवेचन के पश्चात् कह सकते हैं कि हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास न केवल एक सुदीर्घ परम्परा लिए हुए है अपितु उसमें समय-समय पर अनेक मोड़ भी आए हैं। आरम्भ में पत्रकारिता को स्थापित होने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु उन सबको निवारित करते हुए पत्रकारिता निरन्तर विकसित होती रही है, उसके विकास की कहानी जहाँ अनेक विरोधों और सघर्षों से युक्त है वहीं पत्रकारों के निष्ठापूर्ण आचरण और सतत् श्रम की भी पोषिका है। आज पत्रकारिता का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है और वह वर्तमान जीवन अथवा कहे वर्तमान समाज की सांस बन गई है।

पत्रकारिता : आचरण एवं नियमन

(क) प्रेस कानून

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकों को ही नहीं अपितु विदेशियों का भी, जो भारत में रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार व उपचार दिए गए हैं। यह अधिकार व उपचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में वर्णित हैं। इनमें सबसे प्रमुख अधिकार हमारी 'पाक एव अमिद्व्यक्ति की स्वतन्त्रता' है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस स्वतन्त्रता को कोई भी, किसी भी माध्यम द्वारा व्यक्त कर सकता है, पर जहाँ तक प्रेस की स्वतन्त्रता का सवाल है तो यह अधिकार संविधान में प्रत्यक्ष रूप से न देकर अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। प्रेस विचार प्रकट करने का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली माध्यम है पर प्रेस इस स्वतन्त्रता का अतुच्छित लाभ उठाकर गैर जिम्मेदार व उच्छूलन न बन जाए, इन कारणों समय-समय पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाए गए जो निम्न हैं—

1. भारत की मार्क्सवादी विचारधारा तथा अखण्डता, 2. राज्य की सुरक्षा,
3. विदेशी राज्यों में सैन्यपूर्ण सम्बन्धों के हित में, 4. मार्क्सवादी व्यवस्था,
5. सिपाखाबाद व सदाचार के हित में, 6. न्यायालय अखण्डता, 7. मानवता,
8. अखण्डता उद्दीपन के मामले में भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता।

राज्य की सुरक्षा अर्थात् भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता सर्वोपरि है और प्रेस ही इस सुरक्षा, अखण्डता को, विदेशी राज्यों में मित्रता बनाए रखने में तो महाशक्त है, साथ ही मार्क्सवादी व्यवस्था अर्थात् देश में साम्प्रदायिक दंगों, हिंसात्मक कार्यों और अन्य उपद्रवों को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन-पत्रकारों का उत्तरदायित्व है कि वे निष्ठावान और ग्यारानिष्ठा, निष्पक्ष और विवेकशील होकर नीर-धीर अन्वेषी की तरह हमेशा रिपोर्टिंग करने समय इस बात का ध्यान रखें कि वह कोई भी अप्रामाणिक तथा सुनी-मुनायी बातों पर आधारित समाचार न भेजें। साथ ही कोई भी ऐसा भाषण, अभिव्यक्तियाँ जो कि हिंसात्मक

अपराध को उकसाती हो या प्रोत्साहित करती हो न छापें अन्यथा उन्हें जुमाने के साथ-साथ सजा भी दी जा सकती है।

इसी कारण जब भी देश में सरकार को समाचार-पत्रों से या किसी अन्य माध्यम से किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वह फौरन समाचार-पत्रों पर 'सेसरशिप' लागू कर सकती है, जैसे अभी हाल ही पंजाब में समाचार पत्रों पर सेसर लागू किया गया। प्रमुख प्रेस कानून निम्न है—

(1) मानहानि

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 के अनुसार राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपनी ईमानदारी, यश, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान आदि को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस कानून के तहत मानहानि की परिभाषा निम्न है—

“जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या सकेतों द्वारा या दृश्य निरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लाइन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लाइन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या वह पहले जानते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लाइन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, इसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।” अर्थात् जब किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसे कथनों को शब्दों में, लेख में, चित्रों या महत्त्वपूर्ण शब्दों द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिससे सम्बन्धित व्यक्ति के प्रति घृणा, उपहास या अपमान का भाव पैदा हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचता है तो ऐसे कृत्य को मानहानि कहा जाता है। मानहानि के अपराध में दोषी व्यक्ति पर 'दिवानी' तथा 'फौजदारी' दोनों ही मुकदमे चलाये जा सकते हैं। समाचार पत्रों पर विशेषकर मानहानि का खतरा बना रहता है। अतः पत्रकारों का दायित्व है कि वह किसी भी समाचार को भेजने से पहले उसकी प्रामाणिकता व विश्वसनीयता की निष्पक्ष जाँच करके ही भेजें। “मानहानि” के दो रूप हैं, अपलेख एवं अपवचन। भारत में अपलेख तथा अपवचन दोनों ही समान रूप से दण्डनीय अपराध हैं।

अपलेख

अपलेख का सामान्य अर्थ है लिखित मानहानि अर्थात् एक ऐसा प्रकाशन जो असत्य हो साथ ही अपमानजनक हो तथा बिना उचित आधार के प्रकाशित किया गया हो और जिसके प्रकाशन में वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची हो। इसके मुख्य सघटक (तत्त्व) निम्न हैं—

1. वक्तव्य या कथन झूठा हो,
2. कथन अपमानकारक होना चाहिए,

3. कथन स्थायी एवं स्पष्ट रूप में होना चाहिए,
- 4 वह वादी के सम्बन्ध में होना चाहिए,
5. उसका प्रकाशन (समाचार-पत्री आदि) में होना चाहिए ।

अपवचन

शब्दों द्वारा मानहानि अर्थात् ऐसे वचन से है जिसने किसी व्यक्ति का अपमान होना हो । सामान्य रूप से अपवचन, भौतिक शब्दों, संकेतो अथवा अक्षयक्त ध्वनियों द्वारा किया जाता है जो बहुधा अश्लील होता है । अर्थात् अपवचन कानो को सम्बोधित किया जाता है । इसके मुख्य तत्त्व निम्न हैं—

1. ऐसे कथन जो घृणा, प्रबन्धा या तिरस्कार का भाव उत्पन्न करने वाले हों ।
2. जिनके कारण समाज के लोग वादी से दूर-दूर रहने या उनको सभति में आने से बचने का प्रयत्न करे ।
3. पेशावृत्ति या पद पर प्रभाव डालने वाले ।
4. व्यापार या कारोबार पर प्रभाव डालने वाले ।

लोकन भारतीय दण्डसंहिता की धारा 499 में वर्णित कानूनो द्वारा कुछ परिस्थितियों में पत्रकार मानहानि के दोषी से बच सकता है । ये अपवाद निम्न हैं—

1. सत्य बात का लोडन, जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक-कल्याण के लिए अपेक्षित है. मानहानि नहीं है । यह प्रकाशन सार्व-जनिक हित में है या नहीं, यह तर्क का विषय है ।
2. लोकसेवकों का लोकाचरण सद्भावपूर्ण अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है । सद्भावना में आकर किसी सार्वजनिक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका चरित्र का सम्बन्ध उनके आचरण से है लेकिन इससे अधिक नहीं, यदि कोई राय दी जाए तो वह मानहानि नहीं है ।
3. किसी लोक प्रश्न से सम्बन्धित किसी व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में कोई सद्भावपूर्ण राय प्रकट की जाए जो उसके चरित्र से सम्बन्ध रखती है तो वह मानहानि नहीं है ।
4. न्यायालयों की कार्यवाहियों की सारत सही रिपोर्टों को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है ।
5. न्यायालय में विनिश्चित मामले में गुणाशुण या साक्षियों (किसी फरीक, गवाह या गुमाश्ते) तथा सम्पृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण सद्भाव-पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है ।

10 अदालत की कार्यवाही का मतलब एक तथ्यो को तोड़-मरोड़ कर भ्रामक रूप से प्रकाशित करना ।

किन्तु निम्नलिखित कृत्यों से न्यायालय का अवमान नहीं होता है—

- (क) निर्दोष प्रकाशन और उसका विवरण
- (ख) न्यायिक कार्यवाहियों का उचित और सही प्रकाशन
- (ग) न्यायिक कृत्यों की उचित आलोचना
- (घ) न्यायाधीश के विश्वास्यता से की हुई शिकायत
- (ङ) वाद की न्यायिक कार्यवाहियों का प्रकाशन ।

“न्यायालय अवमान” दिवानी अवमानना व फौजदारी अवमानना दो प्रकार हैं—

1. दिवानी अवमान में जानबूझकर अदालत के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट व अन्य अदालती प्रक्रिया की अवज्ञा या अदालत में दी गई शपथ का उल्लंघन से है ।

2. फौजदारी अवमानना से तात्पर्य जो—

- (1) न्याय प्रशासन में बाधा पहुँचाता हो या उसकी बाधा पहुँचाने की प्रवृत्ति हो जिससे न्यायालय की गरिमा व प्रतिष्ठा पर आघात आती हो ।
- (2) अदालत की विश्वसनीयता पर आघात पहुँचाने या आघात पहुँचाने की प्रवृत्ति हो ।
- (3) न्यायिक कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करें, हस्तक्षेप करें या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति हो ।

ऐसे समय इस अधिनियम के अनुसार 6 महीने की कैद या 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं ।

अब पत्रकार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह कोई भी लेख इस प्रकार प्रकाशित न कराए जिससे न्यायाधीश को निष्पक्ष विचार प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करे । वास्तव में न्यायिक अन्वीक्षा के पूर्व पत्रकारों की दृष्टि केवल तथ्यपरक होनी चाहिए और उन तथ्यों का निरूपण भी ऐसा होना चाहिए जिससे अदालत की कार्यवाही पर कोई प्रभाव न पड़े अन्यथा जरासी अनावधानी पत्रकारों व सम्पादकों को मुनोद्वेष में डाल सकती है ।

(3) भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम (1923)

भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम 1923 में लागू किया गया और मार्च 1967 तक इसमें अनेक संशोधन हो चुके हैं, जिसमें पत्र और पत्रकार का

वाचित्व है कि वह देश की अखण्डता, प्रभुमत्ता तथा एकता को कायम रखने में अपना योगदान दे। इसी नियम को विस्तृत तथा सशोधन के साथ भारतीय दण्डमुद्रिता के अनुच्छेद 19(2) में संविधान का सोलहवाँ संशोधन अधिनियम 1963 में प्रस्तुत किया गया। इसके अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति-दण्ड का भागी बन सकता है—

95013

1. राज्य के हित और सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति निपिद्ध स्थानी में बिना अनुमति लिए जाए अथवा उनके सदस्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी शत्रु पक्ष को दे। साथ ही निपिद्ध स्थानी के फोटो, स्केच, प्लान, मॉडल बिना अनुमति लेकर प्रकाशित करें जिससे शत्रु पक्ष को किसी प्रकार की जानकारी मिल सके।
2. भारतीय अखण्डता एवं सम्प्रभुता पर किसी प्रकार की आँव आती हो या भारत के किसी भाग को सब से पृथक होने के लिए उकसाया जाता हो।
3. स्वयं को छद्म रूप से अथवा गन्त रूप से सरकारी अधिकारी बताना साथ ही सरकारी मोहरो, चित्रो, गुप्त योजनाओं आदि को अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपना।
4. मेना के तीनों अंगो—धल, नौ तथा वायुमेना अथवा अन्य किसी सरकारी अधिकारी की नियमित वेपभूषा बिना कामूनी अधिकार के पहनना अथवा मिलती-जुलती वेपभूषा पहनकर स्वयं को अधिकृत अधिकारी घोषित करना।
5. सरकारी मोहरो आदि का गैरकामूनी निर्माण या विनय का प्रयास।
6. अनाधिकृत रूप से सरकारी दस्तावेजों को अपने पास रखना अथवा जानबूझ कर विभागीय निर्देशों के उपरान्त भी उन्हें अधिकृत व्यक्ति को न सौंपना।

इस कानून के अन्तर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को तीन वर्ष से 14 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। यही नहीं नदरिग्न अवस्था में छापा मारना या तलाशी लेना भी इसी कानून के अन्तर्गत है, साथ ही पत्र की प्रतियाँ तो जप्त की ही जा सकती हैं, उसका प्रकाशन भी बन्द किया जा सकता है। यह कानून पूरे भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों तथा सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इस कानून के दो प्रमुख पत्र हैं पहला जासूसी से सम्बद्ध है तो दूसरा सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता का। इन्हें इन कानून की धारा 2 तथा 5 में विवेचित किया गया है। पत्रकार

भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम की धारा को वर्तमान रूप में बनाये रखने के विरुद्ध है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया ने इसे समाप्त करने तथा सूचना स्वतन्त्र कानून बनाने की माँग की है क्योंकि पत्रकार श्रम नियम के उल्लंघन के डर से अनेक ऐसी सूचनाएँ भी प्रकट नहीं करते जिनका सबध लोकहित से है। अतः इस अधिनियम में संशोधन किये जाने चाहिए।

(4) युवको के लिए हानिप्रद प्रकाशन कानून 1956

ये कानून एक फरवरी, 1957 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि बालको तथा किशोरो को "हानिकारक प्रकाशनों" से होने वाले दुष्परिणामों से बचाया जा सके। इसके अन्तर्गत पत्रिका, पम्पलेट, सीक लेट समाचार-पत्र आदि के ऐसे प्रकाशनों से है जो कि "अपराधों की आश्रयिता हिंसा, क्रूरता के कार्य, घृणा एवं भयावह प्रवृत्ति की घटनाएँ आदि के भाव जगाता हो। चाहे यह भाव चित्रों के माध्यम में हो या बिना चित्रों की सहायता के। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के हानिकारक प्रकाशन की विक्री करता है किराए पर देता है, वितरण करता है या अन्य किसी माध्यम से प्रसारित करता है अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन या वितरण हेतु इनका मुद्रण या निर्माण करता है या इनका विज्ञापन करता है तो इस कानून के तहत उसे छः माह की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

प्रथम श्रेणी या मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी सद्विध स्थान पर खोज करने के लिए सब-इन्स्पेक्टर या इन्से जैच पद के किसी भी अफसर को खोज करने या प्रतिबन्ध का अधिकार दे सकता है जहाँ, युवको को हिंसा तथा अपराध की ओर प्रेरित करने हेतु प्रकाशन होता हो। यही नहीं ऐसे प्रकाशन का नष्ट करने का आदेश भी अदालत द्वारा दिया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति चाहे तो 60 दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिबन्ध किसी भी राष्ट्र के जीवन में स्वच्छता कायम रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(5) अप्रिधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954

भारतीय दण्ड विधान की धारा 292 से 294 तक नैतिकता एवं शिष्टता के हित में बाल और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध का लक्षण करती है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ये धाराएँ अश्लील प्रकाशनों को बेचने, प्रचार या प्रदर्शन करने, अश्लील कृत्यों को करने, अश्लील गानों या अश्लील मापणों आदि का निषेध करती है। इनके तहत "अप्रिधि और जादूगरी" (आपत्तिजनक

विज्ञापन) अधिनियम 1954 एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत ऐसे विज्ञापन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोली-भाली जनता को अंधेरे, अश्लील, अनुचित तथा चित्तकर्षक विज्ञापन द्वारा भ्रमित करें। यही नहीं, औपचारिक स्वरूप को गत परिपेक्ष्य में प्रस्तुत करना भी इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इस अधिनियम के अन्तर्गत—1 ऐसी औपचारिक विज्ञापन जो महिलाओं के गर्भपात तथा गर्भ धारण का आशवासन दें।

2. यौन शक्ति की वृद्धि का आशवासन देने वाली औपचारिकियाँ।
3. मानिक धर्म से सम्बन्धित लोगों के इलाज की औपचारिकियाँ।
4. नपुंसकता, पागलपन, कोड मिर्गी, हृदय रोग आदि 54 रोग (जो कि अधिनियम में वर्णित हैं) दूर करने की घोषणा करने वाली औपचारिकियाँ।
5. मंत्र, तंत्र, मन्त्र, ताबीज, जादू, टोने चमत्कारिक तरीकों में विभिन्न बीमारियों की जाँच, निदान, चाराब का आशवासन।

ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन में विज्ञापन दाता तो उत्तरदायी है ही साथ ही विज्ञापन प्रकाशित करने वाले प्रकाशक व मुद्रक को भी इसका उत्तरदायी माना जाता है। इस धारा का उल्लंघन करने पर छ माह की कैद या जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं। परन्तु द्वारा उभका उल्लंघन करने पर एक वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएँ दी जा सकती है।

परन्तु इसके विपरीत यदि अश्लील चित्र या विज्ञापन एक और रूप एवं बीभत्स प्रभाव परिलक्षित करे तो दूसरी ओर वही चित्र जीवन के यौन भावना सम्बन्धी पहलू का निपटण करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, अतः वे अश्लीलता के शोचक प्रकाशन परिवेश और परिप्रेक्ष्य में निहित आदर्शों पर आँकें जा सकते हैं। अतः एक अच्छा पत्रकार अपनी कुशल लेखनी द्वारा अश्लीलता के प्रभाव से समाज को बचाने में सक्षम होते हैं।

(6) कृति स्वाम्य अधिनियम, 1957 तथा एकातता का कानून

व्यक्ति को अपने ही ढंग से जीवन जीने का अधिकार है, अतः पत्रकार लोग नागरिकों की एकातता पर आघात करने के लिए कानून की नजर में दण्डनीय है। एकातता का कानून व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कानून से या अपने निजी विचारों, योजनाओं या रचनाओं की रक्षा के कृति स्वाम्य कानून से मिलता जुलता है। यह अधिनियम वस्तुतः लेखक एवं प्रकाशक के हितों की रक्षा के लिए है। इसके अन्तर्गत मौखिक साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों, चल-चित्र, फिल्मों और रिकार्डों में काफी राइट रबीवार किया गया है। स्वाम्य के अन्तर्गत

किसी ग्रन्थ, रचना आदि को प्रकाशित करने से पूर्व लेखक की अनुमति न लेना इस कानून का उल्लंघन माना गया है। इसके अन्तर्गत लेखक की कविता, कहानी, नाटक, संगीत आदि से स्वामित्व को स्वीकार किया गया है। बुद्धि और कला के द्वारा उत्पन्न किसी कृति को कॉपीराइट की सजा दी गई है। कोई भी पत्रकार या सम्पादक अपने समाचारों के प्रस्तुतीकरण की शैली या अपने शब्द चयन की मौलिकता के द्वारा इस कानून की गिरफ्त में बच सकता है। कृति स्वाम्य कानून लेखक के जीवन काय और उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक उसमें ही निहित रहता है। सयुक्त रचियताओं की स्थिति में उस रचियता के प्रति आशय लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे पहले में होगी। 9 अगस्त 1984 से उक्त कॉपीराइट कानून अपने कुछ विशेष संशोधनों द्वारा लागू कर दिया गया है।

कृति स्वाम्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों के विशेषाधिकार

- (क) कृति स्वाम्य सम्बन्धी रचना का समाचारपत्र में प्रकाशनार्थ तैयार किया गया सारांश रजित है अर्थात् उस पर इसके कारण मुकदमा नहीं चल सकेगा (धारा 2)
- (ख) मार्चजतिक रूप से दिये गये व्याख्यान की रिपोर्टें प्रकाशित करने का अधिकार समाचारपत्र को है जब तक कि किसी प्रमुख संस्थान में सूचना टाँगकर या लगाकर उसे प्रकाशित करने की मनाही न करदी गई हो।
- (ग) राजनीतिक भाषण बिना किसी की अनुमति या स्वीकृति के प्रकाशित किए जा सकते हैं (कृति स्वाम्य की दृष्टि से)
- (घ) टीका-टिप्पणी करने या साहित्य गुणावधारण के लिए उपयुक्त लेखान की नकल करना अनुज्ञेय (परमिसिडन) है।

सिद्धान्त कृति स्वाम्य समाचार का विषय नहीं है और किसी भी पत्र में सूचना या जानकारी से सम्बन्धित घटनाओं का वर्णन एक जैसा हो सकता है फिर भी समाचार के स्रोत का उल्लेख कर देना साहित्यिकता की दृष्टि में ग्यायोचित है।

(7) प्रेस एव पुस्तक पंजीकरण नियम 1867

इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी मुद्रित पुस्तको, समाचार-पत्रों तथा नियत समय पर निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति का मूल्यांकन होता रहे यह अधिनियम भारत का प्राचीनतम जीवित प्रेस कानून है। समय-समय पर इसमें संशोधन करके इसे अधिक प्रभावी तथा सामयिक बनाया गया है। इस कानून की प्रमुख धाराएँ निम्न हैं—

- (1) प्रत्येक प्रकाशित-पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान का नाम, पत्र के मालिक का नाम तथा सम्पादक का नाम आदि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- (2) पत्र का नाम, भाषा, काल, सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक आदि में होने वाले परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को देना अत्यन्त आवश्यक है।
- (3) पत्र की एक प्रति प्रेम रजिस्ट्रार तथा दो प्रतियाँ राज्य सरकार को निशुल्क न भेजने पर उस पर 50 रु० जुर्माना भी किया जा सकता है।
- (4) इस कानून के अधिनियम पर पत्र का पूर्ण व सही विवरण प्रत्येक वर्ष प्रेम रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है। गलत सूचना भेजने पर उसे दण्डित भी किया जा सकता है।
- (5) वही मुद्रक पत्र छाप सकता है जिसमें त्रिवा प्रेसीडेन्सी तथा मद्रास-डिविजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति प्रेस चलाने के लिए ले रखी हो।
- (6) किसी पत्र प्रकाशन के लिए मुद्रक और प्रकाशक को जिला प्रेसीडेन्सी अथवा मद्रास-डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके साथ ही प्रकाशन की भाषा और काल की भी जानकारी देनी होगी। मुद्रक को पत्र के मालिक का लिखित अधिकार पत्र भी अपने घोषणा पत्र के साथ मलगन करना जरूरी है।
- (7) घोषणा पत्र की स्विकृति के बाद यदि कोई मासिक पत्र छः सप्ताह तक तथा अन्य समाचार पत्र तीन माह तक प्रकाशित नहीं हो पाता है तो आजा पत्र रद्द या बेकार या अमान्य हो जायेगा।
- (8) यदि तीन माह की अवधि में दैनिक, मासिक, छह-साप्ताहिक और पत्रिका पत्र अपनी नियमित संख्या के आधे से भी कम में प्रकाशित होंगे तब तो उनका घोषणा-पत्र रद्द हो जायेगा।
- (9) एक वर्ष की अवधि तक पत्र का प्रकाशन न होने पर भी घोषणा-पत्र रद्द हो जायेगा।
- (10) यदि कभी गलती से किसी पत्र के अंक में उनके सम्पादक का नाम गलत छप गया है और वह यह दावा करे कि उक्त अंक का सम्पादक वह नहीं था तो उसे चाहिए कि वह मद्रास-डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करके उसमें प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।
- (11) प्रेम रजिस्ट्रार अथवा अन्य किसी व्यक्ति की माँग पर पूरी जांच-

पटताल का घादेश देकर मजिस्ट्रेट को घोषणा-पत्र को रद्द करने का अधिकार है।

- (12) घोषणा-पत्र रद्द होने पर उसको अपील 60 दिनों के अन्दर प्रेस और रजिस्ट्रेशन अपील बोर्ड के सामने की जा सकती है।
- (13) पत्र के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक न रहे तो इस विषय की सूचना मजिस्ट्रेट को शीघ्र देना आवश्यक है, अन्यथा दो सौ रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
- (14) प्रेस रजिस्ट्रार को गलत सूचना देने पर पाँच सौ रुपये का दण्ड दिया जा सकता है।
- (15) प्रेस नियमों का उल्लंघन करने पर सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक को दो हजार रुपये का जुर्माना तथा छ' महीने की सजा दी जा सकती है।
- (16) यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर किसी समाचार-पत्र पर प्रेस कानून को आंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से लागू करने की विज्ञप्ति सरकारी गजट में जारी कर सकती है।
- (17) पत्र प्रकाशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रेस रजिस्ट्रार प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करता है।
- (18) भारत के सभी भागों पर यह प्रेस कानून लागू होगा।

यह अधिनियम पाँच भागों में विभाजित है प्रथम भाग परिचयात्मक है जिसमें विभिन्न पदनामों की परिभाषाएँ दी हुई हैं। दूसरे भाग में छापेखानों और समाचार पत्रों के सम्बन्ध में उपबंध है। तीसरे भाग में कानून के उल्लंघन पर दिये जाने वाले दण्ड का विवरण है। चौथा और पाँचवा भाग पुस्तकों के तथा समाचार-पत्रों के पञ्जीकरण की व्यवस्था से सम्बन्ध है।

उपरोक्त कानूनों के अतिरिक्त पत्रकारिता जगत में कार्य करने वाले कार्य-कर्ताओं की सुविधा के लिए कुछ ऐसे उल्लेखनीय कानून व सगठन भी बनाए गए हैं जिनका सम्बन्ध विशेषतः उनकी कार्य सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें प्राप्त होने वाली उपलब्धियों से है—

(8) पुरस्कार प्रतियोगिता कानून, 1955

यह कानून समाचार-पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पहेलियों पर दिये जाने वाले पुरस्कारों को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाया गया है। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ जैसे—फान्स वैंड पुरस्कार प्रतियोगिता, रिक्त स्थान में शब्द पूर्ति पुरस्कार प्रतियोगिता, चित्र पुरस्कार पहेली आदि आती हैं।

एक हजार रुपये में अधिक की राशि को पुरस्कार प्रतियोगिताओं का प्रकाशन वर्जित है तथा इनके लिए भी सरकार द्वारा नियुक्त साइमेंस अधिकारी की पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक है। पूर्ण अनुमति के बिना ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने पर तथा कानून की शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन माह की कैद या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों राजाएँ हो सकती हैं। सरकार को यह भी अधिकार है कि उस समाचार-पत्र या प्रकाशन की सारी प्रतिर्वा जप्त कर ले।

(9) प्रेस एवं समदीय विशेषाधिकार

संसद एवं विधानमण्डलों की स्वतन्त्रता, गरिमा एवं प्राधिकार की रक्षा करने हेतु तथा समाजो एवं विवायकी को उचित प्रकार से बिना किसी अवरोध के धरने कार्यों के निर्वहन के लिए उन्हें भारतीय संविधान अनुच्छेद 105 (1) तथा 194 (2) के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। पत्रकारों को संसद या विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के विषय में, उसकी समितियों या सदस्यों पर प्रकाशित टिप्पणियों के विषय में सचेत व सावधान रहना चाहिए। निम्न स्थितियों में पत्रकारों और पत्रों को संसद के विशेषाधिकारों को मंग करने या उसका प्रवृत्त करने का दोषी ठहराया जा सकता है—

- (1) समाचार-पत्र में संसद की कार्यवाहियों अथवा गरिमा/मर्यादा के सम्बन्ध में की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ।
- (2) संसद की किसी समिति के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति/आपेक्षपरक टिप्पणी।
- (3) संसद के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के आचरण और चारित्रिक गरिमा के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी जिसके फलस्वरूप जनता में उनकी छवि घुमिल होती हो।
- (4) संसद के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी।
- (5) संसद में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही प्रस्तावों का प्रकाशन।
- (6) किसी समाचार-पत्र द्वारा, संसद की किसी समिति अथवा बैठक की कार्यवाही को, समिति द्वारा अपना कार्य पूरा करने और अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही प्रकाशित कर देना।
- (7) किसी भी संसद में प्रस्तुत दस्तावेजों को संसद में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रकाशित करना।
- (8) किसी भी समिति के प्रतिवेदन, निष्कर्षों, जिन्हें सम्बद्ध संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्रकाशित नहीं करना था, को समाचार-पत्रों द्वारा प्रकाशित, उद्धृत करना अथवा उनका हवाला देना।

- (9) सदन की कार्यवाही को गलत ढंग से ग्रथवा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना ।
- (10) सदन के किसी सदस्य के भाषण को किसी गलत ढंग से ग्रथवा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना तथा किसी विशेष सदस्य के भाषण को जानबूझ कर छिपाना ।
- (11) समाचार-पत्र द्वारा ससदीय समिति की रिपोर्ट को गलत ढंग से प्रस्तुत करना ।
- (12) सदन की गरिमा एवं सम्मान को कम करने वाली टिप्पणियाँ ।
- (13) सरकार की ससदीय व्यवस्था की मूलभूत अवधारणा को क्षति पहुँचाने वाली टिप्पणियाँ ।
- (14) सदन के अध्यक्ष द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर उसकी निष्पक्षता पर छीटाकशी ।
- (15) सदन की गोपनीय कार्यवाही को प्रकट करना ।
- (16) सदन की कार्यवाही से निकाले गये ग्रथ का प्रकाशन ।
- (17) ससदीय अधिकार के बिना ससदीय रिपोर्ट का प्रकाशन ।

अदालत का निर्णय करते समय प्रत्येक सदन अदालत का रूप धारण करता है और दापी पाये गये व्यक्ति को सजा दे सकता है जैसे न्यायालय देता है । इस सम्बन्ध में सदन तथा अनेक विधान सभाओं ने अनेक बार मत दोहराएँ हैं । दापी पाए गये व्यक्तियों को अधिकतर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया या सदन के द्वार के निकट खड़ा करके उनकी भर्त्सना की गई है । कभी-कभी दण्ड स्वरूप पत्रकार दीर्घा में प्रवेश रद्द कर दिये गये हैं और उनकी अन्य सुविधाएँ समाप्त कर दी गई हैं जैसे—बिलाटम् के सदावदाता ए० रापतन की (सन् 1961)

ये ससदीय विशेषाधिकार हमारे यहाँ अभी तक नियमबद्ध ग्रथवा सहितावद्ध नहीं किए गये हैं । विशेषाधिकारों की अस्पष्टता के कारण स्वतन्त्र भारत में अनेक ऐसे अवसर आयें हैं जब गहरा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है । इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के केनवर्षिह व आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के “डनाडू प्रकरण” आदि विशेष चर्चित रहे हैं । इन परिस्थितियों में अनेक बार न्यायालय और विधायिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है । अतः विवादास्पद परिस्थितियों में आवश्यक है कि इन विशेषाधिकारों को नियमबद्ध किया जाए ।

(10) प्रेस परिषद् अधिनियम (1978)

प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा पत्रकारों, सामान्य पाठकों व पत्र मागिनों

के हितों की सुरक्षा के मून उद्देश्यों को लेकर 4 जुलाई, 19०6 को प्रथम भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना हुई। यह परिषद् 1975 तक चली। जनता पार्टी के शासन काल में भारतीय प्रेस परिषद् के पुनर्गठन के लिए प्रेस परिषद् कानून, 1978 बना।

इस सन्धा के प्रमुख उद्देश्य पत्रकारों व समाचार समितियों के अनुसूच प्राचार संहिता तैयार करना समाचार पत्र, समाचार समितियों और पत्रकारों की तरफ से जनरल के स्तर को बनाये रखने का विश्वास दिलाना, समाचार पत्र व समाचार समिति के उत्पादन, प्रकाशन में सम्बन्ध विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के मध्य समन्वय करना है।

(11) श्रमजीवी पत्रकार कानून 1955

श्रमजीवी पत्रकारों की नौकरी, कार्य के घण्टे, पेन्शुटी भुगतान आदि में सम्बन्धित यह कानून 1955 में बनाया गया। इसके अन्तर्गत पत्रकारिता व्यवसाय से सम्बद्ध सम्पादक, उपसम्पादक, फीचर लेखक, सलाहदाता, रिपोर्टर, कानूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर, प्रूफरीडर आदि को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में मान्यता दी गई। प्रतिष्ठान के पूर्णतया व्यवसायकीय तथा प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्यों में रत व्यक्ति श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में नहीं माने जायेंगे। इस कानून के अन्तर्गत किमी श्रमजीवी पत्रकार को नौकरी से प्रयुक्त करने में पूर्व के कानून बनाए गए हैं ही साथ ही पेन्शन आदि पर भी सम्पूर्ण विचार किया गया है। मरने पर पेन्शुटी भुगतान का भी पूर्ण विवरण इस कानून में दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन आदि के बारे में समय-समय पर विचार करने हेतु एक वेतन मण्डल का भी गठन किया गया है।

उपयुक्त कानून के प्राधारों पर यदि पत्रकार चाहे तो वह गम्भीर दोषों में भी मुक्त हो जाता है। परन्तु पत्रकार को यह कभी भी नहीं भानना चाहिए कि वह प्रेस कानून से परे है बल्कि उन यह समझना चाहिए कि प्रेस कानून उसके लिए सर्वथा हितकारी है।

(ख) पत्रकारिता संगठन

समय-समय पर पत्र व पत्रकारों के सामने उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना, पत्रों की गौरवपूर्ण स्वतन्त्रता की रक्षा करना, प्रेस, सरकार व जनता के मध्य समन्वय रखना तथा पत्रों के लिए आवश्यक आचारसंहिता की रचना व अनुपालन आदि समस्याओं के कारण कुछ स्वयं-सेवी संस्थाओं को स्थापना हुई जो पत्रों व पत्रकारों की समस्याओं का निदान करती हुईं उनमें सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्नशील है इनमें से मुख्य संगठन निम्नलिखित हैं—

(1) अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन

इण्डिया न्यूजपेपर एडीटर्स कान्फेस—इस सगठन का मुख्यालय : रूम नं० 36-37, नार्थ एण्ड कम्प्लेक्स, राधा कृष्ण आश्रम, नई दिल्ली-110001 में स्थित है। इस सगठन का शुमारम्भ 1940 में हुआ था। स्वतन्त्रता संग्राम में इस संस्थान में गहत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की थी। यह समाचार पत्रों तथा पत्रिका सम्पादकों का एक स्वेच्छिक सगठन है। भारत में प्रकाशित समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं के सम्पादक इसके सदस्य हो सकते हैं। 1940 में मद्रास में हुए सम्मेलन में हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रबन्ध सम्पादक देवदाम गाँधी ने सम्मेलन को स्पष्ट दिशाओं की ओर ले जाने का संकेत किया था। जैसे, भारत की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता व देश में शान्ति तथा साम्प्रदायिक सदभावना की स्थापना में योगदान। भारतीय सम्पादक सम्मेलन ने सन् 1950 में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन आयोजित किया जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में युद्ध को भडकाने वाली खबरों के प्रकाशन को रोकना था। यह सम्मेलन समाचार-पत्र उद्योग के सम्पादकीय अनुभाग का प्रतिनिधित्व करता है।

उद्देश्य—

1. पत्रकारिता के उच्च स्तर तथा गौरवपूर्ण परम्पराओं की रक्षा करना।
2. पत्रकारों के लिए एक आचारसंहिता का निर्माण।
3. विभिन्न समितियों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करना।
4. सम्मेलन की स्थायी समिति समय-समय पर सम्पादकों तथा पत्रकार-जगत के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर विचार करके निर्णय लेना अर्थात् पत्र स्वातंत्र्य और पत्रकारों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है।
5. दूसरे देशों में पत्रकारों के सगठनों से सम्पर्क स्थापित करना।
6. पत्रकारों को अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए जो सहायता व सुविधा चाहिए उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना।
7. प्रेस और सरकार तथा प्रेस और जनता के बीच सहयोग व सदभावना की स्थापना।

(2) दि इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी (आई. ई. एन. एस)

इस सगठन का मुख्यालय आई. ई. एन. एम. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 में स्थित है। इस संस्था का आरम्भ भारत, बर्मा, व लका के समाचार पत्रों की केन्द्रीय संस्था के रूप में 27 फरवरी, 1939 में हुआ था। यह समाचार-पत्र उद्योग के मानिकों की संस्था है और विज्ञापन देने वाली एजेंसियों को मान्यता देती है, जो तत्सम्बन्धी नियमों को पूरा करती है तथा समाचार-पत्रों के बारोबारी हितों की देखभाल करती है और उनकी सामान्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करती है। मुख्यतः विज्ञापन व अखबारी कागज के वितरण व मूल्य-निर्धारण में अपनी सलाह देती है।

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मदस्य समाचार पत्रों में परस्पर समान हर्षि के प्रश्नों को हल करने में सहयोग देना है। इस सस्या ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अखबारी कागज के बिनरण की समस्या को हल करने में सरकार की बड़ी मदद की। संगठन ने एक भारतीय समाचार-मिमिनी की स्थापना का निर्माण किया था जो 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के रूप में सामने आई। रायटर से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के समझौते में इस संगठन की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार को समय-समय पर अखबारी कागज, मुद्रण मशीनरी आदि के सम्बन्ध में भी यह सस्या मलाह देती रही है।

इस संगठन के सदस्यों के प्रयास से ही 1948 में आडिट ब्यूरो ऑफ सरक्यूलेशन सस्या की स्थापना हुई। एडवर्टाइजिंग ऐजेन्ती एससियेशन ऑफ इण्डिया आदि की सहायता से यह सस्या बिक्षापन ऐजेन्सियों को प्रमाणित करती है। यही नहीं, सरकार द्वारा बनाए गए वानून जो पत्रों के लिए होने हैं, उनके लिए भी यह संगठन राय जाहिर करती है। समय-समय पर यह अपने अधिवेशन भी करती रहती है।

(3) भारतीय भाषा समाचार-पत्र संघ (इण्डियन लेग्वेजेज न्यूज पेपर्स एसोसियेशन-आई.एल.एन.ए.)

इसका मुख्यालय जन्मभूमि भवन, पो बाक्स न. 10029, फोर्ट, बम्बई 400001 में स्थित है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। गुजराती समाचार-पत्र जगत् के वरिष्ठ पत्रकार अमृतलाल सेठ की प्रेरणा से इस सस्या की स्थापना हुई। इस सस्या के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक व पार्श्विक पत्र मदस्य हैं। यह सस्या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रति-निधित्व करती है। इस सस्या का मुख्य उद्देश्य छोटे व मध्य श्रेणी के समाचार-पत्रों के हितों की रक्षा करना है। कठिनाई के समय अपने सदस्यों को समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज उपलब्ध कराना भी इस सस्या का उद्देश्य है।

1947 से इस संस्था ने एक महकारी समिति के माध्यम से छोटे समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज के आयात का कार्य आरम्भ किया था जिससे छोटे पत्रों को काफी सुविधा हुई।

(4) दि इण्डियन एसोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल ऐडिटरर्स (आई. ए. आई. ई.)

इस सस्या की स्थापना 1956 में हुई। इसकी स्थापना विभिन्न उद्योगों में प्रकाशित उद्योग पत्रिकाओं के सम्पादकों ने अपने अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए की। यह सस्या सेबीनारों, गोष्ठियों, व्याख्यानमाला आदि के माध्यम से सम्पादकों

को पत्रकारिता का आधुनिक ज्ञान देने का प्रयास करती है और प्रतिवर्ष सर्वोत्तम उद्योग-पत्रिका के लिए पुरस्कार भी प्रदान करती है।

(5) ग्राडिट ब्यूरो ऑफ सरक्यूलेशन (ए. वी. सी.)

इस संगठन का शुभारम्भ उद्योगकारी संगठन के रूप में विज्ञापन तथा विज्ञापन समितियों की सहायता से 1948 में हुआ। संगठन का मुख्य उद्देश्य संगठन के सदस्य समाचार-पत्रों अथवा प्रकाशनों की वार्षिक सशुल्क प्रसार सन्ध्या का पता लगाकर उसको प्रमाणित करना है। प्रत्येक छठे महीने बाद प्रसार सम्बन्धी आंकड़ों का सत्यापन यह सन्ध्या चाटेंड अकाउन्टेन्टो तथा अन्य माध्यमों से करती है। जो पत्र इस संगठन के सदस्य होने हैं उनको अपने प्रकाशनों का हिसाब-किताब सन्ध्या द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रखना होता है और इस सबका समय-समय पर ए. वी. सी. के ग्राडिटर उनका परिक्षण करते हैं। जिसमें प्रकाशक व विज्ञापक दोनों ही विज्ञापन की दरें निर्धारित कर लाभ उठाते हैं। बड़ी सन्ध्या में समाचार-पत्र, प्रकाशक, विज्ञापक व विज्ञापन एजेन्सिया इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय बम्बई में है।

(6) प्रेस गिल्ड ऑफ इण्डिया (पी जो आई)

इस संगठन का मुख्यालय गिल्ड हाउस, गली नं. 6, मैजिस्टिक बिल्डिंग, बम्बई 400001 में स्थित है। सन्ध्या की स्थापना 1954 में हुई थी। यह पत्रकारों की एक गिल्ड है अर्थात् समान व्यवसाय वालों की सन्ध्या है। इसका उद्देश्य पत्रकारों और अन्य बुद्धिजीवियों में परस्पर मेन-जोन बढ़ाना है, जिससे पत्रकारिता का स्तर ऊँचा हो सके। यह पत्रकारों की सामाजिक व सांस्कृतिक सन्ध्या है। समय-समय पर यह सन्ध्या विद्वानों, लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं तथा विविध विद्याओं के सर्वोत्तम व्यक्तियों को मादण देने को आमन्त्रित करती रहती है। यह सन्ध्या एक क्लब, वाचनालय, पुस्तकालय आदि का भी संचालन करती है। विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर यह सन्ध्या विचार गोष्ठियों का भी आयोजन करती है।

(7) अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार-पत्र महासंघ (अखिल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन)

इसका मुख्यालय 10 ए/ए/193 रामबाग, कानपुर 208012 में है। इस सन्ध्या की स्थापना 1968 में हुई। छोटे व मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों का यह संगठन है। इसका मुख्य सम्बन्ध अखबारों के सम्पादकीय विभागों की समस्याओं से है। यह समय-समय पर अपने सदस्यों की समस्याओं को उजागर करती है।

(8) भारतीय प्रेस संस्थान (प्रेस इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया)

इस संस्थान का मुख्यालय सद् मु हाउस, एनेकम वारखम्बा रोड, नई दिल्ली में

स्थित है। इस सन्ध्या की स्थापना 1963 में हुई थी। यह भारतीय समाचार-पत्रों और पत्रकारों का व्यवसायिक संगठन है। सम्पादकों, पत्रकारों, प्रबन्धकों के लिए कार्यक्रमों और पत्रकारिता व जनसंचार विषयों पर समय-समय पर इस सन्ध्या द्वारा गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। समाचार-पत्रों की गोष्ठियाँ आयोजित करती हैं। सन्ध्या सम्पादकीय और प्रबन्धकीय दोनों विभागों के कर्मचारियों को काम मिलाने है। सभी समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ इस सन्ध्या की सदस्य बन सकती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने पत्रकारिता व जन-संचार विषयों पर समय-समय पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 'विदुर' नामक पत्रिका भी इस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है।

(9) ट्रेड एण्ड ट्रेडिङ्ग एसोसिएशन एसोसिएशन एवं स्पेशलाइज्ड पब्लिकेशन्स एसोसिएशन

इन संस्थाओं का मुख्यालय क्रमशः (1) 12 फोर्ट, चेम्बर्स स्ट्रीट, बम्बई 400001 (2) 235 हाउस दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई 400001 में स्थित है तथा इनकी स्थापना क्रमशः 1957 व 1969 में हुई थी।

ये दोनों संस्थाएँ तकनीकी, व्यापार, वाणिज्य सम्बन्धी पत्रिकाओं की सन्ध्या हैं। अपने सदस्यों की कारोबारी से सम्बन्धित कठिनाइयों के बारे में ये संस्थाएँ सरकार से पत्र-व्यवहार करती रहती हैं।

(10) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (आई एफ डब्ल्यू जे)

इस संस्था का मुख्यालय प्लॉट नं. 29, शंकर मार्किट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था भारतीय श्रमजीवी पत्रकारों की ट्रेड यूनियनों का पहला श्रमिक संगठन है। इनकी स्थापना 28 अक्टूबर, 1950 में एक अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन में की गई थी जो कि वरिष्ठ पत्रकार एम. चेलापतिराव की अध्यक्षता में दिल्ली में सम्पन्न हुआ था। प्रत्येक प्रदेश में इस संगठन की शाखाएँ हैं। यही नहीं, देश के सभी राज्यों की पत्रकार यूनियनों इस फेडरेशन की सदस्य हैं। इसका हमारा अधिवेशन 16 अप्रैल 1951 में बम्बई में हुआ।

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पत्रों के व्यावसायिक काम के स्तर को उन्नत करना और श्रमजीवी पत्रकारों के सामूहिक हितों की रक्षा करना है। जर्म-समय पर पत्रकारों की सेवा शर्तों, वेतन सम्बन्धी मसौ, काम के प्रष्टे व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रश्नों पर निर्यात व आन्दोलन करना है। इस संस्था की सदस्यता सब पत्रकारों के लिए खुली है। यही कारण है कि सबसे अधिक पत्रकार इस संस्था के सदस्य हैं क्योंकि इसमें पत्रकारों की परिभाषा इनकी विस्तृत रखी गई है कि प्रूफगोवर्क में सम्पन्न नए सभी पत्रकार जिनमें स्वतन्त्र पत्रकार भी शामिल हैं, इस संगठन से

सम्बद्ध किमी यूनियन के मेम्बर बन सकते हैं। संच अपना एक मासिक पत्र 'दि वर्किंग जर्नलिस्ट' प्रकाशित करता है।

श्रमजीवी पत्रकारों के मुकदमों में भी इस संस्था द्वारा लड़े जाते हैं और समय-समय पर उनको व्यावसायिक पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस संस्था के सदस्य विभिन्न राजकीय अर्द्धराजकीय संस्थाओं की मलाहकार समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। सच की मांग पर ही सन् 1952 में प्रथम प्रेस आयोग की नियुक्ति हुई और सन् 1955 में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम पारित हुआ।

(11) नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (एन यू जे.)

इसका मुख्यालय B-17, महारानी बाग, नई दिल्ली-1100065 है। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के हाथों सन् 1969 में इस संस्था की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष एम मीनाक्षी सुन्दरम् बनाये गये। यह एक श्रमिक संगठन है जो पत्रकारों के हितों के लिए सघर्ष करता है। इस मंच ने श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन प्रवक्ता आदि के मामलों में पहल की और निर्णय लिए। भारत के अनेक प्रदेशों में इसकी शाखाएँ हैं और इसके सदस्य विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके सदस्यों की संख्या 1500 के लगभग है। 'इक वर्ल्ड' इसका मुख्य पत्र है जो दिल्ली में प्रकाशित होता है।

(12) अखिल भारतीय पत्रकार संसद्

जुलाई, 1980 में इस संगठन की स्थापना पालेकर एवार्ड के बाद जुलाई, 1980 में अघाडं त्रियान्वित करने हेतु की गई थी। मुरादाबाद में इसका रजिस्टर्ड कार्यालय है तथा दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय है। इसकी लगभग सभी प्रान्त में शाखाएँ हैं और 7000 के लगभग सदस्य हैं। यह संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत है तथा पालेकर अवार्ड की त्रिपक्षी समिति में इस संस्था के सदस्य हैं।

(13) आल इन्डिया न्यूज पेपर्स एम्पलाइज फ़ेडरेशन

9, शारद मार्केट, नई दिल्ली, 110 001 में स्थापित इस संस्था की स्थापना सन् 1960 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गैर पत्रकार कर्मचारियों के आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा करना है। विशेष रूप से दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडू व केरल में यह संस्था अधिक शक्तिशाली है। इसके सदस्य बनने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यही पत्रकार और गैर पत्रकार दोनों इसके सदस्य है तो कहीं केवल गैर पत्रकार ही इसके सदस्य हैं।

इस संस्था ने अपने सदस्यों के हितों के संरक्षण के लिए अनेक बार हड़ताले व आन्दोलन किये हैं। इसके पदाधिकारियों का चुनाव अमनमथ प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक में किया जाता है।

इन पत्रकारों संगठन के अतिरिक्त "ग्राल इण्डिया" उर्दु समाज न्यूज पेपर्स एडोर्टमें कौन्सिल, सब एडोर्ट गिल्ड, इण्डियन रूरल प्रेस एमोशियेशन, रिमर्च इन्स्टीट्यूट फार न्यूज पेपर्स डेवलपमेंट, एडोर्टर्स गिल्स ऑफ इण्डिया, इण्डियन एण्ड इस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी, द इण्डियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाईजर, द एडवर्टाईजिंग एजेन्सीज ऐमोसियेशन ऑफ इण्डिया, द एडवर्टाईजिंग कौन्सिल ऑफ इण्डिया आदि मुख्य हैं।

ये सभी संस्थाएँ व्यवसाय तथा कर्मचारियों, जो समाचार पत्रों से सम्बन्धित हैं, के हितों के प्रति जागरूक रहकर समय-समय पर अनेक राष्ट्रहित एव समाज के हित के निर्णय करती हैं और व्यवसाय में भद्रता, शुद्धता तथा मर्यादा की स्थापना में सहायता करती हैं।

(ग) प्रेस परिषद्

स्वस्थ, स्वतन्त्र एव सशक्त समाचार-पत्र ही लोकमत की रीढ़ है। पत्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय तो कार्यरत रहते ही हैं तो भी पत्रकारिता के स्तर को समुन्नत करने और पत्रकारों के विशेषाधिकारों व पत्र-मालिकों के हितों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि पत्रकार भी अपनी स्वयं की संस्था स्थापित करके इस दिशा में समुचित कार्यवाही करें। आज विश्व के 44 राष्ट्रों में प्रेस परिषद् अथवा इससे मिलती-जुलती संस्था का गठन किया जा चुका है। विश्व में प्रेस परिषद् के विचार का उदय सर्वप्रथम स्वीडन में हुआ। 1911 में वहाँ प्रेस इन्फोरमेशन नामाङ्कन में स्थापना की गई। इसके बाद 1927 में नार्वे में कट्टबट कगेटी, जापान में 1946 में 'निहोन शिम्बोन क्योकाई', जर्मनी में 1956 तथा इजराइल में 1963 में यह संस्था गठित की गई।

भारत में प्रेस परिषद् की स्थापना

भारत में प्रेस परिषद् सन् 1954 में प्रथम प्रेस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट की सिफारिश पर दी गई। रिपोर्ट में उल्लेख था कि सम्पादकीय स्वतन्त्रता की रक्षा, समाचारों के प्रस्तुतीकरण में वस्तुनिष्ठा, प्रेस के तात्त्विक विकास को प्रोत्साहित करने तथा बाह्य दबावों से प्रेस की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के परिषद् की विशेष आवश्यकता है। इसी सिफारिश के आधार पर जून, 1956 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया पर 1957 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। सात-आठ वर्षों तक इस दिशा में प्रगति नहीं हुई। परन्तु 30 सितम्बर, 1964 में इस मामले को लोकसभा में इस विधेयक से सम्बन्धित तीस सदस्यों की प्रवर समिति को सौंपा गया। 12 नवम्बर, 1965 को यह विधेयक पारित हो गया और 4 जुलाई, 1966 को प्रेस परिषद् गठित की गई।

1970, 1973 तथा 1974 को विभिन्न संशोधनों के माध्यमों में परिपद् के स्वरूप में परिवर्तन करके इसे अधिक प्रभावशाली बनाया गया। इस तरह कई वर्षों तक इन परिपद् ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए, पर 13 दिसम्बर, 1975 के बाद इसके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं गया। परिणामस्वरूप यह सस्या स्वतः ही बन्द हो गई। पुनः 6 अप्रैल, 1977 को जनता पार्टी सरकार के भूचना व प्रसारण मन्त्री श्री लालकृष्ण अडवाणी ने लोकसभा में प्रेस परिपद् की पुन स्थापना की घोषणा की और 1978 में प्रेस परिपद् पुन काम करने लगी।

प्रेस परिपद् के उद्देश्य—

प्रेस परिपद् निम्न उद्देश्यों को लेकर कार्यकारी है—

1. समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना।
2. पत्रकारिता के उच्च-स्तर के अनुसार पत्रकारों के लिए आचार-तन्त्रियाँ तैयार करना।
3. यह व्यवस्था करना कि समाचार-पत्र और पत्रकार समाचार और लेख प्रकाशित करते समय भाषा साहित्य और सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन न करे और नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दें।
4. पत्रकारों को अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र-सेवा के लिए प्रेरित करना।
5. उन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखना, जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित से सम्बन्धित समाचारों के सकलन और प्रसारण में रुकावट पैदा होती है।
6. किसी समाचार-पत्र की ओर से विदेशी सूत्रों से सहायता प्राप्त करने के ऐसे तमाम मामलों की खोज करना जिनके धारे में भारत सरकार ने कौंसिल के सामने शिकायत रखी हो।
7. पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए सन्तोपजनक प्रबन्ध करना।
8. समाचार-पत्रों की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार समाचार सकलन और प्रसारण के लिए एक सामान्य अभिकरण की स्थापना।
9. पत्रकारिता से सम्बन्धित सभी वर्गों के कर्मचारियों के बीच सहयोग और सामंजस्य की स्थापना।
10. अखबारों के कारोबार में एकाधिकार की रोकथाम।
11. और पत्रकारिता सम्बन्धी तकनीकी खोज को प्रोत्साहित करना।

परिपद् का गठन

प्रेस परिपद् मे 1 अध्यक्ष तथा 28 सदस्य होने हैं जो सम्पादको, श्रमजीवी पत्रकारो, अखबारो के मालिको, प्रबन्धको, शिक्षाकारित्रयो और सदस्य सदस्यो मे से चुने जाते हैं। परिपद् के अध्यक्ष का नाम राज्य-सभा के समापति, लोकसभा के अध्यक्ष और परिपद् के सदस्यो द्वारा निर्दिष्ट एक व्यक्ति से मिलकर बनी समिति द्वारा नामित किया जाता है। अन्य 28 सदस्यो मे से 13 श्रमजीवी पत्रकार (जिनमे 6 समाचार-पत्रो के सम्पादक तथा शेष सात सम्पादको से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार हैं) होंगे। छ सदस्यो का चुनाव ऐसे व्यक्तियो मे से किया जायेगा जो समाचार-पत्रो के स्वामी हो या समाचार-पत्रो के प्रबन्ध कार्य से सम्बन्धित हो। इसमे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे, मध्यम तथा बड़े समाचार-पत्रो के प्रत्येक वर्ग मे से दो-दो प्रतिनिधि चुने जाएँ। एक सदस्य समाचार समिति प्रबन्धको मे से तथा तीन सदस्य शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे मे विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो। इनमे से क्रमश एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक भारतीय विधिज्ञ परिपद् द्वारा, एक साहित्य अकादमी द्वारा चुना जाएगा। इनके प्रतिरिक्त पाँच सांसदो मे से तीन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यो मे से तथा दो राज्य-सभा के समापति द्वारा राज्य-सभा के सदस्यो मे से चुने जाते है।

प्रेस परिपद् का महत्त्व व कार्य-शक्तियाँ

प्रेस को सही दिशा देने तथा उसके स्वस्थ विकास मे सहयोग देने मे प्रेम परिपद् एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेम से सम्बन्धित विविध समस्याओ यथा—अखबारी कागज के आवटन तथा पत्रकारिता की प्रवृत्तियो पर भी परिपद् महत्त्वपूर्ण सुभाव देती है। प्रेम कौंसिल उन पत्रो और पत्रकारो के विरुद्ध भी शिकायतो की जाँच करती है, जिन पर आचार-संहिताओ का उल्लंघन करने का दोष होता है। जाँच के पश्चात् कौंसिल दोषी-पक्ष के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

प्रेस-परिपद् की स्थिति एक न्यायालय की तरह है जिसके समस्त जनसाधारण राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार समाचार-पत्रो के विरुद्ध अपनी शिकायतें पेश कर सकते हैं। यही कारण है कि समाचार-पत्र प्रेम की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रेम कौंसिल का दरवाजा खटखटाने हैं। यह सही है कि भारत मे अभी परिपद् को दण्डात्मक अधिकार नहीं हैं। अतएव इसके फैसलो को कानूनी अदालतो के फैसलो की तरह राजसत्ता के अधिकार से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए न्यायालयो से आदेश प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। परिपद् अपने निर्णयो की अनुपालना के लिए किसी को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकती, फिर भी प्रेम

पर परिपद् का नैतिक नियन्त्रण तो रहता ही है। प्रेस-परिपद् नैतिक वन्धन के रूप में कार्य करते हुए पत्रकारिता की स्वस्थ परम्परों के विकास में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है।

16 जून, 1980 को शिमला में प्रेस परिपद् की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें प्रेस-परिपद् 1978 के अधिनियम में सशोधन के प्रस्ताव स्वीकार किए गए कि जो समाचार-पत्र दोषी पाये जायें उन्हें केन्द्र सरकार तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से विज्ञापन देना बन्द कर दिया जाये या भारतीय डाक-तार विभाग विशेष रियायती दर पर डाक सुविधा बन्द कर दे आदि। परिपद् का यह भी विचार था कि पत्रकारिता की नैतिक संहिता का उल्लंघन करने वाले पत्रकारों तथा सम्पादकों के अधिस्वीकरण विशेष समय तक के लिए रद्द कर दिए जाए। यह प्रस्ताव इसलिए रखे गये ताकि परिपद् निर्जीव सस्था मात्र न रह जाये। परिपद् को प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा व्यवसायिक उत्तरदायित्व तथा जनरचित के संरक्षण आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ अधिकार देने होंगे ताकि वह प्रभावी व कारगर हों सके। वर्तमान प्रेस-परिपद् को भर्त्सना की शक्ति प्राप्त है, इसके अन्तर्गत परिपद् की शक्तियाँ इस प्रकार हैं—

1. यदि किसी समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने लोकहित के स्तर का अविचलन या कोई वृत्तिक व्यवहार किया है तो प्रेस-परिपद् सम्बद्ध समाचार-एजेंसी सम्पादक या पत्रकार को मुनवाई का ब्यस्य देने के बाद उसकी उस रीति से जाँच करेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा उपबन्धित हैं। यथास्थिति परिपद् उस समाचार-पत्र, समाचार-एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकेगी, उसकी भर्त्सना कर सकेगी या उसकी निन्दा कर सकेगी अथवा उस सम्पादक या पत्रकार के आचरण का अनुमोदन कर सकेगी।

2. यदि परिपद् की यह राय रहती है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक था तो वह किसी समाचार-पत्र से यह अपेक्षा करेगी कि वह समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी, सम्पादक या उसमें कार्य करने वाले पत्रकार के विरुद्ध इस धारा के अधीन, किसी जाँच से सम्बन्धित मामलों, जिनके अन्तर्गत उस समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार का नाम भी है, उसमें ऐसी रीति में, जैसी परिपद् ठीक समझे, प्रकाशित करे।

3. न्यायालय में विवागधीन किसी भी मामले में परिपद् विचार नहीं कर सकती तथा परिपद् के निर्णयों को किसी भी न्यायालय में प्रयत्न नहीं किया जा सकता है।

अपने कार्य को मुचारू रूप से चलाने के लिए परिपद् को निम्न शक्तियाँ भी प्राप्त हैं—

1. इन अधिनियम के अधीन जांच करने के लिए परिपद् को निम्नलिखित बातों के बारे में सम्पूर्ण भारत में वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो वाद का विचारण करते समय नागरिक न्यायालयों में दिवानी प्रक्रिया सहित, 1908 के अधीन निहित हैं अर्थात्—
 - (क) व्यक्तियों को सम्मन भेजना और हाजिर करना तथा शपथ पर परीक्षा करना ।
 - (ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण ।
 - (ग) शपथ-पत्र पर नाक्ष्य का लिया जाना ।
 - (घ) किसी न्यायालय वा कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्येक्षा करना ।
 - (ङ) साक्षियों के दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग बैठाना ।
 - (च) कोई अन्य विषय, जो निहित किया जाए ।
2. परिपद् द्वारा की गई प्रत्येक जांच भारतीय दण्ड महिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।
3. यदि परिपद् अपने उद्देश्यों को या अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, आचरण के सम्बन्ध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।
4. उपधारा (1) की कोई बात किसी समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को उस समाचार-पत्र द्वारा प्रकाशित या उस समाचार एजेंसी सम्पादक ।

वित्तीय स्थिति

प्रेस परिपद् को निम्नांकित मुख्य स्रोतों से धन मिलता है—

1. भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा तथा
2. भारतीय समाचार-पत्रों के पञ्जीयक द्वारा पञ्जीकृत समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों से फीस के उद्ग्रहण द्वारा ।

परिपद् की समितियाँ

परिपद् का कार्य सुविधापूर्वक चले इसके लिए उसने अपने आपका पांच समितियों में विभाजित कर रखा है—

1. जांच-समिति
2. चयन-समिति
3. सर्वोद्दिश्य-समिति
4. शोध-सल्लड-समिति
5. वित्त-समिति

परिपद् में शिकायत करना

पत्रकारिता की नैतिक-संहिता का उल्लंघन करने वाले समाचार-पत्रों के खलाफ प्रेस की स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाली ताकतों, किसी के प्रति मान-हानि-पूर्ण समाचार (यह सामग्री मनोरजन, वाटून अथवा विज्ञापन किसी भी रूप में हो सकती है) एवं पत्रकारों के व्यावसायिक दुराचरण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति परिपद् को अपनी शिकायत निवेदन कर सकता है।

प्रेस-परिपद् में शिकायत करने से पूर्व शिकायतकर्ता को उस समाचार-पत्र के सम्पादक को लिखित रूप से कहना होगा, ताकि सम्पादक को अपनी त्रुटि मालुम पड जाए। तदुपरान्त यदि वह उसका मशौघन कर देता है तो मामला प्रेस-परिपद् में जाने से पूर्व ही निपट जाता है, वरतें इस संशोधन से शिकायतकर्ता भी सन्तुष्ट हो।

परन्तु उस परिस्थिति में अवधि शिकायतकर्ता को सम्पादक का उत्तर प्राप्त न हो और वह मामले को उठाना चाहता है तो शिकायतकर्ता को परिपद् में अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय समाचार-पत्र की सम्बन्धित कतरने, सम्पादक का नाम, पता लिखते हुए तथा उसके किस भागमें का हानन हुआ है, अथवा वह किस प्रकार आपत्ति जनक है यह भी लिखना चाहिए। साथ ही उस शिकायतकर्ता को यह भी धोखला करनी चाहिए कि शिकायत में कथित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई भी मामला न्यायाधीन नहीं है (क्योंकि न्यायाधीन किसी भी शिकायत पर परिपद् विचार नहीं करती है) और अगर वह न्यायालय में जायेगा तो इसकी पूर्व-सूचना परिपद् को देनी चाहिए।

इस प्रकार प्रेस के विकास तथा उन्नयन में परिपद् ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय-समय पर परिपद् में प्राप्त शिकायतों का भी इतने उचित समाधान किया है। चाहे प्रेस की आजादी पर प्रहार हुआ हो, पत्रकारों अथवा समाचार-पत्रों के कार्यालय पर हमले हुए हो या पत्रकारिता की मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ हो—प्रेस परिपद् हमेशा यह प्रयास करती है कि प्रभावित पक्ष को न्याय मिले।

(घ) एडिटर गिल्ड (भारतीय सम्पादक संघ)

सम्पादकों की समस्याओं के निराकरण हेतु यह आवश्यक समझा गया कि

वे एक ऐसे मंच का गठन करें जहाँ उनकी व्यावसायिक समस्याओं का निराकरण हो सके। उदाहरणार्थ, प्रेम की स्वतन्त्रता, आचार-संहिता, आचार, के माध्यम का डींचा, सूचना की सुविधा तथा लेखकों के अधिकार प्रशिक्षण, भलाई व अन्य सम्बन्धित समस्याएँ। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो सचयन बनाया गया उसे एडीटर गिल्ड के नाम से जाना जाता है।

2. उद्देश्य—

(अ) प्रेम की स्वतन्त्रता का समर्थन।

(ब) व्यावसायिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उस प्रकार कार्य करना जिसमें मुद्रण तथा अन्य माध्यमों की गति में कोई बाधा न आये।

(ग) सम्पादकों की नागरिक आजादी का रक्षा।

3. सदस्यता—

“गिल्ड” की सदस्यता व्यक्तिगत है। समस्याओं को उसका सदस्य नहीं बनाया जाता। किसी भी दैनिक समाचार-पत्र या पत्रिकाओं के कार्यरत सम्पादक ही सदस्य बनने योग्य है। उन पत्रिकाओं के सम्पादकों को सदस्य नहीं बनाया जाता जो किसी व्यवसाय से सम्बद्ध है।

4. सहायक सदस्यता—

वे पत्रकार भी सदस्यता के अधिकारी हैं जो किसी दैनिक समाचार-पत्र या पत्रिकाओं का काम से कम पाँच वर्षों तक सम्पादक रह चुके हैं। इस श्रेणी में उन धारकियों को भी शामिल किया गया है जो जनसम्पर्क सेवाओं के अधिकारी हैं, जैसे—रेडियो, टेलिविजन आदि अर्थात् जो समाचार व दिन-प्रतिदिन के घटनाचक्रों से पूर्णतया अवगत हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता अपने आप समाप्त समझी जायेगी, जिस क्षण वे अधिकारी नहीं रहेंगे। सहायक सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है।

5. प्रत्येक सदस्य को सब के नियम तथा आचार-संहिता का पालन करना अनिवार्य है तथा हर सदस्य प्रेम की स्वतन्त्रता के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी प्रतिबद्धता जनहित की सेवा हेतु होगी।

(इ) पत्रकार आचार-संहिता

पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी है और जन-सेवा भी। अतः पत्रकारिता का सम्बन्ध सभी वर्गों व क्षेत्रों के मध्य होता हुआ अत्यन्त विस्तृत है और इसके साथ ही दायित्वों का दायरा भी बड़ जाता है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए पत्रकार की प्रथम निष्ठा समाज और उसके हित संरक्षण में निहित है। जहाँ वह

घटना-क्रम का तटस्थ प्रस्तोता है वहाँ शुचिता के लिए भी उसका आग्रह होना चाहिए। निष्पक्षता और निर्भीकता से दायित्व निर्वाह के लिए सर्वस्व न्योछावर की अपेक्षा उमसे होती है और आज समाचार-पत्र जनमानस को दिशा देने के लिए एक सशक्त साधन के रूप में उभरा है। यह अनुभव किया गया कि इस सशक्त साधन का किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो। लोकतन्त्र की सफलता के लिए भी पत्रिकाओं का तटस्थ व निष्पक्ष होना अत्यन्त आवश्यक है। चिह्नितकों, वकीलों तथा अन्य-व्यवसायों के सदस्यों की तरह पत्रकारों के व्यावसायिक आचरण के लिए भी कतिपय नियम और सर्मादाएँ स्थापित एवं स्वीकृत की गई हैं, ताकि पत्रकारिता अपने पथ से उच्छ्रंखल व दायित्वहीन न हो। इन नियमों को आचार संहिता कहा जाता है।

यह आचार-संहिता पत्रकारिता को पवित्र तो रखने का प्रयास करती है, साथ ही उसे निरकुशता एवं कर्तव्यहीनता से बचाती हुई पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा बनाये रखती है। गांधीजी का यह कथन इस सन्दर्भ की पूर्णरूप से पुष्टि करता है—‘समाचार-पत्र एक प्रचण्ड शक्ति है परन्तु जिस प्रकार निरकुश जल का प्रभाव गाँव के गाँव डुबो देता है और सारी फसल का नाश कर देता है, उसी प्रकार निरकुश लेखनी का प्रभाव भी सर्वनाश का सर्जन करता है। लेखनी पर यह प्रकुश जब भीतर से लगाया जाता है तभी वह लाभदायी हो सकता है।’

आचार संहिता की आवश्यकता पर गन वर्षों में विचार-विमर्श चल रहा है। एक वर्ष का मानना है कि जिस प्रकार अन्य व्यवसायों के लिए उनकी आचार-संहिता बनी हुई है उसी प्रकार पत्रकारिता के लिए भी आचार-संहिता हो परन्तु दूसरे वर्ष का मानना है कि किसी भी प्रकार की आचार-संहिता का बनाया जाना अप्रत्यक्ष रूप से पत्र व पत्रकारों की अनिध्व्यक्ति पर प्रकुश लगाना है। सन् 1977 में ‘आल इण्डिया एश्टर कान्फ्रेंस’ ने पत्रकारों के लिए एक आचार-संहिता बनाई थी। मार्च 1978 में उसे लागू करने के लिए एक निगरानी समिति भी बनाई थी परन्तु बाद में 1978 में एक नया विधेयक लोकसभा में पारित कर नई प्रेम परिपद् का गठन किया गया इसलिए उक्त आचार-संहिता पर अमल रूक गया। इस नये अधिनियम की धारा-13 (2) (बी) में यह कहा गया है कि प्रेम परिपद् समाचार-पत्रों, समाचार समितियों तथा पत्रकारों के उच्च वृत्तिक स्तर को बनाये रखने के लिए एक आचार-संहिता का निर्माण करेगी।

पूर्व भूषणा और प्रसारण मन्त्री श्री विठ्ठल चाडगिल ने 14 मई, 1986 को राज्य सभा में घोषणा की कि ‘सरकार प्रेम की आजादी के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय प्रेम परिपद् ऐसे सिद्धान्त बना सकेगी ताकि प्रेम अपने लिए आचार-संहिता स्वयं बना सके।’

अतः पत्रकारों को आचार-संहिता का स्वरूप अपने आप पर अपने द्वारा ही सजाया गया अकुशल है। न तो यह कोई कानूनी बन्धि है और न शासकीय दबाव युग की माँग के अनुरूप इसमें परिवर्तन सशोधन भी होते रहते हैं। पत्रकार-समाज ने स्वयं ही अपने लिए मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखाएँ खींची हैं। ये आचार-संहिताएँ, पत्रकारों के व्यावसायिक संगठनों, पत्रकारों की ट्रेड यूनियन द्वारा तथा विभिन्न सचिवालयों ने तैयार की हैं, जिनमें अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय पत्रकार सघ, अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूजपेपर्स एडिटर्स, अमेरिकन न्यूजपेपर्स गिन्ड और नेशनल एण्ड अमेरिकन प्रेस काउंसिल मुख्य हैं।

प्रेस परिषद् और आचार-संहिता

प्रेस आयोग की सिफारिश पर सन् 1956 में प्रेस परिषद् अधिनियम पारित हुआ। इसी नियम के अन्तर्गत बनाई गई प्रेस परिषद् के उद्देश्य विम्ब हैं—

- (1) समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को कायम रखा।
- (2) व्यवसाय के उच्च स्तर के अनुसार पत्रकारों के लिए आचार-संहिता तैयार करना।
- (3) यह व्यवस्था करना कि समाचार-पत्र और पत्रकार समाचार और केवल प्रकाशित करते समय भाषा साहित्य और सार्वजनिक मुद्दों के नियम का उल्लंघन न करे और नागरिकता के कर्तव्यों और पत्रकारों के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दें।
- (4) पत्रकारों को अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना।
- (5) उन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखना जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित में सम्बन्धित समाचारों के सकलन और वितरण में रुकावट पैदा होती है।
- (6) पत्रकारों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना।
- (7) समाचार-पत्रों की महायतार्थ आवश्यकतानुसार समाचार के सकलन और वितरण के लिए एक सामान्य अधिकरण की स्थापना।
- (8) पत्रकारिता में सम्बद्ध सभी वर्गों के कर्मचारियों के मध्य सहयोग और सामंजस्य की स्थापना। अव्यवहारी कारोबार में एकाधिकार की रोकथाम।

इस प्रकार प्रेस परिषद् अपने उद्देश्य को पालना करती हुई उन समाचार-

पत्रों और पत्रकारों के विरुद्ध शिकायतों को ज़ांच करती है जिन पर पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप होता है।

समय-समय पर विभिन्न पत्रकार संगठनों, संस्थाओं द्वारा अनुदेशित आचार-संहिताएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन 1953

1953 में आयोजित अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन के अन्तर्गत पत्रकारों के लिए निम्न आचार-संहिता पारित की गई—

1. समाचार-पत्र लोकमत तैयार करने का प्रधान साधन है अतः पत्रकारों को अपनी दृष्टि और पेशे को पुनीत कर्तव्य मानकर समाचार देते समय निष्ठावान एवं न्याय-निष्ठ होना चाहिए।
2. मूल मानवीय और सामाजिक अधिकारों को उचित आदर देते हुए लोकहित की रक्षार्थ एक सेवार्थ पत्रकार को सदैव तत्पर रहना चाहिए।
3. जातीय, धार्मिक तथा आर्थिक भेदों से उत्पन्न सामाजिक विध्वानों के समाचार देते समय पत्रकारों को खासतौर से अपने ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिए। अर्थात् पत्रकार को किसी भी पक्ष से जुड़कर नहीं बरन् अपने आपको (दोनों पक्षों से) पृथक् रखकर समाचार देना चाहिए ताकि समाचार निष्पक्ष हो।
4. पत्रकार को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी छप रहा है उसमें तथ्य तोड़-भरोड़ कर न लिखा जाए और न ही आवश्यक तथ्य को छिपाया जाए। जो भी गलत या सही प्रकाशित हो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी पत्रकार स्वयं ले और अगर लेने में असमर्थ हो तो उसका विशेष रूप से उल्लेख करे।
5. अफवाह और अपुष्ट समाचारों को अफवाह व अपुष्ट समाचार ही लिखा जाए।
6. द्वितीय गोपनीयता पत्रकारों का गुण है और उनकी प्रतिष्ठा इसी पर निर्भर है। विश्वासघात न करके एक अच्छे पत्रकार को पत्रकारिता सम्बन्धी विष्टाचार की रक्षा करनी चाहिए अर्थात् पत्रकार पर विश्वास करके जिन व्यक्ति या संस्था ने खबर बताई है तो उसका नामोल्लेख पत्रकार न करें। विशेषकर उस स्थिति में जबकि नामोल्लेख से उस व्यक्ति या संस्था का अहित होता हो तथा किसी व्यक्ति ने अपने नामोल्लेख की मनाही की हो। यदि पत्रकार ऐसा करता है तो यह विश्वास-

- पात होगा और इससे वह अपनी निजी माल ही नहीं सोता बरन् समाचार-पत्र व न्यूज-एजेन्सी को नुकसान पहुँचाना है ।
- 7 वैयक्तिक-हितो का पत्रकारिता में पोषण नहीं होना चाहिए अर्थात् किसी व्यक्ति-विशेष के लिए समाचार या टिप्पणी देना अनुचित है ।
 - 8 गलत बातों का तुरन्त व स्वेच्छा से खण्डन करना चाहिए । अगर कोई पाठक उस और ध्यान आर्जित करे तो तुरन्त ही गलत बात का प्रति-वाद प्रकाशित करना चाहिए ।
 - 9 पत्रकार का सम्पर्क समाज के प्रभावशाली लोगों में भी होता है अतः पत्रकार को कभी भी अपने पद का उपयोग या दुरुपयोग गैर-पत्रकारी कामों के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पूर्णतया अवाञ्छनीय है ।
 - 10 किसी भी घटना को प्रकाशित करने या न करने के लिए धूम मँगाना या स्वीकार करने से बड़कर पत्रकार के लिए और कोई बुरी बात नहीं है । समाचारों का मकलन और प्रकाशन की स्वतन्त्रता तथा उचित टीका-टिप्पणी करने का अधिकार ऐसे मिद्धान्त हैं जिनकी रक्षा के लिए हर पत्रकार को तत्पर रहना चाहिए ।
 - 11 पत्रकार अपने अ-य सहयोगी पत्रकारों की अपने अनुचित उपायों से उसकी नौकरी छुड़ाने का प्रयत्न न करे अर्थात् सहयोगियों की वृत्ति खराब न करे । न ही अपने कार्य का अनाधिकार या गलत उपयोग करे ।
 - 12 पत्रकारों को अपने सहयोगी पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्तियों का हमेशा विशेष सम्मान करना चाहिए ।
 - 13 ध्वत्किवाद-विवाद समाचार-पत्रों में जारी रखना अपनी वृत्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना जाना चाहिए अर्थात् ऐसे वाद-विवाद जो पूर्णतः वैयक्तिक हैं तथा जिसमें समाज का कुछ भी हित नहीं होता उन बिना कारण सार्वजनिक महत्त्व का नहीं बनाया जाना चाहिए ।
 - 14 किसी के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अफवाहें या निराधार चर्चा प्रकाशित करना पत्रकारिता की भर्षदा के प्रतिकूल है । अगर जनता किसी व्यक्ति विशेष के छापने पर जोर दे तो ऐसी स्थिति में पत्रकार को सन्तुलित होना चाहिए अर्थात् किसी निजी-व्यक्ति के सम्बन्ध में छापते समय पुष्ट समाचार अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो पत्रकार की प्रतिष्ठा को तो ठेम भोगी ही साथ ही उसे अदालत का सामना करना पड़ सकता है ।

15 समाचार-पत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिसमें दुष्कर्म और अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो ।

(2) इंग्लैण्ड (ब्रिटिश) के पत्रकारों के राष्ट्रीय संघ की आचार संहिता

पत्रकारों के राष्ट्रीय मध्य ग्रेट ब्रिटेन ने जो आचार-संहिता बनाई, उसके मुख्य अंश निम्न हैं—

- 1 सहयोगी पत्रकारों से वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा आपको उनसे प्रपेक्षित है ।
- 2 मान-हानिपूर्ण लेख छापने का अधिकार, प्रदासत की अवस्था और प्रति-लिब्धाधिकार (कारोराइट) का हमेशा ध्यान रखे ।
- 3 अदालती कार्यवाही को छापते समय भी सब पक्षों के साथ न्यायोचित व्यवहार होना चाहिए ।

(3) अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज-पेपर एडिटर्स

- 1 समाचारों या लेखों में जा कुछ भी दिया गया हो, उसके अनुरूप ही शीर्षक होना चाहिए ।
- 2 समाचारों में टीका-टिप्पणी न हो और यदि हो तो उसके लिखने वाले का नाम अवश्य होना चाहिए ।
- 3 पत्रकारों को जनहित का हमेशा ध्यान रखना चाहिए । उसके सामने पाठकों की पसन्द या नापसन्द गौरव होनी चाहिए । क्योंकि कई बार पाठकगण निम्न स्तर की निन्दा-वर्चा पढ़ना पसन्द करते हैं पर इससे समाज को क्षति पहुँचती है ।
- 4 त्रुटिपूर्ण समाचार का खण्डन शीघ्र भूल सुधार में प्रकाशित हो । भूल सुधार के लिए सदा तत्पर रहना अच्छे पत्रकार का गुण है ।
- 5 समाचार-पत्रों का सर्वप्रथम कर्तव्य लोकमत का प्रतिनिधित्व और मानवीय जीवन को उसकी समूची सार्वकता के साथ प्रतिबिम्बित करना है । इस कर्तव्य को पूर्ति के लिए पत्रकार एक विलक्षण प्रतिभा और असाधारण अथवा मौलिक योग्यता की माँग करती है ।
- 6 पत्रकार न केवल समाज को जानवारी देने के लिए घटनाओं के वृत्तान्त, को लिपिवद्ध करता है, अपितु वह समाज का प्रतिनिधि और परामर्श-दाता भी होता है ।
- 7 सार्वजनिक हित ही एक ऐसा मेलु है, जिसे प्रेरित होकर कोई भी पत्र निर्माता के साथ बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर सकता है ।

- 8 प्रेम की स्वतन्त्रता सारी मानवता का जन्मसिद्ध अधिकार है और पत्रकार इस अधिकार का सतर्क और निडर रक्षक है ।
- 9 पत्रकारिता को सार्थक करने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकार अपने पाठकों से कभी विश्वासघात न करे, अर्थात् यथा तथ्य को वह उनके सामने रने और उसकी लेखनी से वही शब्द निकले जिसके सत्य एवं न्यायसंगत होने का साक्षी उसकी अन्तरात्मा हो ।

(4) अमेरिकन न्यूज पेपर गिल्ड

1. समाचारों की भाँड में किसी का प्रचार नहीं होना चाहिए ।
2. स्वतन्त्र बुद्धि, आत्म-सम्मान और निष्पक्षता, ये गुण पत्रकारों में आवश्यक हैं ।
3. समाचार सम्पादन-सम्पादकीय विभाग में होना चाहिए, व्यवस्था विभाग में नहीं । क्योंकि व्यवस्था विभाग पत्र के आर्थिक पत्र की अधिक चिन्ता करता है । अतः उसके पक्षपातपूर्ण हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है ।
4. जब पत्रकार पर विश्वास करके उसे कोई रहस्य बताया जाए तब उन रहस्य का या रहस्य बताने वाले का अर्थान् मूल का उद्घाटन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि अशान्त में भी नहीं । यही नहीं, जब तक न्यायालय से फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी नहीं मानना चाहिए ।
5. पत्रकारों को राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आनुवंशिक या धार्मिक पूर्वाग्रह के दोषों में मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए । औचित्य और तथ्य की सर्वदा रक्षा अपेक्षित है । अर्थात् पत्रकार अपने आपको किसी राजनीतिक दल, धार्मिक-हित, सभाज-विशेष, धर्म-विशेष या जाति-विशेष से प्रतिबद्ध कर पक्षपात न करे ।

(5) नेशनल एण्ड पेन-अमेरिकन प्रेस काँग्रेस

इसने पत्रकारों के लिए "दस आदेश" स्थापित किये हैं, जिनके द्वारा वे अपना कर्तव्य पथ निश्चित कर सकते हैं—

1. अपने पत्र के नाम पर गर्व कीजिए । जोग के साथ अपना उत्साह दिखाने पर व्यर्थ धमण्ड मत कीजिए ।
2. पत्रकारों में जड़ना मृत्युवत है । एक ही लकीर को पीटते रहना बौद्धिक मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं ।

3. ध्रुवमर ने खोइये, बहुक्त बनिये । नवीनता प्रदर्शन से मत चूकिए ।
- 4 व्यक्ति से बड़ा समाज है, सरकार से बड़ा देश है। मनुष्य नश्वर है, सत्या और सिद्धान्त अमर हैं ।
- 5 आर्थिक और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में, आश्रमण का सागना आश्रमण से कीजिए । शान्ति से रहना हो तो अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए । तलवार और पैसा दोनों कलम के दुश्मन हैं । आवश्यकता पड़े तो सम्मान रक्षा के लिए तन और धन दोनों की बलि दीजिए ।
- 6 दृढ़ रहिए पर हठी नहीं, परिवर्तनशील बनें पर कमजोर नहीं । उदार बनें पर विवेक से काम लें ।
- 7 स्पष्टवादी, सगर्व और स्फूर्त रहें तभी आपका सम्मान होगा । कमजोरी परलोक के लिए अच्छी है नहीं तो नपुमकता ही है ।
- 8 जो कुछ भी छपा हो उन सबकी जिम्मेवारी लीजिए । ध्यर्थ दोषारोपण पाप है । प्रतिष्ठा की हानि करने वाली चीज न छापिए । घूस लेना पाप है ।
9. किसी का विज्ञापन लेख की तरह छापना पाप है । साथी पत्रकार की जगह लेने की इच्छा रखना, कम वेतन पर काम करके साथी पत्रकार की रोजी मारना भी पाप है । रहस्य को जतन से रखिए । पत्र-स्वातन्त्र्य व प्रेस की शक्ति का व्यक्तिगत उपयोग कभी न कीजिए ।
10. अधिक से अधिक मित्र बनाए । मित्र ऐसे हो जो आपके आदर के पात्र हों या जिनकी मित्रता से आपका सम्मान बढ़े । कुछ लोग आपसे शत्रुता भी करेंगे लेकिन आप निर्भीक और नि स्वार्थ होकर अपना काम करते रहे ।

(6) पत्र सम्पादक सम्मेलन-1976

घाणतकाल (1976) के दौरान पत्रकारिता के सम्बन्ध में अखिल भारतीय पत्र सम्पादक सम्मेलन में सत्रह सम्पादकों की समिति ने पत्रकारों के लिए आचार-संहिता बनाई । यह आचार-संहिता 8 जनवरी, 1976 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई, इसके अनुसार—

1. अपने कर्तव्यों के पालन में पत्रकार आपारभूत मानवीय और सामाजिक अधिकारों को सर्वाधिक महत्त्व देंगे और समाचार तथा आलोचना में सद्भाव और निष्पक्ष व्यवहार को व्यावसायिक उत्तरदायित्व के एक अंग के रूप में स्वीकार करेंगे ।

2. पत्रकार और समाचार-पत्र राज्य तथा जनता की उन गतिविधियों पर प्रकाश डालने और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिनमें राष्ट्रीय एकता भारत की भ्रष्टाचलता तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बल मिलता है ।
- 3 पत्रकार और समाचार-पत्र उन समाचारों व टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे ऐसे तनावों को बल मिलता हो, जो नागरिक उथल-पुथल, विद्रोह और बगावत की संभावना पैदा करते हो । हिंसा की खुले शब्दों में निन्दा करनी चाहिए ।
4. पत्रकार और समाचार-पत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि समाचार तथ्यात्मक हो । किसी भी तथ्य को तोड़ा-भरोडा नहीं जाएगा न ही ऐसे समाचारों को प्रकाशित किया जाएगा जो असत्य या अविश्वसनीय हो ।
- 5 ऐसी काल्पनिक रिपोर्टें प्रकाशित न हो जो उत्तेजनात्मक हो अथवा जिनसे अर्थ का अनर्थ होता हो । गलत पाए जाने वाली रिपोर्टें या टिप्पणी का संशोधन प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा ।
6. विश्वास का मदा आदर किया जाएगा । व्यावसायिक गोपनीयता की सदा रक्षा होगी ।
7. गैर-पत्रकारिता उद्देश्यों की सूचना एकत्रित करने के लिए पत्रकार अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे और न ही उनका व्यक्तिगत स्वार्थ उनके व्यावसायिक आचरण को प्रभावित करेगा ।
8. पत्रकारों के लिए किसी भी समाचार या टिप्पणी का प्रकाशन करने या न करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन अथवा घूस स्वीकार करने या उसकी मांग करने से बचकर और बुरी चीज न होगी ।
- 9 पत्रकार और समाचार-पत्र लोकहित के अतिरिक्त किसी भी वाद-विवाद में नहीं पड़ेंगे ।
10. पत्रकार और समाचार-पत्र प्रफवाह या गप्प या व्यक्तियों के जीवन से सम्बन्धित सदिग्ध समाचारों का प्रकाशन नहीं करेंगे ।
- 11 सामाचार-पत्र ऐसी सामग्री (विज्ञापन सहित) भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील हो या जिनमें दुष्कर्म, अपराध या भैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता हो ।
- 12 पत्रकार और समाचार-पत्र लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता एवं समाजवाद के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बहावा देंगे और उनको प्रतिबिम्बित करेंगे ।

13. पत्रकार और समाचार-पत्र ऐसे दंगों के समाचार या विस्तृत विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे जो किसी जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीय या भाषायी गुट से सम्बन्धित हों तथा अधिकारिक पुष्टि के बिना सम्मिलित गुटों की मझ्या या पहचान का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करेंगे ।
14. पत्रकार और समाचार-पत्र ऐसी सूचना या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे भारत की अखण्डता और देश की सुरक्षा या विदेशों से हमारे मंत्री सम्बन्धों को घाघात पहुँचता हो ।
15. प्रेस लोकतान्त्रिक ढाँचे का आवश्यक अंग, संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम और जनमत बनाने का साधन है । अतः पत्रकारों को अपने व्यवसाय को एक ट्रस्ट के रूप में लेना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पत्रकारों को घटनाओं का सार्थक, सही व्यापक और विश्वसनीय ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए ।

(7) राष्ट्रीय पत्रकार संघ का घोषणा पत्र

दिल्ली पत्रकार संघ द्वारा दिसम्बर, 1982 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्न 15 सूत्रीय आचार-संहिता प्रस्तावित की गई—

1. अपने विचारों, समाचारों के प्रकाशन या उनके प्रस्तुतिकरण में सम्पादक सत्यान के अन्दर या बाहर किसी से प्रभावित नहीं होगा ।
2. समाचार-पत्र सत्कारुट दल, उसकी सरकार या किसी अन्य राजनीति दल अथवा व्यक्ति का प्रचार माध्यम नहीं बनेगा । दलों से जुड़े समाचार-पत्र भी दलीय या व्यक्तिगत राजनीतियों के हित-साधन के लिए समाचारों को दबाएँगे या तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे नहीं ।
3. सांप्रदायिक तनाव भड़काने की आशंका अथवा शत्रु देश को मदद पहुँचाने की सम्भावना वाली खबरों के अलावा, सम्पादक किन्हीं तथ्यों के प्रामुखिकरण में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे ।
4. निराधार, सनसनीखेज, दुर्भावनापूर्ण समाचार नहीं छापे जाएँगे । विवादास्पद अथवा सदिग्ध समाचारों की प्रकाशन में पूर्व पुष्टि की जाएगी । निजी जीवन से सम्बन्धित समाचार केवल तभी प्रकाशित किया जाएगा, जब ऐसा करना अनहित में हो ।
5. प्रत्येक समाचार-पत्र में एक परामर्शदात्री कर्मचारी परिषद् होगी जिसमें सम्पादकीय विभाग और प्रेस के सभी अंगों के लोग रहेंगे । यह परिषद् समय-समय पर इस बात की समीक्षा करेगी कि आचार-संहिता के अनुसार

पत्र का प्रकाशन हो रहा है अथवा नहीं। सम्पादक और सम्पादकीय विभाग के अन्य सहयोगी पत्र-मालिक और सम्पादक के बीच विवाद के मामले भी इसी परिपद के सम्मुख रखे जाएंगे।

6 ऐसी परिपद का गठन होने तक कोई भी विवाद पत्रकारों की एक उप-युक्त सस्था के सुपुर्दे किये जाएंगे।

7 सम्पादक या सम्पादकीय विभाग के किन्हीं सदस्य के साथ राजनीतिज्ञों, शासकीय अधिकारियों, विज्ञापकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई विवाद एतदर्थ गठित एक विधायी सस्था के गामने ले जाया जाए।

8 समाचार-पत्र के प्रबन्धकों के दृष्टिकोण के निपरीत विचार रखने वाले राजनीतिज्ञों के विचारों के प्रकाशन में तोड़-मरोड़ या हदसे ज़ेमा रख नहीं अपनाया जाएगा। मसद या विधानममा अथवा कहीं बाहर राजनेताओं द्वारा दिये मापणों को सही परिप्रक्षय में प्रकाशित किया जाएगा।

9 राजनेता और सार्वजनिक समारोहों के अन्य आयोजक उनकी सभाओं, रैली आदि की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों तथा प्रेस छायाकारों को संरक्षण देंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेये। किसी समाचार के प्रकाशन की प्रतिक्रिया-स्वरूप घेरख या दबाव का कोई अन्य हथकण्डा नहीं अपनाया जाएगा।

10. भारत एवं राज्य शासनों के सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी समाचार-पत्रों की समाचार एकत्र करने की जवाबदारी महसूस करेंगे और इस संहिता की धारा 3 के अनुसार समाचारों के स्वतन्त्र प्रवाह में बाधक नहीं बनेंये। तदनुसार जिन दो स्थितियों में सरकार समाचार का प्रकाशन-अवतारण रूकवाना चाहती है उसकी अपरिहार्यता के सम्बन्ध में सम्पादक को सन्तुष्ट करेंगे। वित्तीय सस्थान और विज्ञापनदाना सम्पादकीय नीति को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। किसी समाचार के गलत होने की दशा में उसका प्रतिवाद भेजा जाएगा जिसे सम्पादक उचित रूप में प्रकाशित करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो वह अपनी टिप्पणी भी साथ में देंगे। ऐसे प्रकाशन के लिए जिम्मेदार पत्रकार से उसका प्रतिवाद, खण्डन या खेद प्रकाशन छापने से पूर्व सम्पादक द्वारा परामर्श किया जाएगा।

11. कानून में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि पत्रकार को अपनी सूचना का द्योत प्रवाह न करने के लिए विधायी संरक्षण प्राप्त हो सके।

12. जब तक समदीय विशेषाधिकार पूरी तरह परिभाषित नहीं हो जाते, सम्बन्धित सत्रैधानिक प्रावधानों को इस तरह सशोधित किया जाए कि गनद या विधानमण्डलों की कार्यवाही के प्रकाशन सम्बन्धी सभी विवाद एक उपयुक्त समिति को सौंपे जाएँ। जब तक ऐसी समिति का गठन नहीं होगा विशेषाधिकार हटाने के किसी मुद्दे पर कार्यवाही के पूर्व पत्रकारों को सदन के समक्ष अपना बचाव करने का अवसर दिया जाए।
- 13 ससद और विधानमण्डलों की कार्यवाही का प्रकाशन देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है ताकि जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के व्यवहार के बारे में जान सके। अतएव पीठासीन अधिकारियों को सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग में जानबूझ कर अवरोध नहीं आने देना चाहिए। यहाँ तक कि कार्यवाही से विलोपित हिस्सों का भी प्रकाशन होने देना चाहिए ताकि पाठक और अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाएँ और मतदाता सतदीय व्यवहार का ज्ञान प्राप्त कर सकें।
- 14 पत्रकार, समाचार-पत्र और व्यावसायिक संगठन का यह कर्तव्य होगा कि वे सूचना का स्वतन्त्र प्रवाह सुनिश्चित करें। यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित नयी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के सम्बन्ध में यह और भी महत्त्वपूर्ण होगा।
- 15 प्रेस को स्वतन्त्रता तथा पत्रकारिता की उच्चतम परम्पराओं की अन्य मान्यताओं को प्रभावित करने वाले मामलों में पत्रकार व्यक्तिशः और व्यावसायिक संगठन अन्य संगठनों की सहायता या सहकर प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

(8) आस्ट्रेलियन पत्रकारों की आचार-संहिता

1. समाचार प्रकाशित करने और टीका-टिप्पणी करने में पूर्ण ईमानदारी बरतिये।
2. आवश्यक तथ्यों को छिपाईए मत और उल्लेख न करके या गलत बात पर जोर देकर सत्य को मत तोड़िए-नरोड़िए।
3. किमी भी दशा में विश्वासघात न कीजिए।
4. सहयोगियों से सदैव भ्रातृत्व का व्यवहार कीजिए। सहयोगी का कोई अनुचित उपयोग न कीजिए।
5. घूम कभी मत लीजिए। न्याय बुद्धि पर व्यक्तिगत स्वार्थ को कभी भी प्रभावी न होने दीजिए।

6. समाचार-चित्र या दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सदैव केवल उचित मार्ग का अवलम्बन कीजिए ।
7. कोई व्यक्तिगत बातचीत अथवा चित्र प्रकाशित करने के पूर्व उसके देने वाले पर यह स्पष्ट कर दीजिए कि उसका उपयोग पत्र में किया जा रहा है । अपने आचरण से अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा तथा पूर्णता के प्रति जनता का विश्वास प्राप्त कीजिए ।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय आचार-संहिता

यूनेस्को के तत्त्वाधान में प्राग तथा पेरिस में 1983 में आयोजित चौथी मलाहकार समिति की बैठक में पत्रकारिता की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक आचार-संहिता का निर्माण किया । इसमें थमजीकी पत्रकारों तथा क्षेत्रीय सगठनों ने भाग लिया । इसका स्वरूप इस प्रकार है—

1. जनसंचार के किसी भी माध्यम से पूर्ण तथा तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का जनता का अधिकार है ।
2. मरत्य तथा प्रमाणिक सूचना प्रेषण अधिकार का पत्रकार पूर्ण ईमानदारी तथा उद्देश्यात्मक वास्तविकता के साथ निर्वाह करें । जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक तथ्यों को बिना तौड़े-मरोड़े पूरी सजगता के साथ इस तरह प्रस्तुत किया जाय जिससे वे स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें ।
3. पत्रकार का सामाजिक दायित्व यह माँग करता है कि वह परिस्थितियों के अनुरूप वैयक्तिक नैतिक चेतना से प्रेरित होकर कार्य करे ।
4. पत्रकार की सामाजिक भूमिका उमसे ध्यावसायिक निष्ठा के उच्च स्तर को बनाने रखने की अपेक्षा करती है जो उसे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने तथा जनकल्याण के प्रतिबन्ध निजी स्वार्थों को प्रोत्साहित करने की अनुमति नहीं देती ।
5. पत्रकारिता के व्यवसाय की यह माँग है कि पत्रकार सूचना तक जनता को पहुँच तथा संचार माध्यमों में उसकी सहभागिता को सशोधन के अधिकार सहित बढ़ावा दे ।
6. पत्रकार व्यक्तिगत गोपनीयता तथा मानवीय प्रतिष्ठा के प्रति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपवचन, मिथ्यापवाद, अपलेख और मानहानि से बचते हुए सम्मान भाव रखना है ।
7. पत्रकारों का ध्यावसायिक स्तर राष्ट्रीय समुदाय और इसकी प्रजातान्त्रिक

मर्यादें तथा जन घाटशों के प्रति सम्मान भाव रखने की अपेक्षा रखता है ।

8. एक सच्चा पत्रकार मानवीय शाश्वत मूल्यों और इनसे भी ऊपर शान्ति, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रति वचनबद्ध होता है ।
9. मानवता के शाश्वत मूल्यों के प्रति नैतिक निष्ठा पत्रकारों को इस बात के लिए आह्वान करती है कि वे मानवता विरोधी प्रमुख बुराइयों तथा युद्ध निवारण जो मानवता के लिए दुःखदायी है उसे प्रोत्साहन न दें ।
10. पत्रकार का यह विशेष दायित्व है कि वह सूचना के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लोकतान्त्रीकरण की प्रक्रिया, विशेषकर जनता व राष्ट्रों के मध्य शान्ति सद्भाव तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के रक्षण तथा प्रोत्साहन को विकसित करें । साथ ही नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था को भी प्रोत्साहन दे ।

वर्तमान में समाचार-पत्रों की हालत देखते हुए वास्तव में आज सार्वदेशिक संचार-संहिता की अत्यन्त जरूरत है । जो समाचार-पत्रों पर विभिन्न दबावों का निपेच कर सके और उनके कृतित्व का नीर-क्षीर विवेचन कर सके । उन पर मर्यादाओं का प्रकुश रख सके और प्रकारान्तर में सच्चे अर्थों में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का रक्षक बन सके जिससे समाचार-पत्र पूर्णरूप से अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें ।



पालेकर अवार्ड व बछावत आयोग

(अ) पालेकर अवार्ड

स्वतन्त्रता के बाद भारत में पत्रकारिता का विकास तीव्र गति में हुआ। देश में समाचार-पत्रों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती गई परन्तु समाचार-पत्रों के मालिकों ने इस व्यवसाय को उद्योग मानकर विज्ञापन-दरों में दिनों-दिन बढ़ोतरी करके लाभार्थ तो कमाया, परन्तु समाचार-पत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के प्रति शोषण की नीति अपनाये रखी। इससे इस उद्योग में काम करने वालों की स्थिति व आर्थिक हालत सदा ही चिन्ताजनक रही। अतः इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार के श्रम मन्त्रालय द्वारा 11 जून, 1975 को पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के वेतनमान निर्धारित करने के लिए एक वेतन बोर्ड का गठन किया गया। परन्तु इस वेतन बोर्ड का पत्रकारों को कोई विशेष लाभ नहीं मिला और ना ही पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कोई मदद मिली।

अतः पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पत्रकार सगठनों द्वारा पुनः देश में पत्रकारों के वेतन निर्धारित करने के लिए यह मांग की गई कि सरकार पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, देश भर के सभी पत्रकारों के लिए समान वेतन-शृंखला निर्धारित करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करे। पत्रकारों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 फरवरी, 1979 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री डी. जी. पालेकर की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। इस ट्रिब्यूनल को केन्द्रीय सरकार ने समाचार-पत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और पत्रकारों की नौकरों में सुधार लाने हेतु अब तक चल रहे 1955 के कानून में संशोधन करने के लिए पालेकर ट्रिब्यूनल को कार्यभार सौंपा।

पालेकर ट्रिब्यूनल ने देश के विभिन्न भागों में लगभग 15-20 बैठकें आयोजित की तथा विभिन्न समाचार-पत्रों के सगठनों के सुझाव आमन्त्रित किए। इन सुझावों व बैठकों में आयोजित विचारों के आधार पर अगस्त, 1980 में इस ट्रिब्यूनल ने सरकार को पत्रकारों के वेतनमान निर्धारित करने और आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सरकार ने इस रिपोर्ट में कुछ

परिवर्तन कर दिग्दर्शक, 1980 में एक अध्यादेश जारी कर इस ट्रिब्यूनल को पालेकर अर्वाइंड का दर्जा दिया तथा समाचार-पत्रों के मालिकों को निर्देश दिया कि समाचार-पत्र में कार्यरत पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों को पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा सुझाई गई वेतन तालिका के अनुसार वेतन दिया जाए और तभी से इस पालेकर ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये फंसले को पालेकर अर्वाइंड के नाम से जाना जाने लगा ।

पालेकर अर्वाइंड की सिफारिशें—

अपनी रिपोर्ट में पालेकर ट्रिब्यूनल ने समाचार-पत्र कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित किया—

(अ) पत्रकार कर्मचारी

(ब) गैर-पत्रकार कर्मचारी

1. अपनी रिपोर्ट में ट्रिब्यूनल ने कहा है कि समाचार-पत्र में काम करने वाले पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवा-स्थिति में सुधार के लिए उद्योग अधिनियम 1955 के अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत लिया जाता है । साथ ही समाचार मितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी ट्रिब्यूनल द्वारा समाचार-पत्रों के कर्मचारियों के लिए की गई सिफारिशें लागू होंगी । इसके साथ ही अंशकालीन संवाददाता को भी पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के अन्तर्गत लाभ मिलेगा, लेकिन अंशकालीन संवाददाता उसी को माना जाएगा जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता होगा । अंशकालीन संवाददाता एक से अधिक समाचार-पत्रों के लिए कार्य कर सकेगा जब तक कोई पत्र उसे पूर्णकालीन संवाददाता के पद पर नियुक्ति नहीं देगा । अंशकालीन संवाददाता को पूर्णकालीन संवाददाता के वेतनमान का एक तिहाई वेतन और स्वीकृत सभी भत्ते दिए जाएंगे ।

2. पालेकर ट्रिब्यूनल ने पूर्णकालीन पत्रकार कर्मचारियों को उनके [कार्य के अनुसार तथा समाचार-पत्रों की धारा के अनुसार निम्न भागों में विभाजित करके तालिका के अनुसार कर्मचारियों की वेतन शृंखला निश्चित की—

- श्रेणी 1 मुख्य सम्पादक, उपप्रमुख सम्पादक
- (अ) मुख्य द्विबीजन ब्यूरो, सम्पादक और सम्पादक के समकक्ष अन्य पद—
- (ब) विशेष संवाददाता, विदेशी भाषा में काम करने वाला संवाददाता, समाचार सम्पादक, मुख्य रिपोर्टर, प्रांतीय मुख्य ब्यूरो ।

- श्रेणी 2 मुख्य उपसम्पादक, वरिष्ठ संवाददाता
- (अ) वरिष्ठ उपसम्पादक

- श्रेणी 3 उपसम्पादक, संवाददाता

सावित्रा मय्या 1 - - - - - पालेकर ट्रिस्टुल द्वारा कार्यरत गणार्थ वेतन सारिका
 भ्रमणीवी पत्रकार

सारिणी 1	वेतनमान	वर्ष
पत्र उद्योग श्रेणी	कर्मचारी श्रेणी	4
1	2	3
1 वी	वेतनमान प्रतिवर्षित	10
2.5 करोड रुपये	1 ए. रु. 1800-150-2400-175-2925-200-3525	11
या अधिक	1 बी रु. 1550-120-2030-140-2590-160-3070	13
	2 रु. 1400-90-1760-100-2160-130-2550-150-2850	16
	2 ए. रु. 1100-75-1475-90-1925-100-2225-135-2630	18
	3 रु. 1000-65-1325-75-1700-90-2060-105-2480	18
	4 रु. 800-40-1000-45-1225-55-1445-6-1705	18

1	2	3	4
1 ए		वेतनमान अनिर्धारित	
10 करोड़ रुपये या अधिक किन्तु 25 करोड़ से कम	1 ए	₹. 1700-140-2260-165-2755-185-3310 (4) (3) (3)	10
	1 बी	₹ 1450 110-1890-135-2430-155-2895 (4) (4) (3)	11
	2	₹ 1350-85-1690-90-2050-125-2425-145-2715 (4) (4) (3) (2)	13
	2 ए	₹. 1050-70-1400-85-1825-95-2110-130-2500 (5) (5) (3) (3)	16
	3	₹ 950-60-1250-70-1600 85-1940-100-2340 (5) (5) (4) (4)	18
	4	₹. 750-35-925-40-1125-50-1425-60-15565 (5) (5) (4) (4)	18
	1	वेतनमान अनिर्धारित	
4 करोड़ रुपये या उससे - अधिक किन्तु 10 करोड़ से कम	1 ए	₹ 1600-125-2100-150-2550-180-3090 (4) (3) (3)	10
	1 बी	₹. 1350-100-1550-125-2250-150-2700 (4) (4) (3)	11

1	2	3	4
2	₹ 1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2265	(4) (4) (3) (2)	13
2 ए	₹. 950-60-1250-80-1650-90-1920-25-2295	(5) (3) (3)	16
3	₹. 900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200	(5) (4) (4)	18
4	₹ 700-30-850-35-1025-45-1205-55-1425	(5) (5) (4) (4)	18
2	2700 रुपये से कम नहीं		
1 ए	₹ 1400-100-1800-125-2175-150-2625	(4) (3) (3)	10
1 बी	₹. 1335-95-1715-120-2195-140-2615	(4) (4) (3)	11
2	₹. 1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380	(4) (4) (3) (2)	13
3	₹ 850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060	(5) (4) (4) (4)	18
4	₹. 650-30-800-35-975-45-1155-50-1335	(5) (5) (4) (4)	18

2 करोड़ रुपये या उससे अधिक किंतु 4 करोड़ से कम

1	2	3	4
3		2400 रुपये से कम नहीं	
1 ए	1 करोड़ रुपये या उससे अधिक किन्तु 2 करोड़ तक कम	₹ 12.50-90-1610-100-1910-125-2285 (4) (3) (3)	10
1 बी		₹ 1200-70-1480-80-1800-100-2100 (4) (4) (3)	11
2		₹ 1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 (4) (4) (3) (2)	13
2 ए		₹ 850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 (5) (5) (3) (3)	16
3		₹ 800-35 975 45-1200-55-1420-65-1680 (5) (5) (4) (4)	18
4		₹ 600-25-725-30-875-35-1015-40-1175 (5) (5) (4) (4)	18
4		2200 रुपये से कम नहीं	
1 ए	50 लाख रुपये या उससे अधिक किन्तु 1 करोड़ तक कम	₹ 1180-80-1420-90-1690-110-2020 (4) (4) (3)	10
1 बी		₹ 1050-50-1250-60-1490-70-1700 (4) (4) (3)	11

1	2	3	4
2	₹. 900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585	(4) (4) (3) (2)	13
2	₹. 750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510	(5) (5) (3) (3)	16
3	₹. 615-30-765-40-965-55-1185-60-1425	(5) (5) (4) (4)	18
4	₹. 550-25-675-30-825-35-965-40-1125	(5) (5) (4) (4)	18

5	1	1500 रुपये से कम नहीं	
25 लाख रुपये या उससे अधिक किन्तु 50 लाख से कम	1 बी	₹. 900-45-1080 50-1280-55-1445	11
	2	(4) (4) (3)	13
	3	₹. 825-40-985-45-1165-50-1315-55-1425	18
	4	(4) (4) (3) (2)	18
	3	₹. 540-25-665-30-815-35-955-40-1115	18
	4	(5) (5) (4) (4)	18
	4	₹. 400-20-600-25-725-30-845-35-985	18
		(5) (5) (4) (4)	18

1	2	3	4
6		1200 रुपये से कम नहीं	
10 लाख रुपये या उससे अधिक किन्तु 25 लाख से कम	1 वी	₹ 700-40 860-45-1040-50-1190 (4) (4) (3)	11
	2	₹. 625-35-765-40-925-45-1060-50-1160 (4) (4) (3) (2)	13
	3	₹ 475-20-575-25-700-30-820-35-960 (5) (5) (4) (4)	18
	4	₹. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	18
7		1150 से कम नहीं	
10 लाख रुपये या उससे कम	1 वी	₹. 650-35-790-40-950-45-1085 (4) (4) (3)	11
	2	₹ 540-30-660-35-800-40-920-45-1010 (4) (4) (3) (2)	11
	3	₹ 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	18
	4	₹ 400-15-475-20-575-25-675-30-795 (5) (5) (4) (4)	18

इस प्रकार उपरोक्त दशादि गई तानिवा के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रेकर ट्रिब्यूनल ने वेतनमान देने का सुझाव दिया गाष ही निम्न महँगाई-भत्ता, सकानर्नब राधा प्रोर रात्रि सेवा-भत्ता भी निम्न तालिका के अनुसार देने का महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया ।

सारिणी-II

महँगाई भत्ते की दरें

वर्ष 1960 = 100 के इंडेक्स (363) के आधार पर प्रति 6 अक की बढोत्तरी पर देय राशि

मूल वेतन के आधार पर

300 रुपये तक	5-00 रुपये
301 से 350 रुपये	5-25 रुपये
351 से 400 रुपये	5-50 रुपये
401 से 450 रुपये	6-00 रुपये
451 से 500 रुपये	6-50 रुपये
501 से 550 रुपये	7-00 रुपये
551 से 700 रुपये	8-00 रुपये
701 से 1000 रुपये	9-00 रुपये
1001 से 1150 रुपये	9-50 रुपये
1151 से 1300 रुपये	10-00 रुपये
1301 से 1609 रुपये	11-00 रुपये
1601 या उगते अधिक पर	11-00 रुपये

तालिका III

मकान किराया भत्ते की वरें

क्षेत्र	श्रेणी 1	श्रेणी 1 ए	श्रेणी 1	श्रेणी 11
वेतन रपया	वेतन का 8 प्रतिशत	वेतन का 7 प्रतिशत	वेतन का 5 प्रतिशत	वेतन का 5 प्रति-
"ए" वे कस्बे या शहर	300 रुपये से	वेतन का 7 प्रतिशत	वेतन का 5 प्रतिशत	शत अधिकतम 80
जिनकी सहा 1971	1600 रुपये	अधिकतम 128 रु.	अधिकतम 96 रुपये	रुपये
की जनगणानुसार	तक	128 रुपये	96 रुपये	80 रुपये
20 साल या उससे	1601 तथा उससे	112 रुपये	वेतन का 5 प्रतिशत	वेतन का 4 प्रति-
अधिक हो	अधिक हो	वेतन का 7 प्रतिशत	वेतन का 5 प्रतिशत	शत अधिकतम 64
"बी" वे शहर या कस्बे	300 रुपये से	वेतन का 6 प्रतिशत	80 रुपये	रुपये
जिनकी जनसह्या 10	1600 रुपये	अधिकतम 96 रुपये	80 रुपये	64 रुपये
नाथ या अधिक हो	तक	96 रुपये	80 रुपये	
परन्तु 20 साल से कम	1601 तथा	112 रुपये	80 रुपये	
हो, 1971 की जन-	अधिक रुपये			
गणानुसार				
"सी" वे शहर या कस्बे	300 रुपये से	वेतन का 5 प्रतिशत	वेतन का 4 प्रतिशत	वेतन का 3 प्रति-
जिनकी जनसह्या 10	1600 तक	अधिकतम 80 रुपये	64 रुपये	शत अधिकतम 48
लाख से कम हो,		80 रुपये	64 रुपये	48 रुपये
1971 की जनसह्या के	1601 तथा	80 रुपये	64 रुपये	
के अनुसार	अधिक रुपये			

सारिणी-4

रात्रि सेवाकाल भत्ता

रात्रि सेवाकाल भत्ता निम्नानुसार देय होगा—

समाचार-पत्र उद्योग

श्रेणी I वी और I ए	4 रुपये प्रति रात्रि
श्रेणी I और II	3 रुपये प्रति रात्रि
श्रेणी III	2 रुपये प्रति रात्रि

किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित पालेकर अर्वाइ के वाइजुद आज भी कई समाचार-पत्रों के मालिकों द्वारा पालेकर अर्वाइ द्वारा निर्धारित वेतन श्रु खला नहीं दिए जाने और पालेकर अर्वाइ लागू नहीं किए जाने की शिकायतें बराबर मिलती रहती हैं। अतः पत्रकार संगठनों द्वारा कार्यरत पत्रकारों को समाचार-पत्रों के मालिकों से पालेकर अर्वाइ के अनुसार वेतन दिलाने के लिए प्रयास उठाई गई। इस मांग पर केन्द्रीय सरकार ने पालेकर अर्वाइ लागू करने के लिए केन्द्रीय अथ राष्ट्रीय मन्त्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा की अध्यक्षता में अप्रैल, 1981 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में पत्रकार संगठनों, समाचार-पत्रों के कर्मचारियों की पुनियर्ण और पत्रकारों के मालिकों को सम्मिलित किया गया।

इस समिति की भाषा दर्जन बैठकों के वाइजुद भी समाचार-पत्र मालिकों द्वारा पालेकर अर्वाइ पूरी तरह से लागू नहीं किये जाने तथा पालेकर अर्वाइ के कारण कर्मचारियों की बड़ी मस्या में छैटनी की जाने की शिकायतें इस कमेटी में निरन्तर आने पर 30 जून, 1983 की इस उच्चस्तरीय समिति की बैठक में कार्यरत पत्रकारों और समाचार-पत्र कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि पालेकर अर्वाइ की सफल क्रियान्विति के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाए और इस सुझाव पर इसी दिन समाचार-पत्र कर्मचारियों, मालिकों और व्यवसायिक पत्रकार मण्डल के प्रतिनिधियों की केन्द्रीय अथ मन्त्री वीरेन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय कमेटी का गठन किया गया।

इस त्रिपक्षीय समिति को पहली बैठक 6 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में अथ मन्त्री वीरेन्द्र पाटिल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पत्रकार संगठनों के कई सुझाव प्राये और साथ ही पत्रकार संगठनों ने इस समिति को समाचार-पत्रों द्वारा की गई छैटनी से अथगत कराया।

केन्द्रीय अथ मन्त्री ने इस बैठक में यह घोषणा की कि पालेकर अर्वाइ लागू होने के बाद कार्यरत पत्रकार औद्योगिक कानून 26 ए के अन्तर्गत आने है, अतः इस

कानून के अन्तर्गत छोटनी अवैध मानी जाएगी क्योंकि पालेकर अवाइं लागू होने पर सरकार ने कानून बनाकर व्यावसायिक एच कार्यरत पत्रकारों को औद्योगिक विवाद कानून 26 ए के अन्तर्गत मान लिया था और यह पत्रकारों की स्थिति में सुधार के लिए किया है। वास्तव में पालेकर अवाइं से भारतीय पत्रकारिता के विकास को एक नई गति मिली और समाचार-पत्रों में कार्यरत कर्मचारियों का जीवन-स्तर भी ऊंचा उठा।

(ब) बछावत आयोग—

1 अक्टूबर, 1980 में पालेकर अवाइं के अनुसार पत्रकारों के जो नये वेतन-मान और भत्ते लागू किए गये वह अब अपर्याप्त लगने लगे थे अतः जुलाई, 1985 में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री यू एन. बछावत की अध्यक्षता में पत्रकारों और और पत्रकारों कर्मचारियों के लिए दो वेज बोर्ड गठित किए। उसे ही बछावत आयोग कहा गया। वेजबोर्ड ने 1986 के शुरू में मूल वेतन के 7.5 प्रतिशत के हिसाब में अंतरिम मजदूरी दर देना तय किया। भारत सरकार को यह अपर्याप्त जान पड़ा, इसलिए उसने पत्रकार अधिनियम की धारा 13-ए के अधीन अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे 15 फीसदी कर दिया और 1 जून, 1986 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए।

वेजबोर्ड ने 30 मई, 1989 को वेतनक्रम और भत्तों के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी। भारत सरकार ने 31 अगस्त, 1989 को वेजबोर्ड की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करके आदेश जारी कर दिया। दो मायलों में वह इन सिफारिशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहती थी। (1) मकान किराया भत्ते में और (2) शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते (मिटी कपेनसेटरी अलाउंस) में। इसलिए उसने सम्बद्ध पक्षों से 30 दिन के भीतर अपने प्रत्यावेदन देने के लिए कहा। साथ ही इन दोनों दरों की प्रस्तावित रूपरेखा भी प्रकाशित कर दी। दोनों पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों पर गौर करने के बाद सरकार ने नोटिस में कोई परिवर्तन किए बिना उसे अधिभूचित करने का फैसला किया।

बछावत आयोग की सिफारिशें

1 परिभाषाएँ—समाचार-पत्र स्थापन की परिभाषा 1955 के अमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अनुसार ही होगी। वेतन सम्बन्धी सिफारिशों की बाबत समाचार-पत्र स्थापन में सवाद समितियाँ शामिल नहीं होंगी (इसके लिए अलग से सिफारिशें दी गई हैं)।

आधार और लेखा वर्ष—वेतन निर्धारण में लेखा वर्षों का उल्लेख आवश्यक है। जिन तीन वर्षों की समाचार-पत्र स्थापनों की सकल आय को आधार मानकर

उनका वर्गीकरण किया गया है और वित्तीय क्षमता आँकी गई है वे आचार वर्ष कहलाते हैं। मण्डल ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को यानी वित्तीय वर्ष को लेखा वर्ष माना है क्योंकि हर स्थापन का लेखा वर्ष एक समान नहीं हो।

सकल राजस्व—सकल राजस्व के अनुसार प्रतिस्थापन को किसी भी खोल से होने वाली आमदनियों का योग जिसमें अखबारों की विक्री और विज्ञापनों के अलावा इमारतों के किराए और पूंजी निवेश (शेयर आदि) से होने वाली आय भी सकल आय में शामिल जानी जाएगी परन्तु अखबारों की विक्री और विज्ञापनों की आय में से जो राशि बनौर कमीशन दी गई हो उसे घटाया जा सकता है। यह प्रतिशत विक्री पर 28 प्रतिशत और विज्ञापन पर 15 प्रतिशत या वह प्रतिशत जो आयकर अधिकारियों ने मान्य ठहराया हो।

2 अखबारों स्थापनों का वर्गीकरण—वेतन निर्धारण के लिए स्थापनों का वर्गीकरण 1984-85, 1985-86 और 1986-87 इन तीन वर्षों की औसत आमदनी के आधार पर किया गया है। जिन नये स्थापनों में इनमें से केवल एक या दो वर्ष पूरे किए हैं, वे उन्हीं दो वर्षों के आधार पर वर्गीकृत होंगे। एक-दम नये अखबार पहला लेखा वर्ष पूरा करने के बाद वर्गीकरण के हतदार होंगे।

जो स्थापन केवल दो वर्षों की सकल आय के आधार पर वर्गीकृत हुए हैं वे मजदूरी की अदायगी के लिहाज से आमदनी के आधार पर परिगणित धर्म से एक वर्ग नीचे माने जाएंगे। इसी तरह जिसने एक ही वर्ष पूरा किया है वह दो वर्ग नीचे खिसका दिया जाएगा। लेकिन किंगो भी मूलतः कोई भी अखबार वर्ग 9 के नीचे नहीं होगा। उसे कम से कम नौवें वर्ग की पूरी मजदूरी देनी होगी।

3. स्थापन बछावत आयोग के अनुसार समाचार पत्र स्थापन के विभिन्न विभाग शाखाएँ और विभिन्न केन्द्र एक ही स्थापन के अग समझे जाएंगे। एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा नियंत्रित दो या अधिक समाचार पत्र स्थापन चाहे वह नियमित हो या नहीं एक ही स्थापन माने जायेंगे और उनकी सम्मिलित सकल आय के आधार पर स्थापन वर्गीकृत होगा।

छोटे स्थापनों की इतनी छूट अवश्य दी गई है कि एक ही नियन्त्रण सूत्र में दो स्थापनों की सम्मिलित आय के आधार पर वे केवल दो वर्ग माने जायेंगे इससे अधिक नहीं।

साप्ता नियन्त्रण—जो अखबारों स्थापन एक ही व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह द्वारा नियंत्रित है। उन्हें वेतन अदायगी के लिए एक स्थापन माना जायेगा। जो स्थापन फर्मों द्वारा नियंत्रित है और उन फर्मों में वह व्यक्ति पर्याप्त सरया में हैं वे भी एक स्थापन माने जायेंगे। सम्मिडियरी, होल्डिंग कम्पनियाँ एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास पर्याप्त शेयर हो चाहे विभिन्न द्वाइयों में व्यवहारत सागठनिक

एकता (फ़्लैगशिप इटीप्रीटी) है। इन्हे अलग न मानकर बेटन अदायगी की दृष्टि से इनका आय सम्मिलित करके वर्गीकरण किया जायेगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाये तब तक उसी तरह के नाम से और उसी भाषा में भारत में कहीं भी अखबार निकालने अथवा राज्य में उसी नाम से लेकिन अलग भाषा में अखबार निकालने वाले स्थापनों को साम्ना नियंत्रण के अधीन मानकर उनकी सम्मिलित आय के आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा।

यदि वर्गीकृत स्थापन नये अखबार निकालते हैं तो उनको शुरू के वर्षों में कुछ रियायतें मिलेंगी, लेकिन पुराना स्थापन केन्द्र किसी ऐसे केन्द्र से पुराने नाम से अखबार निकालता है जहाँ से उसका दूसरा अखबार नहीं निकल रहा तो दो लेखा वर्षों तक नया प्रकाशन केन्द्र एक वर्ग नीचे रखा जायेगा। यदि वर्गीकृत स्थापन नये प्रकाशन केन्द्र से नया अखबार निकालता है तो उसे तीन वर्षों तक एक वर्ग नीचे माना जायेगा। परन्तु किसी भी हालत में नया केन्द्र वर्ग नो से नीचे नहीं माना जा सकेगा।

4. समाचार पत्रों के दस वर्ग—सकल आय के आधार पर समाचार-पत्र स्थापनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है—

- 1 ए 100 करोड़ रुपये या अधिक
- 1 50 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपये से कम
- 2 20 करोड़ या अधिक, लेकिन 50 करोड़ रुपये से कम
- 3 10 करोड़ रुपये या अधिक, लेकिन 20 करोड़ रुपये से कम
4. 5 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम
5. 2 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम
6. 1 करोड़ रुपये से अधिक, लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम
7. 50 लाख रुपये से अधिक, लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम
8. 25 लाख रुपये से अधिक, लेकिन 50 लाख रुपये से कम
- 9 25 लाख रुपये से कम

अन्तिम वर्ग में आने वाले स्थापन को छोड़कर अगर किसी स्थापन को सकल आय में विज्ञापन की धामदमी का हिस्सा 45 पौसदी से कम है तो वह एक वर्ग नीचे खिसक जायेगा।

5 पुन वर्गीकरण—वित्त वर्ष 1989-90 के बाद कर्मचारी या नियोजित विद्यार्थी तीन वर्षों की औसत सकल आय के आधार पर समाचार स्थापन के पुनः

वर्गीकरण की मांग कर सकता है। लगातार तीन साल के भीतर सिर्फ एक बार पुनर्वर्गीकरण की मांग की जा सकती है।

6. पत्रकारों का वर्गीकरण—आयोग ने थ्रमजीवी पत्रकारों को सात समूह में विभाजित किया है—

ग्रुप 1 में सम्पादक और 1ए में कार्यकारी सम्पादक, (यह पद पालेकर के समय नहीं था) स्थानीय सम्पादक, संयुक्त सम्पादक, डिप्टी एडिटर।

ग्रुप 1 बी में पहले की तरह सहायक सम्पादक, लीडर राईटर, चीफ ऑफ ब्यूरो, समाचार सम्पादक और विशेष संवाददाता।

ग्रुप 2 में सहायक समाचार सम्पादक, चीफ रिपोर्टर, मुख्य उप-सम्पादक, मुख्य फोटोग्राफर, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्टूनिस्ट, चीफ आर्टिस्ट आदि के अलावा राजधानियों में राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रिन्सिपल कोररिपोर्टर विशेष संवाददाता से इतर संवाददाता जो केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। वाणिज्य, फिल्म साहित्य सम्पादक आदि भी इसी ग्रुप में है।

ग्रुप 2-ए में वरिष्ठ संवाददाता और वरिष्ठ रिपोर्टर आदि।

ग्रुप 3 में उप-सम्पादक, रिपोर्टर, कोररिपोर्टर, न्यूज फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, कैलिग्राफिस्ट, लाइब्रेरियन, इडेक्म प्रसिडेंट, चीफ प्रूफरीडर पत्रकारिता की बुनियाद समझे जाने वाले पत्रकार इसी श्रेणी में आते हैं। इस ग्रुप या समूह में चीफ प्रूफरीडर को ग्रुप 4 में रखा था।

7. अंशकालीन संवाददाता—वह व्यक्ति जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है अंशकालीन संवाददाता कहा जाएगा, लेकिन वह किसी स्थापन के लिए पूरे समय नहीं बल्कि अंशकालिक ढंग से काम करता है।

विशेष—कोई जरूरी नहीं है कि कोई समाचार स्थापन इन ग्रुपों या समूहों के हिसाब से पत्रकार नियुक्त करें क्योंकि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किंग आकार-प्रकार के स्थापन को कितने पत्रकार नियुक्त करने होंगे। यही कारण है कि अनेक स्थापन पत्रकारों को स्थायी नौकरी नहीं देते।

8. अन्य कर्मचारियों—वद्धावत आयोग ने अन्य कर्मचारियों का वर्गीकरण भी किया है और उन्हें ग्रुपों में बांटा है। फोटो कम्पोजिंग और छपाई की नई प्रणालियों के कारण कई नए पदों को बोर्ड ने अपनी सूची में शामिल किया है।

पत्रकारों का पारिवर्त्मिक

वेजबोर्ड की रिपोर्ट के अध्याय 9 के चौथे खण्ड में पारिवर्त्मिक की दरें निर्धारित की गई हैं।

1. मूल वेतन—विभिन्न वर्गों के समाचार-पत्रों के विभिन्न ग्रुपों के कर्मचारियों को तालिका 1 में दिए गए वेतनक्रम के हिसाब से मूल वेतन दिया जाएगा। वर्ग 9 के अखबारों में उप-सम्पादक या मूल वेतन 1200 रुपये प्रतिमास रखा गया है और प्रूफरीडर का 1160 रुपये। इसे पत्रकार का न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन कहा जा सकता है।

हर वर्ग के अखबार में उप-सम्पादक और प्रूफरीडर ग्रुप 3 और 3-ए का वेतनमान 20 वर्ष तक चलता है। ग्रुप 2 और 2-ए में वेतनमान की अवधि 18 वर्ष है। सहायक सम्पादकों के लिए यह अवधि 16 वर्ष और स्थानीय सम्पादक आदि के लिए 12 वर्ष है।

2. महंगाई भत्ता—महंगाई भत्ते की दरें तालिका 2 में दी गई हैं। 1960 का आधार वर्ष मानकर बने उपभोक्ता सूचक अंक में 752 अंक के बाद होने वाली वृद्धि के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1987 में मूल्य सूचक अंक का औसत 752 आता है। इस अंक तक मिलने वाला महंगाई भत्ता मूल वेतन और अंतरिम वेतन दर में जोड़ने के बाद ही नये वेतनमान का सितसिला शुद्ध होता है इसलिए इसके बाद होने वाली वृद्धि पर ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वेतन बढ़ने पर भत्ते की दर कम हो जाने से भत्ता कर्म हो जाता है, इसलिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भत्ते की राशि किसी भूत में कम नहीं की जाएगी।

महंगाई भत्ते में तीन-तीन महीने बाद परिवर्तन होगा। तारीखें हैं 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। भत्ता सम्बद्ध तिहाई में सूचकांक में परिवर्तन पर आधारित होगा। 1988 की जनवरी-फरवरी-मार्च की तिमाही में सूचकांकों की औसत वृद्धि पर आधारित भत्ता 1 जुलाई को ही मिल जाएगा, क्योंकि मार्च का सूचकांक मई में ही उपलब्ध होता है।

3. मकान किराया भत्ता—बढ़ावत आयोग ने सर्वोच्च अखबार में काम करने वालों और 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में रहने वालों के लिए मकान किराया भत्ता वेतन का 11 फीसदी या अधिक से अधिक 330 रुपये, 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों के लिए 9 प्रतिशत या अधिक से अधिक 270 रुपये की सिफारिश की थी। सबसे कम भत्ता वर्ग 5 के अखबारों के लिए या अधिक से अधिक 6 प्रतिशत अथवा 180/- या कम से कम 4 प्रतिशत अथवा 120 रुपये। पर भारत सरकार ने यह सिफारिश मजूर नहीं की और पत्रकार अधिनियम की धारा 12 के तहत उगमे वृद्धि के लिए सम्बद्ध पक्षों को नोटिस दिया तथा सुनवाई के बाद तालिका 3 के अनुसार सरकार ने मकान किराया भत्ता जनवरी 1988 से लागू करने की अधिमूचना जारी की।

4. सिटी कम्पेनसेटरी अलाउन्स—बच्चावत आयोग द्वारा 20 और 10 लाख से अधिक आवादी वाले शहरों में रहने वाले पत्रकारों और कर्मचारियों लिए शहरी भत्ते की सिफारिश की गई थी। 1 ए वर्ग के लिए यह राशि क्रमशः 80 और 20 रुपये थी। वर्ग 5 के लिए यह राशि 30 रुपये और 20 रुपये थी। पर भारत सरकार को यह मजूर नहीं हुई और इसे भी सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद तालिका 4 के अनुसार लागू किया गया।

5. रात्रि पाला भत्ता—रात को पानी में काम करने वाले पत्रकारों और कर्मचारियों के लिए 14 रुपये से 2 रुपये प्रतिदिन के हिमाव से भत्ता दिया जाना है। 1 ए में 14 रुपये हैं तो वर्ग 9 में केवल 2 रुपये। अगर महीने में 15 से अधिक रातों को काम पर बुलाया जाए तो उनके लिए 50 पीसदी अधिक राशि बढ़ा की जाय। देखिये तालिका न० 5।

तालिका न० 1

WORKING JOURNALISTS-1

Class of Establishment	Group of Employees	Scales	Years
1	2	3	4
(Rs. 100 Crores and above)	I	No Scale	
1 A	1 A	Rs. 4400-330-5720-375-7220-425-8920 (4) (4) (4)	12
	1 B	Rs. 3900-210-4740-250-5740-290-6900-330-8220 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3475-160-4275-180-5175-200-5975-220-6855 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2755-140-3455-160-4255-180-4975-200-5775 (5) (5) (5) (5)	18
	3	Rs. 2485-115-3060-130-3710-145-4435-160-5235 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 2090-100-2590-110-3140-120-3740-130-4390 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1775-75-2150-80-2550-85-2975-90-3425 (5) (5) (5) (5)	20

(Rs. 50 Crores and above) 1 No Scale

1 A	Rs. 4240-280-5360-330-6680-375-8180 (4) (4) (4)	12
1 B	Rs. 3700-190-4460-210-5300-250-6300-290-7460 (4) (4) (4) (4)	16
2	Rs. 3350-160-4150-180-5050-200-5850-220-6730 (5) (5) (4) (4)	18
2 A	Rs. 2640-140-3340-160-4140-180-4860-200-5660 (5) (5) (4) (4)	18
3	Rs. 2380-115-2955-130-3605-145-4330-160-5130 (5) (5) (5) (5)	20
3 A	Rs. 2000-100-2500-110-3050-120-3650-130-4300 (5) (5) (5) (5)	20
4	Rs. 1700-70-2050-75-2425-80-2825-85-3250 (5) (5) (5) (5)	20

(Rs. 20 Crores and above 1 No Scale

but less than
Rs. 50 Crores

1 A	Rs. 4100-230-5020-280-6140-330-7460 (4) (4) (4)	12
1 B		

1	2	3	4
	I B	Rs. 3500-160-4140-190-4900-210-5740-230-6660 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 3225-145-3950-160-4750-175-5450-190-6210 (5) (5) (4) (4)	18
	2 A	Rs. 2520-125-3145-140-3845-160-4485-180-5205 (5) (5) (4) (4)	18
	3	Rs. 2275-100-2775-115-3350-130-4000-145-4725 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs 1900-90-2350-100-2850-110-3400-120-4000 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1625-65-1950-70-2300-75-2675-80-3075 (5) (5) (5) (5)	20
(Rs. 10 Crores and above but less than Rs. 20 Crores)	1	No Scales	
III	1 A	Rs. 3860-190-4620-230-5540-270-6620 (4) (4) (4) (4)	12
	I B	Rs. 3300-140-3860-160-4500-180-5220-200-6020 (4) (4) (4) (4)	16

2	Rs. 3100-120-3700-135-4375-150-4975-175-5675	(5) (5) (4) (4)	18
2 A	Rs 2400-110-2950-120-3550-140-4110-160-4750	(5) (5) (4) (4)	18
3	Rs 2170-95-2645-100-3145-115-3720-130-4370	(5) (5) (5) (5)	20
3 A	Rs. 1800-80-2200-90-2650-100-3150-110-3700	(5) (5) (5) (5)	20
4	Rs. 1550-60-1850-65-2175-70-2525-75-2900	(5) (5) (5) (5)	20
	(Rs. 5 Crores and above but less than Rs. 10 Crores)		
I	No Scale		
I A	Rs 3650-160-4290 190-500 220-5930	(4) (4) (4)	12
I B	Rs. 3075-125-3575-140-4135-160-4775-180-5495	(4) (4) (4) (4)	16
2	Rs 2875-110-3425-120-4025-135-4565-150-5165	(5) (5) (4) (4)	18
2 A	Rs. 2170-105-2695-110-3245-120-3725-140-4285	(5) (5) (5) (4)	18

1	2	3	4
	3	Rs. 2060-90-2510-95-2985-100-3485-110-4035 (5) (5) (5) (5)	20
	3 A	Rs. 1680-70-2030-80-2430-90-2880-100-3380 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs. 1475-55-1750-60-2050-65-2375-70-2725 (5) (5) (5) (5)	20
	1	No Scale	
Rs. 2 Crores & above out less than Rs. 5 Crores)	I A	Rs. 3200-140-3760-160-4400-180-5120-200-5920 (4) (4) (4) (4)	16
	I B	Rs. 3050-110-3490-125-3990-140-4550-160-5190 (4) (4) (4) (4)	16
	2	Rs. 2775-105-3300-110-3850-120-4330-135-4870 (5) (5) (5) (5)	18
	2 A	Rs. 2060-100-2560-105-3085-110-3525-120-4005 (5) (5) (5) (5)	18
	3	Rs. 1950-85-2375-90-2825-95-3300-100-3800 (5) (5) (5) (5)	20

3 A	Rs. 1560-50-1860-70-2210-80-2610-90-3060- (5) (5) (5) (5)	20
4	Rs. 1430-50-1650-55-1925-60-2225-65-2550 (5) (5) (5) (5)	20
VI		
(Rs. 1 Crore & above but less than Rs. 2 crores)		
1	No. Scale	
1 A	Rs. 2850-130-3370-140-3930-160-4570-180-5290 (4) (4) (4) (4)	16
1 B	Rs. 2750-105-3170-110-3610-125-4110-140-4670 (4) (4) (4) (4)	16
2	Rs. 2450-100-2950-105-3475 110-3915-120-4375 (5) (5) (4) (4)	18
2 A	Rs. 2000-95-2475-100-2975-105-3395-110-3835 (5) (5) (4) (4)	18
3	Rs. 1850 80-2250-85-2675-90-3125-95-3600 (5) (5) (5) (5)	20
3 A	Rs. 1460-55 1735-60-2035-65-2360-70-2710 (5) (5) (5) (5)	20

4

3

2

1

20

Rs 1325-45-1550-50-1800-55-2075-60-2375
(5) (5) (5) (5) (5)

No Scribe

16

Rs. 2520-120-3000-130-3520-140-4080-160-4720
(4) (4) (4) (4) (4)

VII
(Rs 50 Lakhs & above
but less than
Rs 1 Cror.)

16

Rs. 2400-10-2800-105-3220-110-3660-125-4160
(4) (4) (4) (4) (4)

18

Rs. 2100-95-2575-100-3075-105-3495-110-3935
(5) (5) (5) (4) (4)

18

Rs. 1760-90-2210-95-2685-100-3085-105-3505
(5) (5) (5) (4) (4)

20

Rs 1420-60-1720-65-2045-80-2445-90-2895
(5) (5) (5) (5) (5)

20

Rs. 1360-50-1610-55-1885-60-2185-65-2510
(5) (5) (5) (5) (5)

20

Rs. 1250-40-1450-45-1675-50-1925-55-2200
(5) (5) (5) (5) (5)

3

2

1

VIII	(Rs 25 Lakhs & above but less than Rs. 50 Lakhs)	Not less than Rs. 4100/-	
1	1 B	Rs. 2150-95-2530-100-2930-105-3350-110-3790 (4) (4) (4) (4)	18
2		Rs. 1950-90-2400-95-2875-100-3275-105-3695 (5) (5) (4) (4)	20
3		Rs. 1275-55-1550-60-1850-65-2175-75-2550 (5) (5) (5) (5)	20
3 A		Rs. 1260-45-1485-50-1735-55-2010-60-2310 (5) (5) (5) (5)	20
4		Rs. 1175-35-1350-40-1550-45-1775-50-2025 (5) (5) (5) (5)	16
IX	(Less than Rs. 25 Lakhs)	Not less than Rs. 3,500/-	18
1	1 B	Rs. 1730-90-2090-95-2470-100-2870-105-3290 (4) (4) (4) (4)	20
2		Rs. 1550-85-1975-90-2425-95-2805-100-3205 (5) (5) (4) (4)	
3		Rs. 1200-50-1450-55-1725-60-2025-65-2350 (5) (5) (5) (5)	

1	2	3	4
	3 A	Rs 1160-40-1360-45-1585-50-1835-55-2110 (5) (5) (5) (5)	20
	4	Rs 1100-30-1250-35-1425-40-1625-45-1870 (5) (5) (5) (5)	20

तालिका नं० 2

Table-II

DEARNESS ALLOWANCE

Basic pay Slab	Rate of neutralisation for determining dearness allowance payable over the index of 752 (1960=100) with effect from 1st January, 1st April, 1st July and 1st October every year
Upto Rs. 1250/-	100% of basic Pay
Between Rs 1251/- and Rs. 2000/-	75% of basic pay or 100% of Rs. 1250/- whichever is higher.
Between Rs. 2001/- and Rs. 3500/-	60% of basic pay or 75% of Rs. 2000/- whichever is higher.
Between Rs. 3501/- and Rs. 5000/-	45% of basic pay or 60% of Rs 3500/- whichever is higher.
Above Rs 5000/-	35% of basic pay or 45% of Rs. 5000/- whichever is higher.

तालिका नं० 3

Table III

RATES HOUSE-RENT ALLOWANCE (PERCENTAGE OF PAY)

Class of Newspaper Establishments	Cities/Towns with Population of 20 Lakhs & above	Cities/Towns with Population between 10 to 20 Lakhs	Cities/Towns with Population of less than 10 Lakhs
I A	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

तालिका नं० 4

Table IV

CITY COMPENSATORY ALLOWANCE (RATE PER MENSEM)

Class of Establishment	Cities, Towns with population of 20 Lakhs and above	Cities, Towns with population between 10 to 20 Lakhs	Cities, Towns with population of 4 Lakhs or More
I A	Rs. 100	Rs. 75	Rs. 20
I	Rs. 75	Rs. 50	Rs. 20
II	Rs. 60	Rs. 35	Rs. 20
III	Rs. 50	Rs. 30	Rs. 20
IV	Rs. 45	Rs. 30	Rs. 20
V	Rs. 40	Rs. 30	Rs. 20
VI	Rs. 40	Rs. 30	Rs. 20
VII	Rs. 40	Rs. 30	Rs. 20
VIII	Rs. 40	Rs. 30	Rs. 20
IX	Rs. 40	Rs. 30	Rs. 20

तालिका नं० 5

Table V

RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Class of Newspaper	Establishment Rates per Night Shift
I A	Rs 14
I	Rs 12
II	Rs. 12
III	Rs 10
IV	Rs 10
V	Rs. 8
VI	Rs. 6
VII	Rs. 6
VIII	Rs. 4
IX	Rs. 2



पत्रकारिता के विकास में सरकारी संचार माध्यम

आजादी के बाद सरकारी कार्य-कलापो के प्रचार, सूचनाओं के लिए सरकारी प्रचार एवं सूचना माध्यमों की आवश्यकता का ध्यान में रखकर सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय की स्थापना की गई। यही कारण है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने विकास कार्यों के प्रचार एवं अन्य सूचनाएँ लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में सूचना एवं जनसम्पर्क विभागों का गठन किया गया।

केन्द्रीय सरकार के प्रचार एवं सूचना माध्यम

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के अधीन निम्न प्रचार एवं सूचना निदेशालय कार्यरत हैं—

(क) पत्रसूचना कार्यालय (प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो)

इसे अग्रेस्री में सक्षिप्त रूप में पी आई बी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य केन्द्रीय सरकार की विकास गतिविधियों को एकत्रित करके समाचार-पत्रों तक पहुँचाना है। यह कार्यालय समय-समय पर प्रेम सम्मेलन भी आयोजित करता है। इसका प्रमुख कार्यालय दिल्ली में है तथा विभिन्न प्रान्तों में इसके कार्यालय स्थापित हैं। वर्तमान में करीब 42 कार्यालय विभिन्न नगरों में काम कर रहे हैं जिनमें से करीब 35 कार्यालय सीधे दिल्ली दूरमुद्रक सेवा से जुड़े हुए हैं। यह कार्यालय देश में 10 सूचना केन्द्र भी चला रहा है। यह कार्यालय 'हमारा देश' नामक मासिक भित्तिपत्र भी निकालता है जो दस भाषा में प्रकाशित होता है।

(ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

देश की आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्वतंत्रता की लड़ाई के आरम्भ के बाद जनता को उसके भावी हितों से अवगत कराने हेतु तथा इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में उसका सहयोग

प्राप्त करने के लिए इस विभाग की स्थापना 1953 में केन्द्रीय सूचना एवं प्रचार मन्त्रालय के अधीन की गई। 4 प्रादेशिक कार्यालय व 32 चलती-फिरती इकाइयाँ कार्यरत थीं। परन्तु 1959 में एक अलग निदेशालय बनाकर इसका विस्तार किया गया। वर्तमान में देश के विभिन्न प्रान्तों में 22 प्रादेशिक कार्यालय व करीब 256 क्षेत्रीय प्रचार इकाई कार्यरत हैं। क्षेत्रीय प्रचार की इकाइयाँ गाँवों में जाकर ग्रामीण लोगों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देती हैं। ये इकाइयाँ वृत्त चित्र व समाचार-दर्शनों की फिल्में तो दिखाती ही हैं साथ ही अपना संदेश पहुँचाने के लिए परम्परागत माध्यमों—संगीत नाटक, कथा, रासगण, भजन, कीर्तन, नृत्य, कठपुतलियों आदि का भी उपयोग करती हैं।

(ग) विज्ञापन प्रचार एवं दृश्य-श्रव्य निदेशालय (डी. ए. वी. पी.)

1 अक्टूबर, 1955 से यह विभाग सूचना व प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित है। इसे अग्रेजी में संक्षिप्त रूप से डी. ए. वी. पी. के नाम से जाना जाता है। इसका एकमात्र कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य केन्द्र सरकार तथा केन्द्र सरकार के अधीन विभागों के विज्ञापन समाचार-पत्रों में देकर प्रसार करना है। यह प्रचार समाचार-पत्रों, आकाशवाणी, सिनेमा, स्लाइड, होटिंग पोस्टर, आदि द्वारा करता है। वर्तमान में यह केन्द्रीय सरकार एवं देश की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी है। केन्द्रीय सरकार ने सभी विज्ञापन इसी विभाग द्वारा समाचार-पत्रों को दिये जाते हैं। विज्ञापन का 15 प्रतिशत कमीशन इस विभाग को सरकारी विज्ञापन एजेंसी होने के कारण समाचार-पत्रों से मिलता है। इस विभाग द्वारा सरकारी प्रचार की बुकलेट आदि छपाने का कार्य भी किया जाता है। इस निदेशालय द्वारा 29 मार्च 1976 से अग्रेजी में 'एम्प्लायमेंट न्यूज' और हिन्दी में 'रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन किया जा रहा है।

(घ) फिल्म एवं फोटो विभाग

यह विभाग केन्द्रीय सूचना एवं प्रचार मन्त्रालय के पत्र-सूचना कार्यालय के अधीन कार्य करता है। इस विभाग का कार्य सरकार के विकास कार्यों और मन्त्रियों आदि के बवरेज के फोटो पत्रकारों को उपलब्ध कराना है तथा फिल्म विभाग सरकारों विकास कार्यों एवं उसकी गतिविधियों पर लघु फिल्में तैयार करता है। ये फिल्में गाँवों तथा शहरों के सिनेमाघरों में दिखाई जाती हैं। फिल्म में प्रशिक्षण के लिए 'फिल्म इस्टीमेट ऑफ इण्डिया' सम्मान संचालित करती है।

(ङ) संगीत एवं नाटक विभाग

इस विभाग की स्थापना 1960 में आकाशवाणी से अलग करके स्वतन्त्र रूप में की गई। इस विभाग के प्रमुख कार्य संगीत, नाटक, एकांसी, कठपुतली द्वारा

संस्कार के कार्यक्रमों का प्रचार करना है। इस विभाग की करीब 25 शाखाएँ कार्यरत हैं जो समय-समय पर सरकारी गतिविधियों में जनता को अवगत कराती रहती हैं। इसका कार्य सीमा पर तैनात सेना के जवानों का मनोरंजन करना भी है।

(घ) आकाशवाणी

यह आधुनिक युग का सशक्त प्रचार एवं सूचना माध्यम है तथा केन्द्रीय सूचना एवं प्रचार मन्त्रालय के अधीन है। स्वाधीनता के समय जहाँ इसके कुल 6 केन्द्र थे वही मन् 1980 के अन्त तक इसकी संख्या 25 हो गई। आज आकाशवाणी देश का सबसे सशक्त एवं बृहद् संचार माध्यम है जो अपने 98 केन्द्रों के माध्यम से देश की 95% आबादी एवं 84% क्षेत्र में अपने कार्यक्रम का प्रसारण करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पूरी हो जाने पर आकाशवाणी के नेटवर्क में 205 प्रसारण केन्द्र हो जायेंगे। आज आकाशवाणी अपनी शृंह सेवा में अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 68 समाचार बुलेटिन करीब 19 भाषाओं में प्रतिदिन प्रसारित करती है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के 24 भाषाओं में 63 बुलेटिन विदेश सेवा द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। 1982-83 में आकाशवाणी सामाजिक परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में लोगों को मनोरंजन प्रदान करते हुए सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में विशेष अग्रसर रही। इस वर्ष की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में—एशियाई खेल (1982) का विवरण, साम्प्रदायिक सद्भाव, अस्पृश्यता निवारण, परिवार व कल्याण सर्वज्ञ तथा नए 20 सूत्री कार्यक्रमों का समर्थन देने के कार्य शामिल हैं। 18 मई, 1988 राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का शुभारम्भ आकाशवाणी की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रारम्भ में इसकी अवधि 7 घण्टे 30 मिनट थी पर 2 जुलाई, 1989 में इसकी अवधि बढ़ाकर 11 घण्टे 10 मिनट कर दी गई है। अर्थात् यह सेवा साय 7 बजे से सुबह छ बजे तक चलती है। इस प्रकार आज आकाशवाणी केवल समाचार बुलेटिन ही नहीं बरन् राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ, वार्ता, परिचर्चा, रूपक, संगीत नाटक, बालक, महिला, युवक, परिवार, औद्योगिक मजदूर आदि के सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारित कर लोगों में जन-जाग्रति जगा रही है।

(छ) दूरदर्शन

स्वान्तराज्योत्तर भारत में दूरदर्शन की शुरुआत भी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 15 सितम्बर, 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन की शुरुआत सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई जो 1976 तक आकाशवाणी का ही अंग बनी रही पर एक अप्रैल, 1976 में पृथक् दूरदर्शन महानिदेशालय की स्थापना हुई और तब से निरन्तर वृद्धि होने-होने आज इसके कार्यक्रम 18 निर्माण केन्द्रों और 500 से अधिक विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटर्स के माध्यम से जनता

तक पहुँच रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने पर इसके कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की संख्या 48 व ट्रांसमीटर की संख्या 545 हो जायेगी।

15 अगस्त, 1982 के झण्डारोहण के साथ ही रंगीन कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रम भी दूरदर्शन प्रस्तुत करने लगा। 1982 के दूरदर्शन की महत्त्वपूर्ण बात थी चुने हुए राज्यों में उपग्रह (इन्सेट-1) के द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए अपेक्षित ग्रामीण तथा शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण तथा माइक्रोवेव लिंक और उपग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा का प्रारम्भ और नवें एशियाई खेलों का समस्त भारत में एक साथ रंगीन प्रसारण रहा। यही नहीं 15 अगस्त, 1982 से ही राष्ट्रीय प्रसारण में 20-20 मिनट के हिन्दी एंव अंग्रेजी समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय प्रसारण की सेवा प्रारम्भ में डेढ़ घण्टे थी पर 11 अगस्त, 1985 में 2 घण्टे 35 मिनट हो गई है। दूरदर्शन ने सन् 1976 में विज्ञापन सेवा की शुरुआत कर आय की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण कदम रखा। 1984 में 'हम लोग' धारावाहिक से दूरदर्शन ने प्रायोजित कार्यक्रमों की शुरुआत की। 23 फरवरी, 1987 से इसने प्रातः कालीन सेवा का प्रसारण शुरू किया तो महिलाओं व बच्चों के लिए 26 जनवरी, 1989 से दोपहर एक घण्टे का प्रसारण शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में दूरदर्शन का द्रुतगति से विकास हुआ है—सन् 1980 तक हमारे यहाँ 20 ट्रांसमीटर थे, 1984 में 185, 1987 के अन्त तक 228, दिसम्बर 1988 में 274, दिसम्बर 1989 में 335 तथा फरवरी 1990 तक 510 हो गई है।

इस प्रकार आज दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में विभिन्न विषयों पर मनीष, नृत्य, चर्चा, सामयिक विषय से सम्बन्धित सामग्री, खेल-कूद, युवा प्रोग्राम, महिला प्रोग्राम, बालक प्राथमिक व उच्च शिक्षा कार्यक्रम आदि नित्य प्रसारित करता हुआ लोगों को शिक्षित कर रहा है।

(ज) प्रकाशन विभाग

भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में पुस्तकें, पुस्तिकाएँ और पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित करने तथा उन्हें जनता तक पहुँचाने का काम प्रकाशन विभाग करता है। प्रतिवर्ष लगभग 200 पुस्तकें और पुस्तिकाएँ प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग 'आजकल', 'बाल भारती', 'कुरक्षेत्र', 'योजना', 'इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू', 'मगीरथ' आदि पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती है। जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, सिंघाई, विद्युत, सामुदायिक विकास की गतिविधि, भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाएँ और उनकी समस्याएँ आदि के बारे में बर्णन रहता है। इसकी तीन शाखाएँ हैं—(1) सम्पादन शाखा (2) प्रकाशन शाखा (3) वित्री शाखा। पहले इस विभाग को 'ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फार्मेशन' के नाम से जाना जाता था पर 1944 में इसका नाम पब्लिकेशन डिविजन रखा गया।

(क) सन्दर्भ और अनुसंधान विभाग

इसका प्रमुख कार्य प्रचार से सम्बद्ध सामग्री का रख-रखाव, सूचनाओं का एकीकरण तथा प्रचार का पक्ष सम्भालना है। इसे अंग्रेजी में 'रिसर्च एण्ड रेफरेंस डिविजन' कहते हैं।

इन विभागों के अतिरिक्त 'रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स इण्डिया, फिल्म महोत्सव निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारतीय जनसंचार मन्थान, फिल्म व टेलीविजन इस्टीमेट प्रना, बाल फिल्म सोसायटी आदि भी केन्द्रीय सूचना व प्रचार मन्त्रालय के अधीन कार्यरत हैं।

राज्यों के सरकारी माध्यम

केन्द्र सरकार की भांति राज्यों में सूचना एवं जन-सम्पर्क मन्त्रालय का गठन किया गया है। राज्यों के कार्य-कलापों की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए राज्यों ने जिला व उपजिला स्तर पर अपने-अपने सूचना केन्द्र, जन-सम्पर्क कार्यालय रंगमंच आदि स्थापित किए हुए हैं।

यह विभाग सभी सरकारी कार्यों को जनता तक पहुँचाने के लिए जगह-जगह प्रदर्शनी व मेले का आयोजन करते रहते हैं ताकि जनता को सरकार की गति-विधियों एवं योजनाओं की जानकारी होनी रहे।

इस प्रकार पत्रकारिता के नए माध्यमों की उपयोगिताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकारी प्रचार व प्रसार माध्यमों व पत्रकारिता का चोली-दामन का साथ है।



अध्याय-6

समाचार-पत्र प्रबन्ध

स्वतन्त्रता हर देश के लिए वरदान होती है। हमारे देश की स्वतन्त्रता भी भारतीय पत्रकारिता के लिए वरदान सिद्ध हुई है। स्वतन्त्रयोत्तर काल में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का समावेश हो जाने से समाचार-पत्रों के विकास पक्ष की राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य बाधाएँ दूर होती गईं, जिसके फलस्वरूप नये पत्रों के जन्म एवं विकास का मार्ग प्रशस्त होता गया। राष्ट्र के नवनिर्माण तथा चिन्तन की मुख्य धारा में अधिकाधिक लोगों को सम्मिलित करने के सशक्त माध्यम के रूप में समाचार-पत्रों की भूमिका उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण होती गई।

स्वतन्त्रता से पूर्व जो पत्रकारिता राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग थी, त्याग, तपस्या और बलिदान पर आधारित थी वही पत्रकारिता स्वतन्त्रता के बाद, जिस प्रकार काव्य, कला, संगीत, व्यवसाय बन गए उसी प्रकार समाचार-पत्रों की इतनी बढ़ आई कि वह भी एक उद्योग के रूप में हमारे सामने आई। अब समाचार-पत्र संचालन केवल आदर्शवादिता व सेवा का माध्यम न रहकर व्यवसाय का रूप धारण करने लगा है तथा एक उद्योग बन गया है। फलस्वरूप बड़े-बड़े पूँजीपति इस ओर उन्मुख हुए। आज देश के अधिकांश बड़े-बड़े पत्रकार व्यावहारिक रूप में बड़े पूँजीपतियों के नीकर मात्र हैं। यह कारण है कि पत्रकारिता में सूत्रबद्धता, संगठन कुशलता और योजना चातुर्य की आवश्यकता पड़ने लगी अर्थात् उसका आर्थिक-स्वरूप बदलता गया और व्यावसाय क्षेत्र के सिद्धान्त व नियम उस पर लागू होने लगे। स्वतन्त्र भारत में पत्रों की बुनियाद ध्येयवाद से परे हट कर व्यावसायिकता पर आधारित होती गई। यही कारण है कि आज पत्रकारिता का ढाँचा विशाल पूँजी कुशल प्रबन्धन तथा कुशल सम्पादन के योजनाबद्ध समन्वय की मितियों पर ही सदा रह सकता है।

पत्र-पत्रिकाओं का प्रबन्ध, संगठन और प्रसार व्यवस्था जितनी अधिक सुलभ व योजनाबद्ध तरीके से होगी, उतना ही अधिक उसका अन्दरव फूलेगा व फलेगा

क्योंकि वही फच हायों-हाथ बिकता है जो भीठा भी हो और स्वादिष्ट भी । यही कारण है कि पत्र का प्रकाशन व संचालन सम्बन्धी व्यूह रचना अत्यधिक दूरदर्शिता दक्षता व सावधानीपूर्वक करनी चाहिए । क्योंकि आज समाचार-पत्र का प्रकाशन या संचालन बृहद् स्तर पर किया जाता है और जब यह एक उद्यम के रूप में हमारे सामने आता है तो उसे सुदृढ रूप प्रदान करने के लिए कुछ मुरदे अत्यन्त आवश्यक है, ताकि समाचार-पत्र शीघ्र ही काल-कवलित न होकर सुचारु रूप से चल सके । ये मुद्दे निम्न हैं—

प्रथम, किसी भी पत्र की शुद्धीकरण करने में पहले चाहे वह दैनिक हो, चाहे मासिक, चाहे मासिक हमें अपनी योजना के अनुसार पूँजी की पर्याप्त व्यवस्था करनी अत्यन्त जरूरी है अन्यथा पूँजी के अभाव में ज्यादातर समाचार-पत्र शीघ्र ही काल के गर्त में समा जाते हैं और पूँजी के अभाव में जब ज्यादातर संचालक अपनी मारी शक्ति 'पत्र खूबने न पावे' में खर्च कर देना है तो स्वयं ही उस पत्र का स्तर धीरे-धीरे नीचे गिरता जाता है । अतः पूँजी समाचार-पत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

दूसरे, समाचार-पत्र के लिए प्रकाशन-स्थल का चयन समझदारी व सूझबूझ से करना चाहिए । स्थान का चयन करने समय ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रतिस्पर्धा कैसी है ? वहाँ यातायात की व्यवस्था कैसी है ? भौगोलिक परि सीमा क्या है ? वहाँ पाठक, विद्वान आदि की संख्या क्या है ? साथ ही क्या वहाँ से समाचार निरन्तर प्राप्त हो सकते हैं ?

तीसरे, संचालक को मुद्रण व निपटण सम्बन्धी पूर्ण जानकारी होना भी अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि जब किसी भी वस्तु का बाह्यग मुद्रण व आकर्षक होगा तो वह पाठक का ध्यान स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा और फलस्वरूप उस वस्तु की बिक्री भी ज्यादा होगी । इसके लिए मुद्रण सम्बन्धी यन्त्रों की जानकारी, टाईप आदि की जानकारी का जानकार होना अत्यन्त आवश्यक है । इसके अलावा समाचार-पत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि कौन-सा विभाग किस सत्ता के हाथ में नियन्त्रित व केन्द्रित है ताकि कोई संकट पड़ने पर उस सत्ता से स्पष्ट आदेश प्राप्त किया जा सके और कर्मचारी इधर-उधर न भटकता फिरे ।

चौथी बात है, सुस्पष्ट नीतियाँ । समाचार-पत्र और उद्योगों की संरक्षा अलग तो है ही साथ ही जोखिम भरा भी है । अतः समाचार-पत्र की नीति स्पष्ट, साफ व सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी पाठकगण उससे जो अपेक्षाएँ रखता है वह उसे पूरी तरह मिल सके । इनमें पत्र का माख, प्रतिष्ठा तथा लोकप्रियता बढ़ती है । इसी के साथ-साथ पत्र की अर्थसाहिक नीति भी निर्धारित होनी चाहिए । पैसों के

लिए झूठे दावे करना, हानिकारक व गुमराह करने वाले विज्ञापन देना आदि समाचार-पत्र की प्रतिभा पर कलक लगाते हैं। अतः इस ओर ध्यान देना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अर्थात् किसी भी पत्र की प्रगति तीन तथ्यों पर अवलम्बित होती है जो कि समाचार-पत्र के तीन मेहराब कहलाते हैं। इनमें प्रथम है, प्रकाशन विषयक जटिल प्रक्रिया अर्थात् कुशल प्रबन्ध। दूसरा है, विज्ञापन एवं प्रसार अर्थात् अखबार की वित्तीय क्षमता (साधन सम्पन्नता) और तीसरा है—कुशल सम्पादन। यदि इन तीनों शक्तियों के सन्तुलन और समन्वय वा समुचित ध्यान रखा जाए तो कोई भी पत्र प्रगति के पथ पर निरन्तर अप्रसर रह सकता है। इसके अलावा अखबारी कार्य की उपलब्धि, मुद्रण सम्बन्धी नयी तकनीकी के प्रचलन, जनसम्पर्क के नये उत्पादनों के चयन समाचार सम्प्रेषण की नयी-नयी जानकारीयाँ व वितरण की नूतन प्रणालियों का व्यावहारिक ज्ञान पत्र-उद्योग की सफलता के आवश्यक अंग हैं।

प्रबन्ध

पत्र के प्रबन्ध की दक्षता, सूक्ष्मता तथा सगठन शिल्प पर ही प्रत्येक पत्र की प्रगति सम्भव है अर्थात् समाचार-पत्र सस्यान की वागडोर मुख्यतः प्रबन्धक या प्रशासनिक विभाग के हाथों होती है। यह विभाग प्रमुख रूप से व्यवसायिक रूप-रेखा के निर्धारण परिकल्पना तथा सगठन शिल्प को निरन्तर तथा रूप देने हेतु नित नई नई रचना रचता है। साथ ही प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता की वृद्धि पर भी ध्यान देता है अर्थात् यह मुद्रणालय विभाग, सम्पादकीय विभाग, विज्ञापन व प्रसार विभाग आदि की गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखता है। इस प्रबन्ध सगठन के निम्न तीन प्रकार होते हैं—

1. सैनिक,
2. विकेन्द्रित तथा
3. समन्वित

सैनिक प्रकार में सम्पादकीय विभाग, व्यवस्था विभाग या और कोई भी विभाग सब एक ही व्यक्ति पर केन्द्रित रहते हैं। यह प्रक्रिया छोटे समाचार-पत्रों के लिए लाभदायक है।

विकेन्द्रित प्रणाली में सारी सत्ता मुख्य व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न विभागीय प्रमुखों में विकेन्द्रित कर दी जाती है क्योंकि उनका विस्तार इतना बड़ा होता है कि वह केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं सम्भाला जा सकता है।

समन्वित प्रणाली में न तो सत्ता एक व्यक्ति पर केन्द्रित रहती है और न ही वो विकेन्द्रित की जाती है बरन् सत्ता का नियन्त्रण मूल एक हाथ में रहता है पर ही अधिकांश सत्ता भिन्न-भिन्न विभागों को सौंप दी जाती है ताकि सभी

विभागों को अपनी क्रियाशीलता दिखाने का अधिक से अधिक अवसर मिले। इसने सब विभागों में नियन्त्रण भी बना रहता है और प्रत्येक विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य करता रहता है। इन तीनों प्रकारों में से समन्वित रूप ही समाचार-पत्र के लिए अधिक उपयोगी है।

भारत सरकार ने समाचार-पत्रों को तीन श्रेणियाँ निर्धारित की हैं—लघु, मध्यम और बड़े समाचार पत्र। लघु समाचार-पत्र का ढाँचा अत्यन्त ही सीधा-सादा होता है क्योंकि ज्यादातर वह पत्र एकल-स्वामित्व लिए होते हैं अतः समाचार-पत्र की योजना के लिए प्रकाशन की सामग्री जुटाना, विज्ञापन एकत्रित करना, उनकी मुद्रण व्यवस्था करना, बेचना, उसकी राशि एकत्रित करना सभी एक व्यक्ति द्वारा होता है इसीलिए इसे 'वन मैन शो' कहा जाता है।

मध्यम व बड़े समाचार-पत्रों का ढाँचा लघु समाचार-पत्र से एकदम भिन्न होता है क्योंकि इन समाचार-पत्रों की प्रसार मत्वा अधिक होती है। इसका स्वामी तो एकल उद्योगपति हो सकता है पर इसमें कुछ विभागों की स्थापना करके, विभागों को अलग-अलग श्रेणियों में बाँट दिया जाता है ताकि काम सुचारु रूप से चल सके। इन समाचार-पत्रों का संगठन ढाँचा अन्य उद्योग संगठनों के समान ही जटिल व विस्तृत होता है उसे सभी प्रकार की आधुनिक प्रणालियों का अपनाकर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार समाचार-पत्र मध्यम हो या बड़ा, उसे सुचारु व व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ विभागों की अत्यन्त आवश्यकता है। हाँ, समाचार पत्र के आधार के अनुरूप इन विभागों में थोड़ा-बहुत हेर-फेर किया जा सकता है। मुख्यतः यह विभाग निम्न है—

1. प्रशासनिक विभाग या संचालन विभाग
2. सम्पादन या सम्पादकीय विभाग
3. विज्ञापन विभाग
4. वितरण विभाग या ग्राहक विभाग और
5. मुद्रण विभाग या प्रेस विभाग

1 प्रशासनिक विभाग या संचालन विभाग

प्रत्येक मध्यम व बड़े समाचार-पत्रों में एक प्रशासनिक विभाग होता है। जिसका कार्य सुदृढ़ नीतियों का निर्धारण करना होता है। इस विभाग में प्रायः निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत रहते हैं—

1. प्रमुख प्रकाशक, मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर या ट्रस्टी
2. महाप्रबन्धक या जनरल मैनेजर
3. नियन्त्रक या कार्यालय मन्त्री
4. रोकड़पाल या ग्राह्य-भ्यक्षक

प्रकाशक: का उत्तरदायित्व नीतियों और प्रबन्ध का मंचालन करना है अर्थात् उसकी नीतियों का व्यवस्थापन करना है। महाप्रबन्धक: सभी विभागों का निरीक्षण करता है। इसमें खरीदी, नियुक्तियाँ प्रशानन सभी कुछ यही देखता है। नियन्त्रक: का कार्य व्यापार के लिए धन जुटाना तो है ही साथ ही कानूनी उत्तरदायित्व, कर्मचारियों का वेतन देना, करों का भुगतान, रिपोर्ट आदि कार्य देखता है। अर्थात् पत्र को प्रगति की दिशा में ले जाने का कार्य इसी का है। साथ ही प्रत्येक विभाग की कार्य-क्षमता व सहयोग बराबर बना रहे यह भी यही विभाग देखता है। इन कार्यों को पूरा करने हेतु नियन्त्रक कुछ मंचियों, प्रबन्धक महाप्रबन्धक आदि की नियुक्तियाँ करता है। रोकड़पाल या आयव्ययक समाचार-पत्र के पाई-पाई का हिमाव जिताने रखता है कि कितने कितनी पूँजी ली है? कितने कितनी देनी है आदि का पूरा ब्योरा रोकड़पाल रखता है।

2. सम्पादकीय विभाग

सम्पादकीय विभाग समाचार-पत्र की रीढ़ है। पत्र की प्रसार संख्या में वृद्धि मुख्यतः सम्पादकीय विभाग में कार्यरत उपसम्पादक, पत्रकारों, स्तम्भ-लेखकों पर निर्भर होनी है जो अपनी बौद्धिक मृजनात्मक तथा कल्पना-शक्ति के सामंजस्य के द्वारा पत्र को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने हैं। अतः यह भाग समाचार-पत्र का "ब्रेन ट्रस्ट" कहलाता है जिसके द्वारा पत्र अपनी जनाभिमुख छवि पाठकों में बनाए रखता है तथा उसी से उनकी आत्मा का चरित्र और प्रतिभा का स्वरूप निखरना है। बुल सम्पादन के अभाव में कोई भी पत्र शीघ्र ही निस्तेज व निर्जीव हो जाता है चाहे उगका बाहरी कलेवर कितना ही सुन्दर क्यों न हो? समाचार-पत्र का मुख्य कार्य है समाचार प्रकाशित करना और उनकी समीक्षा, विश्लेषण आदि के द्वारा जनमत को शिक्षित व जाग्रत करना। मुख्य रूप से सम्पादकीय विभाग तीन प्रकार के कार्य करता है—प्रथम—समाचार एकत्र करना, द्वितीय—उनका चुनाव और तृतीय—उनका सम्पादन करना। अतः प्रत्येक समाचार-पत्र को समाचारों का चयन करते समय बड़ी मावधानी रखनी चाहिए। यह ठीक है कि सम्पादक विभिन्न माध्यमों द्वारा समाचार एकत्रित कर लेता है पर उसके चयन में एक सम्पादक का समाचारों के महत्त्व, सामयिकता, क्षेत्रीय महत्त्व तथा मानवीय रुचि पर विशेष ध्यान देना अत्यन्त जरूरी है। इसके बाद सम्पादक की कुशल लेखनी द्वारा उनका प्रस्तुतीकरण भी अत्यन्त महत्त्व रखता है। नेताओं के भाषण, भेंटवार्ताएँ, टेलिप्रिन्टर व विभिन्न ऐजेन्सी से प्राप्त समाचार आदि को इकट्ठा करके उन्हें योग्यता व महत्त्वता के हिमाव में सम्पादकीय विभाग रखता है तथा फिर उनका अनुवाद करके सम्पादकीय विभाग में भेजता है, इसके बाद इनका प्रक पढ़ा जाता है। यह प्रक्रिया दिन व रात को पारी में चलती रहती है। सम्पादकीय विभाग ही पृष्ठाकार मामग्री का जन्म राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, प्रांतीय व क्षेत्रीय महत्त्व के समाचारों का चयन करता है यही

गद्दी सम्पादकीय लेख भी इसी विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। रात्रि में प्रथम पृष्ठ का प्रूफ देखने के बाद सम्पादकीय विभाग का कार्य समाप्त होता है। इन मर उपर्युक्त बातों को पूरा करने के लिए विभिन्न समाचार-पत्र अपनी मान्यकतागुण कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। जिनमें प्रमुख हैं—

1. प्रमुख सम्पादक—त्रिस्तका कार्य सम्पादकीय नीति को कार्यान्वित करना तथा पूरे समाचार-पत्र का निरीक्षण करना है।
2. समाचार सम्पादक—यह समाचार विभाग पर नियन्त्रण के माध्यम-मार्ग अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, क्षेत्रीय स्तरों पर भी नियन्त्रण रखता है।
3. सहायक-सम्पादक—यह सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणियाँ लिखने का कार्य करता है।
4. उप-सम्पादक—ये समाचार सम्पादक के सहायक होते हैं।
5. स्थानीय सहायक—जो स्थानीय समाचारों का संचालन करते हैं।
6. सहायक—ये नैतिक, राजनैतिक, साहित्यिक, धर्म सांस्कृतिक, कानून व शांति व्यवस्था, पुलिस, शिक्षण आदि से सम्बन्धित समाचारों को एकत्रित करता है।
7. प्रूफ विभाग—प्रूफ पढ़ना ही इस विभाग का प्रमुख कार्य है।

इन सबके अतिरिक्त वित्त सम्पादक, क्रीडा सम्पादक, महिला सम्पादक, सांस्कृतिक सम्पादक अलग-अलग समाचार-पत्र की आवश्यकतानुसार नियुक्त कर लिए जाते हैं।

3. विज्ञापन विभाग

श्री डब्ल्यू के अनुसार 'विज्ञापन समाचार-पत्र उद्योग का जीवन-रक्त है।' एक ग्रन्थ विद्वान श्री एफ आर. गैम्बल के अनुसार, "उत्पादन में जो भूमिका मशीन की है वही भूमिका विज्ञापन की है। मशीन के उपयोग ने हमारी वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ाया है, इसी भाँति विज्ञापन जैसे 'ताम्रिक माध्यम के उपयोग ने समाचार-पत्र के विकास में तेजी आ जा रही है। वास्तव में किसी भी समाचार-पत्र उद्योग का आय का स्रोत ही विज्ञापन है। अतः यह विभाग समाचार-पत्र का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भाग है।

ज्यों-ज्यों प्राथमिक बिक्री बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों विज्ञापन का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। एक समाचार-पत्र जो इतना बड़ा होता हुआ भी इतनी कम कीमत में बिकता है उसका एक कारण यही है कि वह अपनी सब कमी विज्ञापन के माध्यम से पूरा कर लेता है। जो पत्र प्रसार व विज्ञापन के मामले में जितना अग्रणी होगा उतना ही उसका प्रस्तित्व बड़ा रहेगा। अतः जिस पत्र का विज्ञापन विभाग

जितना सक्रिय व दक्ष होगा उतना ही उसका वित्तीय ढाँचा मजबूत होगा। यह कार्य अत्यन्त ही थम-साध्य है। विज्ञापन का सही अनुवाद करना, विज्ञापनदाता या विज्ञापन एजेंसी द्वारा निर्देशित शिड्यूल के अनुसार उनका प्रकाशन यथास्थान होना, रजिस्टरो, लेजर आदि में प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना तथा प्रकाशन के बाद बिल तैयार करके तुरन्त विज्ञापनदाता को भेजना, साथ ही विज्ञापनदाता को पत्र की प्रति भेजना आदि समस्त कार्य इसी विभाग के अन्तर्गत आते हैं। अधिक से अधिक विज्ञापन एकत्रित करने के लिए पत्र सस्थान जगह-जगह विज्ञापन प्रतिनिधियों को नियुक्ति करते हैं। इन विज्ञापनों की अनेक श्रेणियाँ होती हैं—

1. वर्गीकृत विज्ञापन—यह आकार में छोटे होते हैं जैसे टेंडर नोटिस, कम्पनी की सूचनाएँ, स्कूल व कॉलेज के प्रवेश सम्बन्धी विज्ञापन, रोजगार से सम्बन्धित सूचनाएँ इस विज्ञापन के अन्तर्गत आती हैं।
2. कंजुशल विज्ञापन—यह विज्ञापन कुछ अर्कों में प्रकाशन हेतु अस्मात् ही दिये जाते हैं।
3. कान्ट्रेक्ट विज्ञापन—जो मन्त्रे ममय तक निश्चित तिथियों पर प्रायः रियायती दरों पर छापे जाते हैं।
4. डिस्प्ले विज्ञापन (प्रदर्शन विज्ञापन)—ये कान्ट्रेक्ट विज्ञापन की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसे विज्ञापनों से पत्रों को भारी आय होती है साथ ही इन विज्ञापनों में पत्र की साज-सज्जा भी सँवरती है।
5. पैन्ल विज्ञापन—जो पत्र के नाम (टाइटिल या फोलियो) के दोनों तरफ दो लघु वर्गाकार स्थान में प्रकाशित होते हैं।

इन सभी विज्ञापनों की शर्तें व दरें भिन्न भिन्न होती हैं। किसी में विज्ञापन-शुल्क शब्दों के हिसाब से तो किसी में सेंटीमीटर के हिसाब से लिया जाता है।

विज्ञापन आज एक जटिल प्रक्रिया है। आज समाचार-पत्र में विज्ञापन का स्थान बेचा जाता है। जिस समाचार पत्र में जितने अधिक विज्ञापन होंगे, उतने ही अधिक वह समाचार छाप सकेगा। इसकी व्यवस्था के लिए समाचार-पत्र प्रतिष्ठान में विज्ञापन विभाग होता है। जिनमें मुख्य रूप से समाचार-पत्र के आकारानुसार कर्मचारी कार्यरत रहते हैं।

1. विज्ञापन प्रबन्धक—इसका कार्य विज्ञापन विभाग का नियात्मक संचालन एवं निरीक्षण करना है साथ ही यह प्रतिनिधियों-तथा विज्ञापन-दाताओं से सम्पर्क के माध्यम-पत्र-व्यवहार भी करता है।
2. सहायक प्रबन्धक—इसका मुख्य कार्य स्थानीय विज्ञापन व डिस्प्ले आदि विज्ञापनों को देखना है।

3. विललिपिक—यह समय-समय पर बिल बनाकर भेजना है तथा बाउचर (उक्त अंक की प्रति विज्ञापनदाना को भेजना जिसमें उमरा विज्ञापन प्रकाशित हुआ है) आदि का भी हिप्पाव रखता है ।
- 4 विज्ञापन प्रतिनिधि (कैनवामर) —ये म्यानीय विज्ञापन को तो इकट्ठा करते ही हैं, साथ ही समाचार-पत्र की लोकप्रियता का प्रचार भी करते हैं ।

ये सब कर्मचारी इस बात का ध्यान रखते हैं कि विज्ञापनों से लाभ तो हो ही साथ ही वह बिना एकावट नियमत रूप में प्राप्त होते रहे तथा किसी भी कम्पनी का विज्ञापन बजट प्रतिष्ठान को ज्यादा में ज्यादा मिलता रहे पर इन सबके साथ ही इन बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे विज्ञापन प्रकाशित न हो जाएँ, जिन पर कानूनी रूप से प्रतिबन्ध है ।

समाचार-पत्र में विज्ञापन का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि किसी भी समाचार-पत्र की वित्तीय स्थिति इसी के द्वारा ऊँची उठ सकती है तो यही विभाग उसे नीचे गिरा सकता है । यही कारण है कि जब किसी समाचार-पत्र को विज्ञापन कम मात्रा में मिलते हैं तो उसे पृष्ठों की संख्या भी कम करनी पड़ती है, फलस्वरूप उसके ग्राहक दूट जाते हैं और कम ग्राहक देखकर कोई भी विज्ञापनदाता उस समाचार पत्र को विज्ञापन नहीं देना चाहता और समाचार-पत्र गम्भीर आर्थिक संकट में फँस जाता है । अतः विज्ञापन विभाग को अत्यन्त ही जागरूक, मतकं व सज्जिन होना जरूरी है, ताकि समाचार-पत्र मुन्नाह रूप में चल सके ।

4. वितरण विभाग या ग्राहक विभाग

किसी भी समाचार-पत्र की लोकप्रियता का अनुमान हम उसकी प्रसार संख्या में महज ही लगा सकते हैं क्योंकि जिसका जितना प्रसार होगा उतना ही अधिक वह पत्र विज्ञापन प्राप्त कर सकेगा, फलस्वरूप उसकी आय उतनी ही अधिक होगी । प्रसार विभाग का सीधा सम्बन्ध पत्र के वितरण व विन्मय विभाग में होता है । अतः इसके समझ सदैव ही 'समय के साथ दौड़ने की चुनौती' विद्यमान रहनी है । यही कारण है कि इस विभाग को "व्यापक विन्नी वाले पत्र-पत्रिकाओं की आत्मा का स्पदन" कहा गया है । प्रसार विभाग को पत्रों का बण्डल निर्धारित लक्ष्य रेखा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान पर पहुँचाना होता है क्योंकि अगर वह पाठकों के पास निश्चित अवधि के अन्तर्गत न पहुँचा तो पत्र की उपयोगिता व लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फलस्वरूप पत्र की प्रसार संख्या घटनी जाएगी । यही कारण है कि प्रबन्धकों की पैनी दृष्टि प्रसार व्यवस्था अर्थात् प्रसार पर लगी रहती है । बहुत से समाचार-पत्र विज्ञापन बटारने हेतु अपने समाचार पत्रों की प्रसार संख्या को वृद्धि बहुत बड़ा-चड़ा कर बनाने हैं । पढ़ने तो इन समाचार-पत्रों की प्रसार

सत्या मापने का कोई साधन ही नहीं था, पर आज अमरीका की नांति यहाँ भी ए. वी. सी. (आडिट ब्यूरो ऑफ सव्यूनेमन्) द्वारा प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत किए जाने हैं क्योंकि यह संस्था प्रसार संस्था के विषय में विश्वस्त सूत्रों से सूझ छान-बीन के बाद प्रमाण-पत्र जारी करती है और आज इसी ए. वी. सी. के द्वारा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर विज्ञापनदाता व विज्ञापन एजेंट्सियाँ वित्तीय समाचार-पत्र के लिए विज्ञापन की मात्रा निर्धारित करते हैं।

सही वितरण और घनराशि कुशलता से एकत्र करने के लिए वितरण विभाग का कार्यक्षम होना अत्यन्त जरूरी है। इसके लिए उसके कार्यों को कुछ विभागों में बांट दिया जाता है जो कि समाचार-पत्र के आकार प्रकार के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करते हैं। ये कर्मचारी मुख्यतः निम्न होते हैं—

1. सव्यूलेशन मैनेजर—इसका कार्य समाचार-पत्र के प्रचार व प्रसार का उत्तरदायित्व तथा वित्तीय बटाने के निरन्तर उपयोग के लिए प्रयत्न करना है।
2. सहायक—इसका कार्य स्थानीय वितरण, नगर के बाहरी क्षेत्र में वितरण, बुकस्टाल पर वित्तीय, डाक तथा रेलवे पार्सलों का भेजना व फुटकर वित्तीय करना है।
3. विललिपिक—इसका कार्य समय पर ग्राहकों और एजेंटों को विल भेजना तथा वसूली करना है।
4. वितरण निरीक्षण—इसका कार्य एजेंटियों का निरीक्षण करना तो है ही, साथ ही नयी-नयी एजेंटियाँ खोलने का भी है।
5. कैंव्वासर—समाचार-पत्र की लोकप्रियता का प्रसार तथा नए ग्राहकों की प्राप्ति करना है।

विक्रय की सफलता ही किसी पत्र की सफलता की निशानी है। ठीक समय पर गन्तव्य स्थान तक पत्र पहुँचाना इन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समाचार को प्रसार मंहुवा अधिक से अधिक बड़े इसके लिए यह विभाग निम्न तरीके अपनाता है—

(क) स्थानीय वित्तीय

दैनिक-पत्र के लिए स्थानीय वित्तीय का अत्यन्त ही महत्त्व है क्योंकि यह वित्तीय अधिनतर नियमित पाठकों में ही होती है। या तो यह मोचे कार्यालय में अपना चरस जमा करके नाम दर्ज करा देते हैं या स्थानीय एजेंट द्वारा पत्र मंगाते हैं। कुछ समाचार-पत्र नगर के प्रमुख भागों में एजेंटों की नियुक्तियाँ करते हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में वित्तीय की व्यवस्था करते हैं। एम् में समाचार-पत्र को तीन-चार व्यक्तियों

में सम्पर्क करना पड़ता है और ये एजेंट अपने-अपने क्षेत्र में हॉकरो को रखते हैं और उन्हें से पैसे वसूल करते हैं। कभी-कभी तो सारे नगर में एक ही सोल एजेंट रहता है जो सारे नगर में पत्र की बिक्री की व्यवस्था करता है। इन एजेंटों को समाचार-पत्र काफ़ी कमीशन देता है और एजेंट उन कमीशन में से कुछ कमीशन हॉकरो को देते हैं। वे हॉकर एजेंट के प्रति काफ़ी वफ़ादार होते हैं। सोल एजेंट नियुक्त करने से कार्यालय को विभिन्न स्रोत से पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता और सारा पैसा एक ही जगह से वसूल हो जाता है। परन्तु इसमें कार्यालय का ग्राहकों व हॉकरो से सम्पर्क टूट जाता है और सोल एजेंट कुशल, अनुभवी व मेहनती नहीं हो तो समाचार वितरण व्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। कुछ समाचार-पत्र एजेंट न रखकर हॉकरो के द्वारा अपने समाचार-पत्र की बिक्री करते हैं। ये हॉकर अपने-अपने ग्राहक बाँध लेते हैं। समाचार-पत्र इन हॉकरो को काफी अच्छा कमीशन देते हैं तथा समय-समय पर साइकिल, पैसे, टायरी आदि इनाम देकर भी इनको प्रोत्साहित करते रहते हैं क्योंकि इन्हीं हॉकरो पर समाचार-पत्र की बिक्री निर्भर होती है। हॉकरों को यह कमीशन समाचार-पत्र के मूल्य के हिस्से से मिलता है।

इसके अलावा फुटकर बिक्री भी होती है जो कि स्थायी नहीं होती। ये बिक्री चलते-फिरते सड़क पर, रेल व बस स्टेशनों पर या सिनेमाघरों पर होती है। इस तरह की बिक्री ज्यादातर प्रवासी (बाहर से आते जाते) लोगों से होती है।

(ख) प्रादेशिक बिक्री

नगर के वितरण के बाद प्रादेशिक बिक्री भी समाचार-पत्र के लिए अत्यन्त महत्व रखती है। प्रादेशिक बिक्री से तात्पर्य है जहाँ समाचार-पत्र अन्य नगरों से प्रकाशित होने वाले अखबारों की प्रतिस्पर्धा में अन्धी पहुँच जाए तथा जो राजनीति, भौतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से निकट हो। यह बिक्री भी ज्यादातर एजेंटों द्वारा की जाती है। इन्हीं समाचार-पत्र उचित कमीशन देता है जिसके फलस्वरूप ये एजेंट प्रदेश में बिक्री की व्यवस्था करते हैं। जो लोग डाक द्वारा या पैमें जमा कराकर समाचार-पत्र भगते हैं उनको भी समाचार-पत्र वहाँ के एजेंटों को सौंप देता है।

(ग) डाक द्वारा

बहुत-सी जगह जहाँ एजेंटों की निवृत्तियाँ सम्भव नहीं होती वहाँ डाक द्वारा समाचार-पत्र की प्रतियाँ भेजी जाती हैं। इससे साप्ताहिक मासिक पत्रों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना दैनिक पत्र पर। फिर भी इन पत्रों को भेजने की निश्चय निधि होनी चाहिए। जिससे पाठकों को वह समय पर उपलब्ध हो सके।

(घ) विमान, रेल व बस सेवाएँ

आज सबसे तेज साधन विमान है अतः जहाँ तक सम्भव होता है वहाँ प्रतिदिन विमान द्वारा ही भेजी जाती है। विमान सेवा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अन्य

साधन द्वारा ग्राम डाक सस्करण ही पाठक तक पहुँचाया जा सकता है जबकि विमान द्वारा नगर सस्करण भी पाठकों तक पहुँच जाता है। लेकिन जहाँ विमान सेवा उपलब्ध नहीं होती वहाँ रेल द्वारा समाचार-पत्र भेजे जाते हैं। गन्तव्य स्थान पर पहुँचने पर वहाँ नियुक्त एजेंट इन्हे प्राप्त कर लेते हैं तथा उन समाचार-पत्रों को छोटी-छोटी जगह वस व टैक्सियों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुँचा देते हैं। परिवहन या निजी बसें, कस्बों व छोटे-छोटे नगरों में समाचार-पत्रों को ले जाकर वहाँ पर नियुक्त एजेंट को सौंप देती हैं।

(ड) स्वयं के वाहन द्वारा

कुछ बड़े समाचार-पत्र स्वयं की टैक्सियों या ट्रक आदि में भरकर समाचार-पत्र विभिन्न उपनगरों में भेजते हैं और वहाँ प्रतिनिधि, उपअभिकर्ताओं, हॉकर्स तथा सीधे ग्राहकों को समाचार-पत्र बेचते हैं। इससे प्रमुख लाभ यह है कि सौ डेड सौ मील की अवधि में नगर सस्करण शीघ्र ही पहुँच जाता है।

इस प्रकार विभिन्न तरीके अपना कर समाचार-पत्र अपनी वितरण व्यवस्था को बढ़ाता है। पर यह कार्य अत्यन्त ही सूझबूझ व उत्साह तथा कौशल का काम है। पाठक समाचार-पत्र का आराध्य है उसका मन्तोप ही समाचार-पत्र की विजय का मापदण्ड है। अतः उसकी इच्छा आकांक्षाओं, तकलीफों, शिकायतों का समाचार-पत्र को पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी प्रसार सद्यः दिन दूनी बढ़ती रहे।

5. प्रेस विभाग या मुद्रण विभाग

जिस विभाग में समाचार-पत्र अपना आकार ग्रहण करता है वह है प्रेस विभाग अर्थात् विभिन्न विभागों से प्राप्त सामग्री को गठित करके एक सुन्दर समाचार-पत्र के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य मुद्रण विभाग करता है। पत्र का आकर्षण व मुद्रण पाठकों को सर्वप्रथम अपनी ओर प्रभावित करता है। अतः स्व. एम. सदानन्द (श्री प्रेम जर्नल के सस्थापक—सम्पादक) का कथन “यदि पत्र को एक रूपवती दुल्हन मान लिया जाए तो मुद्रण को उसका परिधान माना जा सकता है।” किमी भी पत्र का रूप दिव्यास पत्र की प्रसार सद्यः को घटाना है तथा बढ़ाता है। सम्पादकीय विभाग व विज्ञापन विभाग से सामग्री प्राप्त करते ही उसे “कम्पोज करना और बाद में विभिन्न मशीनी प्रक्रियाओं के द्वारा उसे सम्पन्न करना इस विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रण विभाग का कार्य मुख्यतः स्थित टग से चलाने के लिए प्रायः इस विभाग में निम्नलिखित कर्मचारी कार्य करते हैं—

1. प्रेम व्यवस्थापक—इसका कार्य समाचार-पत्र मुद्रण की सभी प्रतिनियामों की देख-रेख करना और समय पर बुशल उत्पादन करना है।

2. फोरमेन—कम्पोजिंग विभाग, स्टोरियो विभाग, मुद्रण विभाग में यह कर्मचारी कार्यरत रहते हैं।

3. बाइण्डर—फोटोडिप विभाग, समाचार-पत्र के गट्टे और पार्सल बंधना तथा उन्हें विभिन्न माध्यमों के द्वारा भेजना इसका कार्य है।

प्रायः हर बड़े समाचार-पत्रों के पास अपना मुद्रणालय होता है परन्तु कुछ पत्र किसी अन्य मुद्रणालय से अपना पत्र का मुद्रण कराते हैं। समाचार-पत्र ठीक प्रकार में तथा ठीक समय पर छप कर तैयार हो जाए इसके लिए मुद्रणालय को विभिन्न उपविभागों में बाँट दिया जाता है। विशेष रूप से मुद्रणालय विभाग को निम्न उपविभागों में विभाजित किया जाता है।

1 कम्पोजिंग कक्ष—जब सम्पादकीय विभाग से समाचार तैयार हो जाता है तो वह कम्पोजिंग कक्ष में भेज दिया जाता है। जहाँ टाइपों द्वारा समाचार कम्पोज किया जाता है। समाचार को कम्पोज करने के लिए मुख्यतः तीन तरीके अपनाए जाते हैं।

(अ) हाथ से कम्पोज करना

प्रायः छोटे समाचार-पत्र यही तरीका अपनाते हैं। इसमें टाइप लकड़ी के विभिन्न खण्डों में रहने हैं। अलग-अलग अक्षर के लिए अलग-अलग खण्ड होते हैं। कम्पोजीटर को जिस अक्षर को कम्पोज करना होता है उसे वह टाइप खण्ड से उठाकर चाँप हाथ की "स्टिक" पर जमाना जाता है। एक शब्द खत्म होते ही कम्पोजीटर खाली जगह वाला टाइप रखता है। इस तरह वह पूरा समाचार कम्पोज करके उस सामग्री को लम्बी ट्रे (गैली) में रखता है। कुछ समाचार-पत्रों में पूरी सामग्री इन्हीं विधि से कम्पोज होती है तो कुछ में गीपंक और उपशीपंक प्रादि के लिए यह तरीका अपनाया जाता है।

(ब) मशीन से कम्पोज करना

मशीन से सामग्री कम्पोज करने की मुख्य तीन प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं—प्रथम मोनोटाइप—इसमें अलग-अलग शब्द कम्पोज होते हैं। दूसरी लाइनो-टाइप—इसमें पूरी लाइन कम्पोज की जा सकती है। तीसरी इन्ट्रोटाइप—इसमें मोनो व लाइनो दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये मशीनें काफी जटिल होती हैं। इनमें चालक अक्षरी सीट पर बैठा हुआ टाइपराइटर के समान बनी कृत्रिमों को आवश्यकतानुसार दबाता जाता है और पत्तियाँ स्वचालित ढंग से कम्पोज होकर सामने आ जाती हैं।

(स) हाथ से लिखना

इसमें एक विशेष स्याही द्वारा विशेष कागज पर पूरी सामग्री शीर्षकों, उप-शीर्षकों द्वारा हाथ से लिख कर उसे एक पत्थर की प्लेट में रसायनिक प्रक्रिया द्वारा

छाप लिया जाता है। इन प्रणाली को जिलामुद्रण या लिथोग्राफी के नाम से जाना जाता है। प्रायः उर्दु व मिन्यी समाचार इसी पद्धति से निकाले जाते हैं।

जब समाचार किसी भी पद्धति से कम्पोज कर लिया जाता है तो उसके 'भ्रूक' निकाल कर संशोधक के पास भेज देते हैं जो इनकी गलतियों को निकालता है। इन गलतियों को सुधारने के बाद समाचारों को उसी क्रम में रखा जाता है जिसमें समाचार पत्र प्रकाशित होगा। अब समाचार-पत्र के सभी पृष्ठों को कस के बांधकर मेट्रिक्स बनाने के लिए तैयार मान लिया जाता है और उसे स्टीरियो टाइपिंग कक्ष में भेज दिया जाता है।

2. स्टीरियो टाइपिंग कक्ष—जहाँ टाइप पृष्ठों की धातु प्लेटें तैयार की जाती हैं।

3. एनप्रिगिंग कक्ष या प्रोसेस डिपार्टमेंट—इस कक्ष का नाम चित्रों, रेखाचित्रों का ब्लाक में परिवर्तन करना है। रेखाचित्र, छायाचित्र, व्यंग्यचित्र को समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए इन्हें जल्द्री आकार में घटाया-बढ़ाया जाता है और उनका ब्लाक बनाकर उसे कम्पोजिंग कक्ष में भेज दिया जाता है।

4. मुद्रण कक्ष—समाचार-पत्र का सबसे महत्पूर्ण अंग मुद्रण व्यवस्था है। मुख्य रूप से समाचार-पत्र मुद्रण के तीन तरीके अपनाता है। वे तरीके निम्न हैं—

(अ) स्टीरियो रोटरी मुद्रण

मुद्रण की इस आधुनिक तकनीक में सर्वप्रथम तैयार पृष्ठ का "मेट्रिक्स" एक विशेष प्रकार की "शीट" पर बनाया जाता है तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा धातु की अद्भुत गोलकार शीट में पूरे पृष्ठ की सामग्री स्थानान्तरित हो जाती है। इसे ही स्टीरियो टाइपिंग कहते हैं। यह कार्य कास्टिंग मशीन पर होता है। इस प्रक्रिया से तैयार सभी पृष्ठों की धातु प्लेटें रोटरी मशीन में यथास्थान फिट कर देने के पश्चात् मुद्रण की प्रक्रिया आरम्भ होती है। बटन दबाते ही कागज तेजी के साथ आगे बढ़ता-जाना है और समाचार-पत्र छगकर बाहर निकलता जाता है। इसके बाद मुद्रित प्रतिर्या रैकिंग कक्ष में पहुँचाई जाती है। जहाँ कर्मचारियों की टोली प्रत्येक स्थान की प्रसार संख्या के अनुसार उसके बण्डल तैयार करके गन्तव्य स्थान को खाना कर देती है। अधिकतर समाचार-पत्र इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं।

(ब) चपटे तल वाली (प्लेट बेड) मशीन पर मुद्रण

कुछ समाचार-पत्र जो कम पृष्ठ संख्या तथा कम प्रसार मंद्वा के हैं। उन्हें प्लेट बेड मशीनों पर छपा जाता है। यह एक साधारण बिस्म की मशीन होती है। स्मार्टी लगे धातु पृष्ठ पर कागज रखकर उसे गोल बेलनों के नीचे दबाया

जाना है और समाचार-पत्र छप जाता है पर इन प्रक्रिया की गति अत्यन्त ही कम होती है।

(स) शिला-मुद्रण

इसे अधिकतर उर्दू व सिन्धी भाषा के समाचार-पत्र इस्तेमाल करते हैं।

(द) ऑफसेट मुद्रण पद्धति

यह एक आधुनिक शिल्प मुद्रण है। इस पद्धति में समान सामग्री को एक रबड़ शीट पर स्थानान्तरित करके सीधे कागज पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। जिसे "ऑफसेट लीथोग्राफ" कहा जाता है। यह कार्य कुछ बेलनों की सहायता से किया जाता है। एक बेलन पर धातु की पतली पर्त, दूसरे में म्याही और तीसरे में रबड़। रबड़ बेलन कागज वाले बेलन से सम्पर्क करता है। यहाँ अक्षरी का संपादन से मुद्रण होता है। कुछ वर्षों से इस पद्धति का बड़ी तेजी से विकास हुआ है।

इस प्रकार समाचार-पत्र संगठन एक जटिल प्रक्रिया तथा श्रुतनाबद्ध प्रक्रिया है। एक समाचार-पत्र संगठन के अन्तर्गत पत्र की प्रसार, विज्ञापन, अक्षरारी कागज, प्रिन्ट, सम्पादकीय विभाग, मुद्रण विभाग सहित समस्त कर्मचारियों का न्यायवश क्रिया जा सकता है। पत्र को मुद्रण रूप में चलाने के लिए पत्रों का वैज्ञानिक प्रवन्ध और नवीन तकनीकी विधियों के ज्ञान का अपना महत्त्व है। कुशल संचालन के अभाव पर कोई भी समाचार-पत्र शीघ्र ही काल रूपा के कगार पर पहुँच सकता है तो कुशल संचालन उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकता है। अतः किसी भी समाचार-पत्र को मुद्रण रूप से चलाने के लिए उसका उचित संगठन अत्यन्त ही जरूरी है।

समाचार समितियाँ : उद्भव एवं विकास

एननादक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटैनिका के अनुसार "समाचार समिति वह समिति है जो समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, बलब, सगठनों व निजी व्यक्तियों को तारों, पाइलिपियो, प्रूफ, टेप मशीनों, प्रतिलिपियो, दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) और कभी-कभी टेलिफोन द्वारा समाचार प्रेषित करती है।" समाचार समितियाँ स्वयं समाचार प्रकाशित नहीं करती बरन् निजी स्तर पर अपने ग्राहकों को सूचनाएँ प्रदान करती हैं।

सयुक्त राष्ट्र शिक्षा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन संस्था ने संवाद समिति को इस प्रकार परिभाषित किया है—“समाचार समिति एक उद्यम है जिसका प्रमुख उद्देश्य चाहे उसका कानूनी स्वरूप कैसा भी हो—समाचार एवं सामयिक सामग्री एकत्र करना एवं तथ्यों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण करना है तथा उन्हें समाचार सस्थाओं को, विशेष परिस्थितियों में निजी व्यक्तियों को भी, इस दृष्टि से वितरित करना है कि उन उपभोक्ताओं को व्यावसायिक, विविध एवं नियमानुकूल स्थितियों में मूल्य के एवज में जहाँ तक सम्भव हो सम्पूर्ण एवं निष्पक्ष समाचार सेवा प्राप्त हो सके।”

उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है कि समाचार समितियों का मुख्य कार्य समाचार-पत्रों, रेडियो तथा सामूहिक संचार के अन्य साधनों को समाचार वितरण तथा नव-सामयिक घटनाओं के समाचार, प्रकाशनोपयोगी सामग्री सकलित करना है। आज समार अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका है और व्यक्ति यह चाहता है कि इतने बड़े विश्व के किसी भी कोने में व किसी भी क्षण घटने वाली घटना उसे शीघ्र मालूम हो जाए। इन घटनाओं को ज्ञात करने के लिए अधिकांश समाचार-पत्र देश-विदेश में अपने सवाहदाता नियुक्त नहीं कर सकते। समाचार समिति यह कार्य दूरमुद्रकों के माध्यम से शीघ्र कर देती है। यही कारण है कि समाचार समितियों का कार्य बहु-आयामी तो है ही साथ ही व्यापक और दायित्वपूर्ण भी है।

समाचार-समितियों का स्थान वास्तव में समाचार-पत्रों से भी बड़ा है क्योंकि यह राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार-पत्रों को वह समाचार या सवाद देनी है जिनकी सहायता से समाचार-पत्रों का कलेवर बनता है। इन सवाद समितियों में कुछ अपेक्षाएँ भी की जाती हैं जैसे—समिति जो भी समाचार प्रेषित करे व पूर्णतया निष्पक्ष हो साथ ही विश्वसनीय व तथ्यात्मक भी हो। समाचार राष्ट्रहित व समाज-हित से भी सवद्ध हो। समाचार सकलन करते समय भी समिति को उन्हीं घटनाओं का सकलन करना चाहिए जिसमें “समाचार तन्त्र” हो। उसे अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए बड़े व्यापारिक समूह तथा बड़े समाचार-पत्रों के दबावों से भी मुक्त रहकर कार्य करना होता है। इन समाचार समितियों को राजनीतिक समाचारों के अतिरिक्त जनजीवन विषयक मानवीय सुसूचितपूर्ण सवादों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ बड़ी-बड़ी राजधानियों के समानान्तर स्थानीय और प्रादेशिक समाचार केन्द्रों का निर्माण करके ग्रामीण इलाकों के समाचारों को भी जनता के समक्ष रखना चाहिए और साथ ही भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं को समुचित महत्त्व देना चाहिए। यदि ये समाचार समितियाँ इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगी तो वास्तव में ये लोकतन्त्रीय समाज में एक विशेष भूमिका निभानी हुई जीवनत समिति तो बनेगी ही साथ ही अपने प्रादुर्भाव के प्रति भी पूरा न्याय करेगी।

भारत में समाचार समितियों का उद्भव

19 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत में पायनियर, स्टेट्समैन, इंग्लिश-मैन तथा इंडियन टेली न्यूज—चार प्रमुख अंग्रेजी पत्र प्रकाशित थे, जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। इन चारों में हैममैन के व्यक्तित्व के कारण पायनियर अधिक प्रभावशाली था। अतः स्टेट्समैन के कार्टम, इंग्लिशमैन के बक तथा इंडियन टेली न्यूज के डालस ने मिलकर ‘एसासिएटेड प्रेस ग्रॉस इण्डिया’ (ए.पी.आई.) के नाम से मन् 1905 में समाचार समिति की स्थापना की। इन्हे भारत के प्रमुख पत्रकार केशवचन्द्र राय का पूरा सहयोग मिला। लेकिन जब राय को इस समिति का निदेशक बनाने से इंकार किया गया तो इन्होंने उपानाथ सेन के सहयोग से “प्रेस ब्युरो” का गठन किया जिसके फलस्वरूप इन्हे निदेशक बनाना पड़ा। इस प्रकार राय ए.पी.आई. को पूरी तरह सशक्त बनाने व विकसित करने में जुट गए। राय को भारत में “समाचार समितियों का जनक” कहा जाता है।

घोरे-बीरे ए.पी.आई. की कलकला, मद्रास तथा बम्बई में शाखाएँ स्थापित हुईं पर टमकी हालत काफी खस्ता थी। अतः मन् 1915 में इसको राइटर्स ने अधिग्रहण कर लिया। इस अनुबन्ध के बाद इन समिति ने अंग्रेजों को समर्थन देना शुरू कर दिया जिससे भारतीय पत्रकारों व समाचार-पत्रों को काफी चिन्ता हुई।

अतः इस स्थिति से निपटने के लिए 1927 में सदानन्द ने "फ्री प्रेस एजेन्सी ऑफ इण्डिया" का गठन किया।

राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के कारण एफ. पी. आई. को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मई, 1930 के प्रेस अध्यादेश द्वारा जो भी समाचार-पत्र इसके समाचार लेते थे उन्हें दण्डित किया जाता रहा। एजेन्सी के तार भी सेन्सर किए जाते थे। पर सदानन्दजी ने हिम्मत न खोकर जून, 1930 में बम्बई से "फ्री प्रेस जरनल" नाम का दैनिक आरम्भ किया। अनेक कठिनाइयों में जूझती हुई अन्त में 1935 में एफ. पी. आई. बन्द हो गई।

1. सितम्बर, 1933 में कलकत्ता से बी. सेन गुप्ता ने यूनाईटेड प्रेस ऑफ इण्डिया की स्थापना की। प्रारम्भ में ही इस समिति की वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परन्तु धीरे-धीरे स्वतन्त्रता के वाद सन् 1948 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी टेलिप्रिन्टर माइन का उद्घाटन किया। यू. पी. आई. प्रथम समाचार समिति थी जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का समाचार प्रकाशित किया था पर दुर्भाग्यवश आर्थिक कठिनाइयों के कारण सन् 1958 में यू. पी. आई. बन्द हो गई। 15 अगस्त, 1947 से भारत में समाचार समितियों का लगातार विकास होता गया। इस समय भारत में मुख्यतः निम्नलिखित समाचार समितियाँ काम कर रही हैं—

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (पी. टी. आई.)

पी. टी. आई. का मुख्यालय 357, प्रो. बाबानाई नारोजी रोड, बम्बई-3 में स्थित है। यह भारत की ही नहीं बरन् एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति है जो अंग्रेजी में समाचार प्रेषित करती है। सरदार बल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों में पी. टी. आई. ने सितम्बर, 1948 में रायटर से अनुबन्ध कर लिया तथा 1949 में भारत के प्रमुख समाचार-पत्रों ने एसोसिएटेड प्रेस (ए. पी. आई.) को खरीद लिया क्योंकि स्वतन्त्रता से पूर्व काम कर रही ए. पी. आई. ब्रिटिश समाचार एजेन्सी रायटर की शाखा मात्र थी और भारतीय समाचार-पत्र इसे विदेशी प्रभाव से मुक्त कराना चाहते थे। इस सन्ध्या का पंजीकरण तो अगस्त, 1947 में हुआ था पर इनने 1 फरवरी, 1949 से कार्य करना प्रारम्भ किया। पी. टी. आई. का रायटर से अनुबन्ध 3 वर्ष तक के लिये किया गया था अतः 1951 से इस संस्था ने स्वतन्त्र रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

अब पी. टी. आई. रायटर से विदेशी समाचार खरीदती है तथा रायटर को भारत के अन्तर्देशीय समाचार देती है। समाचार के दस आदान-प्रदान की व्यवस्था पी. टी. आई. ए. एफ. पी. (फ्रांस की प्रेस एजेन्सी) और अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस की सहायता से करती है। पी. टी. आई. निगुंट ग्रान्दोलन से सम्बद्ध देशों के

समाचारों का भी वितरण करती है। इसके साथ-साथ ये विदेशी समाचारों को सीधे उपग्रह संचार सेवा से निरुद्ध एजेन्सी पूल और एशियन न्यूज एजेन्सी के संगठन के सदस्य के रूप में प्राप्त करती है। समाचार सेवा के आदान-प्रदान के लिए बल्गारिया (बी टी. ए.), हंगरी (एम. टी. आई.), पीएलए (पी ए पी.), जर्मन जनवादी गणराज्य (ए. डी. एन) एवं सोवियत रूस (तास) सत्राद समितियों से भी जुड़ी हुई है तथा एशियन प्रेसिफिक न्यूज एजेन्सीज का प्रमुख सदस्य है। समाचार-पत्रों के अतिरिक्त पी टी आई. की सेवाएँ आकाशवाणी तथा अन्य सस्थानों द्वारा भी ली जाती हैं। पी टी. आई ने सर्वप्रथम 1980 में ग्राम चुनावों के समाचार देने के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग किया और 1980 से ही इसने फोचर सेवा प्रारम्भ की। पी. टी. आई द्वारा अग्रेजों के अलावा हिन्दी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव विधाराधीन है। 1982 से इसने 'स्कैन' सेवा भी शुरू करके पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कैन सेवा में एक टी वी नुमा परदे पर सामोशी से 15-15 लाइनों के समाचार हर डेढ़ मिनट पर आते-जाते रहते हैं। इस प्रकार के रिमोवर सेट कई होटलों, मकानों, हवाई अड्डों पर रोजमर्रा की देश-विदेश, वाणिज्य विज्ञान और खेल जगत की खबरें दिन-रात देते रहते हैं।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार इस संस्था के देश भर में 120 कार्यालय हैं जिन्हें 70,000 कि. मी. लम्बी टेलीप्रिन्टर लाइन पर पी. टी. आई. समाचार प्राप्त करने के लिए 100 नगरों में सवाददाताओं के अलावा 350 जिलों व कस्बों से भी अशकालीन सेवाएँ प्राप्त करती है। यह एक दिन में करीब 100,000 शब्दों के समाचार देती है जिसमें से 40 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय समाचार हैं। इसके साथ-साथ इसके अपनी रिपोर्ट व विदेशों से पत्राचार भी है।

पी. टी. आई ने विश्व के महत्वपूर्ण नगरों में पूर्णकालीन सवाददाता समाचार प्राप्त करने के लिए विदेशी कार्यालय स्थापित कर रखे हैं—थ्यूयर्स, (राष्ट्र संघ) लंदन, मास्को, बीजिंग, कुआलालम्पुर, नैरोबी, इस्लामाबाद, काठमांडू, कोलम्बो, ढाका और वहरिन तथा 19 विदेशी केन्द्रीय में अशकालीन सवाददाता पत्राचार के लिए अनुषन्ध कर रखे हैं जो निम्न हैं—

ओटावा, वॉन, ब्रुसेल्स बर्लिन, बेलग्रेड, झूडोपस्ट, स्टॉकहॉम, बियाना, पेरिस, लागोस, हेरेयर, डर्बन, दुबई, दोहा, रंगून, बेरूक, हांगकांग, तियोल और टोकियो। इस प्रकार 35 देशों की राजधानियों में इसके सवाददाता नियुक्त हैं। इस संस्था के द्वारा राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास सम्बन्धी समाचारों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया को संक्षेप में प्रेट्र या पी टी आई लिखा जाता है। दूरदर्शन के लिए समाचार रीथ बनाने के क्षेत्र में भी प्रेस ट्रस्ट पदापण कर चुका है। आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया

में समाचार कम्प्यूटर की सहायता से भेजे जा रहे हैं। कागज कम का स्थान कम्प्यूटर द्वारा संचालित 'वीडियो डिस्प्ले ईकाईयो' ने ले लिया है। ऐसी लगभग दर्जन इकाईयाँ प्रेम ट्रस्ट के दिल्ली केन्द्र में कार्य कर रही हैं। समाचार सम्पादन के बाद टेलिप्रिन्टर पर जाने के लिए तैयार समाचार केवल एक बटन दबाने से केन्द्रीय कम्प्यूटर में दर्ज हो जाता है। अपना समय आने पर ये समाचार स्वतः ही टेलिप्रिन्टर पर अंकित हो जाते हैं।

यूनाइटेड न्यूज ग्रॉफ इण्डिया (यू एन आई)

यू एन आई का मुख्यालय—१, रफी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। पी. टी. आई के बाद यह भारत की दूसरी बड़ी एजेन्सी है जो अंग्रेजी में समाचार देती है। प्रथम प्रेम के आयोग के सुझावानुसार इस समिति का गठन किया गया क्योंकि देश भर में एक ही उच्चस्तर की न्यूज एजेन्सी थी जिम्का समाचार सफल व वितरण पर एकाधिकार था। ऐसी स्थिति में समाचारों का निष्पक्ष होना संदिग्ध था और जब दो समाचार समिति काम करेगी तो दोनों में एक से बढ़ कर एक समाचार देने की होड़ लगेगी। फलस्वरूप समाचार-संकलन-वितरण की व्यवस्था स्तर, शिल्प और तकनीकी आदि में सुधार की बात मोचकर सन् 1961 में इसका गठन किया गया।

यू एन आई ने यू पी. आई जो घनाभाव के कारण बन्द हो गई थी उसी की टेलिप्रिन्टर मशीनों पर 12 मार्च, 1961 से विधिवत कार्य प्रारम्भ किया। इस सन्धा का पञ्जीकरण 10 नवम्बर, 1959 को हुआ था। समिति का कार्य सञ्चालन एक महाप्रबन्धक की देख-रेख में होता है।

आज यह सन्धा 80,000 कि. मी लम्बी टेलिप्रिन्टर लाईन से जुटी हुई है तथा देशभर में इसके लगभग 100 केन्द्र हैं, 550 से अधिक पत्र ग्राहक हैं जो इसे देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेन्सी बना रहे हैं। ये समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित हैं। विश्व की 15 सबाद समितियों से इसने समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की है जैसे—ए. पी. आई, तास (टन), डी. पी. ए. (प. जर्मनी), एंगर प्रेस (रुमानिया), मो. टी. के. (चेकोस्लोवाकिया), जी. जी. प्रेस (जापान), तानजुग (यूगोस्लाविया), ए. एन. एम. ए. (इटली), आई. एन. ए. (बांग्ला देश), और रा. म. म. (नेपाल) आदि। यू. एन. आई. अंग्रेजी में ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि फोकस सेवा स्पॉट्स फीचर सन्देश सेवा आदि तो देती ही है, साथ ही मामयिक महत्त्व के विषय पर पृष्ठभूमि के लेख जारी करती है।¹ राष्ट्रसभ उपग्रह संचार व्यवस्था के द्वारा अपनी समाचार-सेवा को खाड़ी देशों को भी देती है। जिममें कुर्बत

1. देश और दुनिया (समाचार भारती वापिकी) पृ. 142.

रेडियो व टेलिविजन तथा आवू धावीका खलीजी टाइम्स सम्मिलित है। यह अपनी समाचार सविस को तार द्वारा प्रेषित करती है, जिसमे इसकी वित्त मन्थनी सविस भी है। इस सविस को यह 120 बाजार भारत मे तथा 45 बाजार विदेशो के टेलिग्राफर के द्वारा नियमित मूचना प्रसारित करती है। यू एन. आई ने कुछ विशिष्ट सेवाएँ भी प्रारम्भ की है जैसे—वाणिज्य सेवा, सदर्भ सेवा, कृषि सेवा तथा फोकस सेवा।

यूनीवार्ता

‘पहली बार इस बात की कोशिश की गई कि हिन्दी और भारतीय भाषा-भाषी पत्रो की एक-एक ऐसी समिति हो जो सब दृष्टि मे परिपूर्ण हो प्रथान् उममें राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रादेशिक राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, व्यापार, मनोरजन आदि सभी क्षेत्रों के समाचार उपलब्ध हो।’ इस आचार पर यू एन आई. ने 1 मई, 1982 मे हिन्दी मे यूनीवार्ता नाम मे मेवार्ण देना प्रारम्भ किया है। इसे संक्षेप मे ‘युवा’ लिखा जाता है। हिन्दी प्रदेशो मे इस मस्या के करीब 105 कार्यालय हैं और करीब 225 पत्र इसकी सेवा का लाभ उठा रहे हैं। पिछले आठ वर्षों मे देश व विदेशो मे जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी जैते—सातवाँ गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, नवाँ एशियाई खेल, लेबनान पर इजराइल आक्रमण या भारत पाक और भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रु लता, राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन आदि के बारे मे ‘यूनीवार्ता’ ने जो भी समाचार प्रेषित किए वे खूब छापे गए।

यूनीवार्ता का ध्येय वाक्य—“छोटे समाचार पत्रो को कम ध्यय मे हिन्दी मे देश विशेष के समाचार उपलब्ध कराना।”

आज यह समाचार समिति इतनी विविधता लिए हुए समाचार प्रेषित कर रही है जिसकी सहायता से सम्पूर्ण समाचार-पत्र निकाला जा सकता है और जो अंग्रेजी की सवाद समितियो से स्पर्धा कर सकता है। यूनीवार्ता को मेवा केवल हिन्दी पत्र ही नहीं ले रहे बल्कि मराठी का ‘आन्दोलन’ दैनिक एवं ‘जालना’ (महाराष्ट्र) ले रहा है। पूर्व मे कलकत्ता से लेकर पश्चिम मे धोकानेर और जोधपुर तथा उत्तर मे चण्डीगढ से लेकर दक्षिण मे नर्मदा तक ‘यूनीवार्ता’ फंती हुई है।

हिन्दुस्तान समाचार

“हिम” का कार्यालय—कनाट लेन, नई दिल्ली मे स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ली समाचार समिति है जो भारतीय भाषाओ मे समाचार और खेल पत्र-पत्रिकाओ को भेजती है जबकि वी टी आई और यू एन आई अंग्रेजी मे। इस समिति के कुछ कर्मठ व्यक्तियो ने खासकर एम एम. आण्टे की प्रेरणा व प्रयासो से दिसम्बर, सन् 1948 मे स्थापना हुई। जिस समय यह समिति बनी उस समय हिन्दी दूर-

मुद्रक मशीनें भी नहीं बनी थी। समाचारों को हाथ से लिखकर पहुँचाया जाता था। प्रारम्भ में इस समिति ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना, नागपुर, जयपुर एवं लखनऊ में अपने केन्द्र स्थापित किए। हिन्दुस्तान समाचार का श्रीगणेश प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुआ था पर जून, 1957 में यह सहकारी समिति के रूप में परिणित हो गई।

इस समिति ने सबसे पहले विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय खबरों को सकलित करके राज्य स्तर पर विनरित करने की पहल की। परन्तु यह नव कार्य डाक द्वारा ही होता था क्योंकि हिन्दी के दूरमुद्रको के बिना विभिन्न केन्द्रों के बीच समाचारों का आदान-प्रदान सम्भव नहीं था। अतः राजपि पुरुषोत्तम दास टंडन के सुझाव पर तत्कालीन संचार मंत्री रफी अहमद किदवई के प्रयासों से चार अंग्रेजी की "क्रीड" मशीनों को जबलपुर वर्कशाप में देवनागरी में बदला गया और इस समिति ने यह मशीनें ले ली तथा सबसे पहले सन् 1954 में दिल्ली पटना के मध्य नागरी दूरमुद्रको का प्रयोग समाचार प्रेषण के लिए किया गया। यह हिन्दी पत्रकारिता की अत्यन्त उल्लेखनीय प्रगति थी।

इसके बाद से "हिन्दुस्तान समाचार" हिन्दी, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती, नेपाली, असामिया, उडिया, बंगला, इंग्लिश आदि भाषाओं में समाचार देती है। यह विभिन्न भाषाओं में समाचार एकत्रित करके राष्ट्रीय देवनागरी टेलिप्रिन्टर के द्वारा 80 समाचार-पत्रों, रेडियो के 20 और 6 टेलिविजन केन्द्रों को समाचार प्रसारित करती है। इस एजेंसी ने तास, अना और पाकिस्तानी, प्रेम इन्टरनेशनल सस्थाओं से विदेशी समाचारों के आदान-प्रदान के लिए सम्पर्क कर रखा है। इसके अलावा यह समाचारों का आदान-प्रदान काठमाडु धिप्पू, पोर्ट के स्टेशनों को भी करती है। इस समिति की यह विशिष्टता रही है कि इसने सदैव प्रादेशिक समाचारों के सकलन की ओर विशेष ध्यान दिया है जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजनैतिक समाचारों के अतिरिक्त सांस्कृतिक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि गतिविधियों से सम्बद्ध समाचारों का भी यह संकलन करके वितरित करती है।

आज देश भर में इस समिति के 50 के लगभग केन्द्र हैं तथा भारतीय भाषाओं के 130 में अधिक पत्र इसके ग्राहक हैं। 1968 से "युगवार्ता" शीर्षक से "हिन्दुस्तान समाचार" ने एक प्रसंग लेख सेवा भी शुरू कर रखी है। यह एजेंसी प्रति दिन 16 घण्टों में औसत 50,000 शब्दों के समाचार प्रेषित करती है। परन्तु वर्तमान में इस समाचार समिति की आर्थिक स्थिति नाजुक है।

समाचार भारती

"समाचार भारती" का मुख्यालय—नई दिल्ली में है। 2 अक्टूबर, 1966 में स्थापित समाचार भारती भारतीय भाषाओं की दूसरी बड़ी समिति है। इस समिति

की स्थापना यह कहकर की गई थी कि एक ही हिन्दी समाचार समिति होने से उग पर विशेष राजनीतिक विचार-धारा का प्रभुत्व है, अतः इस समिति की स्थापना से यह समिति प्रतिस्पर्धा में आ गई। समिति के गठन के पीछे मूल प्रेरणा धर्मवीर गाँधी की थी जिन्हें लाला फिरोजचन्द्र, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी और प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री का सक्रिय सहयोग मिला।

यह समिति बहुभाषी है तथा दस प्रमुख भाषाओं के 150 से अधिक समाचार-पत्र इसकी समाचार सेवा से लाभ उठाते हैं। देश की राजधानियों तथा प्रमुख नगरों में इसके केन्द्र हैं जो लगभग 30,000 किलोमीटर लम्बी टेलिप्रिन्टर लाइन से इनको जोड़े हुए हैं। भारत के अनेक समाचार-पत्रों, रेडियो तथा टेलिविजन के समाचार बुलेटिनो में 'भारती' के समाचार प्रकाशित व प्रसारित होते हैं। विदेशी समाचार सेवाओं के लिए इस समिति ने तास तथा तीसरी दुनियाँ के देशों की प्रमुख सबाद समिति आई. पी. एस. के साथ अनुबन्ध कर रखा है, इनसे इसे उपग्रह संचार व्यवस्था से समाचार प्राप्त होता है। मई, 1979 से भारती ने अपनी विशेष फीचर सेवा प्रारम्भ की जिसका मुख्य उद्देश्य साप्ताहिक समाचार-पत्रों की आवश्यकता को पूरा करना है। समाचार भारती "देश और दुनिया" नाम से एक दैनिकी भी प्रदान करती है। वर्तमान समय में इस समाचार समिति की भी आर्थिक स्थिति डाँवाडोल है।

समाचार

24 जनवरी, 1976 को आपातकाल के दौरान चारों समाचार समितियों (पी. टी. आई., यू. एन. आई., हिन्दुस्तान समाचार व समाचार भारती) को "समाचार" नाम से समिति बनाकर विलय कर दिया गया। ये एक प्रकार से समाचारों के खोनों पर सरकार के नियन्त्रण का चोटक था। तब भारत में केवल यही एक मात्र समाचार समिति रह गई थी जिसे सरकार ने अधिक मात्रा में आर्थिक समर्थन मिला। जिससे सबाद समितियों को आर्थिक योगदान एवं जीवनदान नो मिला ही साथ ही वित्तीय कठिनाई न रहने से सभी कर्मचारियों को वेतन आदि की सुविधा भी पूर्ण रूप से मिलने लगी। एक फरवरी, 1976 से इसकी ऑनलाइन प्रकाशित होना शुरू हुई और 1 अप्रैल, 1976 से इसकी प्रबन्ध समिति ने कार्य करना शुरू किया। परन्तु 1977 में सत्ता परिवर्तित होने के साथ ही 14 अप्रैल, 1978 को समाचार पुनः विघटन करके पुनः चार समितियों में परिणत कर दिया गया।

"समाचार" का विघटन करने के बाद सरकार ने कुलदीप नैयर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समितियों की भरवना पर मुभाष देने के लिए कहा गया। आज यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा हुआ है कि देश में एक ही समाचार समिति हो या एक से अधिक। एक ही समाचार समिति के समर्थक कहते

है कि अधिक अभाव के कारण देश में एक ही समाचार समिति हो। यही नहीं, एक समिति होने से समाचार प्रेषण में पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। ये समर्थक प्रतिस्पर्धा को कोई महत्त्व नहीं देते हैं क्योंकि सभी समाचार पत्र इस बारे में स्वतन्त्र हैं कि वे चाहे समाचार छाँपें या न छाँपें। इन लोगों का कहना है कि एक ही समिति होने पर बड़े समाचार-पत्रों या किन्हीं स्वार्थी तत्त्वों का भी इस पर दबाव नहीं पड़ेगा।

जबकि एक से अधिक समाचार समिति के समर्थकों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश में क्षेत्र, जनसंख्या, भूगोल, भाषाओं आदि की विपुलता को देखते हुए यहाँ एक से अधिक समाचार समितियों का विकास किया जा सकता है क्योंकि प्रतियोगिता रहने से देश का विकास होता है। अतः देश की उन्नति के लिए एक से अधिक समाचार समितियाँ होनी चाहिए।

नेयर समिति का सुभाव है कि देश में केवल दो समितियाँ हों—(1) वार्ता और (2) मदेश और यह दोनों समितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय समाचार के लिए न्यूज इण्टिया नामक समिति बना लें। इस समिति के अनुसार “वार्ता” पूर्ण रूप से भारतीय भाषाओं में समाचार दे और सन्देश पूर्ण रूप से अंग्रेजी में। परन्तु इसके घालोचकों का कहना था कि ऐसा होने से इनमें प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा का नितान्त अभाव रहेगा साथ ही इनमें सन्तुलन व सामंजस्य भी नहीं रह सकता क्योंकि सन्देश अंग्रेजी के कारण व्यापक है तो “वार्ता” बहुभाषी होने से थम-साध्य हो जायेगी। इन प्रकार यह गुत्थी अभी अघर में ही है।

प्रश्न कितने भी हो कौसी भी समाचार समिति हो आज इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली कठिनाई है “विस्तीय समस्या”। दूसरी समस्या है “भाषा” आज हिन्दी के विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित पत्रों में अलग-अलग भाषा और शैली देखने को मिलती है जैसे इन्दौर में मराठी भाषा और संस्कृति की भ्रमक तो दूसरी ओर जालन्धर के हिन्दी पत्रों में उर्दू का प्रभाव है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सरल हिन्दी तो वाराणसी में संस्कृत-निष्ठ हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह निश्चिन्त करना कठिन है कि समिति किस भाषा या शैली की अपनाये।

भाषा

पी०टी०आई० ने 18 अप्रैल, 1986 को हिन्दी समाचार सेवा “भाषा” का प्रारम्भ करके हिन्दी पत्रकारिता के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कुछ ही वर्षों में उसने जो प्रगति की है वह उल्लेखनीय है। “भाषा” अनुवाद एजेंसी न होकर मूल खबरों की एजेंसी बनने की दशा में प्रयत्नशील है। यह पहली समाचार समिति है जो समाचारों के वाक्य-विन्यास, भाषा-शैली, वर्तनी और नामों के सही उच्चारण के लिए ठोस रचनात्मक कार्य कर रही है। भाषा के

सम्पादक डॉ० वेद प्रताप चंडिक की मान्यता है कि 'विदेशी' नामों के उच्चारण के लिए कई विदेशी भाषाओं की "उच्चारण तालिकाएँ" बनाई गई हैं। देश के लगभग 11000 शहरों और कस्बों के सही नामों की प्रमाणिक सूची "भाषा" की डेस्क पर रखी है। समाचार लेखन ने उसी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वर्तनी में एक रूपता हो। हम अपनी वर्तनी किसी पर थोपना नहीं चाहते।"

भाषा की विशेषता पर धर्मयुग 9 नवम्बर, 1986 में प्रकाशित लेख की पंक्तियों दृष्टव्य हैं—“भाषा की खबरों में अगर रीगन, राजीव, गोर्बाच्योव भाषण देते दिखाई पड़ते हैं तो कुमार गधर्व गाते हुए, जैनन्द्र बोलते हुए, अमृत धाल नागर लिखते हुए, नागार्जुन वाय्य पाठ करते हुए और मन्मथ फिवा हुसैन चित्र रचते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पी०टी०आई० देव है तो भाषा महादेव”। इस प्रकार “भाषा” राजनीतिक खबरों पर जोर देने के बजाय साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों की खबरों को व्यापक रूप से स्थान दे रही है।

वर्तमान समय में भाषा खबरों के लगभग 300 ट्रेक रोज भेज रही है। समद सत्रों में यह अनुपात और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार भाषा एजेंसी हिन्दी पत्रकारिता को नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। डॉ० वेद प्रताप चंडिक का तो कहना यह है कि 'भाषा की खबर उसी के नाम से बिकनी चाहिए जैसे स्टील टाटा की, जूते बाटा के और खबर भाषा की।'

आज समाचार समितियों से यही अपेक्षा की जाती है कि उन्हें वस्तुनिष्ठता, पूर्णता तथा स्वतन्त्रता से कार्य करना चाहिये तथा सभी प्रकार के निहित स्वार्थों—आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यापारिक दबावों से मुक्त रहना चाहिये और भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं को यथास्थान देना चाहिये तभी ये जन-संचार के सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

प्रेम इन इण्डिया के अनुसार भारत में कार्यरत प्रमुख समाचार समितियाँ इस प्रकार हैं—

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. एमोसिएटिड न्यूज सर्विस, हैदराबाद, | 2. भारत न्यूज सर्विस, हैदराबाद, |
| 3. बुन्देल खण्ड न्यूज एजेंसी, सागर | 4. क्रांतीनेष्टल न्यूज सर्विस |
| 5. सेन्ट्रल न्यूज लेटर, भागलपुर | 6. करंट न्यूज, हैदराबाद |
| 7. सेन्ट्रल न्यूज एण्ड फीचर्स, भोपाल | 8. कर्मशिपल न्यूज एण्ड फीचर्स सर्विस,
नई दिल्ली |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 9. इकोनोमिक्स सर्विस, बम्बई | 10. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, नई दिल्ली |
| 11. हिन्दुस्तान समाचार को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बम्बई | 12. हिन्दुरतान समाचार, नई दिल्ली |
| 13. इण्डियन न्यूज एण्ड फीचर अलायन्स, नई दिल्ली | 14. आई. पी. ए., बाराणसी |
| 15. टण्डीपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस, लखनऊ | 16. जे. एन. एफ., जम्मू |
| 17. जे. के. न्यूज | 18. जे ए के. |
| 19. कौमुदी न्यूज सर्विस | 20. केरल प्रेस सर्विस |
| 21. मध्य प्रदेश समाचार | 22. नेशनल न्यूज सर्विस, दिल्ली |
| 23. नेशनल प्रेस एजेन्सी, नई दिल्ली | 24. नेशनल प्रेम, लखनऊ |
| 25. एन एफ. के. | 26. उड़ीसा न्यूज |
| 27. पी टी. आई. | 28. प्रेम एशिया इन्टरनेशनल |
| 29. प्रेम इन्फोरमेशन ब्यूरो | 30. पब्लिकेशन सिटीनेट |
| 31. पञ्जाब प्रेम सर्विस | 32. पञ्जाब न्यूज सर्विस |
| 33. राजस्थान समाचार, जयपुर | 34. समाचार भारती |
| 35. सर्वोदय विहार सेवा | 36. छात्री समाचार सेवा, इन्दौर |
| 37. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया | 38. यूनीवर्सल न्यूज सर्विस |
| 39. यू. पी. एफ., जम्मू कश्मीर | 40. उर्दू न्यूज सर्विस |
| 41. युग वार्ता | |

विदेशी समाचार समितियाँ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. एसोसिएटेड प्रेस, लन्दन | 2. एजेन्सी फ़्रांस प्रेस |
| 3. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका | 4. अन्ता, इटली |
| 5. ए. डी. एन. पूर्वी जर्मनी | 6. एन्टारा, इण्डोनेशिया |
| 7. एल्जीरियाई प्रेस सर्विस, एल्जीरिया | 8. अरब रिबोल्यूशनरी न्यूज एजेन्सी, लीबिया |
| 9. बिरनामा, मलेशिया | 10. बंगला देश संवाद सेवा, बांगला देश |
| 11. ब्रिटिश इन्फोरमेशन सर्विस | 12. सी ई. टी ई. के. ए. चेकोस्लोवाकिया |
| 13. डी पी. ए., प. जर्मनी | 14. एयोपिया न्यूज एजेन्सी |
| 15. फार ईस्टर्न इकोनोमिक रिव्यू | 16. घाना न्यूज एजेन्सी |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 9. इकोनोमिक सर्विस, बम्बई | 10. एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, नई दिल्ली |
| 11. हिन्दुस्तान समाचार को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बम्बई | 12. हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली |
| 13. इण्डियन न्यूज एण्ड फीचर असायन्स, नई दिल्ली | 14. आई. पी. ए., वाराणसी |
| 15. इण्डोपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस, लखनऊ | 16. जे एन. एफ., जम्मू |
| 17. जे. के. न्यूज | 18. जे ए के. |
| 19. कौमुदी न्यूज सर्विस | 20. केरल प्रेस सर्विस |
| 21. मध्य प्रदेश समाचार | 22. नेशनल न्यूज सर्विस, दिल्ली |
| 23. नेशनल प्रेस एजेन्सी, नई दिल्ली | 24. नेशनल प्रेस, लखनऊ |
| 25. एन एफ. के. | 26. उड़ीसा न्यूज |
| 27. पी टी. आई. | 28. प्रेस एशिया इन्टरनेशनल |
| 29. प्रेस इन्फोरमेशन थ्युरो | 30. पब्लिकेशन सिंडीकेट |
| 31. पंजाब प्रेस सर्विस | 32. पंजाब न्यूज सर्विस |
| 33. राजस्थान समाचार, जयपुर | 34. समाचार भारती |
| 35. सर्वोदय बिहार सेवा | 36. साक्षी समाचार सेवा, इन्दौर |
| 37. यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया | 38. यूनीवर्सल न्यूज सर्विस |
| 39. यू. पी. एफ, जम्मू कश्मीर | 40. उर्दू न्यूज सर्विस |
| 41. युग वार्ता | |

विदेशी समाचार समितियाँ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. एसोसिएटेड प्रेस, लन्दन | 2. एजेन्सी फास प्रेस |
| 3. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका | 4. अन्ता, इटली |
| 5. ए. डी. एन. पूर्वी जर्मनी | 6. एन्टारा, इण्डोनेशिया |
| 7. एल्जीरियाई प्रेस सर्विस, एल्जीरिया | 8. ग्रब रिबोल्यूशनरी न्यूज एजेन्सी, लीबिया |
| 9. बिरनामा, मलेशिया | 10. बगला देश सवाद सेवा, बांगला देश |
| 11. ब्रिटिश इन्फोरमेशन सर्विस | 12. सी ई. टी. ई. के. ए. चेकोस्लोवाकिया |
| 13. डी पी. ए., प. जर्मनी | 14. एर्षापिया न्यूज एजेन्सी |
| 15. फार ईस्टर्न इकोनोमिक रिथ्यू | 16. घाना न्यूज एजेन्सी |

रहे। यह प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि पत्रकारों की स्वतन्त्र चेतना और दायित्व-बोध भावना ने जनजीवन व राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित किया है। बाबूराव पराडकर, अश्विकाप्रसाद वाजपेयी, गणेशशंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णकान्त मालवीय, बालकृष्ण शर्मा "नवीन", श्रीराम शर्मा, कृष्णदत्त पालीवाल, रामकृष्ण बेनीपुरी, कन्हैयालाल मित्र, श्रीनाथमिह, व अन्य बीसियों पत्रकारों को जेल की हवा खानी पड़ी। यह सब अकारण नहीं था इनके सामने देश स्वाधीनता, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे महान और व्यापक उद्देश्य थे। इसके लिए सतत सक्रियता, जनसेवा, त्याग और अनिदान में पत्रकार सघर्ष की हुराबल में रहे। स्वतन्त्रता से पूर्व मुख्य घ्येय राष्ट्र तथा राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करना ही था। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार, समाज सुधार, भाषा-प्रेम आदि प्रमुख विषय उनके सम्मुख थे, परन्तु 1947 में स्वतन्त्रता मिलने पर पत्रों के समक्ष स्पष्ट दिशाबोध नहीं रह गया। देश के विकास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संरचना की कोई स्पष्ट या नवीं शीघ्र कल्पना अभी उभर कर सामने नहीं आई थी।

इसी प्रकार पराधीनता काल में पत्रकारिता का जो आदर्श था वह टूटने लगा, उसकी तेजस्विता धूमिल हो चली। इसी को लक्ष्य करके गणेशशंकर विद्यार्थी ने कहा है कि "जिन लोगों ने पत्रकारिता के पवित्र कार्य को अपना काम बना रखा है, उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने चित्त को इस बात पर विचार का अवसर देते हैं कि हमें सच्चाई की लाज रखनी चाहिए, केवल अपनी मक्खन-रोटी के लिए दिनभर में कई रंग बदलना ठीक नहीं। इस देश में भी दुर्भाग्य से समाचार-पत्रों और पत्रकारों का यही मार्ग बनता जा रहा है—यहाँ भी अब बहुत से समाचार-पत्र स्वभाषाधारण के कल्याण के लिए नहीं रहे, सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं..."¹ वास्तव में यह परिभाषा आज सही उतरती है। आजादी के बाद सभी वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ने लगे। सच्चाई एवं ईमानदारी, जीवन में सादगी, भारतीयता, भय एवं धूम्रपान निषेध ये सभी संकीर्णतावादी, प्रतिक्रियावादी, रुद्धिवादी बानें बन गयीं। नवसभ्रातों के लिए धूर्तता, अवसरवादिता, ठाठ-वाट, मद्य एवं धूम्रपान प्रगति के पर्यायवाची बन गये। ऐसे में देश-भक्ति से पूर्ण हिन्दी पत्रकारिता ने भी पलटा जाया। कुछ पत्र यद्यपि काल कबलित हो गए थे और कुछ पत्रों के मालिकों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और पत्रकारिता को भी एक नया आर्थिक मोड़ दिया। अब पत्रकारिता मिशन नहीं व्यवसाय बन गया। सेहू पत्रों के मालिक बन गये, सम्पादक व उसके सहयोगी मजदूरों की श्रेणी में आ गये। राज-

1. गणेशशंकर विद्यार्थी का मत—डॉ. कृष्णविहारी मिश्र की पुस्तक हिन्दी पत्रकारिता : में उद्धृत पृ. 413.

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता : परिचय एवं वर्गीकरण

शताब्दियों की दासता के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति किसी भी राष्ट्र के लिए निविडतम अन्धकारपूरित रात्रि की समाप्ति पर हुए अरुणोदय के समान होती है। तमस रुद्र नेत्रो से जब राष्ट्र स्वतन्त्रता सूर्य के दर्शन करता है तो जाने कितनी आशा-आकांक्षाएँ उसके हृदय के हर कोने में मचलने लगती हैं। हमारे देश के प्रखर स्वतन्त्रता सग्राम ने राष्ट्र में जहाँ एक ओर प्रचण्ड आत्मविश्वास जगाया, वहाँ दूसरी ओर भविष्य के प्रति गहन आस्था भाव भरे, उत्साह को भी जन्म दिया। राष्ट्र वहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ—औद्योगिक, तकनीकी, शिल्पविद्या, व्यवसाय आदि विभिन्न क्षेत्रों में नये-नये आयामों की स्थापना हुई। इसकी एक सहज परिणति हुई, स्वाधीनता के बाद अनेक नये-नये विषयों की पत्रिकाओं के प्रकाशन के रूप में।¹

हिन्दी पत्रकारिता के अतीत का इतिहास राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता सग्राम का इतिहास रहा है। दास्ता की जिस जजोर में “बूढ़े भारत” को 1857 में जकड़ लिया था उस जजोर को तोड़ फँकने की उद्दाम भावना से प्रेरित होकर हिन्दी के पत्रकार सघर्ष की भूमिका में उतरे थे। सांस्कृतिक नवोत्थान और राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाचार-पत्रों व पत्रकारों का योगदान रहा है वह भुलाया नहीं जा सकता। बालमुकुन्द गुप्त की नौकरी इसलिए छुड़ाई गई थी कि उनके मालिक को यह आणका थी कि गुप्तजी मालिकों की गैर-हाजिरी में गवर्नमेंट के खिलाफ लेख लिखेंगे। बालकृष्ण भट्ट को अपने पद से इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा कि उन्होंने किसी की तारीफ एक सार्वजनिक मीटिंग में कर दी थी। इसी प्रकार *हारिक प्रसाद चतुर्वेदी* को भी अपने स्वाधीनता प्रेम के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हिन्दी के ख्यातिनामा पत्रकार अग्नेजी हुकुमत के जमाने में जेलों में बन्द

रहे। यह प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि पत्रकारों की स्वतन्त्र चेतना और दायित्व-बोध भावना ने जनजीवन व राष्ट्रीय जीवन को प्रेरित किया है। बाबूराव पराडकर, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, गणेशशंकर विशारथी, माखनलाय चतुर्वेदी, कृष्णकान्त भालशीय, बालकृष्ण शर्मा "नवीन", श्रीराम शर्मा, कृष्णदत्त पाज्जीवाल, रामबृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मित्र, श्रीनारायणसिंह, व अन्य बीसियों पत्रकारों को जेल की हवा खानी पड़ी। यह सब अकारण नहीं था इनके सामने देश स्वाधीनता, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे महान और धार्मिक उद्देश्य थे। इसके लिए सतत संक्रियता, जनसेवा, त्याग और बलिदान में पत्रकार तत्पर की हरावल में रहे। स्वतन्त्रता से पूर्व मुख्य ध्येय राष्ट्र तथा राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करना ही था। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार, मनाज सुधार, भाषा-प्रेम आदि प्रमुख विषय उनके मम्मुख थे, परन्तु 1947 में स्वतन्त्रता मिलने पर पत्रों के समक्ष स्पष्ट दिशाबोध नहीं रह गया। देश के विकास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संरचना की कोई स्पष्ट या सर्वांगीण कल्पना अभी उभर कर सामने नहीं आई थी।

इसी प्रकार पराधीनता काल में पत्रकारिता का जो आदर्श था वह टूटने लगा, उसकी तेजस्विता घूमिल हो चली। इसी को लक्ष्य करके गणेशशंकर विशारथी ने कहा है कि "जिन लोगों ने पत्रकारिता के पवित्र कार्य को घपना काम बना रखा है, उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने चित्त को इस बात पर विचार का अवसर देते हैं कि हमें सच्चाई की लाज रखनी चाहिए, केवल अपनी मक्खन-रोटी के लिए दिनभर में कई रंग बदलना ठीक नहीं। इस देश में भी दुर्भाग्य से समाचार-पत्रों और पत्रकारों का यही मार्ग बनता जा रहा है—यहाँ भी अब बहुत से समाचार-पत्र संभारधारण के बलयाण के लिए नहीं रहे, सर्वसाधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं..."¹ वास्तव में यह परिभाषा आज सही उतरती है। आजादी के बाद सभी वस्तुओं के मूल्य तेजी से बदलने लगे। सच्चाई एवं ईमानदारी, जीवन में सादगी, भारतीयता, मर्य एवं धूम्रपान निषेध ये सभी संकीर्णतावादी, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी बानें बन गयीं। नवसभ्रातों के लिए घुसतर्फी, अवसरवादिता, ठाठ-बाट, मद्य एवं धूम्रपान प्रगति के पर्यायवाची बन गये। ऐसे में देश-भक्ति से पूर्ण हिन्दी पत्रकारिता में भी पतटा खाया। कुछ पत्र यद्यपि काल कबलित हो गए थे और कुछ पत्रों के मालिकों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और पत्रकारिता को भी एक नया आर्थिक मोड़ दिया। अब पत्रकारिता मिशन नहीं व्यवसाय बन गया। सेठ पत्रों के मालिक बन गये, सम्पादक व उसके सहयोगी मजदूरों की श्रेणी में आ गये। राज-

1. गणेशशंकर विशारथी का मत—डॉ. कृष्णबिहारी मिश्र की पुस्तक : हिन्दी पत्रकारिता : में उद्धृत पृ. 413.

नैतिक स्वाधीनता मिलते ही हमारा जोश ठण्डा पडा गया और हमारे सामने गति-रोध आ गया। हमारा आदर्श बदल गया और राष्ट्र की ओर से उदासीन होकर हम निजो-अस्तित्व रक्षा की चिन्ता में डूब गए। दीर्घ पराधीनता से उबरने के बावजूद राष्ट्र निर्माण की जिस आकुल-आकांक्षा और कर्मठता की अपेक्षा थी वह दिखाई न पड़ी और हम इस तरह आश्वस्त हो गए जैसे हमारा दायित्व शेष न रहा हो। स्वातंत्र्योत्तर साम्प्रदायिक परिवेश ने भी भारतीय पत्रकारिता को प्रभावित किया और पत्रकारिता के पुराने आदर्श टूटकर बिखर गए। व्यावसायिक प्रलोभनों की मार ने भी पत्रकारिता के आदर्श को कमजोर किया।

देश में स्वतन्त्रता के बाद पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गयी है। लाखों लाखों की आबादी वाले शहरों से कई-कई दैनिक-पत्र व पत्रिकाएँ निकल रही हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद ये पत्र व पत्रिकाएँ शासन पर अधिक निर्भर होती जा रही हैं क्योंकि अधिकांश का अस्तित्व शासकीय विज्ञापनों पर निर्भर है जबकि आजादी से पहले समाचार-पत्र मानिकों और कर्मचारियों, विशेष रूप से पत्रकारों के बीच विवाद के मोके प्रायः नहीं आए। इनके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहली बात तो यह थी कि उन समय, समाचार-पत्र उद्योग का आकार बहुत छोटा था और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय समाचार-पत्रों का मूल उद्देश्य किसी भी तरह में अंग्रेजों को निकाल कर देश को आजाद कराना था। अतः पत्रकारिता का कार्य सेवा-भाव से किया जाता था और उसमें व्यक्तिगत समस्याओं के उभरने का अधिक मौका नहीं आ पाता था। बड़े-बड़े व्यापारी और उद्योगपति चन्दे के रूप में समाचार-पत्रों की सहायता करते थे, पर आज स्थिति इसके विपरीत है। आज समाचार-पत्रों ने उद्योग का रूप ले लिया है। विभिन्न प्रकार के स्वामित्व इस उद्योग में भी नजर आने लगे हैं। सचठन व प्रवन्ध की समस्याएँ भी नये रूप से सामने आई हैं। पत्रों को औद्योगिक समस्याओं और परिवर्तनों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्वतन्त्रता के बाद जिस तरह काव्य, कला और सगीत आदि व्यवसाय बन चले, उसी प्रकार पत्रकारिता भी। आज भारत में पत्रकारिता व्यवसाय है। स्वतन्त्र पत्रकारिता और सत्ता के बीच का संघर्ष अब शासन और पूर्णोपतियों के बीच का संघर्ष बन गया है। निष्पक्ष पत्रकारिता की मांग आज पूर्वपेक्षा कहीं अधिक है। जो पत्र या पत्रिका आदर्शों-मुक्त होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें कई तरह के मकड़ का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार समाचार पत्रों का जो जन-देश सेवा का उद्देश्य था वह क्षीण होता गया और पत्रकारिता में औद्योगिक और व्यापारिक प्रवृत्तियाँ स्थानापन्न होती गईं।

स्वातंत्र्योत्तर वर्षों में समाचार-पत्रों का स्वरूप काफी बदल गया है। आज इसका मूल ध्येय राष्ट्रीयता के पुनःनिर्माण सम्बन्धी तत्त्वों की ओर है। विशेष रूप से ये प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं—देश का आर्थिक विकास, समाज का आधुनिकीकरण

और प्राचीन तकनीकों को आधुनिक तकनीकों में बदलना ।¹ आज पत्रों ने देश के सुनियोजित आर्थिक विकास की ज़रूरतों और उसकी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया है । साथ ही सामाजिक परिवर्तनों को सामने लाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी उभारने लगे हैं ।

आज पत्रकारिता में सबसे वाचक तत्त्व इन पत्रों के सम्पादकों को वेतनभोगी नौकर के रूप में रखना है । अतः पत्रकार चाहते हुए भी अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकते तथा मृत्यु का पक्ष लेकर अनौचित्य का विरोध करना उनके लिए कठिन है । बदलते समय के साथ हिन्दी पत्रकारिता में चाटुकारिता भी बढ़ी है जबकि आजादी के पूर्व नितान्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिन्दी पत्रकार अपनी अम्मिता और तेजस्विता को कायम रखने में पूर्ण सफल थे । निर्भोक्ता, स्वाभिमान और अपने प्रति उद्देश्यों के विरुद्ध उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया और न ही मालिकों की व्यावसायिक प्रवृत्ति के आगे नतमस्तक हुए । पहले पत्रकारिता देश-सेवा की भावना से श्रोतप्रोत थी साथ ही उसका सीधा सम्बन्ध समाज से भी था । इनकी पहुँच जन-साधारण तक थी । पत्रकारिता को राष्ट्रीय समाम का अंग समझा जाना था । समाचारों से अधिक सम्पादकीय टिप्पणों पर जोर रहना था । जन-साधारण के लिए सम्पादक उनका नेता हुआ करता था । वह जन-साधारण के जीवन में पुना-मिला था । वह देश सेवा के आदर्शों से प्रेरित था । परन्तु वेतन-भोगी होने के कारण आज के सम्पादक को आदर्श की चिन्ता के बजाय उन्हें अपने ही स्वार्थ की चिन्ता है, वे व्यवसाय-बुद्धि से चालित हैं ।

स्वाधीनता के बाद लिजलिजेशन से भरी जिस पीली-पत्रकारिता ने जन्म लिया है, वह देश के युवा वर्ग, बौद्धिक वर्ग में व्याप्त असन्तोष का कारण बनी । वह सेठान्त्रयी पत्रों की मानसिकता और व्यावसायिकता के खिलाफ नये क्रान्तिकारी विचारों का मंच नहीं बन पाई है । इन्हीं नये मंच की आवश्यकता अनुभव किये जाने के फलस्वरूप छोटी-छोटी पत्रिकाओं का प्रादुर्भाव हुआ और छोटी पत्रिकाओं के प्रकाशन से बड़े-बड़े लेखक भी बड़ी पत्रिकाओं में लिखने के बजाय छोटी पत्रिकाओं में लिखने लगे । इन प्रकार इन छोटी पत्रिकाओं ने संप्रदेश के युगचेता बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकृष्ट किया । साथ ही इसने साहित्य में "आम आदमी" को प्रतिष्ठित करने की दिशा में पहल की तथा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मौलिक और प्रखर चिन्तन की नींव डाली । किन्तु कुछ अथकचर, महत्वाकांक्षी, दृष्टिहीन पत्रकारों व सम्पादकों ने छोटी पत्रिकाओं के स्वरूप को भ्रष्ट भी किया है ।

इतना होते हुए भी आज पत्रकारिता प्रगति की ओर घबरा रही है । आज समाचार-पत्रों के बीच तीव्र प्रतियोगिता है । चाहे पत्रकारिता पहले जैसी ठीक न हो,

पर व्यापक अवश्य हुई है। इसका समस्त श्रेय श्रमजीवी पत्रकारों को ही है। अनाव के कारण इनमें समन्वय या भला-भाव नहीं है। फिर भी प्रगति आशाजनक है। आज पत्रों के विविध स्वरूप के कारण वह केवल समसामयिक सन्दर्भों से ही जुड़ी हुई नहीं रही वरन् विश्व की कोई भी घटना इनसे छूटी हुई नहीं है। आज की पत्रकारिता राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कुपि, बाल, महिला, विज्ञान, खेलकूद नाहित्यिक आदि विभिन्न रूपों में सक्रिय दिखाई देती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता पूर्वापेक्षा अधिक वैविध्यमयी अधिक विस्तृत और अधिक समाज, संस्कृति और जीवन-सापेक्ष हो गई। सही अर्थों में वह जीवन की निर्मात्री और विश्लेषिका बन गई है। यद्यपि यह सत्य है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इस बीसवीं सदी के आठवें दशक में कुछ खामियाँ और पक्षधरता की द्योतक प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं किन्तु इतने पर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पत्रकारिता अपने विशाल और व्यापक कलेवर में जीवन के स्थूल और सूक्ष्म सभी सन्दर्भों को समेटे हुए है। इस व्यापक वैविध्य ने पत्रों का सहज वर्गीकरण किया है।

वर्गीकरण के तात्पर्य सम्बन्धित विषय के उस विभाजन से है जो उसके स्वरूप के नीरक्षीर विश्लेषण करने में सहायक हो सके। यद्यपि वर्गीकरण का कोई एक प्रतिमान या निष्कर्ष अपने-आप में पूर्ण और अन्तिम नहीं हो सकता है किन्तु इससे यह सुविधा अवश्य मिल जाती है कि विषय को भली प्रकार से समझा जा सके। स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता का वैविध्यपरक विकास और विविध पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन इस बात का द्योतक है कि वह लकीर की फकीर नहीं है। उसके अनेक रंग हैं और अनेक रूप हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता के वैविध्यमय स्वरूप को वर्गीकृत करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यह वर्गीकरण सुविधापरक होना चाहिए न कि अन्तिम सत्यपरक। वर्गीकरण के अनेक आचार हो सकते हैं, किन्तु यहाँ पत्रकारिता को विषय के आचार पर वर्गीकृत किया गया है। विषयपरक वर्गीकरण से अभिप्राय उस पत्रकारिता से है जो इस क्षेत्र में आये वैविध्यपरक पत्रों से सम्बन्ध रखती है।

वर्गीकरण : विषय के आधार पर

समाचार एवं सामयिक सन्दर्भ—समाचार-पत्रों का तो मूल उद्देश्य ही समाचार तथा तात्कालिक घटनाओं से पाठकों को परिचित कराना होता है। सभी दैनिक इस उद्देश्य से प्रकाशित होते ही हैं, अधिकांश साप्ताहिक पत्रों की विषय-वस्तु भी समाचार तथा तात्कालिक घटनाएँ होती हैं।

यह पत्रकारिता समाज की अन्तःकरण भी होती है और उसकी दैनिक घटनाओं का इतिहास भी। जब समाज में कोई हलचल होती है, कोई नई सूचना आती है, कोई ताजी घटना घटती है, तो पत्रकारिता उन सबसे अवगत कराती हुई

उसे पूरे विश्व से जोड़ देती है। सुबह होते ही व्यस्त मानव को विश्व भर से जोड़ देना ही इन पत्रों की विशेषता है। समाचार व सामयिक सन्दर्भों से सम्बन्धित निम्न मुख्य पत्र व पत्रिकाएँ हैं—

आन्ध्र प्रदेश से 'दैनिक हिन्दी मिलाप'

झारखण्ड से 'अकेला' (असम, 1947)

बिहार से 'प्रदीप' (पटना, 1947)

'आवाज' (बनारस, 1947)

'बिहार मैल' (मुंगफरपुर, 1969)

'चाणक्य' (पटना, 1975)

'हमारा सदेश' (चम्पारन, 1968)

'मनु दा' (पटना, 1971)

'नवबिहार' (1969 पटना)

'बसन्त बिहार' (1978, पटना)

गुजरात से 'पन्द्रह अगस्त' (1963, ब्रह्मदाबाद)

हरियाणा से 'कर्माल टाइम्स' (1958, करनाल)

'अशोक महान्' (1971, गुडगाँव)

हिमाचल प्रदेश से 'हिम केसरी' (1960, शिमला)

'हिम प्रताप' (1971, शिमला)

मध्यप्रदेश से 'दैनिक मध्यप्रदेश' (जापरण-1950 इन्दौर) (1966, भोपाल लखर)

'देश बन्धु' (1969, जबलपुर 1959, रावपुर)

'इन्दौर समाचार' (1946 इन्दौर)

'लोक भाषा' (1970, कहनौ)

'नई दुनिया' (1947, इन्दौर)

'नवभारत' (1950, जबलपुर)

'स्वदेश' (1966, इन्दौर)

'युगधर्मा' (1956, जबलपुर)

'साप्ताहिक स्पूनिक' (1958, भोपाल)

महाराष्ट्र से 'नवभारत टाइम्स' (1950, बम्बई)

'द्विद्विज' (1962, बम्बई)

'धर्मयुग' (1950, बम्बई)

पंजाब से 'हिन्दी मिलाप' (1929, जालन्धर)

'पंजाब केसरी' (1965, जालन्धर)

'वीर प्रताप' (1955, जालन्धर)

- राजस्थान से 'राजस्थान पत्रिका' जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ।
 'राष्ट्रदूत' (1951 जयपुर, कोटा, बीकानेर)
 'दैनिक नवज्योति' (1936, अजमेर, जयपुर, कोटा) 'दगलीहर' (1964 जयपुर)
 'प्रणिमा' (1972, जयपुर)
 'जननायक' (1973, कोटा)
 'उदयपुर एक्सप्रेस' (1972, उदयपुर)
 बगानगर पत्रिका 'जलते दीप' (1966, जोधपुर)
 उत्तरप्रदेश से 'भ्राज' (1920, वाराणसी)
 'धर्म उजाला' (1948, आगरा, बरेली)
 'भारत' (1928, इलाहाबाद)
 'गदिवा'
 'दैनिक गाथा' (1970, कानपुर)
 'जागरण' (1947, कानपुर)
 'सैनिक' (1925, आगरा)
 'नवजीवन' (1947, लखनऊ)
 'स्वतन्त्र भास्कर' (1928, झांसी)
 'मन्मार्ग' (1946, वाराणसी)
 'भारत' (1947, लखनऊ)
 'वीर भारत' (1925, कानपुर)
 'विश्वामित्र' (1948, कानपुर)
 बेस्ट बगाल से 'छपते-छपते' (1972, कलकत्ता)
 'सन्मार्ग' (1948, कलकत्ता)
 'विश्वामित्र' (1971, कलकत्ता)
 दिल्ली से 'हिन्दुस्तान' (1936, दिल्ली)
 'नवभारत टाइम्स' (1950, दिल्ली)
 'वीर अर्जुन' (1954, दिल्ली)
 'दिशा भारती' (1972, दिल्ली) ('शाक्षी' 1964, दिल्ली)
 'दिनमान' (1965, दिल्ली)
 चण्डीगढ़ 'दैनिक ट्रिब्यून' (1978, चण्डीगढ़)

धर्म एवं दर्शन

साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक पहलू भारतीय धर्म और दर्शन का है। भारत हमेशा ने ही धर्मप्राण ऋषि-मुनियों का देश रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों को मानने वाले मतावलम्बी हैं जो अपने धर्मों के प्रचार-प्रसार में रुचि

रखते हैं। पत्रकारिता भी इस दिशा में अपवाद नहीं हो सकती। विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित अनेक पत्र व पत्रिकाएँ तो निकलनी ही हैं, साथ में सभी पत्र व पत्रिकाओं में धर्म व दर्शन से सम्बन्धित सामग्री निहित रहनी है, परन्तु इन पत्रिकाओं का उद्देश्य अधिकांशतः व्यापारिक नहीं होता बल्कि अपने धर्म और दर्शन का प्रचार करना होता है। हिन्दी के प्रथम पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' से ही धर्म सम्बन्धी लेख प्रकाशित होने लगे और आज तक हो रहे हैं। धर्म सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं में 'विधवा विवाह' पर सारगर्भित लेख 'मूर्ति-पूजा', 'द्युआद्यत', 'थाड', धवतारवाद', आदि का विरोध मठाधीशों, साधुओं, पीड़ितों तथा धर्म का जामा पहन कर जाति व धर्म को कलंकित करने वालों के विरुद्ध सामग्री भी निहित रहती है। इन पत्रों में रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, वेद और उपनिषद् कुरान, बाइबिल आदि की प्रेरक कथाएँ तो होती ही हैं साथ ही ईश्वर-भक्ति, भगवन्नाम मकीर्तन का प्रचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म व सदाचार की शिक्षा देने वाले रोचक प्रसंग भी होते हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व धर्म सम्बन्धी कई पत्रिकाएँ निकलनी थी, जिनमें काशी से 'धर्म प्रचारक', 'गौ-नेवक', 'सनातन धर्म', 'गोरक्षण', बम्बई में 'बेकटेश्वर समाचार', दिल्ली में 'गोपाल' आदि प्रमुख हैं।

काशी से अगस्त, 1926 को श्रावण कृष्ण एकादशी को 'कल्याण' मासिक निकला। यह सब में अनूठा था तथा पूर्णतया शुद्ध आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ था और यह आज तक हिन्दू धर्म व दर्शन से सम्बन्धित सामग्री दे रहा है। उसके विशेषांक इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उन्हें कई बार पुनर्मुद्रित करना पड़ा है।

यद्यपि आजकल लोगों की दिनोदिन धर्म के प्रति उदासीनता बढ़ रही है, पिछली पीढ़ी को छोड़कर नयी पीढ़ी धर्म-कर्म का सम्बन्ध पाखण्ड और रुढ़ियों से जोड़कर उसके प्रति उपेक्षा दर्शाती है। आजकल ध्यस्तभापूर्ण जीवन में जबकि मनुष्य को अपने काम से ही फुरसत नहीं है तो वह धार्मिक क्रियाकलापों के लिए कहीं से समय निकाल सकता है, फिर भी इसके बावजूद धर्म से सम्बन्धित मुख्य पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं और विशेषतः पुरानी पीढ़ी के लोगों को अधिक रुचिकर लगनी है। धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं में निम्न पत्रिकाएँ प्रमुख हैं—

बिहार से — 'सतवाणी' (1955 परगना)

'सुभावीर' (1957 पटना)

'निशकलका' (1921 राँची)

हरियाणा से—

'गीता-ज्योति' (1970 कुरुक्षेत्र)

'गीता उपदेश' (1962 अम्बाला)

मध्यप्रदेश से—

'आनन्द सदेश' (1953 मुना)

'धर्म सूर्य' (1972 भोपाल)

महाराष्ट्र से—'मानक'

राजस्थान से—

'आर्यमानेण्ड' (1960 जयपुर)

'जनकामो'

तमिलनाडु से—'मत्स्यमर'

उत्तर प्रदेश—

'अखण्ड-उद्योति' (1940 मबुरा)

'कल्याण' (1926 गोरखपुर)

रामायण वेदान्त सन्देश' (1970 कानपुर)

'सुवा-निधि'

'ज्ञान शक्ति'

दिल्ली से—

'माई समाचार-पत्र'

'ज्ञान अमृत'

'सन्मति सन्देश'

पाण्डिचेरो से—'पुरोध' (1966)

इसके अतिरिक्त 'अणुव्रत', 'आध्यात्म', 'आर्य मित्र', 'चिन्मय', 'धर्मदूत', 'भगवत दर्शन', 'भागवत पत्रिका', 'श्रीकृष्ण सन्देश', 'श्री सर्वेश्वर' आदि पत्रिकाएँ निकल रही हैं ।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक

भारत में साहित्य मूजन की प्रकृति आदि कवि वाल्मिकि से मानी जाती है, पर अतीत में मुद्रण प्रथा न होने से यह साहित्य केवल एक कण्ठ से दूसरे कण्ठ होता हुआ ग्राम आदमी तक पहुँचता था या ताम्रपत्र, भोजपत्र और हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में सामने आता था । मानव-ज्ञान की जिज्ञासा की पूर्ति में द्वापासाने व मुद्रणशला की व्यापक भूमिका रही । मुद्रित पुस्तकों ने साक्षरता में बड़ा योगदान दिया और सर्व-साधारण को लाखों की संख्या में पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध कराई । समाचार-पत्र साहित्यिक गिनासा ज्ञान करने में पूर्ण समर्थ नहीं हो सके, उनका क्षेत्र दैनिक घटनाओं तक सीमित रहा । इसी कारण शनैः-शनैः साहित्यिक पत्रिकाओं ने जन्म लिया । मानवतर्जो का कथन है कि—“साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ राजनीति के अन्ध गातावरण से ऊपर उठाकर पाठकों को सांस्कृतिक-क्षेत्र पर रस-विमोद कर देती हैं । दोनों का (समाचार-पत्र और साहित्यिक पत्र) अपना-अपना

मूल्य है। एक बाजार-भात्र है तो दूसरा सामान्य मूल्य। एक समुद्र बने लहर की तरह ऊपर उठती है तो दूसरी अन्दर तक पीछे कर मानस को शान्त और तृप्त करती है।”¹

वर्तमान में साहित्य ने नये आवाम ब मानदण्ड अपना लिये है। आज का साहित्य केवल कहानी और उपन्यास तक ही सीमित नहीं रहा, वह नई-नई विधाओं में ढलकर सामने आया है।

आज का व्यस्त मानव बहुत ही सीमित समय में बहुज्ञान उपलब्ध करना चाहता है और यह ज्ञान उसे सीमित समय में पत्र-पत्रिकाएँ ही दे सकती हैं। अतः एक साहित्य-रसिक व्यक्ति की जिज्ञासा का शान्त करने के लिए साहित्यिक पत्रिकाएँ बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। कला सामाजिक जीवन को सुलक्षण सवादे में मुक्तकर उसे नित्य नवीन और सम्पूर्ण बनाए रखती हैं। जीवन के सश्रम में यदि मनुष्य नियत्साहित होता है तो कला और साहित्य ही उसे उत्साहित करते हैं और व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। मनुष्यों की बोलचाल, खानपान, आचार-व्यवहार आदि सब संस्कृति के अंग हैं। शादीगनी, उत्सव-समारोह, विभिन्न क्लबों, सांस्कृतिक संस्थान, कलामण्डल, धार्मिक, आयोजन सभा-जुलूस, बैठक अभिमान, प्रदर्शनियाँ, सत्संग आदि सभी हमारे जीवन के विभिन्न अंग हैं और इन सबका पूर्ण विवरण भी इन पत्र पत्रिकाओं में होता है। साहित्यिक समीक्षा, पुस्तक समीक्षा आदि सबका इसमें उल्लेख होता है। समाचार-पत्रों के बाद सबसे ज्यादा सख्या इस विषय की पत्रिकाओं की है। इसमें साप्ताहिक व मासिक ज्यादा हैं। मुख्य पत्र व पत्रिकाएँ निम्न हैं—

आन्ध्रप्रदेश से—‘साकल्य’ (1974, हैदराबाद), ‘आधे’ (1969, सिकन्दरा वाद), ‘मधुवन्ती’ (1964, हैदराबाद), बिहार से—‘विप्लव’ (1971, पटना), ‘परिकल्पना’ (मोतीहारी, 1969), ‘ज्योत्सना’ (1947, पटना), ‘नारी जगत’ (1965, पटना), ‘नर-नारी’ (1969, पटना), ‘समीक्षा’ (1967, पटना), हरियाणा से—‘संबंहितकारी’ (1973, रोहतक), ‘ज्ञानोदय’ (1976, हिसार), हिमाचल प्रदेश से—‘हिमाचल सौन्दर्य’ (1968, जिमला), केरल—‘केरल ज्योति’ (1966, त्रिवेन्द्रम), मध्यप्रदेश से—‘सप्तवर्णों’ (1967, भोपाल), ‘उषा’ (1951, इन्दौर), मध्यप्रदेश से—‘अमर चित्र कथा’ (1970, बम्बई), राजस्थान से—‘लहर’ (1957, अजमेर), ‘मनदर्शी’ (1972, फालना), तमिलनाडु से—‘हिन्दी प्रचार समाचार’ (1939, मद्रास), उत्तर प्रदेश से—‘मनोरमा’ (1924, इलाहाबाद), ‘मरुण’, ‘हसादेश’, ‘मनोहर कहानियाँ’ (1940, इलाहाबाद), ‘माया’ (1929, इलाहाबाद), ‘नीहारिका’ (1962, आगरा), ‘नूतन कहानियाँ’ (1976,

1 हिन्दी साहित्य : पिछला दशक (स. विश्वनाथ) में नरेन्द्र भानुभट्ट का लेख ‘दशक की पत्र-पत्रिकाएँ’ पृ. 170.

इलाहाबाद), 'साथी' (1960, मुरादाबाद), 'सत्यकथा' (1974, इलाहाबाद), 'पेस्ट ब्रगस से—परम्परा' (1961, कलकत्ता), 'रूप-लेखा', अण्डमान निकोबार और द्वीपसमूह 'द्वीप प्रभा' (1973), दिल्ली से—'दीवाना तेज साप्ताहिक' (1965 दिल्ली), 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' (1950, दिल्ली), 'मुक्ता' (1960), 'वामा' 'गृहशोभा', 'माधुरी', 'सुपमा' (1959), 'मधु मुस्कान', 'आजकल' (1965, दिल्ली), पाण्डिचेरी से—'अग्नि-सिखा' (1970)। इनके अतिरिक्त 'साहित्य संदेश' 'आलोचना' 'गवेषणा', 'विचारिकी' 'शोध पत्रिका', 'शोध भारती', 'पुराकल्प' (वाराणसी), 'लोक संस्कृति' (जोधपुर), 'कला सुमन' (दिल्ली), 'संस्कृति' (दिल्ली) आदि।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

“जान है तो अहान है” यह कहावत पूर्णतया सत्य है। चाहे मनुष्य पर मुसीबत का पड़ाव टूट पड़े अगर वह निरोग है तो वह मुसीबतों को हँसते-हँसते फेल जाता है। एक जमाना वह था जब मनुष्य का कोई अंग जख्मी होता था या किसी अंग पर फोड़ा या फुंसी होती थी वह अंग ही शरीर से अलग कर दिया जाता था। पर आज मनुष्य ने औपधि व स्वास्थ्य विज्ञान में पर्याप्त उन्नति कर ली है, आज उसने चिकित्सा के क्षेत्र में नये-नये आविष्कार करके दुनियाँ को चकित कर दिया है आज आपका कोई अंग बेकार हो जाता है तो वह अंग आपका दुबारा या कृत्रिम लगाया जा सकता है।

ऐसे समय में किस देश में कौन-कौन से रोगों की क्या-क्या दवा निकली? तथा उस पर क्या प्रयोग हुए व कितनी सफलता मिली आदि अनगिनत प्रश्न हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य में सीधा सम्बन्ध है। आज स्वास्थ्य व औपधि सम्बन्धी अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। होम्योपथी, एलोपथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपथी आदि सभी विषयों पर पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनसे रोगों के विषय में नए-नए अनुसंधानों का पता चलता है। विश्व में कोई भी आश्चर्यजनक घटना घटित होती है तो ये पत्र-पत्रिकाएँ उसे बड़े ही जोर-शोर से छापकर लोगों की जिज्ञासा के उत्तर देती हैं। जैसे-चिकित्सा के क्षेत्र में 25 जुलाई, 1978 को ब्रिटेन में डॉ. राबर्ट एडवर्ड व उसके सहयोगी पेट्रीक स्टेप्टो ने एक अद्भुत अमरकार किया, वह था 'टेस्ट ट्यूब बेबी' का विश्व में आना। इस आश्चर्यजनक घटना ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया और अनेकों प्रश्न खड़े कर दिए। अनुवैज्ञानिकी के क्षेत्र में गुर्दे व हृदय के प्रत्यारोपण के बारे में दैनिक पत्रों में समाचार छपे, परन्तु इन पर विशद व्याख्यात्मक लेख चिकित्सा-विज्ञान की पत्रिकाओं में छपे।

इन प्रकार आजकल कैंसर, मधुमेह आदि अनेक असाध्य रोगों पर अनु-

संघान हो रहे हैं। इन सबकी जानकारी चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकाओं में हमें पूर्ण रूप में मिलती है। इस चिकित्सा-विज्ञान से सम्बन्धित मुख्य पत्रिकाएँ निम्न हैं—

बिहार से—'डॉक्टर माई' (1935 दीनापुर टावनी), होम्योवाणी (1970 पटना), हरियाणा से—'आयुर्वेद विकास', मध्यप्रदेश से—'स्वास्थ्य और जीवन', महाराष्ट्र से—'स्वास्थ्य और जीवन' (1950 पूना), पंजाब से—'जीवन रक्षा' (1974 बटाला), उत्तर प्रदेश से—'होम्योपैथी जगत' (1973 हरिद्वार), 'आरोग्य' (1957 गोरखपुर), 'आयुर्वेद सन्देश' (1967 लखनऊ), दिल्ली से—'चिकित्सक', 'आरोग्य-संदेश' (1965 दिल्ली), 'श्रीपथ सशार' (1978), राजस्थान से—'शुचि' (1969 बीकानेर), 'आपका स्वास्थ्य' (वागणसी), 'प्राकृतिक जीवन' (लखनऊ), 'धन्वतरी' (अलीगढ़), 'चिकित्सक' (दिल्ली)।

विज्ञान पत्रकारिता

आज का युग विज्ञान का युग है। आज मानव चाँद पर पहुँच चुका है। विज्ञान पत्रकारिता एक ऐसी कड़ी है जो जन-जन को आर्क्षित करती हुई मानव को विज्ञान से जोड़ देती है। आज विज्ञान विषयक पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है—टेक्नोलोजी, मानव द्वारा चन्द्रमा पर अवतरण, मानव-रहित अन्तरिक्षयानों की सफलता, ऊर्जा के साधन, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, मकान, वातावरण की रक्षा, कृषि, ऊर्जा आदि सभी विषय विज्ञान से सम्बन्धित हैं।

विश्व-भर की पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञान लेखन वर्षों से हो रहा है, परन्तु यह अपने सुगठित रूप में अब सामने आया है। देश विदेश में वैज्ञानिकों की गोष्ठियों सम्मेलन और अन्य उपलब्धियों आदि विषयों पर चर्चा हाँती रहती है। इन सबका लेखा-जोखा मानव तक विज्ञान पत्रकारिता ही पहुँचाती है।

भारतेन्दु काल में ही हमें विज्ञान-विषयक लेख मिलते हैं पर अब विज्ञान से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलने लगी हैं जैसे—'वैज्ञानिक बालक', 'विज्ञान मासिक', 'विज्ञान लोक', 'विज्ञान प्रगति', 'लोक-विज्ञान', 'आविष्कार', 'विज्ञान डाइरेक्ट', आदि। इन सबके अतिरिक्त दैनिक 'नवभारत टाइम्स' ने सबसे पहले 'विज्ञान और जीवन' नामक स्थायी स्तम्भ शुरू किया जो आज तक चला आ रहा है तथा 'साप्ताहिक धर्मयुग', 'हिन्दुस्तान', मासिक 'नवनील' आदि पत्रों ने भी विज्ञान विषयक पत्रकारिता को विकसित करने में काफी सहयोग दिया है। परन्तु आज यह बड़े स्तर का विषय है कि जितनी उन्नति विज्ञान की हुई है उतनी विज्ञान विषयक पत्रकारिता नहीं पनपी है। इन सबका कारण यही है कि वैज्ञानिकों के पढ़ने व सोचने का माध्यम अंग्रेजी भाषा है।

आज हमारे दैनिक जीवन में बिजली, रेडियो, मशीनी उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों का स्थान पहले की अपेक्षा अत्यन्त व्यापक हो गया है। यही कारण है कि

आज विज्ञान धर्चा उत्तरोत्तर अत्यन्त ही लोकप्रिय हो रही है। आज परमाणु विस्फोट बंबल विनाश के लिए ही नहीं शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे—भूमि में से तेल और खनिज-पदार्थ निकाले जाते हैं, बिजली पैदा करके कल-कारखाने चलाए जाते हैं और खेती की सिंचाई की जाती है। इन सबकी जानकारी पत्रकारिता ही जन-जीवन को दे सकती है। स्वतन्त्रता के बाद इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है पर वह आज विज्ञान की उन्नति को देखते हुए बहुत कम है। विज्ञान से सम्बन्धित निम्न पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं—'वैज्ञानिक', मध्यप्रदेश में, महाराष्ट्र—1970 'वैज्ञानिक' बम्बई, दिल्ली से—'विज्ञान प्रगति' 1952, 'विज्ञान लोक', 'विज्ञान जगत', 'लोक-विज्ञान', 'आविष्कार', 'विज्ञान डाइजेस्ट', 'बालस्पूतनिक' 1965 आदि 'विज्ञान वैचारिक', 'विज्ञानदूत', 'विज्ञान भारती' आदि।

खेल पत्रकारिता

एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि उसका हर नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का सीधा सम्बन्ध होता है और खेल ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा स्वास्थ्य वर्धन होता है। इस प्रकार खेलकूद हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। आज हमारे देश में ही नहीं देश-विदेश में काफी खेल खेले जाते हैं। खेलकूद का आनन्द लेना और खेल समारोहों का आयोजन करना मानव संस्कृति एवं सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। खेलों व खिलाड़ियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा खेल-प्रेमियों के मन में होती है उसी जिज्ञासा को ये पत्रिकाएँ पूरी करती हैं—आज खिलाड़ी लोग फिल्मी सितारों की तरह रोशन हो रहे हैं। जनता कमेंट्रियाँ सुनने व दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि पत्र-पत्रिकाओं में खेल सम्बन्धी सामग्री को पढ़ने में गहरी रुचि ले रही है, विशेषकर नई पीढ़ी। यही कारण है कि आज एक पत्र-पत्रिका खेल सम्बन्धी सामग्री तो नित्य देते ही है वरन् वह इससे सम्बन्धित विशेषांक भी निकालने लगे हैं। खेलकूद सम्बन्धित कई पत्रिकाएँ भी निकलने लगी हैं। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक समाचार-पत्रों में खेल सवाददाता का विशेष महत्त्व है तथा उसे मात्र खेलों से सम्बन्धित सामग्री जुटाने व संजोने का कार्य करना होता है। समाचार-पत्रों में एक पूरे पृष्ठ पर खेल-अंगूठ के ही समाचार व खेल टिप्पणियाँ भरी रहती हैं। समाचार एजेंसियों तक में खेल सवाददाता नियुक्त होते हैं।

विदेशों और भारत की खेल पत्रकारिता में काफी अन्तर है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ खेल सवाददाता या खेल-कूद सम्पादक को प्रायः सभी प्रकार के खेल कवर करके उन पर लिखना पड़ता है जबकि विदेशों में स्थिति यह है कि हरेक खेल का विशेष सवाददाता रहता है। जैसे—आयन ग्रेनविल और जान रैफ्ट्री फुटबाल पर, वैट्रिक यउली हॉकी पर, जान रोज एथेलेटिक पर लिखते हैं। हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 'लन्दन टाइम्स' तथा 'न्यूयार्क

टाइम्स' जैसे सुप्रसिद्ध पत्रों के पाँच-पाँच खेल संवाददाता, केवल एथलेटिक्स को कवर करने के लिए म्यूनिख में सम्पन्न हुए ओलम्पिक खेलों में पहुँचे थे। यही नहीं हमारे यहाँ खेल उद्योगियों का भी यही झाल है कि उन्हें कई-कई खेलों की कमेंटरी सुनानी होती है।

1951 में नयी दिल्ली में हुए एशियाई खेलों की समीक्षा का कुछ समाचार-पत्रों ने विस्तार से स्थान दिया परन्तु मानें मे 1960 में इसकी विधिवत् शुभ्रान हुई। अतः 1960 में ही खेल पत्रकारिता की शुभ्रान मानी जाती है। आज शायद ही कोई ऐसा दैनिक, मासिक, मासिक होगा जो खेल-कूद में सम्बन्धित सामग्री न देता हो। नवभारत टाइम्स में शुरू-शुरू में एक-प्राथम्य कालम पर खेल समाचार छप जाया करता था, पर बाद में लोगों की रुचि देख कर पूरा एक पृष्ठ उसके लिए निर्धारित कर दिया गया। राजधानी से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'हिन्दुस्तान' के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में निकलने वाले 'आज,' 'स्वतन्त्र भारत,' 'दैनिक जागरण,' तथा राजस्थान से प्रकाशित होने वाले 'राष्ट्रदूत,' 'राजस्थान पत्रिका,' इन्दौर की 'नई दुनियाँ' तथा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रकाशित होने वाले दैनिकों में इनमें काफी स्थान मिलने लगा है। इसमें सर्वश्री मुशील जैन, आनन्द दीक्षित, शिवशंकर सिंह, केशव भा, अजयत हाशमी, सुरेश गावडे, अजय कुमार, अजय मुखर्जी जैसे खेल लेखकों का नाम गिना जा सकता है। हिन्दी में खेल पत्रिकाओं का अभाव सा है। दुःख की बात है कि खेल पत्रिकाओं की मांग भी है, पाठक है और लेखक भी पर आज तक कोई भी उच्च स्तर की खेल पत्रिका हिन्दी में नहीं है फिर भी हिन्दी में प्रतिष्ठित मासिक 'धर्मयुग' 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' 'दिनमान' ने भी अनेकों खेल विशेषांक निकाले। जैसे—ओलम्पिक विनो-पाक, क्रिकेट विशेषांक, एशियाई खेल विशेषांक। साथ ही इनमें स्थायी खेल-स्तम्भ भी आते हैं। 'रविवार' (कलकत्ता), 'अवकाश' (बाराणसी) आदि पत्रिकाओं ने भी खेल-स्तम्भ शुरू कर रखे हैं। इनमें हरिमोहन शर्मा, प्रमोद चकर भट्ट, योगराज धानी, देवेन्द्र भारद्वाज, अजय कुमार भूषण, मरहिन्दी, मनोहर श्याम जोशी, प्रज्ञान कुमार, मुशील कुमार दोषी, नरोत्तम मित्र, अरविन्द चवकर आदि लेखक सामने आए। आजकल तो बाल-पत्रिकाओं में भी खेल-कूद में सम्बन्धी सामग्री छपने लगी है ताकि बच्चों में शुरू में ही खेल के प्रति रुझान पैदा हो। फिर भी यह निर्विवाद रूप से मध्य है कि नवे एशियाई खेलों के बाद थोड़े से समय में ही खेल पत्रकारिता में काफी उन्नति की है। पञ्जाब-खेल-खेल' (1976 जालन्धर)। 'क्रीडा जगत' (जयपुर से पाक्षिक), 'भारतीय कुरुवी,' 'क्रिकेट मन्नाट' (1929 दिल्ली), 'खेल-खिमाड़ी' (1970 दिल्ली), 'खेल मन्नाट' (1976) 'स्पोर्ट्स वर्ल्ड' (1976) 'क्रीडालोक' 1976, 'स्पोर्ट्स सिटी 1973, 'खेल भारती' काफ़ी लोकप्रिय है।

- उद्योग व्यवसाय पत्रकारिता

देश की उन्नति के माथ-माथ नित नए-नए उद्योग-धन्धों का श्रीगणेश हो रहा है। बाजार में भाग और सप्लाई के अनुसार भावों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। सामान का बजट जब आता है तो सामान्यतः नागरिक को यह जानने की उत्सुकता होती है कि किन-किन चीजों में कमी हुई है? किन-किन चीजों का दाम बढ़ा है? उत्पादन शुल्क का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में अचानक साबुन-तेल आदि चीजें अचानक क्यों गायब हो गईं? ऐसा क्यों हुआ? अमुक विदेश से व्यापार शुरू हो रहा है, ऐसे में कौनसी चीज सस्ती या तेज होगी? इन सब प्रश्नों का समाधान पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपने वाले उद्योग व्यवसाय या व्यापारिक पृष्ठ से होता रहता है अतः यह पत्रकारिता काफी उपयोगी है। इन पत्रकारिता में विभिन्न प्रतिष्ठानों की उतरती-बढ़ती शेयर मार्केटिंग नीमों, कम्पनी रिपोर्टें, भावी विस्तार की योजनाएँ, प्रतिदिवसीय बाजार भाव, मण्डो समीक्षाएँ व औद्योगिक गतिविधियाँ निहित हैं।

उद्योग व्यापार पत्रकारिता से देश के योजना-बद्ध आर्थिक विकास में अच्छी-खासी सहायता मिलती है। अर्थ-व्यवस्था से सँकड़ो लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी होती है। समाज का एक वर्ग विशेष अर्थात् वणिक्-व्यापारी, साहूकार, बैंक, दुकानदार, शेयर होल्डरों या लेन-देन का काम करने वाले लोग मण्डो समाचारों के बिना एक दिन भी अपना काम नहीं चला सकते। उन्हें प्रतिदिन और हर समय मण्डियों की दरों और भावों के उतार-चढ़ावों और माल की माँग और पूर्ति के बारे में पूरी और अद्यतन जानकारी की आवश्यकता होती है। उनकी लाखों-हजारों की हानि-लाभ इसी पर निर्भर करती है। वायुदेव भा ने कहा है कि—'सभी लोकतन्त्री देशों में जन-जीवन के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों पर प्रकाश डालने वाले पत्रों में वाणिज्य व्यवसाय विषयक समाचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यापार पृष्ठों को देश की आर्थिक गतिविधियों का दर्पण कहा गया है'¹ यथार्थ में औद्योगिक विकास के बिना आज का राष्ट्र न तो अपने देशवासियों को जीवन के प्रचुर माधन प्राप्त करा सकता है और न ही ऐसा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका भली-भाँति निभा सकता है। यह औद्योगिक विकास अत्र एक युग धर्म बन चुका है।

उद्योग-व्यवसाय विषयक पत्रकारिता में दैनन्दिन बाजार-भाव, उनकी निष्पक्ष समीक्षा, विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों की गतिविधियाँ और रत्न, निर्यात सम्भावनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उत्पादनों की जानकारी, उनका परिचय, देश-

देश की वैकिंग तथा अर्थ व्यवस्था व मुद्रा सम्बन्धी समस्याएँ, बाजार का दैनिक उतार-चढ़ाव कराधीन अधिनियम, वाणिज्य-व्यवसाय से सम्बन्धित लेख आदि सामग्री का प्रकाशन होता है। यही नहीं किमी विशेष औद्योगिक घराने अथवा ध्वावसायिक प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाले समाचार बुलेटिनो का प्रसारण आदि सभी इमी पत्रकारिता के अन्तर्गत आते है। सभी ध्यापारी देश-विदेश की तमाम आर्थिक व्यापारिक गतिविधियो का दैनिक विवरण प्राप्त करने में उमर्य होता है और वह दैनिक उतार-चढ़ाव के बारे में नियमित जानकारी प्राप्त करके अपनी योजना बनाते है।

भारत में उद्योग व्यवसाय पत्रकारिता पुरानी नहीं है। सबसे पहले इसमें सम्बन्धित पत्रिका कलकत्ता से 1886 में "भैंपिल" नाम की निकाली। पर इसके बाद 50 वर्षों तक इसका कोई अन्य विकास नहीं हुआ। बाद में बम्बई से 1910 में 'सम्प्रति,' 1928 में कलकत्ता में 'इण्डियन फाइनेंस,' 1943 में दिल्ली में 'साप्ताहिक इस्टर्न इकनामिस्ट' का आरम्भ हुआ। दैनिक पत्रों में सबसे पहले 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने उद्योग व्यवसाय को पूरक स्थान दिया।¹ स्वतन्त्रता के पश्चात् कई पत्र-पत्रिकाओं में दैनिक बाजार भाव, बाजार रूप और आर्थिक समन्याओं का विश्लेषण छाने लगा। हिन्दी पत्रों में कलकत्ता का 'त्रिष्वमित्र' पहला दैनिक पत्र है जिम्ने उद्योग वाणिज्य से सम्बन्धित समाचारों को नियमित रूप देना आरम्भ किया।

बिहार में—'उद्योग बन्धु' (1974 पटना), 'ग्राम श्री' (1959 पूर्वी पटना), महाराष्ट्र—'जायति' (1956 बम्बई), 'खादी ग्रामोद्योग' (1954 बम्बई), 'उद्यम' (1945 नागपुर), उत्तर प्रदेश—'अलीगढ़ उद्योग समाचार' (1978), 'व्यापार सदेश,' 'उद्योग विकास,' पश्चिमी बंगाली में—'इन्डस्ट्रीयल गजट,' दिल्ली में 'व्यापार उद्योग समाचार' (1974), 'स्टेशनरी टाइम्स' (दिल्ली), 'सुपर बाजार पत्रिका' (दिल्ली), 'आर्थिक चेतना' 'आर्थिक जगत,' 'उत्पादकता' 'योजना, म्पदा' आदि उद्योग सम्बन्धी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही है।

फिल्म पत्रकारिता

वर्तमान में चलचित्रों से बढ़कर दूसरा जन-संचार का माध्यम नहीं है। आज ग्राम लोगों का रुझान फिल्मों की तरफ काफी बढ़ गया है क्योंकि आज के व्यस्त व मंहगाई के जमाने में फिल्म से बढ़कर सस्ता व सरलता में प्राप्त होने वाला मनोरंजन का साधन और कोई नहीं है। जैसे-जैसे लोगों का आकर्षण फिल्मों की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे फिल्मी पत्रकारिता का भी विकास होता जा रहा है। फिल्मी

पत्रकारिता से सात्पर्य उस पत्रकारिता से है जिसका कार्य फिल्म विपयक, आधुनिकतम जानकारी देना है। इन पत्रिकाओं में फिल्मों की समीक्षा, फिल्मी सितारों के नाम, फिल्मी पूर्वकथा, चित्रकथा, फिल्मी कार्टून तथा तकनीकी कार्यकर्ताओं का परिचय, फिल्मी दुनिया से सम्बन्धित लोगों की जीवन की अन्तरंग भूमिकाएँ, रंगपट पर घटने वाली रोचक बातें निहित रहती हैं।

“शुरू-शुरू में फिल्मों से सम्बन्धित सामग्री मासिक पत्रों में ही दिखाई देती थी। पर धीरे-धीरे इससे सम्बन्धित पृथक से साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाएँ निकलने लगीं। 1931 में जब बम्बई में आलम आरा में मूक कलाकारों ने बोलना चालू किया तो लोग चौंक उठे और लोगों पर फिल्मों का जादू चढ़ गया। कुछ जागरूक लोगों ने 1932 में ‘रंगभूमि’ का प्रकाशन करके फिल्मी पत्रकारिता की शुरुआत की। इस पत्रिका के प्रथम संपादक श्री लेखराम थे तथा इसका मूल्य दो पैसे था। इसके माबरण पर कृती ग्रामिनेत्री का रंगीन चित्र रहता था। भीतर फिल्मों से सम्बन्धित फिल्मों का विवरण समीक्षा, फिल्म बनाने वालों का परिचय, फिल्मों के गीत, कहानियाँ, कविताएँ, शेरों-शायरी हुआ करती थी। तब से निरन्तर इस क्षेत्र में उत्थति होती रही और काफी संख्या में पत्रिकाएँ निकलीं। यही नहीं, आज फिल्मों से सम्बन्धित प्रकाशन सत्वाएँ भी बन गयी हैं। जैसे दिल्ली में 1962 में फिल्म ब्रिटिश एसोशिएशन, फिल्म एडीटर्स एसोशिएशन, 1973 में बम्बई में फिल्म जर्नलिस्ट्स सोसायटी का निर्माण हुआ। लेखराज, ऋषभचरण जैन, कल्याण शंकर, परशुराम नौहिपाल, परमपाल गुप्ता, सत्येन्द्र श्याम, आदि ने स्वाधीनता से पूर्व तथा अब तक फिल्मी पत्रकारिता को ऊँचा उठाने में सक्रिय सहयोग दिया है।

फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन इक तीनों में आज की फिल्मी पत्रकारिता को अपने में समेटा है। आज अनेक विद्वान, साहित्यकार और कलाकार फिल्मों की ओर आकर्षित हुए हैं। इतना सब होते हुए भी आज फिल्मी पत्रकारिता एक सम्मानित पत्रकारिता नहीं मानी जाती है परन्तु व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इसका योगदान अन्य पत्रकारिता से कम नहीं बल्कि अधिक ही है। सांस्कृतिक रूप से इसे अग्रणी विद्या समझी जानी चाहिए, फिल्मी पत्रकार उन विद्या का टिप्पणीकार है, समालोचक है, पारिचायक है जिसका समाज पर रेडियो, टेलीविजन और समाचारपत्रों से भी अधिक प्रभाव पड़ता है। वह उन रचनाओं पर लिखता है जिन्हें प्रतिदिन एक करोड़ लोग सिनेमाघरों में देखते हैं वह उन लोगों को जनता से परिचित कराता है जो इस देश के सबसे बड़े पाँचवें उद्योग से सम्बन्ध रखते हैं। वह उस उद्योग का लक्ष्य-जोषा देता है, जिसमें 200 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है लगभग सवा दो लाख लोग अपनी जीविका उपाजन करते हैं।¹

दैनिक पत्रों ने आरम्भ में तो फिल्मों के प्रति उपेक्षा का वर्ताव किया पर शनैः-शनैः फिल्मी पत्रकारिता को महत्त्व मिलता गया। 'नवभारत टाइम्स' ने आरम्भ से ही फिल्मी पत्रकारिता को स्थान दिया। 'हिन्दुस्तान' ने आरम्भ में थोड़ी सामग्री दी पर बाद में उसने भी सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मी समाचारों पर देना शुरू किया। इस तरह धीरे-धीरे 'वीर प्रताप', 'पजाब केसरी', 'हिन्दी मिलाप', 'आज', 'नवजीवन', 'स्वतन्त्र भारत', 'नवभारत', 'जागरण', 'नई दुनियाँ' आदि ने फिल्मों से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन शुरू किया। सन्ध्या एक मात्र ऐसी पत्रिका है जिसने शुरू से ही श्रेष्ठता के आधार पर फिल्मों के वर्गीकरण की परिपाटी आरम्भ की। धीरे-धीरे 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'धर्मयुग', साप्ताहिकों ने भी फिल्मी-जगत् पर गम्भीर सामग्री देनी शुरू की। हिन्दी पाठकों में फिल्मों के प्रति रुझान तो था ही, साथ ही फिल्मों ने भी राष्ट्र-निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी शुरू की। सरकार ने भी इसे प्रोत्साहन दिया। [कुछ अखबार तो सप्ताह में एक फिल्म संस्करण भी निकालते हैं। जैसे 'पजाब केसरी', 'हिन्दी-मिलाप', तथा 'वीर प्रताप' आदि। आज कई साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक प्रमुख फिल्मी पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं जैसे—महाराष्ट्र से—'उर्वशी' (1959 बम्बई), 'रजनी गधा' (1975 बम्बई), 'चित्रावती' (1959 बम्बई), 'चित्रा', 'माधुरी' (1964 बम्बई), 'रम नटराज' (1963 बम्बई), राजस्थान से—'सिनेपत्र' (1974 अजमेर), उत्तर प्रदेश में—'सिने समाचार', 'फिल्म सगर (1970 मेरठ), पश्चिमी बंगाल में—'सिने एडवॉन्स' (1971 कलकत्ता), 'स्क्रीन' (1960 कलकत्ता), दिल्ली से—'छायाकार' (1976 दिल्ली), 'चित्रवेधा' (1948 दिल्ली), 'फिल्म रेखा' (1968), 'फिल्मी सत्रोप' (1976), 'मनोरजन', 'मैनाका', 'नव चित्रपट' (1947), 'प्रिया' (1962), 'रगभूमि' (1941), 'युगध्याया' (1977), 'सिने दर्शन' (1979 दिल्ली), 'मायापुरी' (1974 दिल्ली), 'फिल्मी दुनियाँ (1958), 'पालकी', 'फिल्मी कनियाँ' (1968), 'सिने एडवॉइजर' (1974), 'फिल्मी ऐरा' (1979), 'फिल्मे ही फिल्मे' (1975), 'मूवी', 'प्रिया', 'मुचित्रा', 'राधिका' आदि।

बाल-पत्रकारिता

बच्चों का मन व मस्तिष्क बड़ा ही कोमल होता है। इस कच्ची उम्र में वच्चे जो कुछ सीखते हैं या ज्ञात करते हैं उनका प्रभाव स्थायी होता है। वचपन में सीखा गया पाठ मस्तिष्क में इतना गहरा धुम कर बैठ जाता है कि जिन्दगी भर उसे याद रहता है। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है उसके मस्तिष्क में सदैव क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्न रहते हैं। इस सब प्रश्नों का वह समाधान चाहता है। चाहे यह समाधान उसे किसी से प्राप्त हो, या वह देख-सुन कर समझ जाता हो। अगर बाल-गुलन मन के प्रश्नों का समाधान न किया जाए तो उसका मानसिक

विकास अब रुद्ध हो जाएगा। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि आज का बालक ही कल का सुयोग्य नागरिक है अतः उसके मस्तिष्क को खाद देकर पुष्ट बनाने में दाल पत्रकारिता का अग्रणी विशेष महत्त्व है। बच्चों की साहित्य के प्रति प्रेम जगाने, उनकी रुचि को परिष्कृत करने तथा उनके सोचने के ढंग को वैज्ञानिक रूप देने में बच्चों की पत्र-पत्रिकाएँ काफी योग्य होती हैं। आज विश्व ने बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की है।

भारतेन्दु युग में "बाल दर्शन" से बाल पत्रकारिता प्रारम्भ होती है। माया व विषय की दृष्टि न सही पर आज भी इसका अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। द्विवेदी युग में 'चुन्नु-मुन्नु' पत्रिका का विशेष महत्त्व है। इसके बाद पटना से 'किशोर' तो अहिन्दी भाषी मद्रास प्रांत से हिन्दी में 'चन्दामामा', 'गुडिया' निकली। भारत में सबसे पुरानी व उत्प्रेरक पत्रिका थी "शिबु"। यह करीब 35 वर्ष तक चली। इसका कवर तो निरगुण आकर्षण का केन्द्र होता ही था भीतरी पृष्ठों पर भी सर्वे व बच्चों के मन को भाने वाले लुभावने तथा सुन्दर-सुन्दर चित्र दृष्टा करत थे। साथ ही इसमें कविताएँ, कहानियाँ, चुटकले और कार्टून कथाएँ तथा विभिन्न ज्ञानवर्द्धक लेख व ज्ञानवर्द्धक प्रतियोगिताएँ दृष्टा करती थी। इस पत्रिका के बाद काफी बच्चों की पत्रिकाएँ निकली। इन सब पत्रिकाओं की कथावस्तु भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थी। साथ ही पत्रिकाओं में रंगीन साजसज्जा, रंगीन रेखाचित्रों, कार्टूनों, पौराणिक कहानियाँ, दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित कहानियाँ, धारावाहिक कथाएँ, जातक कथाएँ, राजा, रानी और परी से सम्बन्धित कल्पित कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ होती हैं। इस सब पत्रिकाओं का यही उद्देश्य रहता था कि बच्चों का सहज ही मानसिक व बौद्धिक विकास हो। बच्चों की क्रमशः कल्पना विकसित हो तथा उनकी शक्ति को तेज कराना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था और है। अर्थात् ये पत्रिकाएँ ऐसी सामग्री बच्चों को देती हैं कि जो मनो-वैज्ञानिक ढंग से उनकी रुचि को संवारती चले ताकि उनका जिज्ञासु मन शान्त हो सके। ये पत्रिकाएँ अधिकतर तो मासिक होती हैं।

मासिक पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक पत्रों में "बाल स्तम्भ" के अन्तर्गत सुरुचिपूर्ण सामग्री दी जाती है। बाल दिवस पर 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', बाल विद्यालय अर्द्ध निकलते हैं। 'धर्मयुग' भी हमेशा बाल स्तम्भ देता है। इसी प्रकार दैनिक पत्रों में 'नवभारत टाइम्स', 'हिन्दुस्तान', 'आज', 'नई दुनियाँ', 'नवभारत', 'विश्वामित्र', 'जागरण', 'वीर अर्जुन' आदि दैनिक पत्र रविवार के दिन प्रचुर मात्रा में बाल सामग्री देते हैं। आज बच्चों की पत्रिकाएँ काफी अच्छी तरह मुद्रित और चित्रित होकर निकलने लगी हैं। प्रमुख रूप में ये पत्र-पत्रिकाएँ निम्न हैं—

महाराष्ट्र—'इन्द्रजान कामिनी' (1964 बम्बई), राजस्थान में 'वैज्ञानिक बालक', बिहार से—'बालक' (1926 पटना), 'उभरते सितारे' (1977 नालन्दा),

किशोर, तमिलनाडू में—'चन्द्रामासा' (1949 मद्रास), 'गुडिया' (1973 मद्रास), दिल्ली से—'लोटपोट' (1969), 'चम्पक' (1968), 'राज नैया' (1959) 'वाल भारती' (1948), 'नन्दन' (1964), 'पराग' (1958) इन्द्रजाल कामिबन (दिल्ली) 'मधु मुस्कान' (1960 दिल्ली), 'मिनिन्द' (1965) 'सुमन सौरभ' (दिल्ली), 'वाल हस' (राजस्थान, जयपुर) ।

कृषि पत्रकारिता

प्रारम्भ में कृषि को केवल पेट भरने का साधन ही माना जाता था पर आज कृषि का कार्य प्रत्येक देश में सर्वोत्तम कार्य ममभूत जाता है। कृषि कार्य एक ध्याव-सायिक व घन्चे के रूप में विकसित होने लगा है अतः कृषि से सम्बन्धित हो रहे नए नए अनुसंधान, नयी जानकारियाँ, खेती के उन्नत तरीकों की खोज आदि को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कृषि पत्रकारिता की आवश्यकता हुई। जिन समाचार-पत्रों में अधिक से अधिक सामग्री गाँवों के बारे में, कृषि, पशुपालन, बीज व कीट-नाशक, पचायती राज, महकारिता, साक्षरता, परिवार-नियोजन, समाज-शिक्षा, लघु या घरेलू उद्योग आदि विषयों से सम्बन्धित सामग्री होती है—उसे कृषि पत्रकारिता के अन्तर्गत लिया जा सकता है। गाँवों में निवास कर रहे कृषकों के पास कृषि सम्बन्धी नयी-नयी जानकारी पहुँच सके, यही इस पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

कृषि सम्बन्धी विविध विषयों तथा फसलों, उनके बुवाई कटाई के मौसम, खाद, बीज-पानी, सिंचाई के माधन, खेती के पोषक पदार्थ, नए नए औजारों में सम्बन्धित ये पत्रिकाएँ लेख छापती हैं साथ ही ग्राम्याचलों में रहने वाले किसानों की रुढ़िवादिता को दूर करने में भी सहायक होती है। यही नहीं, इसी पत्रकारिता के जरिए वह सरकार द्वारा संचालित कृषि फार्मों, कृषि मस्थानों और कृषि विभागों में सम्बन्धित जानकारी से परिचित होता है।

भारत में कृषि पत्रकारिता का इतिहास काफी पुराना नहीं है। सबसे पहले 1914 में 'कृषि सुधार' पत्र निकाला तथा 1918 में आगरा से 'कृषि पत्र' छपा। इसके बाद इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन उन्नति होने लगी। पर आशा के अनुसार इसमें उन्नति नहीं हुई।

कृषि विकास के साथ-साथ भारतीय कृषि पत्रिका सभ आदि संस्था बनी। यही नहीं, जब तो इनसे सम्बन्धित सरकारी प्रदर्शनियाँ भी लगने लगी हैं तथा लोगों में उत्साह जगाने के लिए पुरस्कार भी वितरण किए जाते हैं। आज कृषि से सम्बन्धित काफी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, पर ज्यादातर मामिक हैं।

सरकारी प्रयत्नों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरक उत्पादन करने वाली कम्पनियों, पीप संरक्षण की दवाइयाँ बनाने वाली कम्पनियों एवं अन्य कृषि संस्थानों

ने भी कृषि सामग्री की संकलन व प्रकाशन पेम्फलेट, बुलेटिन एवं पत्रिकाओं के माध्यम से कृषि पत्रकारिता में वृद्धि की है। यही नहीं, हर राज्य के आकाशवाणी से भी देहाती रेडियो, गोष्ठी, किसान-बातों आदि शीर्षकों से कृषि पत्रकारिता की शिक्षा दी जाती है। दूरदर्शन भी प्रतिदिन अपने स्टेशनों से कृषि से सम्बन्धित सामग्री देता है जैसे जयपुर से शनिवार व इतवार को छोड़कर प्रतिदिन 'चौपाल' के कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को कृषि से सम्बन्धित सामग्री को चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है।

दैनिक पत्रों में 'आज', 'नवभारत', 'अमर उजाला', 'देश-वन्धु', 'नयी दुनियाँ', 'नवज्योति', 'राजस्थान पत्रिका', 'राष्ट्रदूत', 'आर्यावर्त' आदि में खेती के साप्ताहिक स्तम्भ देने शुरू हो गए हैं। 'नवभारत' व 'हिन्दुस्तान' आदि शीर्षस्थ अखबारों ने इस स्तम्भ को निरन्तर जीवित रखा है। आज देश में हरित-क्रान्ति व श्वेत-क्रान्ति की बात होती है। भारत में लाखों गाँवों में करोड़ों ग्रामीणों के पास यह पत्र-पत्रिकाएँ आधुनिक व नई तकनीकी ज्ञान का सदेश लेकर पहुँचती हैं। इन पत्रिकाओं का इतना महत्त्व होते हुए भी आज भी इनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। इन पत्रिकाओं के सामने कई चुनौतियाँ हैं। विज्ञापन की कमी, कागज की महँगाई, रेल, बस व डाक की कोई विशेष सुविधा का न होना, उत्तर व रोचक सामग्री का अभाव, ब्लाक बनाने की सुविधा न होते हुए भी आज मुख्य तप से निम्नलिखित उल्लेखनीय पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं—

हिमाचल प्रदेश से—'हिमाचल कृषि सूचना' (1961 शिमला), पंजाब—'टाटिकल्चर बुलेटिन' (1963 पटियाला), 'युवा रिश्मा' (1975 लुधियाना), राजस्थान से—'कृषि विकास' (1977), उत्तर प्रदेश—'कृषि केतु' (1978 सुल्तानपुर), 'खेती किसानी' (1972 फँजाबाद), 'किसान भारती' (1969 नैनीताल), बिहार से—'कृषक मित्र' (1970 पटना), 'ग्रामीण दुनियाँ', 'शेवा ग्राम', 'गोसबद्धन', 'कृषि चयनिका', 'भू-भारती', 'श्वेत और किसान', 'खेती', 'कृषि दर्शन', 'धरती', 'चौपाल', 'गाँव की बात', 'कृषक क्रान्ति', 'देहाती' आदि।

श्वेत-पत्रकारिता

चक्षुहीन लोगों को पत्रकारिता के जरिए लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से श्वेत पत्रकारिता की शुरुआत एक शुन घटना है। ठाकुर विश्वनारायण सिंह के सम्पादन में नवम्बर, 1975 में पहली श्वेत पत्रिका 'आलोक' (त्रैमासिक) प्रकाशित हुई। 1978 में यह मासिक हो गई और इसका नाम 'नयन रश्मि' रखा गया। इसी प्रकार दृष्टि हीन बच्चों के लिए 1971 में देहरादून से 'मिजू आलोक' का प्रकाशन हुआ। यह त्रैमासिक पत्रिका है।

उपर्युक्त विवेचन इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी पत्रकारिता किसी एक सीमा में बन्धी हुई नहीं है, उसे अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है क्योंकि पत्रकारिता का कोई एक विषय नहीं रहा है। एक ओर तो सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पत्र-पत्रिकाएँ हैं दूसरी ओर ग्राह्यत्विक, वैज्ञानिक और खेन-रूढ़ व व्यवसाय से सम्बन्धित पत्रकारिता का भी अपना महत्त्व है तथा तीसरी ओर किन्हीं पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता और बालोपयोगी पत्रकारिता, ब्रेल पत्रकारिता आदि का भी समुचित विकास हुआ है। यह वर्गीकरण जहाँ हिन्दी पत्रकारिता की विकसित स्थिति को सुचित करता है वहीं उसकी विविधात्मकता को भी प्रमाणित करता है।



स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं का योगदान

सामान्य रूप से पत्र-पत्रिकाएँ दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, राजनैतिक घटनाचक्र और सामाजिक जीवन के विविध पक्षों को प्रस्तुत करती रहती हैं किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये पत्रिकाएँ साहित्य की उपेक्षा करके चलें। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में हिन्दी पत्रकारिता का जो दौर आरम्भ हुआ है उसमें साहित्य की विधाओं का पर्याप्त स्थान है। साहित्य समाज की समृद्ध चेतना की शाश्वत धरोहर है और पत्र-पत्रिकाएँ दिनानुदिन की गतिशीलता की लेखा हैं। साहित्य के विकास में दैनिक-पत्रों से लेकर त्रैमासिक पत्रिकाओं की वर्तमान स्थिति यह स्पष्ट कर देती है कि पत्रकारिता साहित्य को पोषण दे रही है।

यद्यपि कुछ पत्र-पत्रिकाएँ पूर्णतः साहित्यिक हैं किन्तु जो साहित्यिक नहीं हैं, वे भी साहित्य के विकास का मार्ग अपने-अपने ढंग में प्रशस्त कर रही हैं। साहित्य से तात्पर्य केवल कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास से ही नहीं है अपितु गद्य की वे विविध विधाएँ भी साहित्य के अन्तर्गत विशिष्ट स्थान रखती हैं जो स्वातन्त्र्योत्तर भारत में बड़ी तीव्रता से विकसित हुई हैं। ऐसी विधाओं में निबन्ध के अतिरिक्त रेखाचित्र, सस्मरण, रिपोर्टाज, फीचर, यात्रावृत्त, आत्मकथा, डायरी लेखन आदि की भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में कदाचित् ही ऐसा कोई पत्र मिलेगा जिसने इन विधाओं को प्रकाशित कर साहित्य की श्री-वृद्धि न की हो। विविध पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्य को कई तरह से समृद्ध और विकसित किया है, इसमें दैनिक-पत्रों, साप्ताहिक-पत्रों, और मासिक व त्रैमासिक पत्रों के साहित्यिक योगदान का पृथक-पृथक मार्ग रहा है।

1 सं. डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, इन्द्रबहादुर सिंह तथा रामव्यास पाण्डेय हिन्दी पत्रकारिता . मणिमय प्रकाशन, पृ 292.

साहित्यिक अभिरुचि का विकास

साहित्यिक अभिरुचि तभी विकसित होती है। जबकि लेखक सरल शब्दों में अपने मानस की अनुभूतियों को सरल व सुस्पष्ट भाषा में कहे। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठक की संवेदना में लेखक द्वारा कहा गया सब कुछ समा जावे। तात्पर्य यह है कि लेखक और पाठक दोनों के बीच सम्बन्ध बना रहे। यह तभी सम्भव हो सकता है जब लेखक के पास प्रेषणीय क्षमता हो और पाठक के पास ग्राह्यता शक्ति। प्रसिद्ध अंग्रेजी समीक्षक रिचर्ड्स ने श्रेष्ठ और सफल लेखक की चर्चा करते हुए लिखा है कि "प्रेषणीयता का गुण प्रत्येक लेखन की सफलता की पहचान है।" इसी तथ्य को स्वर्गीय रामधारीसिंह दिनकर ने अपनी काव्य की भूमिका में इस प्रकार स्पष्ट किया है, "कोई भी श्रेष्ठ रचना तभी सफल हो सकती है जबकि उसमें कहा गया तत्त्व पाठक की चेतना में सीधे प्रविष्ट कर जाए।" लेखक और पाठक के बीच रचना एक सशक्त कड़ी का काम करनी है यदि यह कड़ी मजबूत होती है तो लोगों में साहित्यिक अभिरुचि जागृत हो सकती है।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं में जो लेख आदि छपते हैं यदि उनमें यह उपर्युक्त गुण अर्थात् प्रेषणीयता न होती तो साहित्यिक अभिरुचि का विकास नहीं हो सकता था। साहित्य मात्र प्रवृद्ध-वर्ष की वस्तु नहीं है उसका सम्बन्ध सामान्य व्यक्ति से भी है और होना ही चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के स्तर हो सकते हैं किन्तु साहित्य का स्तर तो उनकी साहित्यिकता में ही दिया हुआ है। कहानी, कविता, उपन्यास और सस्मरण आदि के अन्तर्गत सभी रोचकता और मनोरमता हमारे उदास मन को शान्ति व सुख देती है। जब कभी किसी पत्रिका या किसी दैनिक-पत्र के रविवारीय परिशिष्ट में हमें कोई कविता, कहानी, सस्मरण या विशेष लेख पढ़ने को मिलता है तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक दुनियाँ में दिन-रात घटित होने वाले पड़घन्वों, सामाजिक दुनियाँ में होने वाले फेर-बदल और वैज्ञानिक उपलब्धियों के नीरस, उबाऊ और एक से परिप्रेष में निकल कर हम राहत की सास लेते हैं।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं में से अधिकांश का उद्देश्य नले ही व्यावसायिक रहा हो किन्तु उससे साहित्य का विकास अवश्य हुआ है। राजस्थान के प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत को ही ले लीजिए। सामान्य रूप से राजस्थान पत्रिका देश को, समाज को और हमारे जीवन की गतिविधियों का व्याख्याना पत्र है किन्तु इसके रविवारीय-परिशिष्ट और पारिवारिक परिशिष्ट इसके अपवाद हैं। पारिवारिक परिशिष्ट पत्रिका में कहानी, कविता, सत्यकथा, दो प्रेरक, लघु कथाएँ, मुस्कानें आदि को स्थान दिया जाता है जो कि मनुष्य की साहित्यिक अभिरुचि को जागृत करती हैं। राजस्थान पत्रिका तो मात्र उदाहरण है, आप कोई भी दैनिक पत्र देख लीजिए सभी में साहित्य से सम्बन्धित सामग्री निहित रहती है।

ये पत्र न केवल सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जगाते हैं अपितु साहित्यिक अभिरुचि को भी जागृत करते हैं। प्रायः देखने में आता है कि समाचार-पत्रों के रविवारीय-परिशिष्ट में बहुधा कुछ अच्छी कविताएँ, कुछ गजलें, कम से कम एक कहानी, और एकाध रोचक सस्मरण तो प्रकाशित होते ही हैं। इस प्रकार के प्रकाशन दैनिक पत्रों के पाठकों की साहित्यिक रुचि को विकसित व परिष्कृत करते हैं। कभी-कभी पुस्तक समीक्षा के अन्तर्गत रिव्यू भी छपते हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि दैनिक-पत्र भी एक साहित्यिक मंच बना रहे हैं और अपने पाठकों की साहित्यिक अभिरुचि को परिष्कृत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए—हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति, भाज, विश्वमित्र, अमृत बाजार पत्रिका आदि को लिया जा सकता है।

यद्यपि दैनिक पत्रों की अपनी सीमाएँ हैं किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि दैनिक पत्र अपनी सीमाओं के बावजूद साहित्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। साप्ताहिक पत्रों की स्थिति दैनिक पत्रों की तुलना में कुछ अधिक स्पष्ट व सुलभी हुई है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग जैसे पत्रों में नियमित रूप से कविता, कहानी, सस्मरण, धारावाहिक उपन्यास, रेखाचित्र आदि प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसे प्रमुख साप्ताहिकों की संख्या भी कम नहीं है। प्रायः देखने में आता है कि जो व्यक्ति साहित्य से सम्बन्धित नहीं हैं वे भी प्रमुख साप्ताहिकों को इसलिए पढ़ते हैं कि उनमें उन्हें कोई सुन्दर कहानी, कोई मन को बाँधने वाली कविता और कोई अच्छा धारावाहिक उपन्यास पढ़ने को मिल जाता है। वर्तमान युग में लेखक की स्थिति बड़ी विचित्र है। पहली बात तो यह है कि लेखक लिखे तभी लेखक है। दूसरी बात यह है कि जो वह लिखे वह किसी अच्छे पत्र में छपे और तीसरी बात यह है कि जो वह लिखे व छपे सुन्दर प्रतीत हो और पाठकों को ग्राह्य हो। इतनी क्षमता प्रत्येक लेखक में नहीं होती है कि वह पुस्तक के रूप में अपने लिखे हुए को प्रकाशित करवा सके। अतः नये उभरते हुए लेखक इसी कारण पत्र-पत्रिकाओं का सहारा लेते हैं। आज कितने ही ऐसे लेखक हैं जो पत्र-पत्रिकाओं में छपते-छपते अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बना चुके हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य के अधिकांश प्रतिष्ठित लेखक, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पत्रकार भी रहे हैं। यह परम्परा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर सच्चिदानन्द वर्तमान तक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह कहना अनुचित न होगा कि गद्य के निर्माण का अधिकांश श्रेय हिन्दी पत्रकारों को है जिन्होंने पत्रों के माध्यम से हिन्दी भाषा को एक व्यवस्था, समृद्ध और परिनिष्ठित रूप दिया।¹ इसने यह स्पष्ट होता है कि साप्ताहिक और भासिक पत्र उन लेखकों को भी स्थान देते हैं जो किसी कारणवश स्वतन्त्र रूप से अपनी रचनाएँ प्रकाशित नहीं कर पाते। जनेक

वार साप्ताहिक और मासिक पत्रों में बहुत ही अच्छी, स्तर की साहित्यिक रचनाएँ पढ़ने को मिलनी हैं। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में जो पत्र व पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं उनमें साहित्य को उचित स्थान प्राप्त है। यह स्थान इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि इन पत्र-पत्रिकाओं ने लोगों के जन-मानस को परिवर्तित किया और वे किमी न किमी रूप में साहित्य से जुड़े रहे हैं।

हास्य-व्यंग्य दैनिकों, साप्ताहिकों तथा मासिकों में निरन्तर प्रकाशित होता रहता है। व्यंग्य को पकड़ना और समझना तथा समझकर उसका आनन्द लेना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की साहित्यिक रुचियाँ विकसित हो रही हैं। स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्यिक अभिव्यक्ति का विकास करके ही साहित्य सृजन और पाठन-पठन दोनों को विकसित होने की प्रेरणा प्रदान की है। इस तरह जहाँ इन पत्र-पत्रिकाओं ने जीवन के विविध पक्ष प्रस्तुत करके सामाजिक जीवन का यथार्थ प्रस्तुत किया है, वही विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों, विकास-प्रक्रिया और गतिशीलता को भी प्रस्तुत किया है।

सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का विकास

आधुनिक युग में विशेषकर स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ जीवन का एक अंग बन गयी हैं। वे अनेक साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रचारक व विरलेपिका हैं। स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में अनेक ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाश में आई हैं जिन्होंने जन-जीवन में सांस्कृतिक छवि को विकसित किया है।

सांस्कृतिक शब्द संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृति मनुष्य की सत्कारणीय अवस्था का नाम है। इतना ही नहीं संस्कृति वह है जो हमारे आन्तरिक रुचियों को प्रकट करती है तथा हमारे मन व मस्तिष्क को परिष्कृतियों की ओर से जाती है। उदाहरण के लिए डाली पर खिला हुआ फूल कितना ही आकर्षक क्यों न हो किन्तु उसका वास्तविक विकसित रूप उसकी सभ्यता का प्रतीक है और उस पुष्प के भीतर रहने वाली सुगन्ध उसकी संस्कृति है। स्पष्ट शब्दों में सभ्यता बाहरी उपकरण है और संस्कृति आन्तरिक गुण और शक्ति है। जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक गुणों के विकास से होता है। आज के भौतिक और व्यावसायिक-जगत में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आन्तरिक गुणों का विकास करें। यह विकास पत्र-पत्रिकाओं से किया जा सकता है। भारतीय पत्रकारिता ने आरम्भ से ही समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परम्पराओं का विरोध करते हुए सांस्कृतिक बरोहर की सभी तरह के बाह्य आन्ध्रों से अपनी रक्षा की और उसे सजाया-सँवारा तथा उसे निखार कर राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग बनने में योग्य दिया और विश्व-स्तर पर भारतीय संस्कृति

को गित्त, कला, साहित्य, कृत्य, मनीन ङोग और आत्मिक उत्कर्ष के प्रमुख माध्यम की तरह प्रस्तुत किया ।

पत्र पत्रिकाओं ने हमारी सांस्कृतिक अभिरचियों को विकसित किया है । सांस्कृतिक अभिरचि के अन्तर्गत धर्म, नीति, दर्शन समाज-साहित्य और खेलकूद अथवा मनोरंजन के साधन आते हैं । जो पत्र-पत्रिकाएँ इस दिशा में कार्यरत हैं, उनमें प्रमुखतः कादम्बिनी, दिनमान, पुरोधा, श्रीकृष्ण सन्देश, कल्याण, सरिता, मुक्ता, धर्मयुग, नवनील, भारती, ज्ञानोदय आदि का प्रमुख योगदान है । ये वे पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनका योगदान विशेष रूप से सांस्कृतिक है । इन पत्र-पत्रिकाओं ने बौद्धिक, भौतिक और वैज्ञानिक चेतना को सांस्कृतिक आवरण में लपेट दिया है ।

भारती, नवनील ऐसी पत्रिकाएँ हैं जिनमें जो कहानियाँ, कविताएँ, लेख और परिमवाद प्रकाशित होते हैं, वे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने में महायक होने हैं । ये पत्रिकाएँ हमारे आत्मिक परिष्कार के लिए तो उपयोगी हैं ही वहाँ एक ओर जहाँ सेनगी कथाएँ चमक-दमक वाली पत्रिकाएँ और अश्लील पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं अथवा आधुनिक सम्प्रदा का भीडापन दरमाने वाली पत्रिकाएँ निकलती हैं वही इन मुविधापूर्ण पत्रिकाओं के माध्यम से स्वस्थ सांस्कृतिक सन्दर्भ हमारे जीवन से जुड़ जाता है ।

नैतिक और धार्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए भी कुछ पत्र-पत्रिकाएँ सामने आई हैं । ऐसी पत्र-पत्रिकाओं में कल्याण, अलण्ड-ज्योति आदि प्रमुख हैं । ये वे पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनमें धर्म, ईश्वर तथा अध्यात्मवाद की चर्चा होती है कि किस तरह थडा, नक्ति, पूजा और आराधना जीवन की बटुत ही महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं । कल्याण पत्रिका में अनेक धार्मिक लोगों ऋषि-मुनियों से सम्बन्धित प्रसंग, पौराणिक प्रसंगों पर आधारित त्याग, तपस्या, जादशं चोतक लेख छपते रहते हैं । कल्याण में अक्सर 'पढो समझो और करो' के अन्तर्गत धर्म पर घटित छोटी-छोटी घटनाओं का विवरण होता है जो मनुष्य को धार्मिक ज्ञान देती हुई पूजा, उपासना का महत्त्व बताती हैं । अलण्ड ज्योति पत्रिका भी कल्याण का ही एक रूप है । इनमें भी सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अनेक उपयोगी एवं मूल्यवान लेख रहते हैं ।

उपयुक्त पत्र-पत्रिकाओं के अलावा कुछ ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ भी हैं जिन्हें हम प्रमुखतः बाल पत्रिकाएँ कह सकते हैं जैसे वाचसला, नन्दन, चम्क, पराग, चन्द्रामाना, बालक, वैज्ञानिक बालक, बाल भारती, गुडिया आदि । नन्दन में जो कहानियाँ और लेख प्रकाशित होते हैं वह बच्चों की सांस्कृतिक अभिरचियों को तो विकसित करने में महायक है, ऐसे कुछ लेख भी होते हैं जो नैतिक आदर्शों के प्रति निष्ठा जगाने हैं । कुछ ऐसे हैं, जो विज्ञानीलता का पाठ पढ़ाते हैं जो सोम, स्वार्थ,

ईर्ष्या, द्वेष अन्य प्रबलकारी मनोवर्गों से मुक्ति दिलाते हैं। अनेक लघु कथाएँ भी ऐसी प्रकाशित होनी हैं जो आत्मिक विकास के लिए तथा नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मार्गदर्शन करती हैं। यही स्थिति पराग व चन्दामामा की है।

चम्पक बहुत छोटे-बच्चों की पत्रिका है जो बहुत ही सरल व सुबोध भाषा में बच्चों में प्रेम, साहस जगाती हुई उनमें व्याप्त रूढ़िवादिता, बहुर, अन्धविश्वास को दूर करती है। नन्दन, पराग व चम्पक तथा चदामामा का कोई भी अंक उठाकर देखा जा सकता है जो बच्चों में त्याग मदानाचना, प्रेम, दया, ममता आदि का पाठ पढ़ाती हुई उनमें नैतिक गुणों को भरती है। इसी प्रकार बच्चों की और भी कई पत्र-पत्रिकाएँ हैं जो बच्चों में मास्कृतिक अभिरुचि को परिष्कृत करती हैं।

जैसे बालसखा, पराग, नन्दन, चम्पक, चदामामा जैसी बालोपयोगी पत्र-पत्रिकाओं में सरल भाषा व सरल भावों में पचतन्त्र व हितोपदेश की शैली में कहानियों के जो रूप हैं वह बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होती हैं तथा पत्रिकाएँ सचित्र कथाओं के माध्यम से बालकों में साहस, सूक्ष्मज्ञ व वैज्ञानिक चिंतन की प्रवृत्ति जागृत करती हैं।

भाषा शिल्प का विकास

स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिका ने जहाँ सांस्कृतिक अभिरुचि को प्रोत्साहित किया, नवचेतना का विकास किया और सामाजिक जीवन को सुधार परिष्कार और जागृति की राह दिखाई है वही, शैलिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता का अन्तस कलात्मक है और उसका शरीर अपनी सज्जा के लिए कभी-कभी विज्ञान का मुलापेही रहता है। सर्वप्रथम तो समाचार-पत्रों ने बोल-चाल व सामान्यजन की भाषा को परिष्कृत जनभाषा का शिल्पायन करने का सफल प्रयत्न किया। आज जिसे अखबारी भाषा कहा जाता है वह इसी की देन है। भाव व्यक्त करने में जनजीवन की भाषा ही उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, नित नवीन शब्दों का निर्माण और दिन-प्रतिदिन घटित होने वाला विविध प्रकार की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में निर्मित नयी शब्दावली का प्रयोग पत्रकारिता के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली भाषा की अग्रतम विशेषताएँ हैं।

भाषा की सरलता को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीर्घ वाक्यावली के स्थान पर छोटे-छोटे किन्तु ग्राह्यक वाक्यों का प्रयोग करके पत्रकारिता ने जिस शैलिक क्षमता का विकास कर हिन्दी को सँवारा है उससे भाषा व्यक्ति से और व्यक्ति भाषा में जुड़ गया है। अर्थात् स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता का भाषिक स्वरूप सरल, बोधगम्य और सम्प्रेषण की क्षमता से युक्त है।

हिन्दी पत्रकारिता ने व्याकरण के उमी स्वरूप को स्वीकार किया है जो बोधगम्य बनाए रख सके। व्याकरण की अवाञ्छित स्थिति को हिन्दी पत्रकारिता ने

छोड़ दिया है। एक छोटे से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है— वाक्य पूरा होने पर प्रायः हम हिन्दी व्याकरण के हिमाव से पूर्णविराम लगाते हैं और जहाँ प्रवर्णविराम की आवश्यकता है वैसे चिन्ह लगाते हैं परन्तु हिन्दी के कुछ प्रमुख पत्रों में विराम चिन्ह में परिवर्तन किया गया है। पूर्णविराम (।) के स्थान पर धर्मयुग व माप्ताहिक हिन्दुस्तान, सरिता जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में बिन्दु (.) से काम चलाया जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह अंग्रेजी का प्रभाव है और हमारी देवनागरी लिपि के अनुकूल नहीं है किन्तु पत्रकारिता किसी एक ही लिपि के अनुकूल तथा किसी ध्वन्य लिपि की धाती भी नहीं है इसलिए उसने अपने स्वरूप को आकर्षक बनाने के लिए तथा स्थानाभाव के कारण इस तरह के प्रयोग आरम्भ कर दिए हैं। वस्तुस्थिति यह है कि मुद्रण सुविधा के लिए पूर्णविराम के स्थान पर चिन्हित बिन्दु () सर्वथा उपयुक्त व सुविधाजनक सिद्ध हुआ है। इसी आशय व एकरूपता के लिए हिन्दी पत्रकारिता ने अक़् रोमनलिपि से ग्रहण किये गये हैं। सुविधा, सरलता और बोधगम्यता के कारण ही पत्रकारिता ने ऐसा किया है। इसी प्रकार हिन्दी के किन्तु, परन्तु, लेकिन जैसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अतः इससे पूर्व (.) का प्रयोग आवश्यक होता है, किन्तु हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में अनेक स्थानों पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। बहुत से लेखक किन्तु, परन्तु से पूर्व पूर्णविराम लगा देते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी पत्रकारिता में ही नहीं अपितु अनेक साहित्यिक कृतियों में भी व्याकरण की शक्तियों का और उनसे निमित्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह हम बात की चोतक है कि हिन्दी पत्रकारिता ने व्याकरण के अनावश्यक बन्धन को छोड़ दिया है।

पत्रकारिता ने साहित्यिक शैलियों की अपेक्षा रोचक, सरस और कौतुहल-वर्धक शैलियों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। प्रायः अखबारों में या सप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक पत्रों में ऐसी शैलियाँ विकसित हुई हैं जो पाठक की उम्र को भी समाप्त करती हैं और शैलीगत जडता को भी तोड़ती हैं। पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले लेख पूरी तरह सरस और कौतुहलवर्धक शैली में ही लिखे जाते हैं। इस प्रकार की शैलियों के प्रयोग से न केवल भाषा सरल हो गयी है अपितु शैली भी रोचक हो गयी है। शैली के ये गुण इतने अधिक विकसित हुए हैं कि इनसे छोटे-छोटे वाक्यों को लिखने की और रुचि बढ़ी है। इस प्रकार सरस और रोचक शैली केवल जपानियों तक ही सीमित नहीं रही। वरन् उसे पत्र-पत्रिकाओं में भी देखा जा सकता है।

पत्रकारिता ने जहाँ अनेक शैलियाँ विकसित कीं हैं वहीं सूत्र-शैल्या शैली को भी महत्व दिया है। इस शैली का प्रयोग प्रायः दैनिक समाचार-पत्रों में अधिक देखने को मिलता है। पहले सूत्र रूप में बात कह दी जाती है और फिर विस्तार से

उस सूत्रात्मक वाक्य को विभक्तित कर दिया जाता है। प्रायः यह सूत्रात्मक वाक्य शीर्षकों के रूप में दे दिये जाते हैं। जैसे—

मुख्य चुनाव आयुक्त शकधर द्वारा चुनाव कार्यक्रम को घोषणा

मातृही लोकमभा के लिए मतदान 3 व 6 जनवरी को		
नामांकन पत्र	नाम वापसी	चुनाव परिणाम
3 दिसम्बर से	1 से 3 दिसम्बर	7 जनवरी
(नवभारत टाइम्स)		

कांग्रेस और लोकदल का गठजोड़ बना रहेगा

सैद्धान्तिक मतभेद बरकरार

अलग-अलग घोषणाओं की सम्भावना

(जनमुग)

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (जम. युन्यू. भा) राजधानी में आज के राजनीतिक घटनाक्रम से इन बातों के आधार प्रबल हुए हैं कि कांग्रेस और लोकदल के गठजोड़ को टूटने से बचा लिया जाएगा तथा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में कांग्रेस के मन्त्री त्याग-पत्र नहीं देंगे।

ये सब सूत्रात्मक वाक्य गहरी शीर्षक के रूप में स्याही तथा मोटे मुद्राक्षरों में छापे जाते हैं ताकि प्रमुख घटना के महत्त्व की ओर पाठक का ध्यान शीर्षक पढ़ते ही आकर्षित हो। सूत्रात्मक वाक्य शैली से स्पष्ट है कि खबर देने वाला क्या कहना चाहता है। इससे लाभ यही हुआ है कि अगर मनुष्य के पास पूरा समाचार-पत्र पढ़ने का वक्त नहीं है तो वह इस शीर्षक को पढ़कर पूरा अर्थ लगा सकता है। यही नहीं, यदि पढ़ने वाले को अगर सूत्र पढ़कर इन समाचार को विस्तृत जानने में रुचि होगी तो वह उसको पूरा पढ़ेगा अन्यथा शीर्षक देखकर ही दूसरे समाचार की ओर ध्यान बढ़ जाएगा। किसी भी दैनिक पत्र को उठाकर इस शैली को देखा जा सकता है।

वस्तुतः विज्ञापन की नयी-नयी शैलियों को भी पत्रकारिता ने विकसित किया है। किसी भी एक विज्ञापन के लिए अलग-अलग शैलियाँ काम में ली गयी हैं। जैसे—बाह्य जीवन का आनन्द एम्ब्रो के सग एम्ब्रो ग्लूको विन्कुट पूर्ण नाजला एक ही पैक में।

इसी प्रकार

खून के गिन्ते कितने गहरे

मिनाडेक्स का भी आपके खून के साथ गहरा रिश्ता है।

रक्त शक्तिदायक

मिनाडेक्स

एक अन्य विज्ञापन है—

बिछोना सनग्लास से घिर जाए
भीगी हवा चले, सिरहन भर जाए
यादों के सीप खुलें, नादेसहला
लाली ढले, सोना गले, रात जवां हो जाए
ऐसे में दूर कहीं बानुरी लहराए
फिर मैं न रहूँ, एक सपना रह जाए

सनग्लास सजावटी लेमिनेट, खूबसूरती कहलाए ओ साथ निभाए

विज्ञापन शैली का यह नमूना कितना आकर्षक है। “अग अग ताजगी की तरंग अनोखा खिलता निराला लिरिल”

हरा लहरिया, निम्बुओ की सनसनाती ताजगी वाला
गहरी सुगंध, ताजगी की तरंग लिरिल
तुम्हें बनाए निखरी-निखरी नार नवेली लिरिल

बच्चों की पत्रिका में छपे एक विज्ञापन का नमूना यह भी है—

तूटो जेम्स का मजा
जीतने के लिए 101 गज्जदार पुरस्कार
जल्दी करो
चाकलेट में भरे रंगीन केडबेरिज जेम्स

विज्ञापन शैली के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं में अनेक बार विविध व्यंजन बनाने की विधियाँ, सिलाई-कढ़ाई और बुनाई के नमूनों की विभिन्न पद्धतियों के विवेचन और स्पष्टीकरण के लिए गणितीय शैली का प्रयोग किया गया है। यह एक ऐसी शैली है जिसका साहित्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे कि


एक बुने, 5 उल्टे बुने, 2 उल्टे इकट्ठा बुने, 4 उल्टे ही बुने, अन्त तक 7 बार दोहराएँ, 2 उल्टे इकट्ठा बुने, 4 उल्टे बुने, 1 सीधा बुने, इन 76 फन्दों को अनिश्चित सिलाई पर उतार लीजिए।

चटपटे—व्यंजन के स्तम्भ में—

सामग्री—एक किलो पालक, एक किलो मटर, आधा किलो हरी मेथी आदि 250 ग्राम छोटे कच्चे केले, 250 ग्राम उड़द की दाल, छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच मुना हुआ स्याह जीरा, आधा छोटा चम्मच सफेद जीरा, आधा छोटा चम्मच राई के दाने, आधा चम्मच पीसी हुई राई।

इस प्रकार आप कोई भी साप्ताहिक या मासिक पत्र-पत्रिकाएँ उठाकर देख लीजिए आपका महिला स्तम्भ में यह शैली अधिकतर दृष्टिगोचर होगी। महिलाओं से सम्बन्धित पत्रिकाओं में तो यह शैली भगी ही रहती है।

काल जगत और महिला जगत से सम्बन्धित पत्रिकाओं अथवा इनसे सम्बन्धित सभी स्तम्भों के माध्यम से व्यंग्य शैली, विनोद शैली और उपदेशात्मक शैली का भी विकास किया गया है। प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओं में व्यंग्य शैली रहती है। कुछ स्वाधी स्तम्भों के रूप में कादम्बिनी में 'आयाराम-गयाराम', सरिता में, 'ये पति-पत्नियाँ,' मुक्ता में 'ये लड़के—ये लड़कियाँ,' धर्मयुग में 'व्यंग्य परिहास, अपने आसपास' साप्ताहिक हिन्दुरतान में 'मुपीबल' है, आदि। सभी पत्र-पत्रिकाओं में कोई न कोई पृष्ठ व्यंग्य व विनोद से सजे रहते हैं। इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता ने न केवल व्यंग्य-शैली को विकसित किया है अपितु कार्टून शैली को भी विकसित किया है। आज सभी पत्र व पत्रिकाएँ कार्टून देती हैं जो सम-सामयिक होता है और उसमें छिपा व्यंग्य अपने आप में प्रनूठा होता है जैसाकि निम्न चित्र से स्पष्ट है।



बच्चों की पत्रिकाओं में बच्चों के अनुरूप कार्टून आते हैं।

इस प्रकार स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता ने सस्कृति, धर्म, दर्शन, चिन्तन, भाषा शैली, साहित्य, विज्ञान और व्यंग्य-विनोद के क्षेत्र में प्रनूठी प्रगति की और नये स्वरूपों को विकसित किया है।

जन जागृति, नवोन्मेष और मुधार

पत्रकारिता वास्तव में एक ऐसी आंख है जो अपने गोलक में सम्पूर्ण समाज और उसमें घ्याप्त स्थितियों को एक साथ देख लेती है और प्रतिबिम्बित करती है।

भारतीय पत्रकारिता ने आरम्भ में तद्गुणीत जीवन को नवचेतना का मन्त्र दिया । इस नवचेतना में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और दैनिक जीवन ने अगड़ाई ली और मोई हुई चेतनाएँ जागृत हो आईं जिसने साहसिक सघर्षों को प्रेरणा दी और राष्ट्र को स्वाधीनता दिलाई ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् पत्र-पत्रिकाएँ एक आवेग के साथ सामने आने लगी और उनमें छपे हुए समाचार जीवन को एक दूसरी दिशा की ओर ले जाने में सक्षम हुए । मनुष्य का व्यक्तित्व एक बन्द कमरे के समान होता है और पत्रकारिता वह हवा है जो उम बन्द कमरे को भटके से खोल देती है । स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने यह काम और भी अधिक तीव्रता से किया है एक ओर जहाँ उसने सुप्त मानव चेतन्य को जागे बढ़ाया है वहीं दूसरी ओर अन्धविश्वास कम हुए हैं । पुरानी मान्यताएँ धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं । नित्य प्रति समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छपती हैं जो न केवल सड़ो-गली मान्यताओं के प्रति अविश्वास पैदा करती हैं अपितु विद्रोह की आग भी भड़काती हैं । स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता की यात्रा एक ज्ञान्ति की यात्रा की तरह है जिसमें समाज को न केवल बाहर से बदला गया है अपितु भीतर से भी बदलने का क्रम जारी है । पिछले 36 वर्षों में भारतीय जनमानस नवोन्मेष, नव-जागृति और नवचेतना से भर उठा है ।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वामिमान, आत्मरक्षा का भाव, अस्तित्व के प्रति चिन्ता और बौद्धिक-क्षमता जैसी भावनाओं को विकसित किया है । पत्रकारिता ने यह काम सीधी और सरल भाषा में कर दिखाया । एक वार के लिए कुछ पुराने और प्रज्ञाशील व्यक्ति मले ही पत्रकारिता की भाषा को अलंबारी भाषा कहकर टाल देते हैं किन्तु यह बात भी भुलाई नहीं जा सकती है कि भारत का ग्राम आदमी यदि कोई भाषा समझ सकता है तो वह समाचार-पत्रों की भाषा ही हो सकती है ।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने जहाँ जनजागरण का संदेश दिया है वहीं सुधार और परिष्कार का काम भी किया है । समानता, भावृत्व, स्वतन्त्रता और उन्मुक्तता की नींव पर निमित्त मानवला समाज का ढाँचा खड़ा करने और उसे मजबूत बनाने में स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने विशेष योगदान दिया है । ऐसी शायद ही कोई पत्रिका हो जिसमें मानवता, स्वतन्त्रता और मानवीय सम्बन्धों को सुदृढ़ और यथार्थ स्थिति को किसी न किमी रूप में विरलेपित न किया जाता हो । विभिन्न विचारों के प्रगतिशील पत्र आज भी मानव जीवन को नई धारा की ओर उन्मुख करने में लगे हुए हैं । वस्तुतः पत्रकारिता ने आज समाज में फैली हुई अनेक धुराद्वयों के विरुद्ध अपना सशक्त अभियान चलाया है । शिशु हरया, बाल विवाह, बंधुत्व का दुःख, दहेज प्रथा, बंधुवृत्ति और चुपचाप जैसी कुप्रथाओं को दूर करने में हिन्दी पत्रकारिता ने

उल्लेखनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक अर्थोत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को गहन रूप में परिष्कृत किया है।

भारतीय जनजागरण का अनुभव सर्वप्रथम वणभूमि ने किया, इसलिये स्वाभाविक रूप से भारतीय पत्रकारिता जिस नव-जागरण और मुधार परिष्कार की भावना को लेकर चली उसका प्रथम आज भी जारी है। 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में ही हिन्दी पत्रकारिता ने इस दिशा में नवीन चेतना को जागृत किया। फलस्वरूप स्वातंत्र्योत्तर भारत में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई। सभी कुप्रथाओं के कुपरिणामों और आगद परिणामों का त्रिवेचन बड़े-छोटे सभी पत्र-पत्रिकाओं ने खूब लिखा है। दैनिक पत्रों में रविवारीय परिशिष्टों में तो श्राए दिन दहेज प्रथा, विधवा विवाह आदि कुप्रथाओं पर लेख छपते ही रहते हैं। बड़ी पत्रिकाएँ ही नहीं बरन् बच्चों की पत्रिकाएँ भी कहानी व लेख माध्यम से नवजागृति के संदेश देकर उसे अन्धविश्वासों से छुटकारा दिलाते हैं। चूँकि वे तो बच्चों के लिए एक अन्धविश्वास क्या विशेषकर भी निकाला। जिसमें बच्चों के मन को गहराई से छूने वाली कहानियाँ जैसे—देवी का वरदान, अर्पणकुण्ड, गंगा-स्नान, भविष्यवक्ता, माधु आदि सभी कहानियाँ अन्धविश्वासों को लेकर ही लिखी गयी हैं। हिन्दी पत्रकारिता ने नवजीवन में अनेक प्रकार से नवचेतना का मस तैयार किया है। स्वतन्त्रता के पूर्व में पत्रिकाओं का मुख्य ध्येय राष्ट्रीय स्वाधीनता का सघर्ष और प्रजा की समस्याओं का समाधान करना ही था किन्तु स्वातंत्र्योत्तर वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता ने जहाँ देश और समाज का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया वही जन-जागृति नवोन्मेष और समाज मुधार व परिष्कार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता युगोत्तर चेतना की अभिव्यक्ति है उसमें लोक मानस प्रतिरूपित हुआ है और यही युगवारा स्वातंत्र्योत्तर पत्रिकाओं की प्राणवारा बन गई है।

स्वस्थ मनोविनोद

वर्तमान युग जिस संक्रान्ति में गुजर रहा है, उसमें मनुष्य का व्यक्तित्व अध्याय हो गया है। ऐसा इसलिए कि निमित्त वारंशिकताएँ और विडम्बनाएँ प्रश्नमुली होकर मनुष्य के नामने आ खड़ी हुई हैं। परिणामतः मुख्य रूप से मनुष्य जो सोचता है वह होता नहीं, जो होता है, उसे सोचा नहीं जाता। कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि मनुष्य स्वस्त जीवन को आपावर्षी में यह निर्लक्ष्य नहीं कर पाता कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। सुबह से शाम तक वह जिम जीवन को जीता है वह जीवन न केवल व्यस्तता का पर्याय है अपितु अनेक समस्याओं, विडम्बनाओं और विकृतियों का प्रतिरूप भी है। जब व्यस्त जीवन की विवक्षताएँ मानवीय व्यक्तित्व को घेर लेती हैं तो वह नवाव से

आक्रान्त हो जाता है । आनन्द परिवेश और व्यस्त जीवन की प्रश्नाकुल स्थितियों से मुक्ति पाने के लिये मनुष्य मनोरजन का सहारा लेता है । सिनेमा, खेलकूद, पारस्परिक गपघप हल्के मनोरजन के साधन हैं अब कि स्वस्थ मनोरजन अथवा मनो-विनोद का सशक्त माध्यम हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता है । स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में जिस तेजी से पत्रकारिता का विकास हुआ है उसमें शुद्ध और स्वस्थ मनोरजन वाली हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है । मनोरजन की प्रतीक बनी पत्रकारिता की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है । यदि हम जीवन को भरपूर बनाये रखना चाहते हैं तो हास्य-व्यंग्य की सामग्री से भरी पत्र-पत्रिकाओं को जीवन में स्थान देना होगा । विनोद जीवन की आवश्यकता है और हास्य उस आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन है । चुटौते व्यंग्य में यह क्षमता है कि वह चिन्तातुर मनुष्य को कुछ समय के लिए मानसिक राहत दे सकता है । आज जितनी भी पत्रिकाएँ निकलती हैं जिसमें से अधिकांश ऐसी हैं जो पूरी तरह भले ही हास्य-व्यंग्य को महत्त्व न देती हों किन्तु उनमें ऐसे स्तम्भ अवश्य होते हैं । यह स्तम्भ हास-परिहास, व्यंग्य-विनोद, प्रश्नोत्तर फूलझडी, चुटकन, कहकहे आदि के रूप में देखे जा सकते हैं । धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, इतवार पत्रिका, मायापुरी, लोटपोट, दीवाना आदि कितनी ही पत्र-पत्रिकाएँ इसका उदाहरण हैं । प्रायः बड़े प्रसिद्ध अखबारों अथवा प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में रविवारीय परिशिष्टों में यह सब देखा जा सकता है । होली भारत में हास्य-व्यंग्य का रंगीला त्यौहार है । लगभग सभी पत्र-पत्रिकायें इस उत्सव पर विशेष हास्य-विनोद सामग्री देते हैं । यह एक परम्परा-सी चल पड़ी है जो स्वस्थ पत्रकारिता का लक्षण है ।

व्यंग्य-विनोद दैनिक पत्रों में तो काटून या व्यंग्य-चित्र के द्वारा प्रकाशित किये ही जाते हैं । अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं में व्यंग्य-विनोद अलग-अलग शीर्षक लिए होते हैं जैसे—'कादम्बिनी' में चुटकियाँ, किस्से खोजा फकीर के, ह हा, 'नन्दन' में चटपट, तेनालीराम चीटू-मीटू आदि । 'नयनीत' में दो क्षण तो हँस लें, 'मुक्ता' में शाबास, दास्तानें, दपतर में लड़कियाँ, ये शिक्षक, 'जाह्नवी' में अब थोड़ा हँस लें, 'जम्पक' में देखो हँस न देना, 'सारिका' में कबिरा खड़ा बाजार में, साप्ताहिक हिन्दुस्तान में तान-बेताल, धर्मयुग में बैठे-ठाले आदि हास्य-व्यंग्य के प्रमुख स्तम्भ हैं । इसके साथ ही यह भी स्मरणीय रखना चाहिए कि कुछ पत्रिकाएँ तो पूरी तरह हास्य व्यंग्य विनाद से भरी होती हैं जैसे—'लोटपोट', 'दीवाना', 'तेज साप्ताहिक', 'मधु-मुस्कान', आदि ।

स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में विकसित पत्रकारिता ने घर बैठे स्वस्थ मनोरजन के साधन सुविधाएँ जुटाई हैं, व्यक्ति की पाठकीय संवेदना को भीतर तक छुधा है, उसकी बुद्धि को प्रसर और सूक्ष्म बनाया है तथा उसके हृदय को मुक्तता प्रदान की है । यहाँ सांस्कृतिक अभिरुचियों का विकास किया है, साहित्यिक अभिरुचियों को

बढ़ावा दिया है, जन-जीवन में जागृति पैदा की है, वही हास्य-व्यंग्य विनोद के नये-नये रूप भी प्रस्तुत किए हैं। शैली का चुटीलापन भाषा की सरलता और कथन भंगिमा के कारण यह पत्रकारिता एक ऐसी स्थिति में आ गयी है जिसे देखकर यही लगता है कि आधुनिक व्यस्त जीवन में कुछ रमकणों को वर्षा करने का काम पत्रकारिता ने बखूबी किया है और कर रही है।

वैज्ञानिक क्षेत्र

यह एक सामान्य मत है कि प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता है किन्तु वह विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं द्वारा लाभ उठा सकता है। हमारे समाज में यों तो अनेक वर्ग हैं जो विविधतः विज्ञान का अध्ययन करते हैं और दूसरा वर्ग वह है जो इस अध्ययन से लाभ उठाना है। इसी क्रम में उस वर्ग को भी नहीं मूलाया जा सकता है जो वैज्ञानिक गतिविधियों से परिचित होना चाहता है और इस जिज्ञासा का शमन वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाएँ ही करती हैं। जो वैज्ञानिक तथ्य आम आदमों के काम आते हैं वे हमें पत्र-पत्रिकाओं में ही मिलेंगे। हिन्दी पत्रकारिता में जन-सामान्य के परम्परागत और सत्कारजन्य मानस में नित्य प्रति उपलब्ध और आविष्कृत वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रवेश करा दिया है। हिन्दी में आज अनेक ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ हैं जो वैज्ञानिक दुनियाँ, वैज्ञानिक अनुसंधानों और विज्ञान द्वारा आविष्कृत दैनिक उपभोग की वस्तुओं और साधनों में परिचित कराती हैं।

हिन्दी समाचार-पत्रों में ज्यादातर रविवारीय सप्तरण या मासिक पत्रों में ऐसी वैज्ञानिक सामग्री होती है जिन्हें आम बोल-चाल की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है ताकि साधारण मनुष्य को समझ में भी वैज्ञानिकता में भरे जटिल प्रश्नों का समाधान किया जा सके। परन्तु दैनिक पत्रिकाएँ भी इसके अपवाद नहीं हैं। सर्व-प्रथम 'नवभारत टाइम्स' में नियमित वैज्ञानिक स्तम्भ 'विज्ञान और जीवन' शुरू किया और आज तक यह स्तम्भ पाठकों को नई-नई जानकारी देता आ रहा है। प्रथम स्पुनिक ज्वर छोड़ा गया तो सभी समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता देकर स्थान दिया था, नवभारत टाइम्स ने इससे सम्बन्धित एक चित्र देकर विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की और उसे समझने में जनसाधारण को कठिनाई भी नहीं हुई। ऐसे स्तम्भ से सबका बड़ा लाभ यह हुआ कि वैज्ञानिक गोष्ठियाँ, सम्मेलन, विज्ञान विषयक जानकारी हिन्दी में पाठकों को मिलती रही।

वैज्ञानिक पत्रकारिता आज इतनी विकसित इसलिए नहीं है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक प्रायः हिन्दी में न लिखकर अंग्रेजी में लिखते हैं। डॉ. यू. आर. राव तथा डॉ. शिवप्रसाद कांस्टा ने जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन में अन्तरिक्ष व आर्यभट्ट के बारे में हिन्दी में समभाषा तो लोगों ने उनकी प्रशंसा की क्योंकि आम जनता को वह समझ में आ गया। इसी प्रकार 'धर्मयुग' ने भी समय-समय पर विज्ञान लेख-मालाएँ प्रस्तुत की हैं जैसा घर-गृहस्थों की छोटी-मोटी घरेलू उपकरणों की देखभाल

आदि विषयों पर लेखमालाएँ छपी थी जिससे कम पढ़ी-लिखी महिलाओं ने काफी जानकारी अर्जित की। समय-समय पर 'वर्मयुग', 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'चम्पक', 'पराग', 'कादम्बिनी', 'सरिता' आदि में बच्चों व बच्चों के अनुकूल वैज्ञानिक सामग्री प्रकाशित होती रहनी है। छोटी छोटी कहानियों के आधार पर बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। अभी हाल में घटित घटना टेस्ट ट्यूब बेबी को सभी दैनिक साप्ताहिक, पात्रिक, मासिक सभी पत्र-पत्रिकाओं ने अपने में समेट कर लोगों को विज्ञान के करिश्मे से परिचित कराया। कादम्बिनी में प्रकाशित लेख, चमत्कारों की दुनियाँ और विज्ञान का बोधोपन, सिद्धान्त टैला का, बिना तारों के बिजली, सरिता में प्रकाशित टीके और बीमारियों की रोकथाम, मुक्ता में प्रकाशित कृत्रिम सूर्य, आणविक ऊर्जा मयन्त्र कैसे काम करता है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित मौत के बाद दुनिया, स्वप्नों का रहस्यमय ससार, वर्मयुग से प्रकाशित बृहस्पति विज्ञान और कृषि मन्त्र, पावर टिलर, छोटा आकार बड़ा कामगार यह लेखनासाँ प्रकाशित की गई है तथा की जा रही है जिसमें इसके रख-रखाव, मरम्मत और सुरक्षा आदि का विवरण देकर आम आदमी को परिचित कराया गया है। इसी प्रकार बच्चों के लिए बाल जगन में वैज्ञानिक शिक्षा दी गई है जैसे-जादू के प्रश्न, साप्ताहिक हिन्दुस्तान के फुलवारी स्तम्भ में वैज्ञानिक लेख व वैज्ञानिक खेल व वार्ताएँ भी प्रकाशित की जाती हैं। जैसे-विजली के बल्ब और ट्यूब कैसे जलते हैं? इसी प्रकार बच्चों की बाल-पत्रिकाओं—पराग 'नन्दन', 'चम्पक' आदि में भी वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किये जाते हैं। 'विज्ञान प्रगति' नामक पत्रिका तो पूर्णतया वैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत करती है।

इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता के जहाँ अनेक आयाम नामने आए हैं, वहाँ विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कतिपय नवोन्तारणें दृष्टिगोचर हुई हैं। विज्ञान दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका रहस्योद्घाटन हिन्दी पत्रकारिता में ही छिपा हुआ है। आधुनिक समय में विज्ञान इतना अधिक आगे बढ़ गया है कि उसका अहमियत हमारे जीवन का अंग बन गई है। हम चाहे तो भी उससे बच नहीं सकते। एक पत्रिका के माध्यम से हम नित्य प्रति जानकारीयाँ प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः हिन्दी पत्रकारिता जैसे-वैसे विकसित होती जा रही है, वैसे-वैसे हम विज्ञान के अदिकाधिक निकट आते जा रहे हैं।

अन्त में कहा जा सकता है कि स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता आज हर क्षेत्र में अपना पदार्पण कर चुकी है चाहे वह क्षेत्र साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषा शिल्प हों, या विज्ञान हो सभी क्षेत्र में इसका योगदान अभूत है। आज हर देश पत्र-पत्रिकाओं के योगदान के कारण ही जनजागृति के द्वार खोलकर जनता की ओर अग्रसर हो रहा है।

स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाएँ : एक मूल्यांकन

स्वातन्त्रता के बाद बड़ी तीव्र गति से पत्र-पत्रिकाओं का विकास और प्रचार हुआ। इस प्रसार और विकास के मून में परिवर्तित परिस्थितियाँ, स्वातन्त्र्य भावना और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के मनोभाव प्रबल रहे हैं। स्वातन्त्र्योत्तर वर्षों में प्रायः यह धारणा प्रबल हुई है कि लेखकीय अभिव्यक्ति पर कोई अकुश नहीं लगाया जा सकता है। लेखकीय स्वाधीनता और अभिव्यक्ति की निर्भीकता प्रेरक स्वाधीनता ने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं को जन्म दिया। यदि दैनिक पत्रों को ले ता स्पष्ट होता है कि मूलतः राजनैतिक गतिविधियों, दैनिक जीवन की उथल-पुथल और सामाजिक घटनाक्रम को प्रस्तुत करती हैं। ये पत्र अपने शीर्षक में सूचित कर देते हैं कि दैनिक जीवन में जो गतिविधियाँ हैं, उनमें साहित्य का स्थान अपेक्षाकृत कम है। इस कमी की पूर्ति दैनिक पत्रों के विशेषांक, रविवारीय परिशिष्ट आदि में हो जाती है। ये परिशिष्ट और विशेषांक या तो वर्ष के अन्त में या मण्वाह के अन्त में प्रकाशित होने हैं।

साप्ताहिक-पत्र दैनिक सामयिक की तुलना में अधिक साहित्यिक होते हैं क्योंकि उनमें अधिक पृष्ठ व चिंतन प्रदान होने के कारण साहित्यिक, सामाजिक और विविध प्रकार की सामग्री को अधिक स्थान प्राप्त हो सकता है। यही स्थिति पाक्षिक और मासिक पत्रों की है। जो पत्र जितनी अधिक अवधि के अन्तराल में प्रकाशित होता है उसमें उतना ही अधिक वैविध्य होता है। स्वातन्त्र्योत्तर पत्र-पत्रिकाएँ साहित्यिक, सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करती हैं। इन पत्रिकाओं की स्थिति, महत्ता, प्रसार संख्या, उपयोगिता और सामग्री के विशद अध्ययन से हिन्दी पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप को समझा जा सकता है तथा भावी विकास का दिशाबोध ग्रहण किया जा सकता है।

दैनिक-पत्र

हिन्दुस्तान

हिन्दी का राष्ट्रीय दैनिक हिन्दुस्तान मन् 1936 में कायेम के लखनऊ अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम सम्पादक सत्यदेव विद्यानकार

थे। विद्यालंकार के बाद सन् 1946 से 1963 तक मुकुटविहारी वर्मा ने इसका सम्पादन किया। उनके पश्चात् कुछ दिनों तक हरिकृष्ण त्रिवेदी ने स्थानापत्र सम्पादक के रूप में कार्य किया और इसके पश्चात् रतनलाल जोशी इसके सम्पादक बने। जोशी जी ने 1976 में प्रवक्ता ग्रहण किया और इनकी जगह चन्दूलाल चन्द्राकर ने ये कार्य-भार सम्भाला। विनोद मिश्र भी इसके सम्पादक रहे। वर्तमान में हरिनारायण निगम सम्पादक हैं। इस दैनिक की प्रचार मूल्या वर्ष 1987 में 1 लाख 36 हजार के लगभग है जिससे इसकी लोकप्रियता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड की ओर से डॉ. गौरीशंकर राजहंस द्वारा हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्ली में मुद्रित व प्रकाशित होता है। इसका पटना से भी सस्करण निकलता है।

“यत्र तत्र” स्तम्भ के अतिरिक्त सप्ताह में एक बार क्रमशः पुस्तक समीक्षा, स्वास्थ्य-चर्चा, चित्रपट समीक्षा, शक-समाधान आदि प्रकाशित होते हैं। पाठकों के पत्रों को भी यह दैनिक उचित स्थान देता है। राज्यों की राजधानियों में हिन्दुस्तान के अपने विशेष सवाददाता व कार्यालय सवाददाता नियुक्त हैं जो कि अपने-अपने जिलों के नानाचार भेजते हैं। पत्र विभिन्न भारतीय सवाद समितियों की सेवाएँ भी लेता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विशेष सवाददाता है—मबरसुराखा। यह पत्र अपना रविवारीय परिशिष्ट भी प्रकाशित करता है। यह दैनिक पत्र ए आई. एन ई सी/आई ई एन एम/ए. बी. पी.¹ का मदस्य है। हर रविवार को इसके रविवारीय परिशिष्ट में कला, माहृत्य, सस्कृति, विज्ञान व हानी, फिल्म-वार्ता, बच्चों की सामग्री, महिलापयोगी सामग्री आदि प्रकाशित होती है। इसका रविवारीय परिशिष्ट का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ रफीन होता है।

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घटनास्थल पर समाचार एकत्र करके उसे पूर्ण विवरण के साथ देना। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, राजस्थान व बंगाल में शरणार्थियों के आगमन के समय हिन्दुस्तान के सम्पादक तथा सवाददाताओं ने युद्ध मोर्चों पर जाकर जो समाचार दिए वे वास्तव में सराहनीय हैं और सभी अखबारों के लिए प्रतिस्पर्धा का विषय हैं। देवदास गाँधी के मार्ग-दर्शन में इस पत्र ने उच्च आदर्शों को अपने समक्ष रखा और स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित की। हिन्दुस्तान का संचालन प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय विचारधारा से अत्यंत प्रोत्त लोगों के हाथ में रहा। यह स्वाधीनता आन्दोलन का ध्वजवाहक समझा जाता था। 1942

1. ए आई एन ई सी.
आई ई. एन एम
ए. बी. सी.

अल इण्डिया न्यूजपेपर्स एंडीटर्स कॉर्पोरेशन
इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी
अर्गिट न्यूरो ऑफ सरबयुलेशन लिमिटेड

के 'भारत छोड़ो, आन्दोलन में हिन्दुस्तान लगभग 6 महीने सेन्सरशिप के कारण बन्द रहा। क्योंकि एक लेख पर इसमें 6 हजार रुपये की जमानत मांगी गई थी। गांधी जी की प्रार्थना, भाषण, जवाहरलाल नेहरू और तोहफुत्प सरदार पटेल के भोजस्वी भाषण अविकल रूप से हिन्दुस्तान में प्रकाशित होते रहे। यह भाषण इस तरह से छाते थे मानो, बक्ता मग़दू के सामने मौजूद हो। देश के स्वाधीन होने तक हिन्दुस्तान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ावा देना था। इन्ने महात्मा गांधी व कांग्रेस का अनुयायी पत्र माना जाता है। गांधी-सुभाष पत्र-व्यवहार को हिन्दुस्तान ने अविकल रूप से प्रकाशित किया था। इसने प्रसिद्ध क्रांतिकारी यशपाल की कहानियाँ कई सप्ताह तक छापी थी। कई बार हिन्दुस्तान अपनी उत्कृष्ट साज-सज्जा तथा छपाई के लिए भी पुरस्कृत हो चुका है। यह स्थिति इस अवसर को लोकप्रियता और कीर्ति की ओर ले जाती है।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स वेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी ने दिल्ली में 4 अप्रैल, 1947 को प्रारम्भ किया। 1950 में कलकत्ता व बम्बई से भी इसके सस्करण प्रकाशित किये गए पर 1953 में कलकत्ता सस्करण बन्द कर दिया गया और बम्बई सस्करण अभी भी निकल रहा है। नवभारत टाइम्स के प्रथम सम्पादक हरिणकर द्विवेदी थे। इसके बाद सत्यदेव विश्वात्मकार, मातादीन भगेरिया, अक्षयकुमार जैन और प्रसिद्ध साहित्यकार मच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय ने भी इसका सम्पादन किया। वर्तमान में इसके सम्पादक राजेन्द्र माधुर हैं। श्री मातादीन भगेरिया के समय में नवभारत टाइम्स खूब बढ़ा। इनके सम्पादकीय बड़े तेज तर्रार होते थे। 1955 में अक्षयकुमार जैन जब इसके सम्पादक बने तब यह पत्र दैनिक हिन्दुस्तान से काफी पीछे था पर इन्होंने अपनी सूझबूझ से नये-नये शब्दों का पयोग, नये-नये विषयों का समावेश तथा नवी-नयी साज-सज्जा करके इसे आगे बढ़ाया। इस पत्र में साहित्य, संस्कृति तथा आध्यात्मिक आयोजनों को महत्व दिया जाता है। इस पत्र में चौथे पृष्ठ पर छपने वाले लेख, फीचर आदि अपनी अलग ही विशेषता लिए होते हैं। यह एक राष्ट्रीय दैनिक पत्र है। प्रारम्भ से ही इसका लक्ष्य था कि किसी भी तरह अज्ञेयों मैतिकों के एकाधिकार को दूर किया जाए और यह काम उसने पूरी निष्ठा में किया। पत्र आठ पृष्ठीय है और रविवार को इसकी पृष्ठ संख्या बारह होती है जिसमें यह चार पृष्ठीय रविवारीय परिशिष्ट निकालना है, जिसका प्रथम व अन्तिम पृष्ठ रंगीन होता है।

नवभारत टाइम्स में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय मनाचारी को बिना लाग-लपेट के नियमित रूप से उचित स्थान मिलता है। यही नहीं इसके नियमित कालम/शिक्षा, विज्ञान, आर्थिक जगत आदि से पाठकों को सम्पूर्ण देश की

आनकारी से अवगत कराया जाता है। सभी हिन्दी भागी प्रान्तों में इसने अपने सवाददाता नियुक्त कर रखे हैं। चौथे पृष्ठ पर छपने वाले लेख, फीचर इसकी अपनी विशेषता है। माज-सज्जा की दृष्टि से नवभारत टाइम्स हिन्दी दैनिक पत्रों में कई बार अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। जयपुर, पटना, लखनऊ में भी इसके संस्करण निकल रहे हैं।

अमर उजाला

दैनिक पत्रों की लम्बी शृंखला में अमर उजाला का भी अपना स्थान है। वर्तमान में आगरा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा बरेली अर्थात् पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के प्रमुख जिलों में सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र अमर उजाला ही है। इसका प्रकाशन व सम्पादन सन् 1948 में डोरीलाल अग्रवाल और मुरारीलाल माहेश्वरी के सम्पादकत्व में प्रारम्भ हुआ। वर्तमान में इसके सम्पादक अनिल कुमार अग्रवाल हैं। यह सर्वप्रथम आगरा से प्रकाशित हुआ, परन्तु सन् 1967 से इसका बरेली संस्करण भी शुरू हो गया है। यह पत्र नेशनल जर्नल प्रेम आगरा से मुद्रित होता है और अमर उजाला कार्यालय आगरा 3 से प्रकाशित होता है। यह छह पृष्ठों का समाचार और नागरिक विषय का दैनिक अखबार है। कर्मा-कर्मों सह 8 पृष्ठों का भी निकलता है और रविवार को इसकी पृष्ठ संख्या 10-12 पृष्ठ की होती है। यह ए बी सी /आई ई एन एम /आई एल एन ए./ए आई एन ई सी आदि संस्थाओं का सदस्य है और इनकी पूरी सहायता लेता है। बरेली, मेरठ, मुरादाबाद से भी इसके संस्करण निकलते हैं।

इस अखबार के सम्पादकों और व्यवस्थापकों ने वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि शहरों में भी अपने सवाददाता नियुक्त कर रखे हैं। इसके स्थायी स्तम्भों में आज का भविष्य, वर्गीकृत विज्ञापन, सम्पादकीय, पत्र, कथा, गोष्ठी, मुझाव और शिकायतें, वादार् भाव आज के आयोजन, नगर का तापमान, खेलकूद, आगरा सजिप्ता, अनशन घटना आदि हैं जो समय-समय पर थोड़े से हेर-फेर के साथ प्रकाशित होते रहते हैं। रविवारीय अंक में कुछ स्तम्भ और होते हैं—जैसे स्वास्थ्य चर्चा, काव्य सभिता, बच्चों का कोना आदि क्योंकि इस रोज अमर उजाला का साप्ताहिक परिशिष्ट अलग से निकलता है। अतः इनके स्तम्भ रोजाना से अलग हो जाते हैं।

रविवार को अमर उजाला किंचित परिवर्तित रूप लेकर सामने आता है। उनमें निम्न प्रकाशित होने वाले स्तम्भ तो होते ही हैं, अलग से 4 पृष्ठ विशेष साज-सज्जा लिए प्रस्तुत होते हैं। ये इसके रविवारीय परिशिष्ट के नाम से निकलते हैं। इस परिशिष्ट में लाल और काले दोनों रंगों के शीर्षक होते हैं तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक, नामाजिफ, ऐतिहासिक सामग्री से यह भरा होता है। इसके पहले पृष्ठ

पर साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चेतनालाई होती है। दूसरे पृष्ठ पर इसी प्रकार के लेख होते हैं तो तृतीय पृष्ठ पर काव्य मरिता नामक स्तम्भ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कविताएँ, गजल आदि प्रकाशित होती हैं। ये कविताएँ दो कालभ में रहती हैं। तीसरे ही पृष्ठ पर आश्चर्यजनक सन्य नामक स्तम्भ व बच्चों का कोना प्रकाशित होता है। बच्चों का कोना में कुछ कविताएँ, कहानियाँ, चुटकें, पहेलियाँ तथा एक रेखांकित कामिबस रामू और श्यामू प्रकाशित होता है। चतुर्थ पृष्ठ फिल्मी मसालों से भरा रहता है। इसमें कुछ सफल अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, सफल व सर्वोत्तम फिल्मी गानों आदि की रोचक चर्चा होती है।

दैनिक जागरण

कानपुर में जागरण का प्रारम्भ सन् 1947 में पूर्णचन्द्र गुप्त ने किया, पर आजकल इसका सम्पादन श्री नरेन्द्र मोहन कर रहे हैं। कानपुर के अलावा यह पत्र गोरखपुर, लखनऊ व इलाहाबाद में भी निकल रहा है। यह ए.आई.एल ई. सी / आई.एल एन ए. ए.बी.सी का मस्य है। पत्र जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए नरेन्द्र मोहन द्वारा सर्वोदय नगर, कानपुर से दैनिक जागरण प्रेम से छपकर प्रकाशित होता है। यह आठ पृष्ठ का दैनिक समाचार-पत्र है। प्रति रविवार 12 पृष्ठ का होता है।

दैनिक जागरण के स्थायी स्तम्भ में मुख्य हैं—भाईसाहब, कानपुर समाचार, कला संस्कृति, लोग, अर्थकौटिल्य, विज्ञान, स्वास्थ्य, देश चर्चा, महिला, व्यापार जगत, सिनेमा, खेलकूद, समाचार मैनम, दूर-दर्शन आदि। दैनिक जागरण के चतुर्थ पृष्ठ का अपना ही महत्व है। यह पृष्ठ सभी के लिए उपयोगी बनाया गया है जो हर वार को प्रथम अलग ही शीर्षक देकर लेख आदि प्रकाशित करता है। जैसे सोमवार को 'अर्थ-कौटिल्य' और 'लोग', बुधवार को 'खेलकूद' व 'देश चर्चा', गुरुवार को 'स्वास्थ्य', शुकवार को 'कला संस्कृति' और शनिवार को 'महिला जगत' रहते हैं।

पंजाब केसरी

लाला जगतनारायण ने 1965 में पंजाब से 'पंजाब केसरी' नामक दैनिक पत्र की नींव डाली। पंजाब केसरी के माथ उमका उर्दू दैनिक पत्र भी छपता है उसका नाम है दैनिक हिन्दी समाचार। पंजाब केसरी स्वतन्त्र नीति का समर्थक है और इसके निर्भीक सम्पादक श्री रमेशचन्द्र। अभी हाल ही पंजाब आन्दोलन में इसके सम्पादक श्री रमेशचन्द्र ने अपनी स्वतन्त्र नीति किसी भी प्रलोभन में आकर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने अपने आप को भी बलिदान कर दिया। वर्तमान में इसके सम्पादक विजय कुमार हैं। यह पत्र स्वतन्त्रवाचिारी हिन्द समाचार लिमिटेड के

लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक लाला जगतनारायण द्वारा हिन्दी प्रेस, पत्रका बाग, जालन्धर से मुद्रित व प्रकाशित होता है। यह अब दिल्ली से भी अपना सस्करण निकालने लगा है। यह पत्र आई.ई.एन.एम./आई.एल.एन.ए./ए.बी.सी का सदस्य है। यह पत्र प्रतिदिन आठ पृष्ठ का निकलता है पर रविवार को यह 10 पृष्ठ का होता है। इसकी प्रसार सख्या लगभग 176145 है।

आठ पृष्ठीय पंजाब केसरी आठ कालों में विभक्त है। इसके नियमित स्तम्भों में मुख्य है—चलते-चलते, सम्पादकीय, कल क्या होगा, आज का दिन, खेल-कूद, मण्डी आदि पर इन सब स्तम्भों के अतिरिक्त पंजाब केसरी अपने सस्करण में निकालता रहता है जैसे व्यंग्य विनोद सस्करण शनिवार को, बला संस्कृति सस्करण मंगलवार को, गुरूवार को कहानी सस्करण, सोमवार को महिला सस्करण, बुधवार को खेल-खिलाड़ी सस्करण निकलते हैं। इन सस्करणों का प्रथम पृष्ठ रंगीन चित्रों से सुसज्जित रहता है।

पंजाब केसरी का रविवारीय सस्करण का मुख पृष्ठ ज्यादातर सिनेमाप्रॉ आदि की घटनाओं व तस्कों से भरा रहता है। द्वितीय पृष्ठ पर भी कुछ लेख, चित्र-कथा आदि प्रकाशित होते हैं और इसके बाकी 8 पृष्ठ जो दैनिक पत्र की तरह ही स्तम्भों से सुसज्जित रहते हैं।

पंजाब केसरी अन्य दैनिकों से कुछ पृष्ठकना लिये है तथा जिसका हर वार किभी न किसी के लिए होता है। इसके जो सस्करण निकलते हैं उसमें रविवार को छोड़कर सभी सस्करणों का मूल्य वही होता है जो कि साधारण प्रति का है।

सन्मार्ग

18 अप्रैल, 1948 का सनातन धर्म के प्रसिद्ध सन्त स्वामी करपात्री जी के आशीर्वाद में 'सन्मार्ग' का प्रकाशन वाराणसी में हुआ। अनन्त मिश्र तथा चन्द्र-शेखर शास्त्री भी इस पत्र के सम्पादक रहे हैं। कुछ समय तक इसके सम्पादक आनन्द बहादुर सिंह रहे, पर इसके बाद सम्पादक बी.एस. गुप्त ने कार्य भार सम्भाला। वर्तमान में इसके सम्पादक रामअवतार गुप्त हैं। सन्मार्ग प्रा लिमिटेड के लिए रामअवतार गुप्त द्वारा सन्मार्ग प्रेस 160/सी चित्तोजन एवेन्यू, कलकत्ता-7 से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। यह आई.ई.एन.एस./आई.एल.एन.ए./ए.आई.एन.ई.सी./ए.बी.सी. का सदस्य है। यह छ पृष्ठीय दैनिक है पर हर रविवार को इसकी पृष्ठ सख्या 8 हो जाती है। यह अपने गणतन्त्र दिवस परिशिष्ट भी निकालता है। ऐसे अवसरों पर इसकी पृष्ठ सख्या 12 हो जाती है।

इस पत्र का मूल उद्देश्य सनातन धर्म के स्वरूप की रक्षा करना तथा हिन्दू धर्म के प्रति लोगों में चेतना व जागृति की भावना भरना रहा है। राजनैतिक

समाचारों के साथ-साथ सम्मार्ग में भाषा, साहित्य और मस्कृति की परम्परा को सामने लाने में भी भरपुर योगदान दिया है। अखिल भारतीय धर्म सघ इसका संचालन करता है। इसके स्थायी स्तम्भ 'सुनो भाई माधो' (व्यंग्य-चित्र) श्री राम-चरित मानस, पचास राशिफल, लस्टम-पस्टम यात्र के कार्यक्रम, समासत्या, वाणिज्य एवं उद्योग, आज क्या होगा, नगर का मौसम आदि हैं। इन स्तम्भों के अलावा कलकत्ता और उपनगर, कृषिजगत, नाट्य जगत, स्वास्थ्य प्रश्नोत्तर आदि भी हैं जिनके कि क्रम बने हुए हैं।

हर शुकवार को यह पत्र छायाचित्र और रंगमंच, नाट्य जगत, सितारों की वाद्यों, यादों के घाईने में फिल्मी फुलभाइयाँ, लाल बुभुक्कड आदि शीर्षक लेकर लेख लाता है। इन सभी जीर्णको के अन्तर्गत चित्रपट सम्बन्धी जानकारी छपी रहती है। सिवाय लाल बुभुक्कड और नाट्य जगत को छोड़कर। नाट्य जगत के अन्तर्गत नाटकों के प्रदर्शन समीक्षा आदि की जाती है और लाल बुभुक्कड शीर्षक में अन्तर्गत प्रश्न व उत्तर निहित रहने हैं।

सम्मार्ग रविवार को अपना रविवारीय परिशिष्ट भी निकालता है। अतः इसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। रविवार के दिन इसका तीसरा पृष्ठ, कहानियाँ, गजल, लेख आदि से भरा होता है तथा अग्रिमघोषा पृष्ठ, महिला जगत व बाल-मण्डल को समर्पित होता है। महिला जगत में महिलाओं से सम्बन्धित लेख-वाताँ व बाल-मण्डल में बालक के मन के अनुसार कहानियाँ, कविताएँ, घुटकले आदि प्रकाशित होते हैं। यही तर्ही इस पृष्ठ पर उदय भाइया नामक स्तम्भ के अन्तर्गत व्यंग्य, कविताएँ, तुकबन्दियाँ आदि प्रकाशित की जाती हैं और लस्टम-पस्टम नामक स्तम्भ भी इसी पृष्ठ पर सुसोमित होता है। पाँचवाँ पृष्ठ कहानी व उपन्यास, लघु-कथा, कविताओं से सम्बन्धित होता है और बाकी छठे पृष्ठ पर उपयुक्त दैनिक शीर्षक ही सुसोमित होते हैं, पर यह शीर्षक थोड़े हेर-फेर के साथ प्रकाशित किए जाते हैं। इसका रविवारीय परिशिष्ट कई बार एक में अधिक रंगों में प्रकाशित होता है।

विश्वमित्र

1916 में हिन्दी समाचार-पत्रों की जननी बंगमूमि कलकत्ता में एक हिन्दी पत्र ने और जन्म लिया, वह था विश्वमित्र। इसके जन्मदाता बाबू मूलचन्द्र प्रश्रवान थे। उन्होंने अपने अथक प्रयास व ऊँटिन मेहनत में इस पत्र को मोटा और इसको स्तारित किया। धीरे-धीरे यह हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने लगा। वर्तमान में यह बम्बई, कलकत्ता कानपुर से प्रकाशित हो रहा है। इसका बम्बई संस्करण 1942 व कानपुर संस्करण 1948 में शुरू हुआ। इस पत्र में श्री कृष्ण चन्द्र अग्रवाल काफी समय तक सम्पादक रहे वर्तमान में इसके सम्पादक सुन्दरलाल

त्रिपाठी हैं। मारवाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से यह पत्र लोकप्रिय है। यह इलस्ट्रेटेड इण्डिया प्रेस 74 तैनिन सारिणी से मुद्रित होता है। इसके सभी संस्करण छ पृष्ठों के निकलते हैं। परन्तु हर रविवार को चार पृष्ठ अतिरिक्त होते हैं। इन अतिरिक्त पृष्ठों में साहित्य व सांस्कृतिक सामग्री होती है तथा इसका साइज 62.5 × 44 से.मी. है। विश्वमित्र आठ कालम में विभक्त है। यह आई ई एन एस. का सदस्य है। दैनिक विश्वमित्र अपने विशेषांक भी निकालता है जैसे गणतन्त्र परिशिष्ट। दैनिक विश्वमित्र के स्थायी स्तम्भों में सत्रकं दाताराम, कलकत्ते की हलचल, रमता योगी, नीति बचन, मम्पादकीय, चलते-चलते, राशिफल, सिनेमा जगत, बाजार का रुख, रस के चुनाव, रोगियों के प्रश्नोत्तर, चौपाल आदि हैं। हर शुक्रवार को विश्वमित्र, सिनेमा जगत व दिल्ली हलचल लिए होता है तो सोमवार को धार्मिकता लिए होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रतिदिन साहित्यिक व सांस्कृतिक चर्चा भी रहती है।

दैनिक विश्वमित्र हर रविवार को रविवारीय विश्वमित्र के नाम से निकलता है जिसमें छ पृष्ठों में तो रोजाना की ही सामग्री निहित रहती है पर इसके अतिरिक्त चार पृष्ठ विश्वमित्र चयनिका के नाम से निकलते हैं। प्रथम पृष्ठ पर कोई एक कथा बच्ची घटना पर आधारित रहती है तथा एक कहानी भी प्रकाशित होती है। द्वितीय पृष्ठ बाल मण्डल को समर्पित होता है जिसमें बच्चों के मनभावना कविताएँ, कहानियाँ, पहेलियाँ, ज्ञान-विज्ञान, क्या तुम जानते हो? बताओ तो जाने? बोल, बच्चों की कलम से, आदि चीजें प्रकाशित होती हैं। यह रचनाएँ इस प्रकार की होती हैं जो बच्चों को शीघ्र अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तृतीय पृष्ठ महिलाओं के लिए होता है जिसे नाम दिया गया है—महिला-मण्डल। इस स्तम्भ के अन्तर्गत नारी से सम्बन्धित लेख मालाएँ व वार्ताएँ प्रकाशित होती हैं। विश्वमित्र चयनिका का चौथा व अंतिम पृष्ठ पर कुछ स्वास्थ्य चर्चा तो कुछ फिल्मी चर्चा, कुछ लेख व कथाएँ प्रकाशित होती हैं।

नई दुनिया

स्वतन्त्रता के प्रभात से कुछ ही मास पूर्व 5 जनवरी, 1947 को नई दुनिया ने जन्म लिया। इसका जन्म श्री कृष्णचन्द मुद्गल तथा श्री कृष्णकान्त व्यास के प्रयत्नों से हुआ। आज की नई दुनिया त्रिस रूप में हमारे सामने है, वह उसका शीर्ष और प्रौढ रूप है। पहले अपने प्रारम्भिक रूप में वह एक छोटा सा साध्य-कालीन दैनिक पत्र था। मध्यप्रदेश के गठन के पश्चात् नई दुनिया का प्रकाशन रायपुर एवं जबलपुर में ही प्रारम्भ हुआ पर 1971 में यह दोनों संस्करण बन्द कर दिये गये। 1967 में नई दुनिया ने अपना मुद्रण आपसेट रोटर्री मशीन पर प्रारम्भ किया। इस प्रकार की मशीन भारत में पहली बार नई दुनिया के पास आई। यही नई नई दुनिया को दम वात का भी श्रेय प्राप्त है कि इसने सर्वप्रथम सम्पूर्ण मध्य-

प्रदेश में पहला टेलीप्रिंटर स्थापित करके वैज्ञानिक व तकनीकी पत्रकारिता की शुरुआत की। यह पत्र केवल मध्यदेश का ही पत्र नहीं है बरन् साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों का सगम है—देश के प्रसिद्ध युवा साहित्यकार तथा विद्वान् जितने शरद जोशी, डॉ० श्याम परमार, डॉ० वेद प्रनाप वैदिक, श्याम व्यास, मदन मोहन मदारिया, रणवीर सक्सेना, प्रभात जोशी, विष्णु खरे, बाल कवि बैरागी आदि प्रमुख हैं जो नई दुनिया से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं।

इन्दौर से प्रकाशित नयी दुनिया आठ पृष्ठीय समाचार प्रधान समसामयिक दैनिक है। इसने अपने मश्राददाता बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि जगहों पर नियुक्त कर रखे हैं। यह पत्र आई ई एन एस/आई एल एन ए/ए बी सी ए आई एन ई एस का मदत्त है। यह पत्र आठ कालम में विभक्त है। इसके मुख पृष्ठ पर करीब 60 से 80 से० मी० का एक चित्र सदा विद्यमान रहता है। यह नरेन्द्र तिवारी द्वारा नई दुनिया के लिए नई दुनिया प्रेस, केसगबाग रोड, इन्दौर से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। पहले इसके सम्पादक राहुन बारपुते थे पर आज यह नरेन्द्र तिवारी के सम्पादन में निकल रहा है। प्रथम सम्पादक वसन्ती लाल साडिया है। अब यह भोपाल से भी मस्करण निकालने लगा है।

नई दुनिया के स्थायी स्तम्भों में इन्दौर का भीसम, रात की धारणा, बेताल रुदम, नगर के चलचित्र गृहों में, आकाशवाणी, पत्र सम्पादक के नाम, 25 साल पहले, भविष्य फल, व्यापार व्यवसाय, खेलकूद, भाज, आदि। यही नहीं, अलग-अलग स्तम्भ भी निकलते हैं जैसे सोमवार को साप्ताहिक भविष्य, खेल पहेली, बुधवार को घर की दुनिया, गुरुवार को खेत और खलिहान, शुक्रवार को सिनेमा आदि। नई दुनिया का छठा पृष्ठ शुक्रवार को 'सिनेमा पत्र एक्स्ट्रा के नाम' से पाठकों को फिल्मों की दुनिया की सैर कराता है तो गुरुवार को खेत व खलिहान में परिचित कराता हुआ बुधवार को घर की दुनिया में ले जाता है। रविवार के दिन नई दुनिया का चौथा, पाँचवा व छठा पृष्ठ कुछ लेख, कहानियाँ, कविताएँ, बच्चों व महिलाओं से सम्बन्धित भामिनी लेकर प्रकाशित होता है।

नई दुनिया स्पष्ट व साफ-सुथरा सम्पादकीय, विशिष्ट साज-सज्जा व मरल भाषा से श्रोत-श्रोत, उत्कृष्ट व ताजा समाचार हमारे सामने लेकर उपस्थित होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण नई दुनिया का हिन्दी में अपना स्थान है। भारतीय भाषाओं के बड़े समाचार-पत्रों में अपनी उत्कृष्ट छपाई के कारण 1980 का द्वितीय पुरस्कार नई दुनिया को मिला है। इसकी प्रसार संख्या 135479 है।

नवभारत

मध्यप्रदेश का लोकप्रिय दैनिक नवभारत सर्वप्रथम नागपुर से मन् 1938 में प्रकाशित हुआ। मायाराम मुरजन इसके प्रथम सम्पादक होकर आए। इनके बाद

कालकाप्रसाद दीक्षित, मदनलाल माहेश्वरी इसके सम्पादक बने। वर्तमान में इसके सम्पादक रामगोपाल माहेश्वरी हैं। नवभारत ने धीरे-धीरे काफी ख्याति अर्जित की। अतः 1950 में जबलपुर से, 1956 में भोपाल से, 1959 में रायपुर से और 1960 में इन्दौर जिलासपुर से भी इसके संस्करण निकलने लगे। जबलपुर संस्करण के स्थानीय सम्पादक प० बालिकाप्रसाद दीक्षित कुसुमाकर, भोपाल संस्करण के त्रिभुवर यादव, रायपुर संस्करण के श्री गोविन्दलाल घोरा, इन्दौर संस्करण के मदनलाल माहेश्वरी हैं। इन सभी संस्करणों के प्रधान सम्पादक श्री रामगोपाल माहेश्वरी हैं। यह आई ई एन एस/आई एल एन ए/ए आई एन ई सी/ए बी सी का नदस्य है तथा यह पी टी आई यू एन आई, समाचार भारती से समाचार सेवा लेता है।

आठ पृष्ठ का यह दैनिक आठ कालमें ही विभक्त है। समय-समय पर नवभारत अपने विशेषांक निकालता रहता है जैसे 26 जनवरी। नवभारत समय-समय पर बाल जगत, महिला जगत, कृषि सप्ताह, सिनेमा आदि स्तम्भ भी प्रकाशित करता रहता है। इसकी प्रसार संख्या वर्ष 87 में 51698 थी।

नवभारत का रविवारीय परिशिष्ट हर रविवारको प्रकाशित होता है। इस परिशिष्ट में कहानी, गजल, कविताएँ, व्यंग्य, वात्ताएँ प्रकाशित होती हैं। बाल जगत भी इसमें स्थान प्राप्त करता है जिसमें बालक मन को भाने वाली छोटी-मोटी कविता, कहानी, अनमोल वचन, पहेलिया आदि प्रकाशित होती हैं। काव्य-कुञ्ज नामक स्तम्भ में व्यंग्य व विमोद से भरपूर कविताएँ व क्षणिकाएँ प्रस्तुत की जाती हैं। साप्ताहिक राशिफल व विचार पूर्ण लेख वार्ता भी रविवारीय पृष्ठ पाठक के सम्मुख लाता है तो सिनेमा-प्रेमियों की जिज्ञासा भी शान्त करता है। इस प्रकार यह संस्करण सभी आयु-वर्ग के लिए होता है।

नवभारत स्वतन्त्र विचारधारा का दैनिक-पत्र है जो समाचार व सामाजिक विषय के लिए होता है।

स्वदेश

1966 की विजयादशमी को इन्दौर से दैनिक हिन्दी स्वदेश प्रकाशित हुआ। इन्दौर से प्रकाशित होने के बाद स्वदेश 1971 में खालियर से भी निकलने लगा। इन्दौर संस्करण के प्रथम सम्पादक गंगाप्रसाद शर्मा थे फिर सत्यव्रत रस्तोगी रहे। माणिक चन्द इसके सम्पादक रहे हैं। यह पत्र अपनी स्पष्टवादिता के कारण या यों कहें कि शासन विरोधी नीतियों के कारण दो बार बन्द हो चुका है। स्वदेश 6 पृष्ठीय पत्र है जो कृष्णकुमार अष्टाना द्वारा रेवा प्रकाशन लिमिटेड के लिए स्वदेश भुद्रणालय, 91 तिलक पथ से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक प्रकाश बोहरा हैं। भोपाल से भी इसका संस्करण निकलने लगा है।

स्वदेश के स्थायी स्तम्भों में जीवन दर्शन, रात की धारणा, यह इन्दौर है, नगर में आज, मूर्कित मुग्धा, सम्पादकीय जनमानस, उद्योग व्यापार व्यवसाय, भाग्य-चक्र, खेल के मैदान से, महाकाल की नगरी आदि हैं। इसके अतिरिक्त स्वदेश ने अलग-अलग दिन अलग-अलग विषयों के लिए बना रखे हैं जैसे-अन्नपूर्णा धरती माँ के लिए-शुक्रवार, भगलवार-स्वास्थ्य रक्षा के लिए तथा बुधवार-वनिता, विश्व आदि।

इसके अतिरिक्त एक स्तम्भ स्वदेश का है-इन्द्र-धनुष। इसके अन्तर्गत विभिन्न अखबारों में चुटीले समाचार व किसी नेता आदि द्वारा कही गयी बातें संक्षेप में प्रकाशित की जाती हैं। यह आठ पृष्ठ का रविवारीय परिशिष्ट भी निकालता है। इस परिशिष्ट में समसामयिक लेख, व्यंग्य, कहानी, नाटक, लोककथाएँ, लघु कथाएँ, कविता, गजल, पुस्तक समीक्षा, चित्रकथा, गुदगुदी आदि शीर्षकों से रचनात्मकता को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है। इन्हीं दिन साप्ताहिक भविष्यफल भी अंकित रहता है। यह पत्र 26 जनवरी, 15 अगस्त, दीपावली, होली आदि के विज्ञेयांक भी समय-समय पर प्रकाशित करता रहता है।

राजस्थान पत्रिका

दैनिक राजस्थान पत्रिका आज प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रों में गिना जाता है। अभी 24 वें राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में नूतना व प्रसारण मन्त्रालय द्वारा बड़े दैनिक समाचार-पत्रों में (भारतीय भाषा में) राजस्थान पत्रिका को मुद्रण में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। 80-81 में 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भी मध्यम श्रेणी के पत्रों में इसके जोधपुर सम्करण को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। इस प्रसिद्ध अखबार को कुलिश जी ने 7 मार्च, 1956 को सायकलीन दैनिक के रूप में शुरू किया और यह दैनिक 1956 से 1961 तक सायकलीन दैनिक के रूप में ही चलता रहा। पहले यह चार पृष्ठ का दैनिक था। आज हमें यह 10 पृष्ठीय अखबार दिखाई देता है। राजस्थान में राजस्थान पत्रिका पहला अखबार है जिसे छपाई में स्टैरियो रॉटरी मशीन का प्रयोग शुरू किया। यही नहीं, इसी ने पहली बार राज्य के मुख्य-मुख्य शहरों को टेलीप्रिंटर लाइन से जोड़ा। राजस्थान पत्रिका ने ही पहली बार सीधे ब्लॉक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन मगवाई और इसी ने लाइनों कम्पोज शुरू किया। भारत में प्रथम बार इन्हीं पत्र ने फेसीमिल फोटो शुरू की। यह फेसीमिल फोटो 19 11-82 को एशियाड खेल से शुरु की गई। इसकी सेवा जयपुर, उदयपुर व दिल्ली को प्राप्त हुई। राजस्थान पत्रिका पत्रों की स्वतन्त्रता का पूर्ण समर्थक है यही कारण था कि 3 सितम्बर, 1952 को इन्ने विहार प्रेस बिल के विरोध में पूर्ण हड़ताल रखी और 4 दिसम्बर को अपना कोई भी प्रक नहीं निकाला। राजस्थान पत्रिका की पाठ्य

सामग्री भी इस प्रकार की है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। वर्तमान में इसके सम्पादक मिलाप कोठारी हैं।

राजस्थान पत्रिका के नियमित स्तम्भों में नीति-अनीति, योगायोग, अर्थचक्र, कर्मलोक, परिसर, मन्थार, मिडलची, नगर-परिक्रमा, चित्रकथा, प्रसंगवश, मुनापित प्रदीप, लोकमत आदि आते हैं जो वार के हिभाव में प्रकाशित होते रहते हैं। राजस्थान पत्रिका का स्वरूप काफी बदल कर सामने आया है। 1 अक्टूबर, 1983 से इसने विशेष फीचर सेवा शुरू की जिसमें सोमवार को युवा जगत, मंगलवार को मनोरंजन, बुधवार को लोकपर्व, बृहस्पतिवार को विविध, शुक्रवार को गाँव-ढाणी, शनिवार को अष्टात्म तथा, रविवार को रविवारीय परिशिष्ट। इसके अलावा समय-समय पर विभिन्न प्रदेशों की चिट्ठियाँ देकर विशेषताओं से परिचय कराना भी इसकी विशेषता है। विश्ववार्ता, शिक्षक जगत, शेष विशेष, अपने ही घर में, बात करामात, प्रसंगवश, नगर परिक्रमा, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वादे-वादे जयते पच्चीस माल पहले आदि इसके प्रमुख स्तम्भ हैं। बुधवार को पारिवारिक परिशिष्ट भी निकालने लगा है।

यह पत्र स्वतन्त्राधिकारी राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक अमरचन्द कोठारी द्वारा रोडरी प्रिंटर्स, केसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 4 से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। इसका उदयपुर संस्करण 14 दिसम्बर, 1981 से प्रकाशित हुआ है। 14 सितम्बर, 1979 से इसका जोधपुर संस्करण भी धारम्भ किया गया है। इसने अपने सवादादाता, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि जगहों पर भी नियुक्त कर रखे हैं। यह आई. ई. एल. एस/ए बी सी का सदस्य है। राजस्थान पत्रिका का अपना रविवारीय परिशिष्ट एक अलग छाप लिए होता है जो रंगीन होता है। कविताएँ, गजल, कहानी, लेख, समीक्षा आदि इसमें रहते हैं। इस प्रकार पाठ्य-सामग्री की दृष्टि से पत्रिका अपने आप में अनुठी है और अपना अलग विशिष्ट स्थान निर्धारित करती है। 1982 में इस पत्र को मातृश्री एवार्ड भी प्रदान किया गया। कोटा एव बीकानेर से भी इसका संस्करण निकलने लगा है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या 222510 है।

राष्ट्रदूत

हनुमान सहाय शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित राष्ट्रदूत दैनिक सन् 1951 में जयपुर से प्रकाशित हुआ। सन् 1975 में यह कोटा से भी निकलने लगा और वर्तमान में बीकानेर में भी प्रकाशित हो रहा है। यह दैनिक आठ पृष्ठीय है पर रविवार को इसकी पृष्ठ संख्या बारह होती थी। इसके स्थायी स्तम्भों में देश-विदेश प्रवेश, चलते-चलते राहों, प्रादेशिक समाचार, विचार-बिन्दु, कटीले फूँ, जनवाणी, विविध चर्चा, आज का भविष्य, बाजार भाव आदि

हैं। आज यह रविवारीय सप्तरक्षण न निकाल कर अपनी एक साप्ताहिक रंगीन पत्रिका निकालता है जो कि विविध प्रकार की छाप लिए होती है। छोटे शीर्षकों में खबरें देना इसका अपना अनूठा तरीका है।

राष्ट्रदूत का हर बुधवार को अपना एक मध्य साप्ताहिक परिशिष्ट निकालता है जो विविध प्रकार की सामग्री से ओत-प्रोत रहता है जिसमें तीसरे व चौथे पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की सामग्री रहती है जैसे 'विविधा' में चोरबी, अनोखी, रोचक सामग्री, 'विशेषाटन' में विदेशों के बारे में अद्यतन जानकारी, 'वैचारिका' में सम्पादकीय विचार प्रवाह, 'छिन्दान्वेषण' में बाल की खाल अर्थात् कटीले फूल का दूमरा रूप 'स्वास्थ्य चर्चा' में रोगियों के लिए उपचार, 'त्रीड़ा जगत' में खेल विषयक जानकारी, 'नई फिल्मों' के अन्तर्गत नई फिल्मों की समीक्षा आदि प्रकाशित की जाती है।

राष्ट्रदूत रविवार को अपना 'राष्ट्रदूत साप्ताहिक' नाम से परिशिष्ट निकालता है जिसमें सत्य कथा, कहानी, कविताएँ युवाजगत, शीर्षक प्रतियोगिता, खेल लिनाडी, बाल मण्डल, साप्ताहिक भविष्य, लिन ससार, चित्रकथा, ज्ञान विज्ञान, नारी लोक आदि शीर्षक देकर विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित की जाती है। यही नहीं एक दो कार्टून भी इस परिशिष्ट में रहते हैं। यह परिशिष्ट सभी प्रायु वर्ग के लिए उपयोगी होता है।

राष्ट्रदूत के वर्तमान सम्पादक श्री राजेश शर्मा हैं। यह कोटा से भी प्रकाशित होने लगा है। इसकी प्रसार संख्या 19633 है।

दैनिक नवज्योति

राजस्थान में सबसे पुराना दैनिक पत्र दैनिक नवज्योति अजमेर में 1936 में प्रकाशित हुआ। 1960 में इसका जयपुर संस्करण भी शुरू किया गया। आज यह कोटा में भी प्रकाशित हो रहा है। दुर्गाप्रसाद चौधरी के सम्पादकत्व में यह पत्र निकला तथा आज भी उनकी देख रेख में अमर ज्योति प्रिंटिंग प्रेम, जांबनेर बाय, जयपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित हो रहा है। इसके सम्पादक दीनबधु चौधरी हैं। यह दैनिक आठ पृष्ठ का है तथा आठ कालम में विभक्त है। इसमें दिल्ली, कनकत्ता, बम्बई, उज्जैन आदि जगहों पर अपने सवादसंगत नियुक्त कर रखे हैं। इसके स्थायी स्तम्भों में आमने-सामने, परदे के पीछे, विज्ञान, राष्ट्रीय घटनाचक्र, सामयिक चिन्तन, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का चक्र, रंगारंग, पडोसी देश, विविधा आदि हैं। यह पत्र सोमवार को विज्ञान, मंगलवार को आमने-सामने व खेल चर्चा, बुधवार व शनिवार को सामयिक चिन्तन व स्वास्थ्य, गुरुवार को राष्ट्रीय घटनाचक्र व शुक्रवार को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र आदि विशेष सामग्री देता है।

दैनिक नवज्योति हर सप्ताह अपना रविवारीय नवज्योति भी निकालता है जिसमें यह लेख, लघु कथाएँ, वार्ता, कहानी, सस्मरण, कविताएँ, गजल आदि प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त फिल्म-समीक्षा व साप्ताहिक राशिफल को भी इसमें प्रकाशित किया जाता है। रविवार के रोज भी इसकी पृष्ठ संख्या आठ ही रहती है तथा इसका रविवारीय वार्ता तीन-चार पृष्ठ पर छपी रहती है बाकी पृष्ठ दैनिकों की तरह ही रहते हैं।

जलते दीप

दैनिक 'जलते दीप' जोधपुर से 1969 में आरम्भ हुआ। इसके संस्थापक स्व माणक मेहता थे। वर्तमान में इसके सम्पादक पद में मेहता हैं। यह जलते दीप कार्यालय से प्रकाशित एवं प्रिन्टकोट इन्डस्ट्रीज जोधपुर में मुद्रित होता है। इसके प्रबन्ध सम्पादक फारूक अफरोदी है और समाचार सम्पादक प्रकाश पुरोहित हैं। आज इस पत्र का सम्पादन प्रहलाद जोशी के सम्पादन में जोधपुर से भी निकल रहा है। जलते दीप के सनावदाता बम्बई, कलकत्ता, देहली व तमिलनाडू में निवृत्त हैं। यह आई ई एन एस्./ए आई. एन. ई. सी. का सदस्य है। इसकी प्रसार संख्या 30898 है।

चार पृष्ठीय यह दैनिक आठ कालम में विभक्त होता है। इसके स्थायी स्तम्भ तीसरी नजर, दिनमान, व्यापार दशा, सम्पादकीय, गांधी उवाच, मामूलीराम, जनता की आवाज, देश के कोने-कोने से, विश्व समाचार, फ़िरम, खेल जगत आदि हैं।

जननायक

कोटा शहर से प्रकाशित दैनिक पत्र जननायक मई 1973 में प्रकाशित हुआ। इसके वर्तमान सम्पादक भंवर शर्मा "अटल" हैं। यह जनता प्रिंटर्स, आनन्द भवन, स्टेशन रोड, कोटा 324001 से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। यह चार पृष्ठ का दैनिक है और आठ कालम में विभक्त रहता है। विशेषांक के दिन इसकी पृष्ठ संख्या छह हो जाती है। राजस्थान का यह प्रथम पत्र है जो कि एक व्यंग्य वार्ता "ऐसा क्यों" ? राजस्थानी भाषा में प्रकाशित करता है। यह पत्र रविवारीय परिशिष्ट भी निकालता है। जिसमें राजनीतिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक लेख, कहानियाँ, कविताएँ, गजल आदि प्रकाशित की जाती हैं। जननायक 'नारी' नामक स्तम्भ सोमवार को प्रकाशित करता है तथा साथ ही रविवार के रोज स्थान न पाने वाले, लेख, कविताएँ, कहानियाँ आदि भी प्रकाशित की जाती हैं।

इस प्रकार जननायक एक चार पृष्ठों का दैनिक है और समय-समय पर यह अपने विशेषांक भी निकालता है जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दीवाली आदि पर।

वीर अर्जुन

दिल्ली से निकलने वाले 'वीर प्रजुन' का जन्म 1954 में हुआ। यह एक छोटा-सा चार पृष्ठीय दैनिक समाचार-पत्र था पर वर्तमान में यह 8 पृष्ठ का है। पर हर रविवार को यह अपना आठ पृष्ठीय साप्ताहिक और प्रकाशित करता है। किसी जमाने में महाशय कृष्णजी की लोह लेखनी इतने घाग उनलती थी। वीर अर्जुन का अपना एक विशेष पाठक-वर्ग है। आज इसकी सम्पादकीय टिप्पणियों के कारण ही इस पत्र की लोकप्रियता बढ़नी जा रही है। इसके सम्पादकीय किन्नी का न तो समर्थन करते हैं और न लगव। इनके सम्पादकीय स्पष्ट व बिना लाग-लपेट के होते हैं। उनकी ओजस्वी शैली-पाठको में स्फूर्ति तो भरती ही है, जिस प्रकार पहले प्रायः हुआ करता था कि सम्पादक ही अखबार का मालिक भी होता था अर्थात्, पीर, बावर्ची, भिखती, खर, सब कुछ अखबार का सम्पादक ही होता था वही स्थिति वीर अर्जुन की भी है। वीर अर्जुन का द्वितीय पृष्ठ पाठको में विशेष लोक-प्रिय है क्योंकि इसी पृष्ठ पर इसका सम्पादकीय रहता है जो अपनी ओजस्वी शैली के कारण पाठको को विशेष प्रिय है।

इस प्रकार इस छोटे से दैनिक की प्रसार संख्या लगभग 20,834 है। वीर अर्जुन हर रविवार को अपना एक आठ पृष्ठ का समाचार-पत्र साप्ताहिक भी निकालता है जिसमें लेख, वार्ता, फीचर, यात्रा-वृत्तान्त, साप्ताहिक भविष्य, कहानी, वीर बालक, सप्तद, कार्टून, नारी समार, जीवनियाँ, पुण्य-तिथि, श्रुटिंग आदि प्रकाशित करता है। नारी समार में नारी से सम्बन्धित रखने वाले लेख प्रकाशित किए जाते हैं तो श्रुटिंग कालम में फिल्मों की समीक्षा अर्थात् फिल्म सम्बन्धी सूचनाओं में भरा रहता है। वीर अर्जुन ज्यादातर राजनैतिक खबरों के अलावा और कुछ भी स्तम्भ नहीं देता है यही कारण है कि इसका एक विशेष पाठक-वर्ग है।

13 सितम्बर, 1973 को दिल्ली से 'जनयुग' प्रकाशित हुआ। जनयुग समा-मसाचार व नामयिक खबरें प्रकाशित करने वाला दैनिक है। यह पत्र 8 पृष्ठ का निकलता है, पर रविवार या अन्य कोई त्यौहार पर इसकी पृष्ठ संख्या दस हो जाती है। यह पत्र मुस्तार अहमद खान द्वारा न्यू ऐज प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक श्री हरिकृष्ण व्यास हैं पर वर्तमान में गौरीशंकर हैं। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र है। जनयुग में प्रकाशित लेख विचारपूर्ण तो होते ही हैं साथ ही इनमें भ्रष्टाचार विरोधी समाचारों को विशेष स्थान मिलता है। यह आई. ई. एन. एस./ए. आई. एन. ई. का सदस्य है। सघर्ष ही इस पत्र की प्रवृत्ति है।

रविवार के साप्ताहिक परिशिष्ट के अन्तर्गत लेख, वार्ताएँ, कविताएँ तथा एक कहानी भी प्रकाशित की जाती है। बच्चों, छात्रों से सम्बन्धित कोई नो स्तम्भ

प्रकाशित नहीं किया जाता है और न इस दैनिक में विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति आदि के बारे में स्तम्भ या रोचक लेख ही प्रकाशित किये जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित समाचारों को ही यह पत्र प्रमुखता देता है।

स्वतन्त्र भारत

'स्वतन्त्र भारत' का 15 अगस्त, 1947 को अशोक जी के सम्पादन में लखनऊ से प्रकाशन शुरू हुआ। अशोक जी 1947 में 1953 तक इस स्वतन्त्र भारत को सँवारते रहे और इसके बाद वह भारत सरकार में आ गए। अशोक जी के बाद योगिन्द्रपति त्रिपाठी इसके सम्पादक बने और उन्होंने इसका सम्पादन अगस्त, 1971 तक किया। भारत सरकार ने सेवा-निवृत्त होने पर अशोक जी पुनः 1972 में इसके सम्पादक बन गए और 1978 तक इस पत्र को विभिन्न प्रकार की सामग्री देकर इसके स्तर को बढ़ाते रहे। जनवरी 1979 से इसके प्रधान सम्पादक डॉ. के. पी. अग्रवाल बने व सम्पादक शिवसिंह सरोज हैं। उत्तरप्रदेश में स्वतन्त्र भारत का अच्छा प्रभाव है। यह पायोनियर प्रेम लखनऊ से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है।

आठ पृष्ठीय यह दैनिक समाचार-पत्र पहले पॉप कालम में निकलता था। इसके स्थायी स्तम्भ हैं—काव-काव, अग्रलेख टिप्पणी, कार्टून, (बड़ा-छोटा) देशचक्र, देश-देशान्तर, विदेश-चर्चा, आपके विचार, सुभाव शिकायत, राग्यों की चिट्ठियाँ आदि। स्वतन्त्र भारत विशेष अक्षरों जैसे होली, दशहरा, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर अपने विशेषांक भी निकालता है। इसका रविवारीय परिशिष्ट अच्छा होता है जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के अनुसार सामग्री प्रकाशित होती रहती है।

यह पत्र प्रेम ट्रस्ट, हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारतीय, यू. एन. आई तथा पत्र-सूचना कार्यालय से समाचार लेता है। इसने प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख नगरों दिल्ली, अम्बई, हैदराबाद, पटना, जालन्धर आदि स्थानों पर अपने सवाददाता नियुक्त कर रखे हैं।

समाचारों के अतिरिक्त समय-समय पर महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किए ही जाते हैं। उत्तरप्रदेश की राजनीति तथा उसके विकास कार्यों की विशद व्याख्या एवं विश्लेषण प्रकाशित करना इस पत्र की अपनी एक विशेषता है। पाठकों को राज-नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि विषयों की विप्लव और सही सूचनाएँ तथा उनकी रूचि को परिष्कृत करना ही इस पत्र का मुख्य ध्येय है।

आज

वाराणसी, कानपुर व पटना में प्रकाशित 'आज' आठ पृष्ठ का दैनिक पत्र है। सर्वप्रथम आज कलकत्ता से शिवप्रसाद मुक्त ने 5 सितम्बर, 1920 को प्रारम्भ

किया। इसके सम्पादक प्रसिद्ध पत्रकार प. वावुराव विष्णु पराडकर थे। पराडकर जी के साथ ही इसके सम्पादक प. कमलापति त्रिपाठी भी बने। आज ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया और अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना की। यही कारण था कि पराडकर जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और आज से अमानतें मांगी गयीं। आप ने हिन्दी गद्य को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 'सैकड़ों' शब्द आज के माध्यम से हिन्दी में आए और उसके प्रग्न बन गए हैं। जैसे मिस्टर के स्थान पर श्री तथा मैमसें के स्थान पर सर्वश्री का प्रयोग।¹ बाबू श्री प्रकाश, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर व डॉ. मन्मूर्तुनिन्द भी इसके सम्पादक रहे। सन् 1930 व 1940 में आज को अंग्रेजी सरकार का कोप-नाजन बनना पड़ा फलस्वरूप इसे अपना प्रकाशन बन्द करना पड़ा। ब्रिटिश प्रविकारियों के अत्याचारों का मण्डाफोड करने पर 1925 में पराडकर जी को जेल हुई और अमानत न देने का सकल्प कर उन्होंने पत्र प्रकाशन बन्द कर दिया।

आज ने अधिकांश ध्यान स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्तरप्रदेश तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की ओर अनेक जिलों के प्रमुख समाचार जिलों के शीर्षकों के नीचे प्रकाशित करने की नीति अपनाई। इसके रविवारीय संस्करण में राष्ट्रीय भावनाओं से अंत-प्रोत अच्छी सामग्री रहती है। 1975 से आज का कानपुर संस्करण भी प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान में इसके सम्पादक शार्लत विक्रम गुप्त हैं। आज के माध्यम से हिन्दी के अनेक लेखक व कवि प्रकाश में आये हैं। डॉ. भगवानदास, आचार्य नरेन्द्र देव और प्रसिद्ध कवि मुनिधानन्दन पत्र आज के नियमित लेखक व कवि रहे हैं।

आज के स्थायी स्तम्भ हैं, वाराणसी और आनपाम, यह मप्ताह, दैनिक पचास, आप का आज का दिन, बिहार समाचार, सम्पादकीय, अमरवाणी, सम्पादक के नाम पत्र, मण्डी भाव, चित्रकथा, खेलकूद आदि। रविवार को इन स्तम्भों में कविता, लेख, सस्मरण, चलचित्र जगत, दुनिया, बाल समूह आदि जुड़ जाते हैं। यह पत्र अनेक समितियों की सहायता लेता है जैसे ए.बी.सी./आई.ई.एन.एम., ए.आई.एन.ई.सी./आई.एल.एन.ए. आदि। बम्बई, कन्नड़, देहली, तमिलनाडु आदि जगहों पर आज के अपने सहायदाता नियुक्त किए हुए हैं। आठ पृष्ठीय यह पत्र आठ कालम में विभक्त है और वाराणसी से विद्याभास्कर द्वारा मुद्रित व प्रकाशित होता है। वाराणसी प्रकाशित आज मासिकारोप दैनिक रहा है। वर्तमान में वाराणसी, कानपुर, गौरखपुर, पटना, इलाहाबाद, आगरा और राँची में इनके संस्करण निकलते हैं।

स्वाधीनता सघर्षकाल से प्रकाशित दीर्घजीवी यह दैनिक अनेक सघर्षों से जूझता हुआ आज तक विद्यमान है। इसके सभी स्तम्भ काफी लोकप्रिय हैं। समाचार प्रदर्शित करने का इसका अपना ढंग और शैली है। उत्तरप्रदेश में प्रकाशित दैनिक आज हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ पत्र है। आज का योगदान हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र और महत्त्व की शृंखला में एक मजबूत कड़ी के रूप में है।

आर्यावर्त

आर्यावर्त का प्रकाशन पटना से दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने अंग्रेजी 'इण्डियन नेशन' के सहयोगी के रूप में 1940 किया था। इसके प्रथम सम्पादक प. दिनेशदत्त भा थे। इसके बाद क्रमशः ब्रजनन्दन आजाद और श्रीकान्त ठाकुर ने सम्पादक का भार ग्रहण किया। यह पत्र राष्ट्रवादी नीतियों का परिपोषक है। लगभग 20 वर्षों तक ठाकुर ने इस पत्र को अपने बुद्धि कौशल से आगे बढ़ाया और राज्य व राष्ट्र की समस्याओं के प्रातः जन-मानस में जागरूकता पैदा की। 1968 में जयकान्त मिश्र ने इसका सम्पादन का भार सम्भाला। वर्तमान में इसके सम्पादक हीरानन्द भा शास्त्री हैं। आर्यावर्त दी न्यूज पेपर्स एण्ड पब्लिकेशन लिमिटेड की ओर में व इण्डियन नेशन प्रेस, पटना में गीरिन्द्र मोहन भट्ट द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित होता है। विहार में प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों में आर्यावर्त की प्रसार सख्या अधिक है। यह आई.ई.एन.एस./ए.बी.सी./ए.आई.एन.ई.सी. का सदस्य है। आर्यावर्त छ पृष्ठ का दैनिक है जो आठ काल में विभक्त है। रविवार के दिन उसकी पृष्ठ नव्या आठ हो जाती है।

रविवार को सातवाँ व आठवाँ पृष्ठ आर्यावर्त साप्ताहिक परिशिष्टांक के रूप में प्रकाशित होते हैं जिनमें लेख, कहानियाँ, कविताएँ, निबन्ध, गजल आदि को तो स्थान मिलता ही है, इसके अतिरिक्त बाल जगत में बच्चों के लिए भी सामग्री प्रकाशित की जाती है। साप्ताहिक राशिफल भी रविवार को प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध (1939-45), भारत पर चीन आक्रमण (1962), भारत पाकिस्तान का सघर्ष (1965) और भारत व पाकिस्तान के युद्ध (1971) में गानीय क्षेत्रों में भी समाचारों के प्रति उत्सुकता बढ़ी तो आर्यावर्त ने इसका पूरा लाभ उठाया। इस प्रकार आर्यावर्त अपने पाठकों को राज्य की समस्याओं से अवगत कराता हुआ उनमें स्फूर्ति भरता रहता है।

दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर विजयभर दयाल अग्रवाल द्वारा नोबिन प्रिण्टिंग प्रेस इलाहाम-पुरा, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित होता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1958 में हुआ। पहले इसके सम्पादक काशीनाथ चतुर्वेदी थे, वर्तमान में इसके प्रधान

सम्पादक महेशचन्द्र अग्रवाल है तथा श्यामसुन्दर व्योहार सम्पादक है। यह आठ पृष्ठीय दैनिक आठ कालम में विभक्त होता है। दैनिक भास्कर मोपाल, खालियर, उज्जैन तथा भाँसी से एक साथ प्रकाशित होता है। यह अखबार मध्यप्रदेश में दिन-प्रतिदिन लोकप्रियता प्राप्त करता आ रहा है। उत्तम छपाई व साफ फोटो देना इसकी अपनी विशेषता है।

युगधर्म

सन् 1951 में नागपुर से युगधर्म दैनिक का प्रकाशन हुआ। यह पत्र नरके-सरी मुद्रगानय नागपुर से प्रकाशित होता है। सन् 1956 में जबलपुर में व 1972 में रायपुर में भी इसके सस्करण प्रकाशित होने लगे। इन सभी सस्करणों के प्रधान सम्पादक भगवती प्रसाद बाजपेयी रहे पर वर्तमान में इसके सम्पादक दिवाकर प्रसाद देशनाथे हैं। नागपुर सस्करण के सम्पादक श्री सत्यपाल पटाइत, रायपुर सस्करण के सम्पादक बबनप्रसाद मिश्र व जबलपुर के सम्पादक राधेश्याम शर्मा हैं। यह पृष्ठीय यह दैनिक आठ कालम में विभक्त होता है। युगधर्म ए आई एन ई.सी /आई. एल एन.ए /आई ई एन एस का सदस्य है।

युगधर्म मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र में हिन्दी-प्रेमियों की अच्छी सेवा कर रहा है। सभी तरह की सामग्री पाठकों को प्रदान करके यह दिन-प्रतिदिन अपना स्थान बना रहा है। सन् 1951 से यह दैनिक अनेक सघर्षों से जूझता हुआ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा हिन्दी-प्रेमियों की सेवा का व्रत करने की ठाने हुए है।

नवजीवन

नेशनल हेराल्ड (अंग्रेजी) व कौमी आवाज (उर्दू) की प्रकाशन सस्था दि एमोसिएटेड जर्नेल्स लिमिटेड ने आजादी के उपाकाल में लखनऊ से नवजीवन दैनिक का सर्वप्रथम 1947 में प्रकाशन किया। यह कांग्रेस नीति का समर्थक है। गुरु से ही बरिष्ठ नेताओं का इस पर बरदहस्त रहा है जैसे प जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इन्दिरा गांधी, डॉ युद्धवीरसिंह, उमाशंकर दीक्षित आदि। यह आठ पृष्ठ का दैनिक है। कोई विषय ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। नेशनल हेराल्ड के एम. चलपतिराव जैसे प्रमुख सम्पादकों व पत्रकारों का पूर्ण सहयोग नवजीवन को मिलता रहा है। इस पत्र की अपनी अलग ही प्रकार की टाइप, लेखाउट, मेकअप है। देश की राजनीति से सम्बन्धित खबरें प्रकाशित करना इस पत्र की विशेषता है। कांग्रेस की नीति का समर्थक होने के कारण यह पत्र उत्तरप्रदेश में अत्यन्त प्रभावशाली है। इसके प्रथम सम्पादक सत्यदेव शर्मा थे। बरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण नारायण गर्दने भी नवजीवन का सम्पादकीय भार सम्भाला है। उनके समय में नवजीवन में भाषा व वर्तनी के सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ। वर्तमान में इसके सम्पादक कृष्णकुमार मिश्र हैं। इसकी सम्पादकीय टिप्पणी भी कांग्रेस की नीति-

नीति की ही समर्थक होती है। अगर इस दैनिक को पूर्णतया कांग्रेसी अखबार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

प्रदीप

सर्चलाइट प्रेस, पटना से प्रकाशित दैनिक 'प्रदीप' काफी लोकप्रिय है। बिहार जर्नल्स लिमिटेड ने 15 अगस्त, 1947 को प्रदीप का प्रथम अंक का प्रकाशन किया। उसी समय अग्रेजी में दैनिक सर्चलाइट का भी प्रकाशन हुआ। इस पत्र के सम्पादक श्री राममिह भारतीय हैं। राष्ट्रीयवादी स्तर ही इसका मुख्य विषय है। यह आठ पृष्ठ का दैनिक है व आठ ही कालम में विभक्त है। सभी वर्गों के लोगों की इसमें अपनी इच्छित सामग्री प्राप्त हो जाती है। यह बंगारसीदास भुनभुन बाला द्वारा मुद्रित व पटना से प्रकाशित होता है।

वीर प्रताप

पंजाब से प्रकाशित हिन्दी पत्रों में वीर प्रताप काफी लोकप्रिय है। 26 जनवरी, 1955 को पंजाब से दैनिक वीर अर्जुन का प्रकाशन हुआ पर यही वीर अर्जुन 1958 में परिवर्तित होकर वीर प्रताप हो गया। यह अमहिन्द प्रिण्टिंग प्रेस, जालन्धर से वीरेन्द्र ललित मोहन व चन्द्रमोहन द्वारा मुद्रित व प्रकाशित होता है। यह छः पृष्ठीय दैनिक अखबार है पर रविवार व विशेष अवसरों पर इसके पृष्ठ दम हो जाते हैं। यह आठ कालम में विभक्त होता है तथा सभी तरह की सामग्री यह अपने पाठक-वर्ग को देता है। इसके सवाददाता कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि जगहों पर नियुक्त हैं। यह अपने साथ दैनिक प्रताप नाम से उर्दू पत्र भी रोज निकालता है। यह पत्र स्वतन्त्र नीति का समर्थक है।

तरुण भारत

लखनऊ से दैनिक तरुण भारत का प्रकाशन सन् 1974 में हुआ। यह बिनोदचन्द माहेश्वरी द्वारा राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड, स्वदेश प्रेस से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। इसके सम्पादक वचनेश त्रिपाठी रहे हैं। वर्तमान में इसके सम्पादक वि. भा. घुमरे हैं। यह 4 पृष्ठ का दैनिक समाचार-पत्र है तथा आठ कालम में विभक्त है।

देशबन्धु

नवभारत जबलपुर संस्करण के सम्पादक मायाराम सुरजन ने अपने प्रथम परिश्रम से सन् 1959 में रायपुर से देशबन्धु का प्रकाशन किया। यह पत्रकार प्रकाशन, नई दुनिया प्रिण्टिंग प्रेस से मुद्रित एवं प्रकाशित होता है। वर्तमान में भी इसके सम्पादक मायाराम सुरजन ही हैं। यह आठ पृष्ठ का दैनिक है तथा रायपुर, जबलपुर और भोपाल से एक साथ प्रकाशित हो रहा है। आठ कालम में विभक्त

प्रम दैनिक ने बम्बई, कलकत्ता, भद्रास, देहली आदि स्थानों पर अपने संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं।

जनसत्ता

दिल्ली से प्रकाशित जनसत्ता का नाम आज अग्रणी पत्रों में लिया जा रहा है। खोजपूर्ण पत्रकारिता को इसने नये आयाम दिए। खोज खबर, गणशप, कितारें, इस पत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय स्तम्भ हैं। अपनी विशेष शैली, आम भाषा, तेज-तर्रार सम्पादकीय लेखों व प्रस्तुतीकरण के कारण अत्यन्त ही लोकप्रिय है। रविवारी सरकरण भी वह निकलता है। इण्डियन एक्सप्रेस प्रा. लि. का यह प्रकाशन है। प्रमात जोशी इसके सम्पादक हैं। चण्डीगढ़ व बम्बई से भी प्रकाशित हो रहा है।

साप्ताहिक पत्र

धर्मयुग

धर्मयुग देश का सर्वश्रेष्ठ हिन्दी साप्ताहिक है। हिन्दी में सबसे अधिक बिकने वाला पत्र साप्ताहिक धर्मयुग ही है। धर्मयुग का प्रथम अंक 1950 में बम्बई से प्रकाशित हुआ। यह टाइम्स ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके प्रथम सम्पादक प्रसिद्ध साहित्यकार इलाचन्द्र जोशी थे। जोशी जी के बाद इसके सम्पादक हेमचन्द्र जोशी व सत्यदेव विद्यालकार हुए। धरमबीर भारती के बाद वर्तमान में इसके सम्पादक गणेश मत्री हैं। धर्मयुग ने हरेक सम्पादक के काल में एक नया मोड़ लिया और निरन्तर देश व साहित्य को नई दिशा देता हुआ आगे बढ़ता रहा। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में हिन्दी-भाषी लोगों में यह विशेष प्रिय है। व्यावसायिक साप्ताहिक होते हुए भी वह एक साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका के रूप में पाठकवर्ग में विशेष लोकप्रिय है। इसने अनेक नये-नये लेखकों को तो जन्म दिया ही है इसके अनिर्दिष्ट यह पाठकों को साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक सामग्री प्रदान करता रहा है। इस पत्रिका की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जैसी जनरल टोनी है, वैसी ही यह पाठकों को सामग्री देता है।

साज सजा से भरपूर बहुरंगी यह पत्र 60 75 पृष्ठ का है और तीन तथा चार कालमें ही इसकी सामग्री होती है। इसका प्रस्तुतिकरण उत्कृष्ट है। मुख्य पृष्ठ रंगीन पारदर्शी, मन को मोहने वाला, ताजा घटनाओं के चित्रों से सजा रहता है। इसमें कुछ पृष्ठ पर रंगीन चित्रों से सम्बन्धित आकर्षण कथा रहती है। इसमें रंगीन रेखांकन व सादे चित्र तो घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए मुद्रित होते ही हैं, साथ ही पैनामन लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व्यंग्य चित्र भी होते हैं। उपन्यास व कहानियों में विविध मन स्थितियों को चित्रित करने वाले चित्र रहते हैं तो बच्चों के पन्नों पर बच्चों के मन को छूने वाले चित्र कथानक रहते हैं।

यह साप्ताहिक उपन्यास कहानी, लेख, निबन्ध, साक्षात्कार, सस्मरण, रिपोर्टाज आदि तो देता ही है इसके अलावा धूमता आइना, खबरो के आंगे-पीछे, देश देशांतर, हास-परिहास, मुस्कान, बात-बतगड, उड़ते-उड़ते, दूसरी आवाज, युवाओं के लिए तरुणमंच, आपकी लेखनी, सुखियों के पीछे, व्यंग्य चित्रकथा, डब्लूजी तथा बच्चों के लिए चित्रकथा इसके स्वाई रन्म्भ हैं। जुलाई, 90 से यह पत्रिका पाक्षिक हो गई है।

धर्मयुग एक रमणीय चित्रकथा भी हरेक अंक में क्रमशः देता है। ये चित्र कथाएँ कभी वीरो की गाथाएँ कहती हैं, कभी इतिहास की भाँकी प्रस्तुत करती हैं तो कभी किसी विद्वान या नेता की जीवन गाथा से लोगों में प्रेरणा भरती है तो कभी प्रेम गाथा के रस से सरावोर करती हैं।

इन स्तम्भों के अतिरिक्त धर्मयुग हर सप्ताह घटित होने वाली घटनाओं को पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकाशित करता है। ये घटनाएँ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक होती हैं। विशेष अवसरों पर विशेष सामग्री पाठकों के पास पहुँचाना इसकी अपनी विशेषता है। होली, दिवाली, गणतन्त्र दिवस आदि के अवसरों पर यह अपने विशेष अंक निकाल कर पाठकों के पास पहुँचाता है और उनका भरपूर मनोरंजन करता है।

इन सब सामग्रियों के अतिरिक्त धर्मयुग में एक कहानी व एक धारावाहिक उपन्यास व कविताएँ भी होती हैं। विभिन्न मापाओं से अनुदित सर्वश्रेष्ठ कविताओं की बानगी भी इसमें रहती है। इसके अतिरिक्त लेख, वार्ता, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, सस्मरण आदि साहित्य की जितनी भी विधाएँ हो सकती हैं, सभी विधाओं पर यह सामग्री प्रकाशित करता है। धर्मयुग अपने विशेष प्राकर्षण के कारण हिन्दी के छोटी के पत्रों में गिना जाता है। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 1986 में इसकी प्रसार संख्या एक लाख 41 हजार थी।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान टाइम्स लि. द्वारा प्रकाशित साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका साप्ताहिक हिन्दुस्तान का प्रथम अंक 2 अक्टूबर, 1950 को निकला था। राजधानी से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिकों में यह प्रमुख साप्ताहिक पत्र है। इसके प्रथम सम्पादक मुकुटबिहारी वर्मा थे। मुकुटबिहारी वर्मा के बाद इसके सम्पादक बाके बिहारी भटनागर बने। अपनी लगन, निष्ठा व मेहनत से इन्होंने साप्ताहिक हिन्दुस्तान को दिन पर दिन लोकप्रिय बनाया। इस समय के सभी प्रतिष्ठित साहित्यकारों, लेखकों, कवियों का जितना सहयोग ले सकते थे, इन्होंने लिया। इन्होंने अनेक विशेषांक निकाले जो काफी लोकप्रिय हुए। भटनागरजी के बाद इसके सम्पादक

मनोहर श्याम जोशी बन कर आए। इनकी सम्पादिका शोला नूननून वाला भी रही है। वर्तमान में इसकी सम्पादिका मृणाल पांडे है।

56 से 64 पृष्ठ का यह साप्ताहिक तीन और चार कालम में विभक्त है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान का सम्पादकीय प्रमुख रूप में राष्ट्रीय होता है जिसमें समाचारिक मस्यौदाओं, राजनीति, अर्थनीति की चर्चा होती है। इसका आवरण पृष्ठ बहुरंगी चित्र लिये आकर्षक होता है। मुख-पृष्ठ के चित्र की कथा कलेवर में दी जाती है। इसके स्थायी स्तम्भों में आपके पत्र, कनाटतीर, पुस्तक चर्चा, फिल्म, दूरदर्शन, बात बतगड, आपका पन्ना, फुलवारी मुख्य हैं। सुविधों में, घर-घर की, व्यंग्य चित्र कथा मुख्य है। स्थायी स्तम्भों के अतिरिक्त यह लेख, कहानी, उपन्यास सस्मरण, कविता तथा विशेष अवसरों पर विशेष सामग्री भी देता है।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान के स्थायी स्तम्भों में एक स्तम्भ चित्रकथा है। इसके अन्तर्गत प्रायः कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तथा पौराणिक कथा को लेकर सचित्र कहानी कही जाती है। कथाओं के माध्यम में या तो कोई संदेश दिया जाता है या कोई जीवनोपयोगी मकेत अथवा उपदेश देता है। वस्तुतः यह स्तम्भ रोचक मामलों के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी प्रस्तुत करता है। इसके अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली चित्र-कथाओं का शिल्प कथात्मक और गम्भीर एवं सवेदनापूर्ण है। 'बोलती छाप' स्तम्भ के अन्तर्गत फिल्मी सितारों और फिल्मों का लेखा-जाखा रहता है। इसमें अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के किमी न किमी विशेष पक्ष की जानकारी दी जाती है। साथ ही फिल्मों की समीक्षा भी प्रस्तुत की जाती है। समीक्षा बड़ी बेजग और निष्पक्ष रहती है। 'आधी दुनिया' स्तम्भ के अन्तर्गत महिला जगत के लिए सौन्दर्य प्रमाण, सिलाई, बुनाई, विविध प्रकार के व्यंजन व महिमापयोगी प्रसंगों की चर्चा की जाती है।

'मन की उलझन' भी साप्ताहिक हिन्दुस्तान का एक उल्लेख स्तम्भ है। इस स्तम्भ के अन्तर्गत पाठकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्र रहते हैं। इन प्रश्नों का समाधान किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रश्न अधिकतर मनोवैज्ञानिक होते हैं।

'ऐसा भी हुआ' स्तम्भ किमी अनहोनी घटनाओं का वर्णन करता है। ये घटनाएँ ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना होता है।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान में 'फुलवारी' स्तम्भ बच्चों का पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर बच्चों के अनुरूप सामग्री प्रकाशित होती है जिसमें, चित्र कथा, कविता, कहानी विज्ञान से सम्बन्धित बातें रहती हैं। विज्ञान के छोटे-छोटे प्रश्न व उत्तर द्वारा बच्चों में यह स्तम्भ वैज्ञानिक भावना जगाना है।

इन सब स्तम्भों के अतिरिक्त साप्ताहिक हिन्दुस्तान 'ताल-बैताल' शोपंक में व्यंग्य-वार्ता प्रस्तुत करता है। यह व्यंग्य-वार्ता राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय पर होती है। 'भुमीबल है' स्तम्भ में कार्टून द्वारा चित्रित हास्य रहता है, तो 'तथ्य कथ्य' में सच्ची घटनाओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है। खेल-प्रेमी लोगों के लिए भी खेन-सामग्री प्रति सप्ताह प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त इसने क्रिकेट विशेषांक व सेल विशेषांक भी समय-समय पर अपने पाठक-वर्ग को दिए हैं। केवल क्रिकेट विशेषांक ही नहीं, बल्कि प्रत्येक खेल समारोह पर यह विशेष सामग्री प्रकाशित करता है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित लेखों की दुनिया विविधात्मक है। राजनीति, विज्ञान, इतिहास, धर्म, दर्शन, समाज, इतिहास, प्राथिक समाज आदि कितने ही विषयों पर सामग्री रहती है। इसमें कहानी, कविता, धारावाही उपन्यास, जीवन-कथा, गजल, साक्षात्कार, सस्मरण, साहस गाथाएँ आदि भी प्रकाशित की जाती हैं। ये सब विधाएँ एक प्रकार से इस पत्रिका को साहित्य जगत में महत्त्व देने के लिए पर्याप्त हैं। श्रेष्ठ कविगण, कहानीकारों, उपन्यासकारों की रचनाएँ इस पत्र में प्रकाशित होती रहती हैं।

दिनमान

हिन्दी-जगत में साप्ताहिक पत्रों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। ऐसे ही साप्ताहिकों में दिनमान का नाम सर्वोपरि है। यह वह पत्र है जिसने समाचार साप्ताहिकों में नया गानेदण्ड स्थापित करने का कार्य किया है। इसका प्रारम्भ बहुमुखी प्रतिभा के धनी सच्चिदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय के सम्पादकत्व में जनवरी 1965 में हुआ बाद में रघुवीर सहाय काफी समय तक इसके सम्पादक रहे और उन्होंने इसे सजाया व सवारा, कन्हैयालाल नन्दन भी इसके सम्पादक रहे हैं। सशक्त भाषा में समाचार लिखने, उनकी पृष्ठभूमि और सम्बन्धित प्रवृत्तियों पर बेलाग विश्लेषण देने में यह साप्ताहिक बेजोड़ है। इसका लेखन स्तर व विचार गम्भीर होते हैं। इसी से यह बौद्धिक वर्ग में काफी लोकप्रिय है। दिनमान का सम्पादकीय तान सशक्त होता ही है, विषयों की प्रस्तुति भी उल्लेख्य इसके लेखों में गम्भीरता और विषय की सूक्ष्म पंठ रहनी है। यह टाइम्स आफ इण्डिया का प्रकाशन है और नेशनल प्रिण्टिंग वर्क्स से मुद्रित होता है। पहले यह 48 पृष्ठ का समाचार व सामयिक खबरों का महत्त्वपूर्ण साप्ताहिक था जिसमें चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ तथा व्यंग्य आदि यथा-स्थान होते थे। दिनमान के स्वामी स्तम्भ थे-मत और सम्मत, पिछले सप्ताह देश-विदेश, पत्रकार नमद, राष्ट्र, प्रदेश, समाचार भूमि, विश्व खेल और खिलाड़ी, रंगमंच, कला, फिल्म और आचरण पृष्ठ मुख्य हैं। दिनमान का आवरण दुरगा होता था। जिस पर रंग-

विरगा चित्र अन्दर दी गयी घटना पर आधारित होता था। यही नहीं, आवरण पर दिनमान में समाहित घटनाओं को छोटे-छोटे व मशक्त शीर्षकों में भी दिया जाता था।

दिनमान के शीर्षक छोटे मटीक, टिप्पणीपरक रीर व्यञ्जना शक्ति से भरपूर होते थे। इनके गद्य लेखन में साहित्यिकता होती थी। लेख के साथ-साथ विषय में सम्बन्धित चित्र, व्यंग्य चित्र आदि भी दिए होते थे जो लेख को और भी सशक्त बना देते थे। पर आज दिनमान बड़े रूप में निकलने लगा है साथ ही रंग विरगा पृष्ठ लिए होता है। इसके स्थायी स्तम्भों में मुख्य है समाचार फवक, सारिका वामा, सबरग खेन खिनाडी, आर्थिकी, कानो कान पर्दे, के पार आदि। आज यह दिनमान टाइम्स के नाम से निकलता है तथा इसके सम्पादक पकज गोस्वामी हैं। आज यह 22 पैज के लगभग निकलता है।

दिनमान एक सशक्त, समृद्ध और प्रभावी साप्ताहिक पत्र है जो एक मिला-जुला सांस्कृतिक, राजनैतिक, साहित्यिक और ममकालीन चेतना के रंगों में निखरा हुआ है। यह पत्र गाँव, देहात, नस्वाती जिन्दगी, शहरो के पिछड़े लोगों, पिछड़े प्रबलो की जीवन व्यथा-कथा के जीवन्त रिपोर्ताज को सशक्त व पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करता है।

रविवार

आनन्द बाजार पत्रिका लिमिटेड का पब्लिकेशन रविवार साप्ताहिक 1977 में प्रकाशित हुआ। इतने कम समय में इतने अपना स्थान अच्छे साप्ताहिकों में बना लिया है। इसके प्रथम सम्पादक एम. जे. अकबर थे, पर वर्तमान में इसके सम्पादक उदयन शर्मा हैं। कलकत्ता से निकलने वाली यह पत्रिका समाचार व मसामयिक विचारों की सवाहिका है। तीन कालम में निकलने वाली इस पत्रिका ने अपनी विषय सूची को धार भागों में बाँट रखा है। आमुख कथा, देश-देशान्तर, साहित्य तथा विविध। इसकी प्रसार संख्या 48 हजार 312 है।

रविवार का मुखपृष्ठ दुर्गा होता है। इस पृष्ठ पर उस सप्ताह में घटित घटनाओं से सम्बन्धित व्यक्ति का चित्र दिया जाता है तथा मुखपृष्ठ पर आवरण कथा भी दी जाती है।

रविवार के शीर्षक आमुख कथा में उन विषयों को लिया जाता है जो मुख-पृष्ठ से तो सम्बन्धित होने ही हैं साथ ही उस सप्ताह के मध्य घटित सामाजिक, राज-नैतिक आदि घटनाएँ भी होती हैं। 'देश देशान्तर' में देश तथा विदेशों में घटित राजनीतिक खबरें स्थान पाती हैं। 'साहित्य' के अन्तर्गत कहानी, सस्मरण, उपन्यास कविता आदि होते हैं और 'विविध' में विविध प्रकार की सामग्री जैसे नीहा-जगन

फिन्मी जीवन, चित्रकथा, नाटक आदि होते हैं। लगभग 40 पृष्ठ की यह पत्रिका समसामयिक कार्टून भी निकालती है और बौद्धिक विचारणीय व मननयोग्य पठनीय सामग्री प्रस्तुत करने में बेजोड़ है। पत्र में धारासाहसिक नवीन उपन्यास भी रहता है।

इतवारी पत्रिका

राजस्थान पत्रिका से जुड़ी है इतवारी पत्रिका। यो आज इसका स्वतंत्र महत्त्व है पर परिचय के इतिहास लेखन में इसे राजस्थान पत्रिका से जोड़कर ही देखा जा सकता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की त्रिवेकपूर्ण व्याख्या करने वाली साप्ताहिक इतवारी पत्रिका का प्रारम्भिक प्रकाशन वर्ष 1973 है। इसका प्रकाशन 22 × 36 के आकार में चार पृष्ठों से आरम्भ किया गया था। वर्तमान में 16 पृष्ठों में निकल रही है तथा इसका आकार 18 × 22 है। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों से एल माथुर, श्री गोपाल पुरोहित और डॉ. इन्दु चन्द्रशेखर ने इसको सवारने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। दो वर्ष तक राजेश रेड्डी इसके सम्पादकीय सहयोगी रहे। वर्तमान में कैलाश मिश्र सम्पादक हैं। इतवारी पत्रिका के स्तम्भों में लेख, राष्ट्र, कहानी, कविता, सल्लि कला, युवा-चिन्तन, महिला भ्रम, स्मृति घटना, खेल, विज्ञान, बालगोपाल, चित्रकथा, अटीक-सटीक, आख्यान देखी-कागद लेखी, परत दर परत, राजस्थान, पुरातत्व, फीचर, स्वरू, सिनेमा, मगोष्ठी, मगोन आदि प्रमुख स्तम्भ हैं।

इतवारी पत्रिका समय-समय पर समसामयिक लेख प्रस्तुत करती ही है साथ ही प्रदेश की बुनियादी समस्याओं पर अधिकारी विद्वानों आदि के लेख, फीचर आदि भी लेती है। प्रदेश की मभी वाल विद्यार्थी और खेनकूद की गतिविधियों का जीवत प्रस्तुतिकरण इसमें रहा है। खेती-बाड़ी सिंचाई, उद्योग-धन्ध, पेयजल, मरु विकास आदि कितने ही ऐसे लेख है जो लोगों को देश में होने वाली हलचलो से परिचित कराते हुए है। यह पत्रिका प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रकाश में लाई है। राजनेताओं के अलावा मिस्त्रियों, कारीगरों, कृषि पण्डितों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और समाज-सेवियों के व्यक्तित्व-कृतित्व का लेखा-जोसा भी इसमें दिया जाता है। ऐसी कोई भी विवा नहीं है जिसे समय-समय पर यह पत्रिका प्रकाशित न करती हो, प्रदेश के लेखक, कलाकारों को आगे लाने में इसका विशेष हाथ है। इस प्रकार राजस्थान से निकलने वाली इतवारी पत्रिका अपने आप में बेजोड़ है। इतने कम समय में अपना शीर्षस्थ स्थान बनाने का कारण इतवारी पत्रिका का विषय विध्य और विद्या वैविध्य ही है। पत्रिका अपने नये-नये आयामों को शुरू करती हुई लोकप्रियता की ओर तेजी से अग्रसर है।

दिल्लूज

साप्ताहिक हिन्दी पत्र बिन्दूज 17 फरवरी सन् 1962 में प्रकाशित हुआ। इसे श्री आर. के. करजिया ने बम्बई से प्रकाशित किया। यह पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक बिन्दूज का हिन्दी संस्करण है। इसके आकार-प्रकार व समाचारों में अंग्रेजी का अनुसरण है। इसके प्रथम सम्पादक एम. बी. मिश्रा थे। मिश्रा जी के बाद इसके सम्पादक बने श्री मुनीश मक्सेना। इनके बाद श्री नन्दकिशोर नोटियाल सम्पादक तथा आर. के. करजिया इसके प्रधान सम्पादक हैं। हिन्दी में इस प्रकार का ग्रन्थ पत्र न होने से इसका स्थान विजिष्ट हो गया है। यह सनसनी खेज समाचार प्रधान साप्ताहिक है। समाचारों का संकलन त्रिम विशेष रमन के साथ होता है, उमी रगत के साथ उसका प्रकाशन करना इसकी अपनी विशेषता है। सम्पादन, भाषा व प्रस्तुतिकरण का इसका धनना धलन ही स्थान है। बिन्दूज 15 अगस्त व 26 जनवरी को अपने विशेषांक निकालता है।

बम्बई में प्रकाशित बिन्दूज 16 पृष्ठ का साप्ताहिक है जो प्रति शनिवार को निकलता है। इसके स्थायी स्तम्भों में हवा का रुख, पता नहीं बेटा, राजधानी का रगमच, जन पचायत, बकबाब आदि हैं। 'हवा का रुख' देश में प्रचलित राजनीतिक घटनाएँ 'पता नहीं बेटा' में छोटी सी व्यंग्य वार्ता होती है वो 'राजधानी के रगमच' में यह विभिन्न राजधानियों का लेखा-जोखा सामने लाता है और 'बकबाब' चटपटी गवर्ने लेकर आता है। इसके अन्तिम पृष्ठ पर किमी रूपसी का चित्र रहता है। खोजखबर, आपक मवाल, राजधानी का रगमच जन, पचायत, नयी कितान, गादे, रगारग, आजाद कलम इसके स्थायी स्तम्भ हैं।

साप्ताहिक पत्रों में बिन्दूज का अपना विशेष स्थान है। यह समाचार व नामाधिक पत्र है। इसने ए बी सी, आई ई एन एस/ए आई एन. ई सी की सदस्यता ले रखी है। वर्ष 1986 में इसकी प्रसार संख्या एक लाख 68 हजार थी।

दीवाना तेज साप्ताहिक

दीवाना तेज साप्ताहिक एक हास्य व्यंग्य पत्रिका है जो 1965 में प्रकाशित हुई। इसके सम्पादक विश्व बन्धु गुप्ता हैं। यह डेली तेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रकाशित व मुद्रित होती है। 40 पृष्ठ की यह पत्रिका तीन कालम में विभक्त होती है परन्तु इन पत्रों में लिखित सामग्री कम, चित्र अधिक है। चित्रों में यंग, कार्टून, हास्य, कथा व्यंग्य तो होता है पर हास्य बहुत अधिक होता है।

11 × माटे सात आकार की यह पत्रिका बच्चों में अधिक लोकप्रिय है। इन पत्रिका का मुखपृष्ठ भी कार्टून लिये होता है जिसे देखकर बरबस ही हँसी फूटती है। समस्त सामग्री हास्य से भरी होती है। कुछ नामगरी बच्चों को शिक्षा

देने वाली भी प्रकाशित की जाती है। इसके स्थायी स्तम्भ साप्ताहिक भविष्य, आपके पत्र, उनमें मिलिए, काका के कारतूस, मोटू-पतलू, परोपकारी, बात-बे-बात की, आपस की बातें, फण्टम, सिटीजन, स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, क्यों और कैसे ? सिलविल-पिलपिल, खेल-खेल में, बन्द करो, बकवास, जूडो करटि कैसे सीखें ? सोविए, या हा हा। तुक्कम तुक्का, कार्टून प्रतियोगिता, शीर्षक प्रतियोगिता, मदहोग, तर्क-कुतर्क, सवाल यह है ? कविताएँ, दीवाना, फ्रैंड्स क्लब, गरीब चन्द की डाक, सल्लू और हड्डी आदि हैं।

इन सब स्तम्भों के अतिरिक्त दीवाना समय-समय पर अनेक रोचक चित्र-कथाएँ, कार्टून, हास्य कहानियाँ, प्रतियोगिताएँ आदि भी प्रकाशित करता है। यहाँ तक कि दीवाना का मुखपृष्ठ तो हास्य लिए होना ही है पीछे के पृष्ठ पर भी हास्य लिए कोई चित्रकथा विद्यमान रहती है। अतः इन पत्रिका को हम हास्य-व्यंग्य विनोद की पत्रिका कह सकते हैं जो बच्चों व बड़ों को तो हास्य प्रदान करती ही है, साथ में नवयुवकों की मुस्कान भी उभार देती है। चित्रों के कारण छोटे बच्चों को यह विशेष प्रिय है क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें हास्य समझने में कठिनाई नहीं आती।

लोटपोट

जैसाकि नाम से विदित है कि यह पत्रिका लोटपोट कर देने वाली है। इसमें हास्य-व्यंग्य और विनोद की प्रचुर सामग्री रहती है और यही इसके नामकरण की सार्थकता प्रदान करती है। इसके प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित होता है हास्य-व्यंग्य की अनूठी पत्रिका लोटपोट। यहीं नहीं मुख पृष्ठ पर चित्र भी इस प्रकार का होता है कि उसे देखते ही बरबस हँसी फूटती है। यह पत्रिका अरोड बस प्रेस, मायापुरी, नयी दिल्ली से मुद्रित होती है। इसके सम्पादक व प्रकाशक ए पी बजाज हैं। यह पत्रिका बच्चों के लिए है। 9 × 7 के आकार की यह पत्रिका तीन कालम में विभक्त होती है। 48 पृष्ठ की यह पत्रिका समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुरूप सामग्री देती है। समय-समय पर यह पत्रिका अपने विशेषांक भी प्रस्तुत करती है। जैसे इन्द्र धनुषी विशेषांक, तिरगा विशेषांक आदि।

लोटपोट के स्थायी स्तम्भों में काका श्री, शेर चिल्ली चिप्पू, रेखा चित्र, यह भी चुनाव आदि हैं।

दीवाना हास्य पत्रिका है पर लोटपोट हास्य व व्यंग्य पत्रिका है। दीवाना बच्चों के लिए है जबकि लोटपोट छोटे बच्चों के मन अनुरूप है। इसमें प्रकाशित सामग्री बच्चे आसानी से हृदयगम कर लेने है। स्थायी स्तम्भों के अतिरिक्त लोटपोट में व्यंग्य कथाएँ, हास्य कथाएँ, प्रश्नोत्तर, भर्नाकियाँ, चित्रहार, बाल की खाल, नूत-

भुलैया, काटून, कोना रपट, घासपास की, परिचर्चा भी प्रकाशित करता रहता है। यही नहीं, खेन-खिलाडी मिने-तारिकाओ आदि लोगो से भी यह बच्चो की मुलाकात कराता है।

लोटपोट केवल हास्य-कथाएँ वा कहानियाँ ही प्रकाशित करता हो, यह बात नहीं है, वरन् बच्चो को सीख देने वाले प्रसंग भी यह प्रकाशित करता रहता है। बच्चो की पत्रिकाओ में हास्य-व्यंग्य तो छपने ही रहते है पर यह पूरी पत्रिका ही हास्य-व्यंग्य से मारावोर रहती है। कविताएँ, चित्रकथाएँ सभी हास्य लिये होते है। हँसी भरे वातावरण के बीच बीच में शिक्षाप्रद व रोचक बातएँ, कहानियाँ आदि देना भी इसकी अपनी अनूठी विशेषता है।

इन्द्रजाल कामिक्स

दि टाइम्स आफ इण्डिया का प्रकाशन इन्द्रजाल कामिक्स वाल काटून पत्रिका है। यह पत्रिका बेनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए माडर्न आर्ट प्रिण्टिंग वर्कर्स बम्बई से मुद्रित एवं प्रकाशित होनी है। इन्द्रजाल कामिक्स सर्वप्रथम 1964 में प्रकाशित हुई परन्तु इसकी स्थापति कुछ ही साल में काफी बढी और यह 1964 में पाक्षिक निकलने लगी। आज अपनी लोकप्रियता के कारण यह साप्ताहिक हो गई। आनन्द जैन तथा महावीर अधिकारी तथा विनायक तिवारी इसके सम्पादक रह चुके है। वर्तमान में मकुल शर्मा इसके सम्पादक है।

बच्चो को कहानी व चित्र के प्रति काफी प्रेम होता है और यह पत्रिका बच्चो के इस प्रेम को दोनो तरह से पूरा करती है। सम्पूर्ण पत्रिका ही चित्रो से भजी रहती है और चित्रो के माध्यम से ही यह कहानी को बहती है जो बच्चो को शीघ्र ही समझ में आ जाती है। अंग्रेजी में चित्र प्रधान कथा कहने वाली अनेक पत्रिकाएँ हैं पर हिन्दी में यह पत्रिका अकेला पत्रिका रही है। इसके प्रत्येक अंक में एक चित्रकथा होती है और बाद में स्थान बचने पर छोटी-छोटी कथाओं को इनमें स्थान दिया जाता है। पर यह छोटी कथाएँ भी चित्र प्रधान होती है। इस पत्रिका की सारी सामग्री अनुदित होती है और इसके चित्र विदेशी होते हैं। अनुवाद में भी पूरी तरह विदेशीयन भङ्गता है।

32 पृष्ठ की यह पत्रिका एक रहस्यमय कथा प्रकाशित करती है। यही कारण है कि बच्चो में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता बढती है और वह सम्पूर्ण पत्रिका को एक ही सान में आँसोपात पड डालता है। इस पत्रिका की कथाओ का नायक एक चलता-फिरता बेनाल हाता है या जादूगर मण्डूक या कोई अन्य सूरमा। यह नबी नायक ऐसे-ऐसे काम करते है जो कि प्रायः असम्भव प्रतीत होते हैं। पर इसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं होना। यह सब काम वह दूसरो की

भलाई के लिए ही करते हैं। उनमें उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं होता है। किसी कथा में यह किमी दुःखी व्यक्ति को बचाते हैं तो किसी में किसी दैत्य का सफाया करते हैं। किसी में ठगों के गिरोह से लोगों को बचाते हैं। यही नहीं बेताल के भिन्न द्वीप में तो सभी पशु-पक्षी एक साथ रहते हैं चाहे वह हाथी हो या शेर या चीता या हिरण। कहने का तात्पर्य यही है कि इनका नायक हमेशा नेक काम करता है। इसी नेक काम को पढ़ने से बच्चों में भी नेक काम करने की प्रेरणा जागृत होती है साथ में इनकी वीरता भरी चित्र गाथा पढ़-पढ़ कर बच्चों में भी वीर भाव पैदा होता है। यह पत्रिका लोकप्रिय है, इसी कारण यह गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल भाषाओं में भी प्रकाशित होती है। बच्चों को यह एक अच्छा साहित्य देती है और उनका मनोबल बढ़ाती है। बच्चों को प्रकृति के सम्बन्ध में जानकारी हो इसके लिए प्रगति प्रागण स्तम्भ उपयोगी है।

पाक्षिक पत्र

सारिका

साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका सारिका 1960 में प्रकाशित हुई। इसके प्रथम सम्पादक रतनलाल जोशी थे। रतनलाल जोशी के बाद चन्द्रगुप्त विद्यालकार, स्वर्गीय मोहन राकेश इसके सम्पादक बने। सन् 1967 से 1978 तक कमलेश्वर ने इसका सम्पादन किया। कमलेश्वर ने सारिका को नए-नए आयाम देकर कहानी विधा को महत्त्वपूर्ण पत्रिका बनाया। रचनाधर्मी कहानीकारों को और भावना के स्तर पर पाठकों को आन्दोलित कर उन्हें व्यवहारिक दिशा भी प्रदान की। इसके बाद कन्हैयालाल नन्दन ने इसको तजा-सवारकर आगे बढ़ाया। वर्तमान में इसके सम्पादक श्रवण नारायण मुद्गल हैं। समानान्तर कहानी का लेखक सुद तनावो प्राधिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक-समस्याओं के बीच जीता है और उसे ही कहानी के रूप में अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार की कहानी को सारिका में स्थान मिलता है। सारिका की कहानियों में घादमी की दारुण स्थितियों का सजीव चित्रण किया जाता है। सारिका में श्रेष्ठ कथा से ही पाठकों को परिचित नहीं कराया है बरन् विदेशों की उत्कृष्ट कहानियों से भी हिन्दी-जगत की श्रीवृद्धि की है।

$10\frac{3}{4} \times 8$ आकार में छपने वाली यह पत्रिका प्रायः 100 पृष्ठ की होती है तथा कहीं दो, कहीं तीन और कहीं चार कालम में विभक्त रहती है। इसमें हर कहानी को मुरारित करने के लिए रंगीन व सादे चित्र रेखांकित रहते हैं। यह बेन्ट कोलमैन कम्पनी द्वारा नयी दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशित होती है। पहले यह पत्रिका मासिक थी पर अपनी लोकप्रियता के कारण आज यह पाक्षिक निकल रही है। सारिका कहानियों और कथाजगत की जीवन्त पाक्षिकी है। इसमें कहानियाँ, कविताएँ, गडल, लघु-कथाएँ, साक्षात्कार, रिपोर्टाज आदि से रचान पाते ही हैं,

इसके अतिरिक्त पाठको का पन्ना, पख्तवार की पुस्तकें, हलचल तस्वीर बोलती है, उमने कहा था आदि स्तम्भ भी प्रकाशित होते हैं। जरिया-नजरिया में सम्पादक के विचार सम्पादकीय रूप में रहते हैं। जिसमें ममसामयिक जीवन की झलक होती है, साथ में राजनीतिक कुचक्र की खुलकर भर्त्सना की जाती है। 'उमने कहा था' स्तम्भ में किसी विद्वान या चित्रकारों के द्वारा कहे गये व्यंग्य वाक्य रहते हैं। 'हलचल' के अन्तर्गत प्रसिद्ध उपन्यासों, कहानियों आदि पर चर्चा की जाती है। 'पख्तवार की पुस्तक' शीर्षक में नव प्रकाशित चर्चित उपन्यासों व कहानियों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है तो 'गपपार्थ' में चुटकने होते हैं।

सारिका की कहानियाँ, लेख, लघु कथाएँ आदि को पढ़ने से लगता है कि इन सबके अन्तर्गत आज की जिन्दगी जुड़ी हुई है। यह वस्तुगत तथ्य लिए होते हैं। लघुकथाओं व्यंग्य चित्रों व चुटकलों के द्वारा सारिका प्रवक्तावादी व सुविधा-भोगी पर शब्द बरानों की बोधार्थ करती है तो शासन की शिथिलता पर भी तीखा प्रहार करने से बाज नहीं आती। सारिका की लघु कथाएँ समस्त जीवन की नामची को अपने में समेटे होनी है क्योंकि छोटी-छोटी कथाओं में इन्सान का वह यथार्थ जीवन चित्रित होकर सामने आता है, जिसे आज का ग्राम आदमी भोगता है या भोग रहा है। ऐसा लगता है कि मानो सारिका की कहानी हमारी अपने कहानी हो।

मुद्रण की दृष्टि से सारिका मुहचिपूर्ण है। सारिका ने युवा-वर्ग की समान्तर कहानियों का समर्थन किया तथा उन्हें प्रकाश में लाई। साथ ही कहानी जगत में एक नयेपन का निर्माण किया। इस पत्रिका को मनी हिन्दी, अहिन्दी भाषी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सभी भाषा माहित्यकारों की कहानियाँ प्रकाशित होती हैं। इसमें प्रकाशित नामची समयगत सच्चाई और यथार्थ चेतना बलपिन माहित्य की शृंखला में आती है। सारिका बुद्धिजीवी, प्रबुद्धि वर्ग की चेतना को मुखर करने वाली मशक माध्यम सिद्ध हुई है।

सरिता

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका 'सरिता' मन् 1945 में प्रकाशित हुई। जिस समय यह पत्रिका निकली उस समय यह मासिक थी। इसने समय-समय पर निष्पक्ष, निर्भीक होकर समाज में फैली हुई बुराईयों और कुरीतियों के विरुद्ध जनमत जगाने का सदा प्रयत्न किया। मन् 1964 में यह पत्रिका बन्द गई। वर्तमान में इसके सम्पादक व प्रकाशन विश्वनाथ हैं। विनिष्ट सम्पादकीय लेकर चलने वाली यह पत्रिका अपने आप में बेगोड है। इसमें हमेशा पुरानी मान्यताओं को वैज्ञानिक कमीटी पर कनकर देखा जाता है। अर्धज्ञानिक ज्ञानों पर इसमें हमेशा धोत की है।

यही कारण है कि यह रुढ़िवादियों के आक्रोश का कारण भी बनी। पर इसकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। जीवन नये मार्गों पर चलता रहे—आगे बढ़ता रहे इन उद्देश्य की सरिता मली-मोति पूरा कर रही है।

सरिता का मुख पृष्ठ रंग-विरंग होता है, जिस पर सदा ही किसी युवती का चित्र रहता है। सरिता में जगह-जगह दिग् गण व्यंग्य चित्र प्रभावशाली चुटौतें व सामयिक होते हैं। बीच-बीच में दुरगी छपाई करके यह अपना आकर्षण और बढ़ा लेती है। साठे आठ × साठे पाँच आकार की यह पत्रिका 150 पृष्ठ से लेकर 200 पृष्ठ तक निकलती है और दो वालम में विभक्त रहती है। कविता, गजल, कहानी, लेखों के अतिरिक्त छोटे-छोटे शेरों-शायरी व स्वणिम वाक्य भी प्रकाशित करती है। इसके स्थायी स्तम्भों में—आपके पत्र, सरित प्रवाह, श्रीमतीजी, ये पत्नियाँ, दिन-दहाड़े, जीवन की मुस्कान, बच्चों के मुख से, यह भी खूब रही, चंचल-छाया आदि हैं।

'सरित प्रवाह' विशिष्ट सम्पादकीय लेकर आता है जिसमें अनेक ज्वलन्त समस्याओं पर चर्चा होती है। इसके अन्तर्गत यह किसी भी सरकार या सस्था की कमजोरियाँ उजागर करती है। 'श्रीमती जी' में एक व्यंग्य चित्र-कथा होती है। 'ये पत्नियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत कुछ रोचक घटनाएँ दी जाती हैं और 'बच्चों के मुख से' स्तम्भ अनजान में कही गई बच्चों की बातें जो हास्य का कारण बनती हैं, प्रकाशित की जाती हैं। 'दिन-दहाड़े' स्तम्भ में चोरी, ठगी, बेईमानी की घटनाएँ और 'यह भी खूब रही' में अपने तथा सम्बन्धियों के अनुभव प्रकाशित किये जाते हैं। 'जीवन की मुस्कान स्तम्भ में ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है जिन्हें जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता है। 'चंचल छाया' स्तम्भ फिल्मों का है। जिसमें अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए चार तितारे अति उत्तम, तीन तारे उत्तम, दो मध्यम, एक साधारण व शून्य का निशान देवार के लिए निहित किया गया है। इसी के अन्तर्गत फिल्मों की समीक्षा भी होती है और 'दिखने बाराह महोनों में' शीर्षक के अन्तर्गत चलचित्रों की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण होता है।

अन्वय, अत्याचार एव डोंग, पाखण्ड, कुप्रथा आदि के विरुद्ध प्रत्येक अक्षर में एक लेख अवश्य होना है। सरिता अपने पाठकों के मन पाखण्डों के प्रति विरक्ति की भावना पैदा करके उन्हें अच्छे व नब्बे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सरिता मनुष्य को जनजागरण की ओर ले जाती है। इसमें समय-समय पर ऐसे लेख प्रकाशित होते रहते हैं जो मनुष्य की सोई हुई आत्मा को दूसरे शब्दों में उन्हें सोई आँखों की खोल देती है। समय-समय पर वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करके यह विज्ञान की जानकारी भी पाठकों को देती है। पारिवारिक लेखों को सरिता हमेशा

उचित स्थान देकर छापती रहती है जिसमें समुक्त परिवार को जोड़ने तथा पारिवारिक भ्रान्तियों का निराकरण, पारस्परिक प्रेम, मदभाव और धर्म की सीख सम्बन्धी लेख प्रकाशित करती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए शिक्षाप्रद लेख भी प्रकाशित करती रहती है। घोखाघड़ी से सम्बन्धित लेख छापकर भी यह अपने पाठक वर्ग को घोखे में धकने के लिए प्रेरणा देती है, धर्म के नाम पर जनता की धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाने वाले कामचोरों व निठलनों के लिए साधु बनकर लोगों को बेवकूफ बनाने व मजे लूटने वालों का यह पत्रिका भण्डाफोड़ करती रहती है।

प्राचीन परम्परा का विरोध करने वाली पाक्षिक पत्रिका नरिता अज्ञानता-जनित अन्धविश्वास एवं रुढ़िवादिता पर तो लेख लिखकर पाठक को जागृत करती है ही पर साथ ही अत्याचार व नुरीतियों को दूर करने के लिए आत्मालोचन द्वारा आत्मशुद्धि का प्रयास भी करती है। यह केवल कहानी पाक्षिक पत्रिका नहीं है, वरन् यह नवीन मूल्यों की प्रसारक है तथा कई मार्गीय परम्पराओं की विरोधी है। विशेषतः यह पत्रिका भारतीय महिलाओं की सभी रुद्धियों की पूर्ति करने वाली अपने आप में एक अनूठी पत्रिका है।

मुक्ता

साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका मुक्ता विश्वनाथ द्वारा दिल्ली प्रेस से मुद्रित व प्रकाशित होती है। मुक्ता नन् 1960 में मासिक पत्रिका के रूप में हमारे सामने आई। पर दिन पर दिन यह लोकप्रियता प्राप्त करती गई और सन् 1972 में पाक्षिक बन गयी। लगभग 164 पृष्ठ की यह पत्रिका 21.5 × 13.7 से मी आकार की है।

मुक्ता युवक व युवतियों को मनोरञ्जन के साथ-साथ शिक्षा की भावना लेकर चलती है। समय-समय पर छपी कहानियाँ, लेख, वार्ता, प्रसंग व इनके स्थायी स्तम्भ कुछ सोचने को मजबूर कर देते हैं। मुक्ता में सादे चित्रों के साथ रंगीन चित्रों की भी परमार रहती है। कहानी के साथ कहानी के मूलनाम को भी अंकित करता हुआ रेखाचित्र देना इसकी अपनी विशेषता है। व्यावहारिक मुझाव, हृदयस्पर्शी कहानियाँ, कविताएँ लेख, देश-विदेशों की जानकारी देकर यह मानसिक विकास में सहायक बनती है।

मुक्ता का मुखपृष्ठ रंग विरगा तथा अनेक में आवरण कथा समेटे हुए होता है। इसके स्थानीय स्तम्भों में सम्पादक के नाम, मुक्त विचार, दास्थाने दफ्तर, धूप-छाँव, चित्रावली, पसन्द अपनी-अपनी, चिनचौर, परदे के आगे, पिछने छः महीनों में, पत्रपाठे की फिल्में, सावधान, चुनावों की चुहुल, ये लडकियाँ, ये शिक्षक, ये लडके, आपका भावा ज्ञान, साहित्य संगम, शास्त्रास, खेल ममीक्षा, विश्वविद्यालयों से है। इन स्तम्भों के अतिरिक्त यह लेख, कथा-साहित्य, कविताएँ आदि प्रकाशित करती

हैं। 'चित्रावली' में समाचारों को चित्रों के माध्यम से छापा जाता है। 'एसन्द अपनी-अपनी' में चुटकने प्रकाशित किए जाते हैं तो 'चितचौर' में व्यंग्य कथा कार्टून में दी जाती है। 'परदे के आगे,' स्तम्भ फिल्म के लिए निर्धारित है। 'पिछले छः महीनों की फिल्मों' नामक शीर्षक में फिल्मों को उत्कृष्टता की दृष्टि में बाँटा गया है। इसके चार शीर्षक रखे गये हैं। उन शीर्षकों के अन्तर्गत फिल्मों का बँटवारा किया जाता है। जैसे (1) उद्देश्यपूर्ण—अवश्य देखिए, (2) मनोरंजक—देख ले (3) समय वाटिए—कामचलाऊ, चलाऊ, तथा (4) अपव्यय समय की बरबादी। पखवाड़े की फिल्मों में उस समय चल रही फिल्मों की समीक्षा की जाती है। 'सावधान' शीर्षक के अन्तर्गत धूर्तों, ठगों, बेईमानों आदि के किस्से जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं उनको प्रकाशित कर लोगों को सावधान किया जाता है। 'माहिल्य सगम' में नई प्रकाशित कहानियों, उपन्यासों आदि की समीक्षा की जाती है। 'शाबास' शीर्षक में भी रोचक घटनाएँ प्रकाशित की जाती हैं और 'खेल-समीक्षा' में खेलों के बारे में बताया जाता है। 'विश्वविद्यालय के प्रागण में' 'विश्वविद्यालयों में ही सम्बन्धित जानकारी प्रकाशित की जाती है।

यह पत्रिका दो कालम में विभक्त है। मनोरंजन के साथ-साथ मानसिक विकास का लक्ष्य है। सामग्री, गुण तथा साज सज्जा की दृष्टि से यह अच्छी पत्रिका है जो हिन्दी आइजैस्ट की पूर्ति करती है।

चम्पक

छोटी आयु वर्ग के बच्चों के लिए रंग रिरंगी पाक्षिक पत्रिका चम्पक है। चम्पक का सर्वप्रथम अंक 1968 में मासिक के रूप में निकला, परन्तु कुछ समय पश्चात् ही इमने पाक्षिक निकलना शुरू कर दिया। यह पत्रिका दिल्ली प्रेस से प्रकाशित होती है। इसके सम्पादक निष्पत्ताय हैं। बच्चों में यह पत्रिका काफी लोकप्रिय है। 8 x माटे पाँच आकार में निकलने वाली यह पत्रिका एक या दो कालम में विभक्त रहती है तथा लगभग 68 पृष्ठ की होती है। पूरी पत्रिका दो तीन रंगों में सजी रहती है। यह पत्रिका गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और तेलगू भाषाओं में भी प्रकाशित होती है।

चम्पक वा मुखपृष्ठ किनी सुन्दर चित्र या आकर्षक कार्टून से सजा रहता है। बच्चों की समझ के अनुसार प्रेरक कविताएँ, कहानियाँ, लेख निबन्ध प्रकाशित करती है। इनकी विषय-सूची—सुनो कहानी, ज्ञान बढ़ाओ, जानो-बूझो, गाओ तथा गुनगुनाओ नामों में बँटी हुई है। 'सुनो कहानी' में आठ-दस कहानियाँ दी हुई होती हैं। ये कहानियाँ रोचकता तो लिए होनी ही हैं, प्रेरक, व शिक्षाप्रद भी होती हैं। इन कहानियों के नायक या नायिकाएँ यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य हो, अधिकतर पशु-पक्षियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके पशु पक्षी

आदिमियों की तरह ही व्यवहार करते हैं तथा कपडे भी पहने रहते हैं। यह कपडे पहनना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। चम्पक की करीब प्रत्येक कहानी से बच्चों के गुणों का विकास होता है। भून-प्रेत से डरने वाली कहानियाँ इसमें स्थान नहीं पाती। बच्चों के गुणों का विकास इसमें प्रकाशित कहानियाँ करती ही पर नाथ में श्रद्धा-विश्वास से सम्बन्धित कहानियों को प्रकाशित करके ये बच्चों में श्रद्धा-विश्वास के विरुद्ध जागरूकता पैदा करती है।

चम्पक में प्रकाशित कहानियाँ पढ़कर बच्चों में भूल का अहंसा तो होता ही है साथ बदले की भावना भी गिठली है। 'ज्ञान बढ़ाओ' स्तम्भ बच्चों को सामान्य ज्ञान की शिक्षा देता है। इसमें किमी एक पशु व पक्षी के बारे में बताया जाता है और इसी स्तम्भ में हमें देश का पूर्ण विवरण दिया जाता है। साथ में उस देश का चित्र व मानचित्र देकर भी बच्चों को उस देश से परिचित कराया जाता है और बच्चे ऐसे लेखों को पढ़कर सहज ही अन्य देश व नगरो से परिचित हो जाते हैं।

'गाओ गुनगुनाओ' स्तम्भ कविताओं के लिए है इसमें प्रकाशित कविताएँ छोटी-छोटी मनोरंजक होती हैं। बच्चा इन कविताओं को आसानी से याद कर लेता है। 'आओ बूझो' स्तम्भ में विविध सामग्री रहनी है। इसमें 'ज्ञान बढ़ाओ पहले' बच्चों के लिए बड़ी ही लाभदायक है। दम-भन्ड्रह प्रश्न पूछे जाते हैं और अगले अंक में उनका उत्तर दिया जाता है। कभी-कभी इस स्तम्भ के अन्तर्गत केवल प्रसिद्ध चीजों के चित्र देकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह चित्र किसका है? आदि। 'चित्रों की डूँडो' स्तम्भ भी सामान्य ज्ञान को विकसित करता है। इसमें चम्पक में प्रकाशित कहानियों के बीच में आए चित्रों को दिया जाता है और उन्हें डूँटने के लिए कहा जाता है। 'चीकू' 'बूँबू' और 'पिटू मोती' स्तम्भ बच्चों के लिए रोचक चित्रकथाएँ संवर आते हैं। 'देखो हँस न देना' बच्चों के लिए चुटकले तो 'नन्ही कनक से' में बच्चों के पत्र प्रकाशित किये जाते हैं। इन सभी स्तम्भों के अतिरिक्त चम्पक बच्चों के लिए छोटे-छोटे कार्टून भी प्रकाशित करता है।

चम्पक बच्चों को एक ज्ञानवर्धक पत्रिका है जो बच्चों को पढ़ी, राक्षसों की निनिस्त्री काल्पनिक दुनिया व श्रद्धाविश्वास/के भ्रमज्ञान से निकालकर यथार्थ की दुनिया से परिचित कराती है। यह बच्चों के मानसिक विकास, मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन करके उनके उत्तम गुणों को विकसित और प्रवर्धित करने वाली रचनाएँ प्रकाशित करती है।

मासिक पत्र

कल्याण

मासिक पत्रिकाओं में प्रमुख मासिक पत्र कल्याण का जन्म अगस्त, 1926 में हुआ। धार्मिक, नैतिक, पौराणिक, दार्शनिक, सामग्री को प्रकाशित करने वाली

यह पत्रिका अनूठी है। यह गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित होती है। इसके सम्पादक हनुमान प्रसाद पौडार, चिमनलाल गोस्वामी, स्वामी रामसुखदाम, मोतीलाल जालान रहे हैं। कल्याण दो कालम में विभक्त है। यह पत्रिका प्रत्येक साल की जनवरी को अपना विशेषांक निकालती है। कल्याण के अन्तर्गत हिन्दू धर्म सम्बन्धी लेख, कहानियाँ, सस्मरण आदि तो होते ही हैं साथ ही शुद्धाचरण, ईश्वर में आस्था जगाने वाली कहानियाँ व सस्मरण भी प्रकाशित होते हैं। जनता को प्राध्यात्मिक शिक्षाप्रद, चारित्रिक सामग्री प्रदान करना ही इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य है। कल्याण के मुखपृष्ठ पर किसी न किसी देवी-देवता का चित्र रहता है। इसमें विज्ञापन नहीं होते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक और नैतिकता का प्रचार-प्रसार करने वाली पत्रिका का भारतीय भाषाओं में अपना विशिष्ट स्थान है। यह धर्म व दर्शन की पत्रिका है। इसके 'अमृत विन्दु' स्तम्भ में छोटे-छोटे सारगर्भित वाक्य दिए जाते हैं। कल्याण के 'पदो, समझो और करो' नामक स्तम्भ के अन्तर्गत जीवन में घटित होने वाली ऐसी घटनाएँ वर्णित होती हैं जिन्हें पढ़कर मानव का सदाचरण की ओर हठान बढ़ता है।

नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित पहलुओं का भी कल्याण दबी बारीकी से अध्ययन करके इस पर लेख, कहानी, सस्मरण प्रकाशित करती रहती है। पुराण, महाभारत व उपनिषदों पर प्रकाशित इसके विशेषांक महत्त्वपूर्ण रहे हैं।

कादम्बिनी

हिन्दुस्तान टाइम्स का मासिक प्रकाशन कादम्बिनी साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन बालकृष्ण राव ने नवम्बर, 1960 में इलाहाबाद से किया। बाद में यह दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। 1962 में इसके सम्पादक रामानन्द दोषी बने और 1972 तक उन्होंने इस पत्रिका को सवारा तथा इसके स्वरूप को उभारा और इसे स्तरीय पत्रिका बनाया। 1972 के बाद से इसके सम्पादक राजेन्द्र अश्वस्थी हैं। कादम्बिनी का प्रमुख आकर्षण इसकी सज्जा है। इसमें रचीन चित्र तो जगह-जगह मुशोभित होते ही हैं साथ में स्थान-स्थान पर व्यंग्य-चित्र अपने आप में एक अनूठा पैनापन लिए हुए होते हैं।

साढ़े सात × माढ़े पाँच आकार में निकलने वाली यह पत्रिका दो कालम में विभक्त है तथा करीब दो सौ पृष्ठों की भरपूर पठनीय सामग्री पाठकों को देती है। इसमें निबन्ध, कहानियाँ, लेख, कविताएँ, गजल गीत सस्मरण, रेखाचित्र प्रकाशित होते ही हैं। अनेक बार साहित्यिक और चिन्तनपरक आलोचनात्मक लेख भी प्रकाशित होते हैं। हिन्दी की यह एक स्तरीय और विशिष्ट पत्रिका है। इस पत्रिका में कतिपय स्तम्भ हैं—पैनी नजर, शब्द सामर्थ्य, समस्या पूर्ति, आस्था के आयाम, ज्ञान गंगा, प्रतिक्रियाएँ, काल-चिन्तन, आइए चले जगल की ओर, बुद्धि-विनास, विधि विधान, तनाव से मुक्ति, बंध की सलाह आदि।

'आस्था के आयाम' स्तम्भ में कई छोटी-छोटी शिक्षाप्रद वचु कथाएँ दी जाती हैं। 'शब्द-सामर्थ्य' स्तम्भ भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए है। काल-चिन्तन' सम्पादक का अपना पन्ना है जिस पर समसामयिक विषयों पर सम्पादकीय रहता है। 'वचन-श्रीयो' में विद्वानों द्वारा कहे गये प्राप्त वचन रहते हैं। 'बुद्धिविलास' के प्रश्न सामान्य ज्ञान लिए होते हैं। 'चुटकियाँ' हा हा' में मनोरंजन, व्यंग्यपूर्ण चुटकले रहते हैं। 'विधि-विधान' स्तम्भ कानूनी सलाह के लिए निर्धारित किया है। आइए चले जंगल की ओर में जंगल के पशु पक्षी के बारे में रोचक जानकारी दी जाती है 'गोष्ठी' पाठकों की समस्या का समाधान करता है। इसमें अधिकतर प्रश्न विज्ञान से सम्बन्धित होने हैं जिनका उत्तर इस गोष्ठी में दिया जाता है। कादम्बिनी विशेष अवसरों पर विशेष सामग्री प्रदान करती है तथा समथानुसार अपने स्तम्भों को धमलती रहती है। यह एक ऐसी पत्रिका है जो प्रकाशन की ओर में तो भारतीय भाषा की विशिष्ट पत्रिका कही जाती है किन्तु पाठकीय दृष्टि से भी इसे सांस्कृतिक चिन्तन की पत्रिका कहा जा सकता है।

नोहारिका

साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका नोहारिका कहानियों की मासिक पत्रिका है। यह पत्रिका 1961 में प्रकाशित हुई। यह जगदीश मेहरा द्वारा मेहरा सेट प्रेम आगरा से मुद्रित व प्रकाशित होती है। इसके वर्तमान सम्पादक श्रीराम मेहरा हैं। यह पत्रिका पूर्णतया कहानी पत्रिका है। समस्त पत्रिका विभिन्न कहानियों से भरी रहती है।

साहित्यिक, सामाजिक, यौन अपराध आदि में सम्बन्धित कहानियाँ ही यह अपने कलेवर में समेटे रहती हैं। नोहारिका जीवन के प्रत्येक पहलू पर बारीकी में विचार करती है उसी को आधार बनाकर कहानी के रूप में अपने पाठकों तक पहुँचाती है। सुलक्षितपूर्ण आडम्बर रहित भाषा ही इसकी विशेषता है। इसका प्रत्येक वाक्य मोधा, सरल व स्पष्ट होता है। रोजमर्रा की जिन्दगी के बीच जो कुछ घटित होता है वही घटनाएँ इनमें स्थान पाती हैं।

नोहारिका में छपी रचनाएँ समाज को दिशा-बोध कराती हैं। इसमें प्रकाशित प्रत्येक कहानी के वर्णित भाव को व्यक्त करने वाला रेखाचित्र भी रहता है। भाव ही आवरण पर किन्हीं तारों का आवरण मूद्रा में चित्र होता है। यह पत्रिका आठ-आठ पृष्ठ के आकार में दो कालों में विभक्त है तथा इसमें लगभग 112 पृष्ठ होते हैं। स्थान-स्थान पर यह छोटे छोटे चुटकुले भी प्रकाशित करती है। पाठकों के पत्रों की भी इसमें विशेष स्थान दिया जाता है। यह पत्रिका सामाजिक, राज-नैतिक, आर्थिक, यौन अपराध में सम्बन्धित कहानियों को प्रकाशित करने वाली पत्रिका है। कुछ महीनों में यह पत्रिका बन्द हो गई है।

नवनीत

हिन्दी डाइजैस्ट 'नवनीत' ज्ञानवर्धक, साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका है। इसको श्रीगोपाल नेवटिया ने बम्बई से 1952 में प्रकाशित किया। इसके प्रथम सम्पादक रतनमाल जोशी व सत्यकाम विद्यालंकार रहे। इसके बाद नारायण दत्त इसके सम्पादक बने। वर्तमान में गिरजा शंकर तिवारी इनके सम्पादक हैं। यह पत्र वर्तमान में भारतीय विद्या भवन की मासिक पत्रिका मार्गती से संयुक्त हो चला है। यह नवनीत प्रकाशन द्वारा लिमिटेड वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से मुद्रित व प्रकाशित होती है। साढ़े सात X पाँचे छ. आकार की यह पत्रिका दो कालम में विभक्त रहती है। इसके सम्पादकीय का मूल उद्देश्य प्राचीन व नवीन ज्ञान-विज्ञान की रोचक जानकारी देना है। इसमें प्रकाशित सामग्री जीवन में आस्थाप्रद होती है। यह पत्रिका कहानियाँ, कविताएँ, गजल, लेख, निबन्ध, प्रेरक प्रसंग आदि तो प्रकाशित करती ही है साथ ही विभिन्न मापाधों की कहानियों व उपन्यासों का हिन्दी रूपान्तर भी देती रही है।

नवनीत के स्थायी स्तम्भों में पत्रवृष्टि, बाल पत्रा, स्मृति के अकुर, दो क्षण हमें लें ग्रन्थ लोक आदि हैं। 'पत्र-वृष्टि' में पाठकों के पत्र स्थान पाते हैं जो अलोचनाओं व प्रशंसा से ओत-प्रोत होते हैं। 'बाल पत्रा' में बालकों के अनुसार ही कहानियाँ दी हुई होती हैं। 'स्मृति के अकुर' में जीवन में घटित ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है जो हम कभी भी नहीं भूल पाते। 'दो क्षण हमें लें' में पाठकों का तनाव दूर करने के लिए चुटकुले दिए जाते हैं और ग्रन्थ-शोक में चर्चित पुस्तकों के बारे में जानकारी रहती है।

नवनीत के लेखों में आत्मबोध और अस्मिता की गंध रहती है। विवेचनात्मक विश्लेषण समीक्षा भी यह पाठकों को देती है। समान्तर कहानी को प्रोत्साहन देकर यह पाठकों को यथार्थ की जमीन पर लाती है। हर एक में यह पाठकों को यथार्थ की घरती छुआने के साथ कभी किसी पशु-पक्षी के बारे में जानकारी भी देती है। विज्ञान की दुनिया में भी यह अपने पाठकों को परिचित कराती रहती है। नवनीत ऐसे प्रेरक प्रसंग अपने पाठकों को देता है जिसे अभिगृप्त मानव उनमें प्रेरणा ग्रहण करके अपने मन में व्याप्त कुंठाएँ दूर करके जीवन को अच्छी प्रकार जीए।

भाषा को दृष्टि से भी नवनीत उपयोगी है। इसमें भाष्यात्मिक लेख तो प्रकाशित होते ही हैं, साथ में नातवीय भावनाओं का यथार्थ चित्रण भी यह पत्रिका लेख, कहानी व कविता के माध्यम से करती है। इसमें प्रकाशित लेख विचारोत्तेजक तो होंगे ही हैं साथ में प्रकाशित कहानियाँ हृदयस्पर्शी होती हैं। नवनीत एक माने

में अंग्रेजी पत्रिका अंग्रेजी मासिक रीडर्स डायजेस्ट जैसी हिन्दी में अपने ढंग की अकेली पत्रिका रही है।

शिविरा

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग से निकलने वाली मासिक पत्रिका शिविरा का जन्म 1966 में हुआ। पत्रिका शिक्षा-जगत में सम्बन्धित सामग्री व शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों के लेख आदि प्रकाशित करती है। यह पत्रिका शिक्षा विभाग के निदेशक कार्यालय बीकानेर में प्रकाशित होती है। शिविरा सामयिक विषयों पर रोचक तथा वैविध्यपूर्ण लेख प्रकाशित करती है। यह लेख शिक्षा की दृष्टि से उपादेय होते ही ह साथ में शिक्षकों के चिन्तन में वृद्धि भी करते हैं। शिविरा विद्यार्थियों, शिक्षका एवं शिक्षा जगत से सम्बन्धित लोगों के लिए उपयोगी है।

शिविरा का सम्पादकीय मसामयिक ही होता है। शिविरा का एक स्तम्भ 'दिशा-कल्प' है जो शिक्षकों में सम्मान प्राप्त करने के लिए मोचन-मसम्भने एवं इसके अनुरूप विचार करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं नहीं दिशाकल्प सघर्षमय स्थितियों के कारणों को मसम्भने तथा उन सफ्टों से उबरने की अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। शिविरा के स्थायी स्तम्भ हैं—चतुर्दिक, जनसहयोग, आदेश परिपत्र, मस्थान समाचार, पाठक लिखते हैं, देश-विदेश-प्रदेश, पुस्तक चर्चा, निदेशक में सीधी बातचीत, जिला समाचार, पत्रदीर्घा, डायरियाँ, चिट्ठियाँ, व्यक्ति। इन स्तम्भों के अन्तर्गत शिक्षा में सम्बन्धित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। शिविरा में इन स्तम्भों के अतिरिक्त यात्रा मसमरण, कला, नाट्यकृत, रेखाचित्र, रम्य रचना, टिप्पणी, साहित्य, विद्यालय स्वास्थ्य, चित्रकथा आदि पर लेख प्रकाशित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भिन्न-भिन्न स्थानों पर हो रही शिक्षा से सम्बन्धित हल-बलो को स्थान दिया जाता है। शिक्षण सामग्री के कारण ही यह विद्यालयों के लिये विशेष उपयोगी है। प्रदेश की सरकारी पत्रिकाओं में यह लोकप्रिय मासिक है।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय 467-कृषि गढ़वा, नमी दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका है। यह सन् 1955 में निकली थी, इसके सम्पादक पी निवास थे। बाद में इन्द्रपाल सिंह इसके सम्पादक बने। वर्तमान में रामबोध मिश्र इसके सम्पादक हैं। कुरुक्षेत्र गाँवों के जीवन पर प्रभाव डालने के उद्देश्य को लेकर चलती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाना ही इसका ध्येय है। इनमें ऐसे लेख छपते हैं जो पचासवीं राज्य से व ग्राम विकास से सम्बन्धित

होते हैं। यह ग्राम जीवन का सशक्त वर्णन तथा ऐसे लेख भी प्रकाशित करती है जो लोगों को गाँवों के रहन-सहन को जानने को प्रेरित करें। साथ ही यह लेख कृषि उद्योगों को बढ़ावा देती हुई कुटीर-उद्योग, लघु-उद्योगों को भी प्रकाश में लाती है। वस्तुतः यह ग्राम विकास की पत्रिका है।

साढ़े ग्यारह X साढ़े आठ आकार की यह पत्रिका प्रारम्भ तीन कालम में विभक्त थी। वर्तमान में दो कालम में विभक्त है। चित्रों, रेखाचित्रों के माध्यम से लोगों को सजीव बनाया जाना इसकी अपनी ही विशेषता है। इसके स्थायी स्तम्भ हैं—पहला सुख निरोगी काया, साहित्य समीक्षा, कहानी, केन्द्र के समाचार, कविताएँ आदि। एक कहानी भी प्रतिमास यह देती है तो कविताएँ भी प्रकाशित करती है। केन्द्र के समाचार के अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों के गाँवों के लिए दिए जाने वाले कार्यों का पूर्ण विवरण देती है।

कुक्षेत्र का मुख पृष्ठ दुरंगा व आरूपक होता है जिस पर ग्रामीण भाँकी अंकित रहती है। कुक्षेत्र का सम्पादकीय भी समसामयिक व गाँव से ही सम्बन्धित होना है। कुक्षेत्र में लेख, कहानी, एकांकी, कविता, सम्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, चित्र आदि यथा स्थान होते हैं।

कुक्षेत्र 34 से 40 पृष्ठों में निकलने वाला प्रमुख मासिक पत्र है। इसका उद्देश्य ग्राम जीवन और संस्कृति का प्रचार प्रसार और पुनर्स्थापन है। इनमें जो साहित्यिक सामग्री प्रकाशित और समीक्षित होती है उसका आधार भी यही होता है।

विज्ञान प्रगति

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् दिल्ली की मासिक पत्रिका विज्ञान प्रगति भारतीय मापा यूनिट द्वारा राष्ट्र-मापा हिन्दी में प्रकाशित की जाती है। विज्ञान से सम्बन्धित यह मासिक पत्रिका अपने आप में बेजोड़ है। इस पत्रिका की स्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने 19 2 में की। रामचन्द्र तिवारी 1964 तक इसके सम्पादक बने रहे। उनके समय में पत्रिका में उपयोगी सामग्री तो होती ही थी साथ में साज-सज्जा भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद गए सम्पादक श्याम सुन्दर शर्मा। इन्होंने अपने समय में इसके महत्वपूर्ण सम्करण निकाले जो अपने समय में अग्रणीय हैं। स्वास्थ्य संकट, खनिज सम्पदा, ऊर्जा विरोधाक, विज्ञान कथा विशेषांक इत्यादि के नाम गिनाए जा सकते हैं। सम्पादक योगराज चड्ढा के बाद वर्तमान में इसके सम्पादक श्रीमती दीक्षा विष्ट हैं।

48 पृष्ठ विज्ञान प्रगति पहले साढ़े आठ X साढ़े पाँच में निकलती थी पर अब इसका आकार 11 X साढ़े आठ है। विद्यार्थियों के लिए यह पत्रिका अत्यन्त

ही उपयोगी है। इन पत्रिका को शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्तूनी के लिए स्वीकृत किया गया है। इसकी चित्र सज्जा तो उत्कृष्ट होती ही है साथ में इसकी प्रस्तुति भी अत्यन्त आकर्षक है। इसकी छपाई सुरंगी होती है तथा चित्रों व रेखांकनों द्वारा लेखों को पूरी तरह समझाया जाता है। विज्ञान प्रगति समय-समय पर अनेक भाषों की सहायता से जटिल वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करती है। इनका 'हम सुझाएँ-आप बनायें' स्तम्भ एक ऐसा ही स्तम्भ है। इसी प्रकार यह गणित जैसे नीरस विषय को भी हल करने का सरल तरीका प्रकाशित करती रहती है और उसे मनोरंजक रूप में सामने लाती है। वह जाँड, बाकी, गुणा, भाग आदि को सरल तरीके से हल करने का वैज्ञानिक तरीका भी बताती रहती है। इन सब चीजों को यह 'गणित मनोरंजन' शीर्षक देकर प्रकाशित करती है। समय-समय पर पाठक वर्ग के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इतना ही नहीं इस पत्रिका में छपने वाले कार्टून तो विज्ञान से सम्बन्धित होते ही हैं साथ में दिग्-गण, चुटकुले, व्यंग्य आदि भी वैज्ञानिकों में ही सम्बन्धित होते हैं।

इनका मुखपृष्ठ बड़ा ही आकर्षक व मोहक होता है। विज्ञान प्रगति में कोई भी ऐसी मामूली प्रकाशित नहीं होती जो विज्ञान से सम्बन्धित न हो। यह एक वैज्ञानिक पत्रिका है और वैज्ञानिक विषयों पर लोकोपयोगी मुक्तिपूर्ण तथा प्रामाणिक लेख प्रस्तुत करके पाठकों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करती है। अपनी उत्कृष्ट छपाई व माज-सज्जा में यह 1960 में राजकीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। इन पत्रिका का मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम में देश-विदेश में हो रही वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों, नवीन खोजों को जन साधारण, बुद्धिजीवियों तथा जागरूक विद्यार्थियों तक पहुँचाना है।

मनोहर कहानियाँ

छपने को मासिक व मासिक कहने वाली पत्रिका मनोहर कहानियाँ के सस्थापक स्वर्गीय श्री शितीन्द्र मोहन मित्र थे। यह पत्रिका सर्व प्रथम 1940 में प्रकाशित हुई थी। वर्तमान में इसके सम्पादक प्रान्तिक मित्र हैं। यह बीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशित व माया प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद से मुद्रित होती है। इन पत्रिका में सामान्य जनरल के अनुरूप क्या सामग्री प्रकाशित की जाती है। माटे 10x15 सात आकार की यह पत्रिका दो और तीन कॉलम में विभक्त रहती है तथा सामान्यतः 156 पृष्ठों की निकलती है। रोमाञ्चकारी कारनामों को समाचारपत्रों में सिर्फ शीर्षक देकर रह जाते हैं उनका पूर्ण विस्तृत विवरण यह पत्रिका देती है। यहाँ तक कि उन घटनाओं से सम्बन्धित फोटो भी यह प्रकाशित करती है। काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए बड़े-बड़े अधिकारियों को भी नहीं छोड़ती। घटना से सम्बन्धित पत्र फाँटों, प्रतियोगिता

आदि देकर यह जनता की ठगों, धूर्तों, काला बाजारी लोगों से तो परिचित कराती ही है साथ में अत्यन्त ही रहस्य भरी घटनाएँ भी प्रकाशित करती है। पूर्व में यह पत्रिका विभुद्व मनीरजक कहानी पत्रिका थी। कालान्तर में इसने सस्ती रुचि की सामग्री प्रकाशित करना शुरू किया। यह पत्रिका सस्ती रुचि के पाठकों के लिए है। इसमें प्रकाशित सामग्री साधारण पढ़े-लिखे लोगों को आकर्षित करती है। इसका आवरण रंग-विरंग होता है। आवरण पर किसी भी अपराध कथा का चित्र होता है। इसका सम्पादकीय समसामयिक घटनाओं को अपने में समेटे रहता है। भीतरी दो पृष्ठों पर सिने तारिकाओं के चित्र रहते हैं। सम्पूर्ण पत्रिका, अपराध कथाएँ, डाके-हत्याएँ, विश्वविख्यात लोगों के चर्चे, यौन-अपराध, पुलिम विभाग की निष्पत्तियाँ आदि से भरी रहती है। यह साहित्यिक पत्रिका की श्रेणी में नहीं आती। साहित्य के नाम पर इसमें कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। यह पत्रिका लोगों को आकर्षित करने के लिए रहस्य, रोमांच से भरी अपराध कथाएँ, यौन कथाएँ, डाके-हत्याएँ व वनात्कार जैसे जघन्य अपराधों से सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत करती है। लोगों को रहस्य जानने की उत्कण्ठ अभिलाषा होती है और यह पत्रिका उसकी पूर्ति करती है। यह हिन्दी में सबसे अधिक विक्रम वाली पत्रिका है। इसकी प्रसार दर 15 दिनों में 87 में 2 लाख 37 हजार 366 थी।

माया

मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद का एक और प्रकाशन मासिक माया है। इसके सस्थापक स्वर्गीय मीतान्द्र मोहन थे व वर्तमान सम्पादक आलोक मित्र हैं। साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिका माया शुरू में शुद्ध व स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर पाठकों के सामने आई पर धीरे-धीरे इसने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया और अपने दृष्टिकोण को बदलने लगी। लोकरचि अधिकतर उन विभूतियों, खबरों, व कहानियों में होती है जो अधिकतर जो कुछ कहे बेलाग कहे तथा उनके कुण्ठित मनोवृत्ति को तृप्त करे और यही दृष्टिकोण माया ने अपनाया।

माया अधिकतर मनोहर कहानियों का ही दूसरा रूप लेकर सामने आई है। इसमें अधिकतर राजनीति से सम्बन्धित कच्चे चिट्ठे, घफमरो की विलासिता, भ्रष्टाचार की कहानियाँ ही स्थान पाती हैं। पूर्व में यह पत्रिका साहित्यिक कहानियाँ प्रस्तुत करती किन्तु वर्तमान में यह खोज सामग्री पत्रिका के रूप में अपना विजिष्ट स्थान बनाये हुए है। यह सैक्स विज्ञेपाक, प्रेम विज्ञेपाक जैसे शीर्षकों से पाठकवर्ग को बाधे रखती है। प्रेम, घृणा सोतिया डाह, पर-पुरुष प्रेम, राजनीति कूटनीति आदि मनोवृत्तियों के दुश्चक्रों पर यह पत्रिका बेलाग लिखती रही है। राजनीतिक दलों के नापाक गठबन्धन, त्रिया चरित्र, राज ज्योतिषियों, तान्त्रिकों

आदि से सम्बन्धित लेख प्रकाशित करके यह अपरिपक्व रुचि के पाठक-वर्ग की कुण्ठाओं को नृप्त करती है। इस पत्रिका को परिष्कृत रुचि वाले पाठक पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि इसमें साहित्यिकता न होकर व्यावसायिकता के कारण जन-रुचि के अनुत्प ही सामग्री होती है।

अखण्ड ज्योति

धर्म व आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कल्याण के बाद अखण्ड ज्योति पत्रिका प्रसिद्ध है। अखण्ड ज्योति उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से प्रकाशित होती है। यह मासिक पत्रिका सर्वप्रथम मन् 1940 में निकली थी और आज तक निकल रही है। गायत्री यज्ञ के प्रणेता प श्रीराम शर्मा आचार्य ने अध्यात्मवाद के प्रसार की दृष्टि से इन पत्रिका का प्रकाशन किया। आचार्य जी उनके सम्पादक थे तथा प्रो. रामचरण महेन्द्र सहायक सम्पादक। वर्तमान में इसकी सम्पादक भगवती देवी शर्मा हैं तथा सहायक सम्पादक बलराम सिंह परिहार हैं। यह पत्रिका मृत्युन्जय शर्मा, अखण्ड ज्योति संस्थान द्वारा जनजागरण प्रेस, मथुरा में मुद्रित व प्रकाशित होती है। साठे नो. × गाढे गत के आकार में निकलने वाली यह पत्रिका दो काष्ठ में विभक्त है, 56 से 60 पृष्ठ में निकलती है। अखण्ड ज्योति पूर्णतया धर्म व दर्शन आध्यात्म तथा सांस्कृतिक पत्रिका है। यह पौराणिक कथाओं द्वारा शिक्षाप्रद व चारित्रिक सामग्री भी प्रदान करती है।

अखण्ड ज्योति अपने हर अंक में छोटी-छोटी प्रेरक कथाएँ भी प्रकाशित करती है जो मनुष्य को नैतिक व सदाचरण की शिक्षा देती है। जीवन के महान विकास के लिए केवल शिक्षा ही आवश्यक नहीं वरन् गुण, स्वभाव और चरित्र इल की नितान्त आवश्यकता है। अगर यह न होगा तो जीवन विकास के सारे प्रयास निर्वन, निस्तेज और निष्प्राण हो जायेंगे। ये सब बातें इसमें प्रकाशित लेख हमें बताते हैं।

इस प्रकार इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री विवेक-संगत, तर्क युक्त प्रक्रियाओं में मानसिक विकास को प्रेरणा देती है। पौराणिक चारित्रिक व शिक्षाप्रद सामग्री के साथ धर्म के सम्बन्ध में विचार प्रेरक सामग्री पाठकों को देना ही इस पत्रिका की अपनी विशेषता है।

सुपमा

सुपमा प्रकाशन से प्रकाशित व द इण्डियन प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली से मुद्रित सुपमा का प्रकाशन 1959 में हुआ। इसके प्रथम सम्पादक कल्याण शर्मा थे। वर्तमान में इसके प्रधान सम्पादक सुनुन देहलवी हैं। यह पत्रिका अपने आपको साहित्यिक व सांस्कृतिक कहती है, परन्तु यह पत्रिका पूर्णतया किन्हीं पत्रिका है।

इसका सम्पादकीय भी फिल्मी समस्या को लिए हुए होता है। पत्रिका फिल्मी मितारों के परिचय भी देती है साथ में आने वाली नयी फिल्मों की संक्षिप्त कहानी भी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा एक दो कहानी व गज़लें भी इसमें रहती हैं। सुपमा के अंक में एक ऐसी कहानी भी होती है जिसका शीर्षक नहीं होता और वह शीर्षक पाठकों ने पूछा जाता है। तीन कालम में विभक्त व साढ़े नौ × साढ़े सात आकार की यह पत्रिका 97-100 पृष्ठ की निकलती है। कभी-कभी यह इससे अधिक पृष्ठ की भी प्रकाशित होती है। यह पत्रिका पूर्णतया फिल्मी पत्रिका है जो अपने पाठकों को फिल्मी दुनिया की चर्चाओं से परिचित कराती है। हाँ, इसमें प्रकाशित गज़लें व कविताएँ ऐसी हैं जिसके आधार पर इसे एक सीमा तक साहित्य के अन्तर्गत गिना जा सकता है।

नन्दन

हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रकाशन नन्दन बच्चों के पत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है यह नवम्बर, 1964 को दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसके सबसे पहले सम्पादक राजेन्द्र अवस्थी बने। वर्तमान में इसके सम्पादक जयप्रकाश भारती हैं। 9 × 7 आकार की यह पत्रिका दो कालम में विभक्त है। इसका नाधारण अंक 64 पृष्ठ का व वर्ष में तीन विशेषांक प्रकाशित करता है, जिनमें दो विशेषांक 80 पृष्ठों के व एक विशेषांक 128 पृष्ठों का होता है। इस पत्रिका का हर पृष्ठ दुरगा-चौरगा होता है जो बच्चों के मन को शीघ्र ही मोह लेता है। यह वार मासिक अपनी छपाई व मज्जा के कारण कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है।

प्रसिद्ध कवियों व कहानीकारों की रचनाएँ इसमें प्रकाशित होती रहती हैं। इसकी सम्पादकीय टिप्पणों का विकास से सम्बन्धित होती है। इस पत्रिका के मुख्य स्तम्भ—एलबम, आप कितने बुद्धिमान हैं, तेनाली राम, चटपट, ज्ञान पहेली, चीटू-नीटू, पत्र मिला, पुरस्कृत कथा, चित्र पहेली, शीर्षक बताइये, बच्चों का अखबार, आदि हैं। 'एलबम' नामक स्तम्भ प्रतिमास एक सुन्दर फोटो अपने पाठकों को देता है। यह फोटो कितनी चिन्तन, पण्डित, नेता, प्रसिद्ध स्थान, गुरु आदि की होती है। 'तेनालीराम' स्तम्भ में एक चित्रकथा हाती है जिसमें तेनालीराम की बुद्धि-चातुर्य दिखाकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 'चटपट' बच्चों के लिए हँसी का खजाना लेकर आता है। 'पुरस्कृत कथा' इसका एक अच्छा स्तम्भ है जिसमें एक चित्र बच्चों को दिया जाता है और उस चित्र के आधार पर बच्चों को कहानी लिखने को कहा जाता है। पसन्द की गई कहानी पर पुरस्कार भी दिया जाता है जिससे नयी कलम को प्रोत्साहन मिलता है। 'बच्चों का अखबार' एक प्रमूठा स्तम्भ है जो कभी भी पत्रिका में नहीं पाया जाता है। यह अखबार चार पृष्ठों का होता है। इसमें बच्चों के अनुसार ही समाचार रहते हैं। इसमें नीति शतक के दोहे भी प्रकाशित होते हैं।

योर नन्हें समाचार शीर्षक के अन्तर्गत छोटे-मोटे समाचार दिए होते हैं। सचित्र समाचार शीर्षक भी चौथे पृष्ठ पर रहता है जिसमें बच्चों में सम्बन्धित समाचारों का चित्र सहित वर्णन किया जाता है।

नन्दन नयी कलम को प्रोत्साहन देती है। इनमें प्रकाशित कहानियाँ विविधता लिए होती हैं जिसमें पौराणिक, काल्पनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सामग्री रहती है। जिसमें ऋषि-मुनि, पशु-पक्षी, परी, राजा-रानी, मेठ-मेठानी आदि की सभी तरह की कहानियाँ होती हैं। जगह-जगह रंग बिरंगे पारदर्शी चित्र रहने हैं जो बच्चों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं, यह होली, दिवाली व जून में अपने विशेषांक निगलता है। हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को भी यह उचित सम्मान देकर उनकी रचनाएँ प्रकाशित करता है। देश के बड़े-बड़े नेता, खिलाड़ी, अभिनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि सभी इस पत्रिका के लिए लिखते हैं।

नन्दन कहानी प्रेरक प्रमग के माध्यम से नैतिक शिक्षा भी देता है। बाल-पत्रिकाओं में यह पत्रिका सबसे अच्छी है। यह सुचित्रित और अपनी आकर्षक साज-सज्जा के कारण बच्चों में विशेष लोकप्रिय है। मूलतः यह बच्चों और किशोरों की पत्रिका है। इसका मूल उद्देश्य भारतीय मस्कनि के मानवीय मूल्यों से कथाओं को माध्यम बनाकर अपने पाठकों को परिचित कराना है।

पराग

पराग बच्चों की सम्पूर्ण पत्रिका है। यह टाइम्स आफ इण्डिया का प्रकाशन है। पराग मार्च, 1958 में निकला। इसके प्रथम सम्पादक श्री मन्मथकाम विद्यालङ्कार थे। इनके बाद सम्पादक आनन्द प्रकाश जैन बने, वर्तमान में इमंजु सम्पादक कन्हैया लाल नन्दन हैं। आनन्दप्रकाश जैन ने मार्च, 1960 में इसे ऐतिहासिक महत्त्व का बनाया। उस समय नए व पुराने लेखकों ने इसमें काफी लिखा। इसमें बाल एकांकी व शिशु गीतों का प्रकाशन करके बाल साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया। यह पहला ज्ञान-पत्र था जिसने शिशु गीतों सरीखी अविज्ञित दिशा को तरफ ध्यान दिया। पहले यह मासिक बम्बई से प्रकाशित होता था पर जब यह बम्बई से दिल्ली प्राया तो इसे किंगोर पत्र बना दिया गया परन्तु इस रूप में यह ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका और पुनः बाल पत्रिका बन गया। अब इसका सम्पादन वार्स कन्हैया-लाल नन्दन करने लगे। वर्तमान में डॉ. हरिकृष्ण देवसर इसके सम्पादक हैं। पराग इन दिनों रोबक व रंग-विरंगे विशेषांक निकाल रहा है जैसे—होली विशेषांक, क्रिकेट विशेषांक, किस्सा विशेषांक, नववर्ष विशेषांक, ज्योति विशेषांक, स्वाधीनता विशेषांक। यह बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा नेशनल प्रिण्टिंग प्रेस, दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित होता है। 9 × 5½ आकार की यह पत्रिका दो भाग

में विभक्त व 70 से 90 पृष्ठ में निकलती है। पराग का आवरण एक सुन्दर पारदर्शी चित्र से सुसज्जित रहता है। इसकी पृष्ठ संख्या लगभग 100 होती है।

पराग बच्चों का मधुर मासिक है जो बच्चों के लिए प्रति मास कहानियाँ, कविताएँ, सस्मरण, एकाकी, चुटकुने, धारावाही उपन्यास, प्रतियोगिताएँ आदि लेकर आता है। इसके स्थायी स्तम्भों, मवाल तुम्हारे जवाब हमारे, पिटारा, नई पुस्तकें, ये रही तुम्हारी चिट्ठियाँ, विशेष लेखमाला, खेलकूद प्रश्नोत्तर, बिल्लू, छोड़ और लम्बू, खबरो की दुनियाँ, शीर्षक प्रतियोगिता, नयी निगाहें, दूसरी पत्रिकाओं में इन महीने, प्रसंग सुनो दोस्तो, हँसो हँसो, तुम डाल डाल हम पात पात, तुम्हारी-चौपाल, तुमने लिखा है, अचल बड़ी या ? पराग टाइम्स, तुम कितना जानते हो आदि हैं। इन स्तम्भों के अतिरिक्त यह समय-समय पर नये स्तम्भ भी चालू करता रहता है। विशेष लेखमाला के अन्तर्गत हमेशा बच्चों को एक नए शहर से परिचित कराया जाता है। चित्र कथा रोचक तथा हास्य भरी होती है। खबरो की दुनिया स्तम्भ बच्चों को देश-विदेश की रोचक कहानियों तथा घटनाओं से परिचित कराता है।

पत्रिका ने डाक टिकटों से भी समय-समय पर बच्चों का परिचय कराया है। कभी डाक टिकट चिड़ियाघर लेकर आते हैं तो कभी नेता लोगों के चित्र आदि। पराग समय-समय पर रोचक, प्रेरक प्रसंग देकर बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देता है। इसकी कविताएँ सरस व रसमयी होती हैं जो बच्चों को सहज ही आकर्षित करती हैं। पराग में प्रकाशित कहानियाँ बच्चों के हृदय को छू लेने वाली होती हैं तथा धारावाहिक उपन्यास भी बच्चों के मन के भावों के अनुरूप ही होते हैं। ऐतिहासिक वैज्ञानिक, सामाजिक सभी तरह की कहानियाँ यह मासिक प्रकाशित करता है। पराग का सम्पादकीय भी बच्चों को शिक्षा देने वाला होता है।

चन्दामामा

चन्दामामा अहिन्दी भाषी तमिलनाडु से प्रकाशित एक मात्र ऐसी पत्रिका है जो तरह-तरह भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। यथा—हिन्दी, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, असमिया, उडिया, अंग्रेजी, सिंहली। चन्दामामा का प्रकाशन मद्रास से सितम्बर, 1949 में हुआ। इसके सर्व-प्रथम सम्पादक पी. वेंकटाचन शर्मा थे। इसके बाद क्रमशः रामानन्द शर्मा, आलूरी देवरागी, चौधरी अरिगुण्डि, रमेश चौधरी व बाल शौरि रेड्डी आए। वर्तमान में इसके सम्पादक चक्रपाणि हैं और संचालक नागिरेड्डी हैं। यह चन्दामामा पब्लिकेशन मद्रास से मुद्रित व प्रकाशित होता है।

64 से 96 पृष्ठ का चन्दामामा दो कालमें में विभक्त है तथा रंग-विरंगे चित्रों से भरा रहता है। इसका सम्पादकीय प्रमुख कथाओं तथा घटनाओं पर

आधारित होता है। जो बचस्क शिक्षा व अध्ययन की अभिरुचि को विकसित करता है। कभी-कभी सम्पादकीय में क्रमरवाणी भी दे दी जाती हैं। इस पत्रिका में घर्म कथाएँ, लोक-कथाएँ, पुराण-कथाएँ आदि को विशेष स्थान दिया जाता है। आधुनिकता इसे छू भी नहीं पाई है। धारावाही उपन्यास इसकी अपनी विशेषता है। न खत्म होने वाली बेताल कथाओं के माध्यम में यह बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यही नहीं, यह विचित्र जुड़वा भाई कारनामों में अंत-प्रोत सामग्री भी प्रकाशित करता है। रामायण, महाभारत, वीर हनुमान, देवी भागवत् आदि की धार्मिक कथाएँ धारावाही दी जाती हैं। पुराण कथाओं के अतिरिक्त यह एक पंजीय लघु-कथाएँ भी प्रकाशित करता है। बच्चों को यह सप्ताह के आश्चर्य शीर्षक से आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बताता है।

आजकल चन्दामामा ने भी अपने स्थायी स्तम्भ निकालना शुरू कर दिया है ये स्तम्भ है—'बहू कौन था ? इसके अन्तर्गत देश-विदेश की महान विभूतियों के जीवन के सम्बन्ध में जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं, "भारत कल और आज" के अन्तर्गत भारत के वर्तमान व अतीत सहरो के बारे में जानकारी होती है। 'प्रकृति के अजूबे' नामक स्तम्भ बालकों को रोचक सामग्री तो प्रदान करता ही है साथ ही उनके ज्ञान में वृद्धि भी करता है।

चन्दामामा धारावाही उपन्यास, पुराण, धारावाही कथाएँ, लघु-कथाएँ, बेतालकथाएँ, लोककथाएँ, जादू की कथाएँ, परी कथाएँ, नीति व व्यावहारिक ज्ञान की कथाएँ देकर इनके माध्यम से अपने पाठकों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पुराण, लोक साहित्य, समाज व्यवस्था तथा मानव जीवन को प्रभावित करने वाली सभी स्थितियों का समग्र विवेचन करके परिचित कराता है। मूलतः यह पत्र बच्चों का माना जाता है, पर यह एक पारिवारिक पत्र है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पढ़ा जाता है।

गुड़िया

सन् 1973 में मद्रास से एक और बच्चों का मासिक पत्र गुड़िया निकला। इसके सम्पादक बापिनीडु हैं। यह पत्रिका बच्चों की पत्रिका चन्दामामा में मिलती-जुलती है। सारी सामग्री करीब-करीब चन्दामामा की तरह ही प्रकाशित होती है। यह चार भाषाओं में प्रकाशित होती है। हिन्दी, तेलगू, तमिल व कन्नड़। इसका सम्पादकीय प्रमुख कथा पर ही आधारित होता है। इसमें चन्दामामा से कुछ सामग्री अलग है जो बच्चों को बाँधे रखती है। इसमें लोट-पाँट व नोक-भोक भी हैं। इसके अन्तर्गत काटून कथा भी दी जाती है जो बच्चों को हँसते-हँसते लोट-पोट कर देती है। इसी प्रकार एक चित्रकथा भी प्रतिमास प्रकाशित की जाती है जिस पर ऐसे वाक्य लिखवाए जाते हैं जिन्हें पढ़कर हँसो छूट जाती है। गुड़िया प्रतिमास

बच्चों को एक गुडिया और देती है जिसे गुडिया परीक्षा पत्र नाम दिया गया है। इसके अन्तर्गत चित्रों व प्रश्नों के द्वारा पाठकों में हन पूछे जाते हैं और इनाम भी दिए जाते हैं। यह प्रश्न बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं और उनकी बुद्धि को परिष्कृत करते हैं। प्रश्न और उत्तर देकर भी बच्चों का ज्ञानवर्धन कराया जाता है। गुड़िया कुछ सामग्री को छोड़कर चन्दामामा का ही दूसरा रूप है।

गृहशोभा

दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्रा. लि. ने दिल्ली से गृहशोभा (मासिक) का प्रकाशन किया। यह पत्रिका महिलापयोगी है। समाचारदर्शन, ये पड़ीसी, पति-पत्नी, जलभाव-सुलभाव, फुहार, हाथ में शर्म से लाल हुई, फूल भी कांटे भी इस पत्रिका के स्थायी स्तम्भ हैं। इसके अनिर्दिष्ट कथा साहित्य, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, फिल्म, बागवानी, परिवार फैशन, सिलाई, पकवान, साज-सज्जा आदि पर भी सामग्री होती है। समय-समय पर अपने विशेषांक भी प्रस्तुत करती है जैसे फैशन विशेषांक, सिलाई-कढ़ाई आदि जो कि सग्रह योग्य होते हैं।



अध्याय-11

प्रेस आयोग

प्रथम प्रेस आयोग

एक दायित्व पूर्ण प्रेस समाज व राष्ट्र को स्वस्थ दिशा में गतिशील करने में सक्षम है। पर स्वतन्त्रता पाने के बाद भारतीय पत्रकारिता अपने मिशन से हट कर वृत्ति की ओर अग्रसर होने लगी। उस समय अखबार में काम करने सम्बन्धी न तो कोई नियम थे न ही पत्रकारी सेवा सुरक्षित थी। जिसमें भारतीय भाषाओं के पत्रकारों की हालत और भी दयनीय थी। पत्र सिर्फ अपने मालिकों के हित के लिए ही थे। ऐसी सकटपूर्ण स्थिति में भारतीय धर्म जीवी पत्रकार सघ ने 12-13 अप्रैल 1952 में कलकत्ता में हुए अपने अधिवेशन में समाचार पत्रों की वर्तमान दशा जानने तथा भविष्य के लिए दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से प्रेस आयोग की स्थापना की मांग दृढतापूर्वक की।

प्रथम संशोधन विधेयक 1951 को मसद में बहस के दौरान प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के रायन कमीशन की तरह प्रेस आयोग गठन करने का संकेत दिया था कि प्रेस आयोग की स्थापना प्रेस और देश के हित में होगी आगे चलकर मसद में जब प्रेस एक्ट 1952 पर बहस चल रही थी, तब सदस्यों ने भारतीय प्रेस की असमानताओं, प्रेस कानूनों और पत्रकारों की स्थिति के सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिये थे। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 16 मई, 1952 को मसद में घोषणा की कि सरकार यथाशक्ति ही प्रेस आयोग का गठन करेगी।

अन्ततः 23 सितम्बर, 1952 को सूचना व प्रसारण मन्त्रालय की ओर में न्यायमूर्ति जी. एस. राजाध्वक्ष की अध्यक्षता में प्रेस आयोग के गठन की घोषणा की गई। इसकी त्रिधिवत घोषणा 3 अक्टूबर, 1952 को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशन से हुई। यह प्रेस आयोग जांच कानून, 1952 धारा 3 (एल एवन. 1952) के अन्तर्गत स्थापित हुआ। तत्कालीन भारत में प्रेस की स्थिति, लोक-तांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की भावी भूमिका तथा प्रेस के विकास में विचार विमर्श करने हेतु आयोग मस्य निम्न थे—

- (1) श्री न्यायमूर्ति जी एस. राजाव्यक्ष (अध्यक्ष)
- (2) डॉ. सी.पी. रामस्वामी अय्यर
- (3) आचार्य नरेन्द्र देव
- (4) डॉ. जाकिर हुसेन
- (5) डॉ. वी के वी आर.वी राव
- (6) डॉ. पी.एच पटवर्धन
- (7) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
- (8) श्री जयपाल सिंह
- (9) श्री ज नटराजन
- (10) श्री ए.आर. भट्ट
- (11) श्री एम चेलापति राव

आयोग के उद्देश्य—

प्रथम प्रेस आयोग को प्रेस से जुड़े जिन विषय मुद्दों की छानबीन करके अपने सुझाव देने थे वे थे—

- (1) लघु एवं बड़े समाचार पत्र, पत्रिकाओं, समाचार समितियों और फीचर अभिपदों (सिडीकेटो) के नियन्त्रण, प्रबन्ध, स्वामित्व तथा वित्तीय स्थिति ।
- (2) एकाधिकार तथा श्रृंखला पत्रों का तथ्यात्मक समाचारों तथा निष्पक्ष विचारों के प्रस्तुतीकरण पर प्रभाव ।
- (3) प्रेस की मालिकाना कम्पनियाँ, विज्ञापनों का वितरण और अन्य बाहरी दबाव जिसमें पत्रकारिता के स्वस्थ विकास में बाधा उत्पन्न होती हो ।
- (4) पत्रकारों की नियुक्तियाँ, प्रशिक्षण, वेतनमान, सेवा निवृत्तियों पर लाभ तथा रोजगार की अन्य शर्तों तथा उच्च व्यावसायिक मानदण्डों की स्थापना तथा सुरक्षा पर विचार ।
- (5) अख्तियारी कागज की पूर्ति तथा वितरण, मशीन छपाई एवं यांत्रिक मजदूरों के विभिन्न पहलु ।
- (6) अख्तियारों के लिए उच्च आधार संहिता, प्रेस और सरकार के मध्य आपसी सम्बन्ध, प्रेस मलाहकार तथा सम्पादकों और पत्रकारों के विभिन्न संगठन ।
- (7) प्रेस की स्वतन्त्रता तथा उसकी स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक कानूनों में मशोधन ।

प्रेस आयोग को धरती रिपोर्ट 1 मार्च, 1953 देनी थी, लेकिन जांच पड़ताल में दो वर्ष लगे गये। आयोग ने अपना प्रतिवेदन के सर्वेक्षण के लिए सासदों, विवायकों, पत्रकारों व विभिन्न विशेषज्ञों आदि लगभग 1200 व्यक्तियों को प्रश्नावली भेजी परन्तु बहुत कम लोगो ने इस प्रश्नावली को भरकर भेजा। केवल 739 के उत्तर ही आयोग को प्राप्त हुये। इन सबके बावजूद नयी दिल्ली बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, शिमला आदि स्थानों पर बैठकें आयोजित की गई तथा गवाहियाँ ली गई। प्रेस की पहली बैठक 11 व 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई। इस प्रकार प्रेस पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करके इस प्रेस आयोग के सदस्यों ने अपनी अन्तिम बैठक 14 जुलाई, 1954 को बम्बई में की तथा प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये। प्रेस आयोग का प्रतिवेदन तीन खण्डों में है—

- (1) प्रेस जगत की जांच व सुझाव
- (2) भारतीय पत्रकारिता का इतिहास (इसे जे नटराजन ने लिखा जो उस समय "ट्रिब्यून" (अंग्रेजी दैनिक अम्बला) के सम्पादक थे।)
- (3) प्रश्नावलियाँ, परिशिष्ट, जापन सर्वेक्ष तथा अर्थ व्यवस्था। समाचार मर्मितिया, आकाशवाणी की गतिविधियाँ।

वरिष्ठ पत्रकार श्री एम. चेलापति राव के वे शब्द जो उन्होंने प्रथम प्रेस आयोग की महत्ता व उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हुये लिखे हैं। दृष्टव्य हैं—
 "प्रेस के बारे में इसका प्रतिवेदन आप्त वाक्य के रूप में काम कर रहा है। व्यापक समाचार सम्बन्धी इस महत्त्वपूर्ण साधन के कार्यकरण के बारे में अपनी किस्म की यह पहली जांच थी। इस आयोग ने बड़ा ही शिक्षा-प्रद काम किया है। सत्यान्वेषक आयोग के नाते ऐसे उद्योग के लिये स्थायी महत्त्व का कार्य किया जो विलकुल संगठित नहीं था। यह प्रयास इस उद्योग में एक सुव्यवस्था पैदा करने वाली क्रान्ति के समान है, जिसमें पहले न कोई कानून चलता था और न आत्म सयम।"¹

यहाँ नहीं एक जगह और स्व. राव ने लिखा है "रिपोर्टें एक दस्तावेज थी जो न केवल सिद्धान्तों के बारे में बल्कि तथ्यों के बारे में एक मार्ग निर्देशिका बनी रही।"

उपर्युक्त कहे शब्द प्रेस आयोग की महत्ता को स्वतः ही सिद्ध कर देते हैं।

मुख्य सुझाव—

- (1) प्रेस आयोग की महत्त्वपूर्ण सिफारिश "प्रेस परिपद" की स्थापना के सदर्भ में थी। (प्रेस की स्वतन्त्रता, विकास, पत्रकारों की बहिमुखी उन्नति, पत्र मालिकों के दायित्व आदि का नियमन और पालन)।

- (2) पत्रों के निबन्धन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए जो प्रेस से सम्बन्धित तथ्यों एवं आँकड़ों को एकत्रित करके प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- (3) पृष्ठानुसार मूल्य का नियम लागू किया जाए। विज्ञापन मुद्रण के लिए निर्धारित स्थान से सप्ताह भर में चालिस प्रतिशत से अधिक न हो।
- (4) विज्ञापन परिपद बनाई जाए जो विज्ञापनों के लिए आचार संहिता बनाए।
- (5) प्रत्येक समाचार-पत्र को लाभ-हानि का सम्पूर्ण विवरण अलग-अलग करना होगा। यदि एक ही पत्र के अनेक संस्करण प्रकाशित किये जाते हैं तो प्रत्येक संस्करण का आय-व्यय का व्यौरा अलग-अलग तैयार किया जायेगा।
- (6) जिला पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया जाए जिससे देश में अधिक सख्या में पत्रों का प्रकाशन हो।
- (7) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही अखबारी कागज बेचा जाए।
- (8) समाचार समितियों पर किसी प्रकार का सरकारी नियन्त्रण न हो। उनके विकास के लिए निगम की स्थापना की जाए।
- (9) समाचार पत्रों की एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जाए इसके लिए प्रेस रजिस्ट्रार समाचार-पत्रों के प्रसार पर सूक्ष्म निगाह रखें।
- (10) पत्रकार के हितों की रक्षार्थ उद्योगों पर लागू होने वाले नियम उन पर लागू हो। पत्रकारों के लिए नियमित वेतन तथा कार्य के घण्टे निर्धारित किए जाए।
- (11) केन्द्र तथा राज्यों की राजधानियों में प्रेस की सुविधाएँ बढ़ाई जायें तथा समाचार पत्रों को अपने यहाँ कार्यरत पत्रकारों को देश के विभिन्न भागों में भ्रमण की विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- (12) आयोग ने विभिन्न कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे। इनमें प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट, विज्ञापन कानून, भारती जाप्ता दिवानी और जाप्ता फौजदारी, समुद्री चुँगी और तार कानून आदि उल्लेखनीय हैं।
- (13) पत्रकारों के लिए आचार संहिता का गठन किया जाए।

- (14) प्रेस उद्योगों पर से अन्य उद्योगों के मालिकों का नियन्त्रण तथा प्रभाव कम से कम किया जाए।
- (15) पत्र-पत्रिकाओं में उद्योगियों की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ, अपराध, और कामुकता को बढ़ावा देने वाली कामिक-चित्रियों का प्रकाशन देश के हित में नहीं है। अतः सरकार इसके विरुद्ध कदम उठाए।
- (16) कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण के समस्त अधिकार संपादक में निहित करने की सिफारिश करते हुए सम्पादकीय विभाग में नियुक्ति के समय संपादक की राय लेने की आवश्यकता आयोग ने प्रतिपादित की। सभी कर्मचारियों की सम्पादकीय नेतृत्व में आस्था हो ताकि सम्पादकीय स्वतन्त्रता तथा गरिमा की सुरक्षा बनी रहे।

स्वीकृत सुझाव—

भारत सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग के कुछ मुख्य सुझावों को स्वीकृति प्रदान की। वे सुझाव निम्न हैं—

- (1) समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय जुलाई, 1956 में स्थापित किया गया। प्रेस से सम्बन्धित आँकड़े एकत्र करने का दायित्व तथा अखबारी कागज का वितरण प्रेस रजिस्ट्रार के माध्यम से होने लगा। जुलाई से दिसम्बर, 1956 की प्रथम प्रेस रिपोर्टें 30 अप्रैल, 1957 को प्रस्तुत की गईं।
- (2) 'प्रेस परिषद' की स्थापना प्रेस आयोग का महत्वपूर्ण सुझाव था। सन् 1965 में प्रेस परिषद कानून पार हुआ और 4 जुलाई, 1966 को प्रेस परिषद का गठन किया गया।
- (3) धमजीवी पत्रकार कानून 1955, 20 दिसम्बर, 1955 से लागू किया गया। इस कानून के अन्तर्गत मुख्य रूप से पत्रकारों के काम के घण्टे, वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों आदि का नियमन हुआ। 1962 में इसमें पुनः संशोधन हुए।
- (4) भारत सरकार ने 1956 में "पृष्ठानुसार भूल्य नियन्त्रण नियम" जारी किया। इसके विरुद्ध 1960 में पूना के "सकाल समूह" के पत्रों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। फलस्वरूप 25 सितम्बर 1961 को सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अमान्य ठहराया। अतः सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया।
- (5) 22 सितम्बर, 1962 को प्रेस सत्राहकार समिति का गठन किया

गया। अपनी अवधि के दो वर्ष पूरा करने पर सितम्बर, 1964 में वह समाप्त कर दी गई।

- (6) छोटे समाचार-पत्रों के विकास व उनकी स्थिति की जांच के लिए भारत सरकार ने आर.आर. दिनाकर की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की। उक्त समिति ने 9 मार्च, 1966 को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इस समिति ने "पृष्ठाधार मूल्य निर्धारण" करने की पुनः सिफारिश की। छोटे पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण का सुझाव दिया। साथ ही समिति की यह भी सिफारिश थी कि छोटे-पत्रों को मजावटी विज्ञापनों का 50 प्रतिशत भाग दिया जाना चाहिए।
- (7) वित्तीय संघर्षों से जूझते छोटे मध्यम कोटि के पत्रों की मदद के लिए सरकार ने "समाचार-पत्र वित्त निगम" की स्थापना का बिल 4 सितम्बर, 1970 को लोकसभा में पेश किया था पर वह बिल पास न हो सका।
- (8) समाचार-पत्रों और समाचार-समितियों की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए तथ्यान्वेषण समिति की 14 अप्रैल, 1972 को नियुक्ति की गई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 जनवरी, 1975 को प्रस्तुत कर दी थी।

इस प्रकार स्वतन्त्र भारत में प्रेस की स्थिति पर पहली बार गहन अध्ययन व विश्लेषण प्रथम प्रेस आयोग के कारण ही सम्भव हुआ। आयोग की संस्तुतियाँ प्रेस के विकास की दृष्टि में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थीं। जिनमें से कुछ सिफारिशें स्वीकार की गईं तो कुछ सिफारिशों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। समय-समय पर समाचार-पत्रों के विकास के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ परन्तु उनकी सिफारिशों और प्रस्तावों को उचित ढंग से त्रियान्वित नहीं किया जा सका।

अतः प्रेस के स्वस्थ विकास तथा उसके समूचे परिवेश पर गहन अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया गया और जनता सरकार ने 29 मई, 1978 का द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की।

द्वितीय प्रेस आयोग

29 मई, 1978 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश पी. के. गोस्वामी थे। अन्य सदस्य थे—

- (1) श्री अबू अब्राहम, कार्टूनिस्ट इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली
- (2) श्री प्रेम भाटिया, सम्पादक, ट्रिब्यून, चण्डीगढ़
- (3) श्री एस. एच. वात्स्यायन, सम्पादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
- (4) श्री वी. के. नरसिंहन, सम्पादक, डेकन हेरल्ड, बैंगलूर
- (5) श्री मोइनिउद्दीन हरीस, उर्दु पत्रकार
- (6) श्री एस. एन. द्विवेदी, भूतपूर्व सांसद
- (7) श्री फाली एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय
- (8) प्रो. रवि. ने. मथार, प्रोफेसर भारतीय प्रबन्ध संस्थान, ग्रहमदावाद
- (9) श्री यशोधर एन. मेहता, अधिवक्ता
- (10) श्री अरुण शोरी, सीनियर फैलो, इण्डियन कौन्सिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च (सितम्बर 1978 तक)
- (11) श्री निखिल चक्रवती, सम्पादक, गेन स्ट्रीम, दिल्ली (अरुण शोरी के त्यागपत्र देने के बाद दिसम्बर, 1978 में नियुक्ति)।

सातवें लोकसभा चुनावों में नई सरकार के गठन के बाद श्री पी के गोस्वामी ने 14 जनवरी, 1980 को त्यागपत्र दे दिया फलस्वरूप श्री के. के. मैथ्यू (जो कि उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश थे) को अध्यक्ष बनाकर आयोग का पुनर्गठन किया गया। 21 अप्रैल 1980 को गठित इस आयोग के सदस्य इस प्रकार थे:—

- (1) श्री शिशिर कुमार मुखर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश।
- (2) श्री पी. वी. गाडगिल, पत्रकार
- (3) श्री ईशरात खली सिद्दिकी, सम्पादक, कौमी आवाज, नखनऊ
- (4) श्री राजेन्द्र माथुर, तत्कालीन सम्पादक, नई दुनियाँ, इन्दौर
- (5) श्री गिरिलाल जैन, सम्पादक टाइम्स ऑफ इण्डिया, बम्बई।
- (6) श्री रणवीर सिंह, सम्पादक, मिलाप, दिल्ली
- (7) श्री के. आर. गणेश, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री
- (8) श्री मदन भाटिया, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय
- (9) श्रीमती अमृता प्रीतम, उपन्यासकार
- (10) प्रो. एच. के. पराजये, अर्थशास्त्री।

श्री मदन भाटिया के त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय लघु एवं मध्यम समाचार पत्र सच के अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द वर्मा को इस आयोग का सदस्य बनाया गया। इसी समय इनाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश श्री ए. एन. मुत्ता को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जिससे आयोग के सदस्यों की

संख्या 11 हो गई, परन्तु 29 जनवरी, 1981 को अमृता भीतन का त्यागपत्र स्वीकार कर लेने के बाद आयोग की सदस्य संख्या फिर 10 हो गई।

विचार के प्रमुख बिन्दु

द्वितीय प्रेस आयोग को विभिन्न विषयों पर विचार करके अपने सुझाव देने थे, जिससे प्रेस के विकास और स्तर में सुधार लाया जा सके। विचार के कुछ प्रमुख बिन्दु निम्न थे —

- (1) विकासशील तथा लोकतान्त्रिक समाज में प्रेस की भूमिका।
- (2) बाकू एव अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में वर्तमान सर्वैधानिक सुरक्षाओं की उपयुक्तता और कमियाँ।
- (3) नागरिकों के वैयक्तिकता के अधिकार को सर्वैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा।
- (4) प्रेस की स्वतन्त्रता की आर्थिक, राजनैतिक तथा मालिकों एव प्रबन्धकों के दवावों से सुरक्षा के उपाय।
- (5) विकासशील नीतियों में प्रेस की भूमिका एवं दायित्वों को स्वीकार करना चाहिए।
- (6) प्रेस उद्योग के रूप में, सामाजिक संस्था के रूप में तथा सार्वजनिक कार्यों की तथ्यपूर्ण बहस के मंच के रूप में।
- (7) सम्पादकीय स्वतन्त्रता, व्यावसायिक ईमानदारी और वस्तुनिष्ठ समाचार पाने के पाठकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेस के घटकों के स्वामित्व का स्वरूप तथा उनका वित्तीय ढाँचा।
- (8) समाचार पत्रों की निरन्तरता, उद्योग से सम्बन्ध, प्रतियोगिता तथा पाठकों का प्रामाणिक समाचार पाने तथा स्वतन्त्र टिप्पणियों के अधिकार पर उनका प्रभाव।
- (9) समाचार पत्र उद्योग की आर्थिक व्यवस्था, अखबारों कागज, मुद्रण मशीनें तथा समाचार पत्र में अन्य निवेश।
- (10) विज्ञापन सरकारी एव निजी, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक
- (11) सरकार और प्रेस में सम्बन्ध तथा राजकीय संस्थानों की भूमिका
- (12) प्रेस के विभिन्न घटकों, प्रकाशकों, मैनेजरो, सम्पादकों तथा व्यावसायिक पत्रकारों एव अन्य के मध्य स्थित आपसी सम्बन्ध।
- (13) छोटे एव मध्यम भाषायी पत्रों का विकास।
- (14) नियतकालीन तथा विषय विशेष पत्रिकाओं का विकास।

- (15) समाचार भूमितियों, फीचर भूमितियों की संरचना, समाचार सीमा क्षेत्र तथा समाचारों का आदान-प्रदान ।
- (16) व्यावसायिक कर्मियों को प्रशिक्षण, व्यावसायिक स्तर एवं उत्पादन के विकास के उपाय, पत्रकारिता और जनसंचार में अनुसंधान ।
- (17) पत्रकारिता की नयी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के संदर्भ में परस्पर सद्भाव के श्रेष्ठतर साधन के रूप में ।
- (18) समाचार पत्र विकास के लिए नये परिदृश्य ।

आयोग की मुख्य सिफारिशें

(1) प्रेस की भूमिका

आयोग प्रेस से इस बात की अपेक्षा करता है कि उसे न तो सरकार का "अविचारित विरोध" करना चाहिए और न ही उसका अर्थ समर्थन । उभरे रचनात्मक आलोचना के मार्ग का चयन करना चाहिए । लोकतान्त्रिक तथा विकासशील राष्ट्र में प्रेस की भूमिका सरकार के प्रति न तो शत्रुतापूर्ण हो और न ही मित्रतापूर्ण । वस्तुतः समाज निर्माण एवं जनमत को दिशा निर्देश देने का महत्वपूर्ण दायित्व प्रेस पर है । अतः प्रेस व सरकार के मध्य सद्भावपूर्ण सम्बन्ध कायम किए जाने के प्रयास हो ।

(2) समाचार पत्र विकास आयोग

प्रेस आयोग ने छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के प्रसार प्रचार और विकास के लिए समाचार पत्र विकास आयोग के गठन का सुझाव दिया । प्रस्तावित समाचार पत्र विकास आयोग छोटे तथा मध्यम वर्गों के पत्रों को सस्ती दरों पर दूर मुद्रण सेवाएं उपलब्ध कराने, समाचार पत्रों को अखबारों कागज उपलब्ध कराने, समाचार पत्रों की दूर मुद्रण लाइनें दूर दराज क्षेत्रों तक फैलाने और छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के छापाई एवं छापाखाना तकनीक के विकास में सहयोग करेगा । इस प्रकार यह आयोग छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों को आत्म निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।

(3) विदेश सम्बन्ध और सुरक्षा

राष्ट्रीय सकट के समय प्रेस अत्यन्त ही सशक्त ढंग से अपनी भूमिका निभा सकता है । अतः आयोग का मानना है कि समाचारों की सरकार की विदेश नीति का मात्र समर्थन ही हुना चाहिए अभिष्ट नहीं है । विदेश नीति के किन्हीं भी मसले पर समाचार पत्र सरकारी रुख से भिन्न मत रखने को स्वतन्त्र है और इसे अराष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता । साथ ही आयोग ने ऐसे सवेदनशील मामलों में प्रेस से पूर्ण

उत्तरदायित्व तथा नियन्त्रण की अपेक्षा की है जिनके प्रकाशन अथवा टिप्पणी से शत्रु राष्ट्रों को युद्ध के समय लाभ होने की सम्भावना हो ।

(4) पृष्ठानुसार मूल्य एवं विज्ञापन समाचार अनुपात

आयोग ने समाचार पत्रों के पृष्ठों तथा मूल्य के मध्य उचित अनुपात लागू करने के लिए सविधान में सशोधन करने का सुझाव दिया, ताकि समाचार पत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता पनप सके । आयोग ने निश्चित आकार के अनुरूप पृष्ठों की सख्या तय करके न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाचारों और विज्ञापनों के मध्य एक निश्चित अनुपात करने का विचार रखा । यह अनुपात बड़े समाचार पत्रों के लिए 60:40, मध्यम समाचार पत्रों के लिए 50:50 और छोटे समाचार पत्रों के लिए 40:60 रखा गया है । समाचार पत्रों की पृष्ठ सख्या और उनके दाम तथा समाचार और विज्ञापन के अनुपात निर्धारित किया जाए या नहीं इसके लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जा रही है ।

(5) चित्र कथाएं तथा भविष्यवाणियां

आयोग को यह सुझाव दिया है कि नू कि अपराध एवं जागृती की प्रवृत्ति की चित्रकथाएं हमारे सांस्कृतिक चिन्तन एवं परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल है अतः इनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए जो हमारे सांस्कृतिक जीवन को सुरक्षितपूर्ण ढंग से प्रतिबिम्बित तो करे ही साथ ही स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहित करें । इसके लिए भारतीय कथाओं, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनियों व घटनाओं को प्रस्तुत किया जाए ।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अन्धविश्वास और भाग्यवादिता के प्रतीक पत्रों में प्रकाशित "भविष्यवाणियां", "राशिफल" आदि का प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए ।

(6) विज्ञापनों में नारी तथा विज्ञापन नीति

विज्ञापनों में महिलाओं की छवि के दुरुपयोग की आयोग ने कड़ी मर्तसना की है । आयोग ने सेक्स तथा सिनेमा की पत्रिकाओं को रियायती मूल्य पर अखबारों कागज नहीं देने की भी सिफारिश की है ।

आयोग ने सरकार की निश्चित विज्ञापन नीति तय करने का सुझाव दिया है । समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों की देश में किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं बरती जाए । दृश्य व श्रव्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) का विभाजन कर देना चाहिए तथा सरकारी विज्ञापन का मार स्वायत्तशासी सस्था को

सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाए। केन्द्र द्वारा गठित स्वायत्तशामी सगठन के अनुसूच ही राज्य सरकारों को भी ऐसे सगठन का गठन करना चाहिए।

(7) पत्र सूचना कार्यालय का पुनर्गठन

छोटे एव मध्यम समाचार पत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए आयोग ने पत्र सूचना कार्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश की है। उसका मानना है कि पत्र सूचना कार्यालय का स्वरूप "सूचना एव समाचार कार्यालय" के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए जो रात-दिन कार्य करता रहे। इसकी सेवाएँ जिला और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रकाशित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को बराबर मिलती रहे। आयोग का यह भी कहना था कि एक ऐसी सलाहकार समिति का गठन किया जावे जो समय-समय पर इनके कार्यों का मूल्यांकन करती रहे और अपने सुझाव देती रहे।

(8) भारतीय प्रेस में विदेशी धन

आयोग ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर से विदेशी धन के प्रभाव को समाप्त करने के कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कानूनों में भी मशौघन करने की सिफारिश की। इस हेतु निम्नलिखित पांच सुझावों का उल्लेख किया :—

- (1) कानूनों में ऐसा प्रावधान रखा जाए कि जिससे किसी भी समाचार घटाने पर शेयर होल्डर्स या ऋण के रूप में स्वामित्व न रहे।
- (2) विदेशी स्रोतों में विज्ञापन अथवा मुद्रण अनुबन्ध उमी प्रकार किये जाएँ जिस प्रकार दूसरों से किये जाते हैं।
- (3) विज्ञापन की दर प्रतिवर्ष अथवा उनके पुनर्निधारण पर उन्हें प्रकाशित किया जाए तथा विदेशी विज्ञापन दाताओं से किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।
- (4) विदेशी तथा भारतीय स्रोतों का पूरा उल्लेख करते हुए प्रतिवर्ष एक बार समाचार पत्रों द्वारा अपने आय व्यय का पूरा लेखा जोखा प्रकाशित किया जाए।
- (5) प्रत्येक समाचार पत्र को प्रथम मौ शेयर होल्डर के नाम, उनकी राष्ट्रीयता, पत्र तथा शेयर्स की कुल संख्या एव अनुपात की पूर्ण जानकारी, विदेशी स्रोतों का राष्ट्र के अनुसार विज्ञापन या मुद्रण अनुबन्धों आदि की पूरी सूचना प्रेस परिषद् को देनी होगी।

(9) समाचार समिति

आयोग ने अधिक से अधिक समाचार समितियों के गठन करने का सुझाव दिया है ताकि इनके द्वारा समाचार पत्रों को समाचार व विचार व्यापक व विभिन्न आयामों में तो दिए ही जा सकें। साथ ही इनके माध्यम से फोटो, नक्शे आदि भी भेजे जा सकें। आयोग समिति में यह भी अपेक्षा करता है कि वह ग्रामीण जीवन तथा उनकी समस्याओं से जुड़कर अज्ञात एवं अनछुए स्थलों के समाचारों को समुचित स्थान दें।

प्रेस आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं की एक प्रथम श्रेणी की समाचार समिति का गठन शीघ्र किया जाए। आयोग ने पी टी आई तथा यू एन आई से यह अपेक्षा की है कि वे भारतीय भाषाओं की आधुनिक व उच्चस्तरीय समाचार समिति के गठन में पहल करें। आयोग की इसी सिफारिश के आधार पर यू एन आई ने 1 (एक) मई सन् 1982 से हिन्दी समाचार समिति "यूनीवार्ता" और पी टी आई ने 18 अप्रैल, 1986 से "भाषा" प्रारम्भ कर दी है।

प्रेस आयोग ने अंग्रेजी समाचार समितियों को ज्यों की त्यों रखने की सिफारिश की है। पी.टी.आई. से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार एकता करने तथा भारत के समाचारों को विदेशों में प्रसारित करने और यू.एन.आई. की भूमिका को पड़ोसी राष्ट्रों तक सीमित रखने की सिफारिश की है।

(10) पत्रकारों को आवास सुविधाएँ

आयोग ने श्रमजीवी पत्रकारों को दी जाने वाली सरकारी आवास सुविधा समाप्त करने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि पत्रकारों को सरकारी आवास सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उनके लिए सरकार को पत्रकारों से बिना रियायती दर पर किराया वसूल किया जाना चाहिए। पत्रकार द्वारा सरकारी मकान खाली कर देने पर यह व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए।

(11) उद्योगों से मुक्ति तथा न्यायाधिकारियों की नियुक्ति

प्रेस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद प्रस्ताव समाचार-पत्रों को अन्य उद्योगों से अलग करने से है। आयोग का मानना है कि समाचार पत्र प्रकाशक के दस प्रतिशत से अधिक हित अन्य व्यवसायों व उद्योगों में निहित नहीं होने चाहिये। ना ही समाचार पत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यवसायिक हितों द्वारा नियंत्रित हो अर्थात् समाचार पत्र प्रकाशक के दस प्रतिशत से शेष अधिक अन्य क्षेत्र में नहीं होने चाहिये। क्योंकि बड़े समाचार पत्रों की ईकाईयाँ पत्र प्रकाशन के अतिरिक्त अन्य विभिन्न उद्योगों से काफी धन नियोजित करती हैं।

प्रेस आयोग ने पत्र के मालिकों को लिखित रूप से अपनी पत्र की नीतियाँ निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। पत्र मालिकों तथा पत्र सम्पादकों के मध्य न्यायाधिकारियों के गठन का सुझाव दिया। बॉर्डर पत्र की नीतियों की परिपालना पर ध्यान देगा। पत्र के स्वामियों और सम्पादकों के मध्य पैदा हुए किसी भी प्रकार के विवाद, मतभेद का समाधान भी किमी के द्वारा किया जायेगा।

(12) प्रेस परिषद्

आयोग ने प्रेस परिषद् द्वारा सर्वैधानिक भीमाम्यो में अब तक किये गये कार्यों की प्रगति की और उसे उपयोगी बनाते हुए इस मस्या को जारी रखने का सुझाव दिया।

पत्रकार आचार संहिता पर आयोग का मानना था कि समाचार-पत्रों के लिए किसी भी प्रकार की आचार संहिता तैयार करना वाछनीय नहीं है।

(13) प्रेस कानूनों में संशोधन

प्रेस आयोग ने सरकारी गोपनीयता कानून व्यवितगत गोपनीयता न्यायालय की अवमानना तथा ससद के विशेषाधिकार आदि कानूनों में कुछ आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की।

14 मई 1986 को राज्य सभा में पूर्व सूचना व प्रसारण मंत्री श्री गाडगिल ने घोषणा की कि सरकारी गोपनीयता कानून प्रेस की आजादी में बाधक नहीं है, अतः इसमें कोई संशोधन नहीं होगा।

आयोग का मत है कि पत्रकार को अपने स्रोत का उल्लेख सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहिये। लेकिन उसे इस सम्बन्ध में पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्रकार को अपने स्रोत की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जॉर्ज मुडस्यो ने इस राय से अपनी असहमति प्रकट की। उनका कहना था कि पत्रकार को अपने स्रोत की जानकारी न देने का पूरा अधिकार होना चाहिये।

आयोग ने यह भी अपेक्षा की है कि प्रेस को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये तथा समाचारों को सनसनी खेन बनाने की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिये।

आयोग ने ससद तथा विधान सभा के लिए यथाशीघ्र "विशेषाधिकारों" का निश्चित "नियमशास्त्र" बनाने पर बल दिया। उनका कहना है कि 'विशेषाधिकार' का सामान्य अर्थ जनता में विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य में लिया जाता है। अतः इस शब्द के स्थान पर अधिकार तथा सुविधाएँ शब्द प्रयोग किया जाए।

आयोग की 91 सिफारिशें स्वीकृत

पूर्व सूचना व प्रसारण मंत्री श्री वी. एन. गाडगिल ने 14 मई 1986 को राज्य सभा में घोषणा की कि सरकार ने द्वितीय प्रेस आयोग की 278 सिफारिशों में से 91 सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है तथा आयोग की 77 सिफारिशों को सरकार ने नोट किया है तथा उन्हें राज्य सरकारों तथा प्रेस से सम्बन्धित सगठनों को भेजने का फैसला किया है, ताकि वे इन सिफारिशों पर विचार करके उपयुक्त कार्यवाही कर सकें।

द्वितीय प्रेस आयोग की 26 सिफारिशें ऐसी हैं जिनका गहराई में अध्ययन करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है तथा 48 सिफारिशों को सरकार ने नामजूर कर दिया है। प्रेस की आजादी के प्रति वचन-वद्धता और उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति के अन्तर्गत ही इस सम्बन्ध में दिये सुझावों के बारे में सरकार ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है, और विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय प्रेस परिपद् ऐसे सिद्धांत बना सकेगी ताकि अपने लिए आचार संहिता स्वयं बना सके।



वर्तमान के सन्दर्भ में : हिन्दी पत्रकारिता

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता के समग्र मूल्यांकन के पश्चात् सहसा यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान युग में पत्रकारिता अप्रत्याशित महत्त्व की भागीदार बयो हो गई है और यदि ऐसा हो भी गया तो उसकी उपलब्धियाँ और सम्भावनाएँ क्या हैं ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान भौतिक और वैज्ञानिक जगत इतना अधिक विस्तृत और अनुमधान बाहुल्य हो गया है कि विश्व के किसी भी कोने में घट रही घटनाएँ और नई उपलब्धियों और गवेषणाओं को पत्रकारिता के अभाव में समझा और जाना नहीं जा सकता है । वास्तविकता यह है कि पत्रकारिता न केवल वैचारिक सम्प्रेषण का माध्यम है अपितु दिन-प्रतिदिन घटित होने वाली स्थितियों और परिस्थितियों से उत्पन्न सन्दर्भों का सम्प्रेषण है ।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता के महत्त्व के विश्लेषण के तिलसिले में सबसे पहले यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह वह शक्ति है जो वैश्विक घटना-चक्र का सही मंच बनो हुई है । पत्रकारिता सामाजिक जीवन की मार्गदर्शिका है और जनसेवा एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ-साथ ज्ञान-वैविध्य के विस्तार और विकास का शीर्षस्थ स्थान रखती है । इतना ही नहीं, पत्रकारिता अतीत के गर्भ में छिपे हुए रहस्यों को अनावृत करती हुई वर्तमान की हर साँस और घड़कन का इतिहास और भूगोल प्रस्तुत करती है । जहाँ तक स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता की उपलब्धियों का प्रश्न है, उन्हें इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है—

इसने समस्त देश को और उसके विभिन्न दूरवर्ती भागों को एक-दूसरे से जोड़ दिया है । यदि पत्रकारिता न होती अथवा उसका इतना विकास न हुआ होता तो हम अपने देश में घटित घटनाओं, अनुसंधानों, सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों में बंचित रह गए होते । निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसने एक सामाजिक सम्बन्ध की निर्धारणा में बड़ी भूमिका निभाई है ।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता केवल राजनैतिक घटना-चक्र तक ही सीमित नहीं रही, उसका विकास साहित्य, विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाटक, कृषि एवं फिल्म आदि-आदि क्षेत्रों तक हुआ

है। आज की पत्रकारिता सकीर्ण दुनियाँ को छोड़कर ससार के बहुयामी क्षेत्रों तक व्याप्त हो गयी है।

तीसरी उपलब्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने देश की राजनीति को जनता से जोड़ दिया है। यही कारण है कि आज राजनैतिक मंच पर घटित होने वाली घटनाएँ न केवल जन मानस को प्रभावित करती हैं अपितु जनरुचि को भी निर्वाधित करती हैं। पिछले दशक का राजनैतिक घटना-चक्र इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि सत्ता में हुए विकास, आकस्मिक परिवर्तनों और उखाड़-पछाड़ की राजनीति को जनसमुदाय में अच्छी तरह समझाया है।

इसने अनेक प्रकार से जन-जीवन को जाग्रत किया है। यह पत्रकारिता की ही देन है कि आज हम अपने शासन-तन्त्र, प्रशासन-वर्ग और मन्त्री परिषद् के क्रिया-वलापो की सही स्थिति से परिचित हैं और यह भली-भाँति समझते लगे हैं कि कौन नेता, शासक या प्रशासक कितने पानी में है। अब तक तो यह भी सुनिश्चित-सा है कि जब-जब हमारे सत्ताधीश जनता को भ्रम और धोखे में रखने का प्रयास करेंगे तब-तब जनता उसे अपने सुचिन्तित मताधिकार से बदल देगी। निश्चय ही इस स्थिति में पत्रकारिता का योगदान विशेष है।

पत्रकारिता समूचे घटना-चक्र को नियन्त्रित और निर्देशित करती है। सामान्य से सामान्य मनुष्य की मन शक्तियों को जागृत करने में पत्रकारिता ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जागृति, नवोन्मेष, सुधार और सामाजिक परिवर्तनों को दिशा देने में स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता ने अभूतपूर्व कार्य किया है।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीयता, नव-जागृति का जो प्रयास किया है, वह एक अविम्वरणीय सन्दर्भ है। एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह हुआ है कि पत्रकारिता व्यापक देश-हित की अपेक्षा क्षेत्रीय पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रादेशिक समस्याओं और स्थिति को मुखरित करने लगी है। यद्यपि इन प्रादेशिक पत्र-पत्रिकाओं का लक्ष्य भी लोक-हितेपणा से अलग नहीं रहा है।

सामाजिक समस्याओं, गतिविधियों और विविध घटना-प्रसंगों के सम्प्रेषण के लिए पत्रकारिता ने जिस भाषा को अपनाया है, वह लोकोन्मुख भाषा है। जनता में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग और वह भी कृतिपय बहु-प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ करके स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारों ने पत्रकारिता को ग्राम धादमी से जोड़ दिया है। भाषा का सरलीकृत रूप, वाक्यों की स्पष्टता और शैली की रवानगी के कारण स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता की भाषा-शैली सुगम्य और सुबोध है। भाषा विषयक यह उपलब्धि स्वातन्त्र्योत्तर पत्रकारिता की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं।

पत्रकारिता आज के व्यस्त जीवन में हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा का कार्य भी कर सकती है। नए मूल्यों तथा प्रतिमानों के निर्धारण का कार्य भी

पत्रकारिता ने किया है। स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी पत्रकारिता जिस दिशा में अग्रसर हुई है वह दिशा क्षेत्रीय न होकर बहुक्षेत्रीय है। इससे उसमें सकीर्णता नहीं रही और व्यक्ति की अभिव्यक्ति विषयक स्वतन्त्रता के अधिकार की रक्षा हुई है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि वह न केवल अतीत की सरक्षिका, वर्तमान की विश्लेषिका है अपितु भविष्य की नियामिका भी है। नवभारत के कार्यकारी सम्पादक सुरेन्द्रप्रताप सिंहके अनुसार “आज इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि हिन्दी पत्रकारिता अब न सिर्फ प्रसार की दृष्टि से बल्कि विश्वमनीयता, गुणवत्ता तथा प्रभाव की दृष्टि से भी अंग्रेजी से भागे निकल रही है।

अतीत आज हमारे सामने नहीं है और भविष्य हमारे लिए अनजान है। फिर भी यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि मनुष्य स्वयं जैसे भविष्य का निर्माता होता है, वैसे ही पत्रकारिता भी अपने भविष्य की निर्मात्री हो सकती है। पत्रकारिता को भविष्य की निर्मात्री तभी माना जा सकता है जबकि वह कलात्मक रूप से विकसित हो, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को विकसित करे, वास्तविकता का सम्यक उद्घाटन करती रहे, और वैज्ञानिक शिल्प को अपनाकर सतत उत्थानप्रेरणी बनी रहे। बानूराव विष्णु पराडकर ने वृन्दावन साहित्य सम्मेलन के अवसर पर हुए सम्पादकीय सम्मेलन में जो भविष्यवाणी की थी वह आज बिल्कुल सत्य हो रही है। उन्होंने कहा था “हम सम-सम्पादक पत्रों की उन्नति चाहते हैं, पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस उन्नति के साथ-साथ पत्र की स्वातन्त्र्य हानि अवश्यम्भावी है। उन्नति व्यापारी ढंग से हो सकती है। इसके लिए पूँजी और व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। इंग्लैण्ड अमेरिका के पत्रों में स्पष्टतः देखा जाता है कि उनके समाचार स्तम्भ, मनोरजन स्तम्भ और व्यापार स्तम्भ जितने ही अच्छे हो रहे हैं, उनके सम्पादकीय स्तम्भ उतने ही निकम्मे बनते जा रहे हैं। लन्दन के टाइम्स जैसे दो-तीन पत्र इसके अपवाद हैं। पर साधारण नियम वही है जो ऊपर बताया जा चुका है। एडिटर की अपेक्षा मैनेजिंग एडिटर का प्रभाव और क्षमता अधिक बढ़ हो गई है। भावी हिन्दी समाचार-पत्रों में भी ऐसा होगा। पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े-बड़े धनियों अथवा सुसंगठित कम्पनियों के लिए ही सम्भव होगा। पत्र सर्वांग सुन्दर होंगे। आकार बड़े होंगे। छपाई अच्छी होगी। मनोहर, मनोरञ्जक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कल्पना होगी, गम्भीर गवेषणा की भलक होगी और मनोहारिणी बक्ति भी होगी। ग्राहकों की सह्या लाखों में गिनी जाएंगी। यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण सम्पादकों की नीति न होगी। इन गुणों से सम्पन्न लेखक विकृत मस्तिष्क समझे जायेंगे। सम्पादक की

कुर्सी तक पहुँच भी न होगी। वेतन भीगी सम्पादक मालिक का काम करेंगे पर आज भी हमें जो स्वतन्त्रता प्राप्त है वह उन्हें नहीं होगी।”

नवभारत के सम्पादक राजेन्द्र माथुर के शब्दों में “हिन्दी पत्रकारिता का विकास भविष्य में ‘प्रोडायर’ विकास होगा। एक राष्ट्रीय, दूसरा प्रादेशिक और तीसरा जिला स्तरीय होगा।”

अतः वर्तमान में पत्रकारिता का जो स्वरूप है, वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हिन्दी पत्रकारिता तमसावृत नहीं है, एक ज्योतिष्यमान किरण दिखाई दे रही है जो हिन्दी पत्रकारिता के प्रति आशा जगाती है।



सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम—डॉ. वेद प्रताप वैदिक

हिन्दी पत्रकारिता : डॉ. कृष्णविहारी मिश्र

सवाद और सवाददाता : राजेन्द्र

समाचार सम्पादन : प्रेमनाथ चतुर्वेदी

सम्पादन कला : के. पी. नारायण

मुद्रण परिचय : प्रफुल्लचन्द ओझा

पत्रकारिता : सफ़ट और सत्रास—हेरम्ब मिश्र

समाचार-पत्रों का इतिहास : अम्बिका प्रसाद वाजपेयी

पत्रकार कला : विष्णुदत्त शुक्ल

पत्र और पत्रकार : कमलापति त्रिपाठी

हिन्दी पत्रों के सम्पादक : बी. एम. ठाकुर और सुशील कुमार पाण्डे

हिन्दी समाचार-पत्रों का इतिहास : राधाकृष्णदास

समाचार-पत्र कोश : डॉ. सत्य प्रकाश

हिन्दी साहित्यकारों की आत्मकथा : महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द,
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, कृष्णदत्त पालीपाल एव बालकृष्ण शर्मा : सम्पादक देवव्रत ।

पत्रकार प्रेमचन्द और हंस : डॉ. रत्नाकर पाण्डेय

पत्रकारिता के प्रतिमान . प्रेमचन्द गोस्वामी

आधुनिक पत्रकार : कला : रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर

पत्रकार कला : पन्नालाल श्रीवास्तव

भारतीय पत्रकार कला : सम्पादक—रोलैण्ड ई. ब्रूसले

हिन्दी समाचार-पत्रों की सूची : बकट लाल ओझा

पत्रकारिता के अनुभव : इन्द्र विद्यावाचस्पति

हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव और विकास : रामरतन भटनागर

स्वातन्त्र्योत्तर राजस्थान की हिन्दी पत्रकारिता : डॉ. भेंवर सुराणा

राजस्थान में हिन्दी पत्रकारिता : डॉ. मनोहर प्रभाकर

राजस्थान की साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ : डॉ. महेन्द्र मधुप

पत्रिका सम्पादन कला : डॉ. रामचन्द्र तिवारी

246/हिन्दी पत्रकारिता : विकास और विविध आयाम

प्रेस कानून और पत्रकारिता : सजीव भानावत

भारत में हिन्दी पत्रकारिता . डॉ. रमेश जैन

हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास : डॉ. रमेश जैन

पत्रकारिता के विविध रूप : डॉ. रामचन्द्र तिवारी

हिन्दी समाचार पत्रों का इतिहास : श्री बालमुकुन्द गुप्त

हिन्दी पत्रकारिता : मणिमय प्रकाशन—स. डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, इन्द्र

बहादुर सिंह तथा रामव्यास पाण्डेय ।

समाचार-पत्र कला : पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी

पराडकरजी और पत्रकारिता . लक्ष्मीशंकर व्यास

भारतीय समाचार-पत्रों का संगठन और प्रवन्ध : डॉ. सुकमाल जैन

हिन्दी गद्य साहित्य : डॉ. चन्द्रभानु शीताराम सोनवणे

भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा डॉ. ज्ञानवती दरवार

गणेश शंकर विशारथी के श्रेष्ठ निबन्ध : राधाकृष्ण

हिन्दुस्तान समाचार चापिकी

हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास (हिन्दी साहित्य का उत्कर्ष) समानोचना

निबन्ध-पत्रकारिता (1975-95 वि.) : डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधाशु

समाचार-पत्र : एम. चलपति राव

स्वाधीनता के बाद हिन्दी पत्रिकाओं का विकास : रामचन्द्र तिवारी

पण्डित भाबरमल शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ : राजस्थान मंच

हिन्दी शब्द सागर, छठा भाग . श्यामसुन्दर दास

मानक हिन्दी कोश : तीसरा भाग : रामचन्द्र वर्मा

भारत के समाचार-पत्र . 1980 (भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का

चौबीसवाँ प्रतिवेदन)

नागरी प्रचारिणी मना का हीरक जयन्ती ग्रन्थ : कमलापति त्रिपाठी

(परिशिष्ट)

“समपित अर्द्धशती” वाके बिहारी भटनागर

भारतीय प्रेस की वार्षिक रिपोर्ट

आचलिक पत्रकार : विजयदत्त धीवर

INFA : Press and Advertisers Year Book 1982

India-Who's Who 1977-78

The Shorter Oxford English Dictionary : William Little

Volume I

The Oxford English Dictionary

The Encyclopedia Americana—Volume XVI.

Encyclopedia Britanica—Volume XIII
Dictionary of Quotation—Bergen Evans.

Journalism and the Student Publication : Frederick W.
Maguire and Richard M. Spong.

The Newspaper : Its Place in a Democracy · Duane Bradley

Daily Newspapers : Robert D. Murphy

Press in India : M. Chalapathi Rao

Introduction of Journalism · E. H. Butter.

The Journalists Hand Book—M. V. Kamath

Press Council · The Indian Experience—Gautam Adhivani

Media problems and Prospects by National Media Centre
1983

A B.C Certificate, Audit Period 1st January to 30 June, 1983.

IENS . Press Hand Book 1982.



